BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

O.A. NO. 209/ 2022

IN THE MATTER OF:

MEGH SINGH …APPLICANT

VERSUS

STATE OF RAJASTHAN AND ORS. …RESPONDENTS

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGES
1.	Report on behalf of Department of Mines and Geology in Compliance of Order Dated 03.04.2023 passed by this Hon'ble Principal Bench, NGT along with Affidavit.	1 - 12
2.	**ANNEXURE-1 (Colly.):** Table containing information pertaining to status of the mining lease, penalty imposed and recovery (if any) made.	13 - 54
3.	**ANNEXURE-2 (Colly.):** True Copy of Letter dated 24.04.2023, 07.06.2023 and Reply of RO, RSPCB, Nagaur dated 09.06.2023.	55 - 96
4.	**ANNEXURE-3 (Colly.):** True Copy of cancellation order with issued notices of 42 mining leases & inspection report of 22 mining leases.	97 - 260
5.	**ANNEXURE-4:** True Copy of Order dated 03.02.2023 passed in SB Civil Writ Petition No. 15016/ 2022 by the Hon'ble High Court of Rajasthan.	261-268
6.	**ANNEXURE-5:** True Copy of Stay Order dated 13.12.2022 passed in SB Civil Writ Petition No. 14941/2022 by the Hon'ble High Court of Rajasthan.	269-270

7.	**ANNEXURE-6:** Chart of total imposed penalty & recovered amount from 40 lessees.	271-272
8.	**ANNEXURE-7 (COLLY.):** True Copies of the Order dated 10/11/2022 in SB Civil Writ Petition No. 16877/2022, Order dated 14/12/2017 in SB Civil Writ Petition No. 9470/2016, Order dated 13/11/2019 in SB Civil Writ Petition No. 16668/2019, Order dated 13/12/2022 in SB Civil Writ Petition No. 14941/2022 passed by the Hon'ble High Court of Rajasthan at Jodhpur.	271-279

Date: 26.07.2023

Place: New Delhi

DEPARTMENT OF MINES AND GEOLOGY

THROUGH



PRACHI MISHRA

8, Todarmal lane,

Bengali Market,

New Delhi-110001

M: 9818488187

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

O.A. NO. 209/ 2022

IN THE MATTER OF:

MEGH SINGH …APPLICANT

VERSUS

STATE OF RAJASTHAN AND ORS. …RESPONDENTS

REPORT ON BEHALF OF THE DEPARTMENT OF MINES AND GEOLOGY IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 03.04.2023

MOST RESPECTFULLLY SHOWETH:

1. The present report consists of additional information which is being brought on record in compliance with the Order dated 03.04.2023 wherein this Ld. Tribunal directed the Answering Respondent to provide further details and clarifications pertaining to the action taken against the lease holders along with all relevant documents as well as action taken report regarding recovery of penalties of illegal mining.

2. This Ld. Tribunal vide order dated 03.04.2023, raised queries pertaining to individual defaulters' status in respect of:-

   (a) Environment Clearance (EC) and Consent to Establish (CTE)/Consent to Operate (CTO) consent conditions

   (b) Scientific mining in accordance with mining plan

   (c) Carrying out of Plantation

   (d) Incurring expenses on CSR activities.

   Additionally, information was requested regarding status of all mining leases in respect of:-

   (i) Cancellation of mining leases,

   (ii) Implementation of mine closure plan, and

(iii) Remedial measures taken for reclamation/rehabilitation of the mining lease areas.

3. It is respectfully submitted that to address the above-mentioned concerns comprehensively, a detailed tabular representation containing information on all 42 mining leases within the Randhisar Pahadi area has been prepared. Table containing information pertaining to status of the mining lease, penalty imposed and recovery (if any) made, work suspension with reasoning, compliance details as well as information pertaining to rehabilitation and plantation in the mining lease area carried out by the lessee of all 42 mining leases is annexed herewith & marked as **ANNEXURE-1 (Colly).**

4. It is respectfully submitted that the status of EC conditions, CTE/CTO consent conditions, and details of expenses incurred on CSR activities are not available with the Answering Respondent. CTE/CTO consent was issued by RSPCB and monitoring of the same was to be done by RSPCB. As such in view of prescribed EC conditions, the lessee was required to submit compliance of EC and inform about the expenses on CSR activities to RSPCB/CPCB/SEIAA including MOEF Regional office Lucknow/Jaipur. However, in compliance of order dated 22.08.2022, for ascertaining the consent conditions, a joint inspection was carried out by Department of Mines and Geology and RSPCB on 12.09.2022, report of the same was submitted through email on 20.09.2022. Vide communication dated 24.04.2023 and 07.06.2023, the Answering Respondent has requested Regional Officer, RSPCB, Nagaur to give requisite information regarding compliance of EC and CTO/CTE conditions.

5. Subsequently, RSPCB, Nagaur in its communication dated 09.06.2023 to the abovementioned request letter by the Answering Respondent has replied informing that the respective mining leases were cancelled in

accordance with law and procedure, CTO were revoked and directions for closure of all mining leases were issued by RSPCB Head Office Jaipur. Since the Mines are non-operational, the status of compliance of CTO remains the same. Moreover, conditions mentioned in EC related to RSPCB are same as mentioned in CTO issued to the mines. It is relevant to note that, the procedure and regulation of proper compliance of EC of Mines comes under the purview of MOEF&CC. Copy of the Letter dated 24.04.2023, 07.06.2023 and reply of RO, RSPCB, Nagaur dated 09.06.2023 are annexed herewith and marked as **Annexure–2 (Colly).**

6. Regarding carrying-out of scientific mining in accordance with mining plan, time to time inspection of leases were carried out in which out of 42 mining leases, 22 leases were defaulting in carrying out scientific mining, i.e., defaulting with respect to bench height & bench width as per norms, mining in presence of mine manager/foreman & working as per mining plan. For carrying out of plantation (as part of consent conditions) a joint inspection was carried out by Answering Respondent with RSPCB on 12.09.2022 and the report of the same was submitted through email on dated 20.09.2022 before this Ld. Tribunal.

7. It is pertinent to reiterate that at present all 42 leases in the Randhisar Pahadi area have been cancelled by the respective competent authorities. Out of 42 leases, 1 lease was cancelled in the year 2010 due to shifting of applied area in renewal application, 4 leases were cancelled in the year 2021 & 2022 due to non-submission of mutation application in prescribed time period, 15 leases were cancelled in the year 2022 due to non-payment of penalty amount & 22 leases were cancelled in the year 2022 due to non-compliance of mining lease conditions. Cancellation order copy with issued notices of 42 mining leases & inspection report of 22 mining leases are annexed herewith and marked as **Annexure-3 (Colly).**

8. Against cancellation order, 20 Lessees has preferred individual Writ Petitions before the Hon'ble High Court of Rajasthan at Jodhpur where the Hon'ble High Court was pleased to dispose off these Writ Petitions by a common order dated 03.02.2023 while granting liberty to 18 Petitioners to avail appropriate remedy and prefer an appeal against cancellation order passed by SME Bikaner before the Appellate Authority. Copy of order dated 03.02.2023 passed in SB Civil Writ Petition No. 15016/ 2022 by the Hon'ble High Court of Rajasthan at Jodhpur is annexed herewith & marked as **Annexure-4.**

9. In S.B. Civil Writ Petition No. 14941/2022 titled as ***M/s P.G. Stone Crushing Industries vs. State of Rajasthan and Ors.***, the Hon'ble High Court vide order dated 13.12.2022 granted stay on the operation of cancellation order dated 09.09.2022 of SME Bikaner and recovery notice dated 12.09.2022. Copy of stay order dated 13.12.2022 passed in SB Civil Writ Petition No. 14941/2022 by the Hon'ble High Court of Rajasthan at Jodhpur is annexed herewith & marked as **Annexure-5.** Another S.B. Civil Writ Petition No. 16185/2022 titled as M/s Shri Jagdamba Stone Crushing Industries vs. State of Rajasthan, is pending adjudication before the Hon'ble High Court of Rajasthan at Jodhpur.

10. It is pertinent to highlight that as of now, total 30 appeals have been filed before Appellate Authority out of which 18 appeals have been filed in view of Hon'ble High Court's order dated 03.02.2023 passed in SB Civil Writ Petition No. 15016/ 2022 and 12 appeals have been preferred directly by lessees and thus the matter is presently sub-judice.

11. It is respectfully submitted that implementation of mine closure plan & reclamation/rehabilitation of mining lease area shall be carried out in accordance with the final finding of the Hon'ble High Court/Appellate

Authority. A proposal will be prepared with PHED for constructing a water reservoir and building fence/boundary wall of Randhisar Pahadi area and this proposal will be put up before DMFT Governing Council for its approval. The water stored in the reservoir shall be utilized for drinking & irrigation purposes by residents of such area. It may also be useful for recharging ground water.

12. In Randhisar Pahadi area, survey of 42 mining leases were conducted in different years where out of 42 mining leases, illegal mining in 38 leases were found in the year 2000, illegal mining in 33 leases in the year 2012 & illegal mining in 10 leases in the year 2021-22. Details of the all 40 mining leases involved in illegal mining (survey conducted in the year 2000, 2012 & 2021-22) are given below as:-

2000		**2012**		**2021-22**	
21/1988	48/1978	**48/1978**	**25/1979**	***73/1977***	**22/2003**
25/1979	95/1978	**54/1990**	**65/1983**	***42/1978***	***59/1981***
54/1990	65/1983	**54/1978**	**86/1983**	**75/1983**	***36/1980***
54/1978	86/1983	**44/1978**	**45/1978**	***68/1978***	**50/1979**
44/1978	45/1978	**52/1990**	**32/1988**	***49/1983***	***76/1983***
52/1990	32/1988	11/1978	***73/1977***		
73/1977	60/1983	**60/1983**	**62/1983**		
62/1983	74/1983	**74/1983**	22/2003		
42/1978	***59/1981***	***42/1978***	***59/1981***		
75/1983	***36/1980***	***36/1980***	**161/1990**		
161/1990	15/1980	**15/1980**	**40/1987**		
41/1978	40/1987	***68/1978***	***49/1983***		
68/1978	50/1979	**53/1978**	**101/1977**		
71/1983	***49/1983***	**74/1978**	***76/1983***		
53/1978	101/1977	**36/1986**	**13/1978**		
162/1990	74/1978	**74/1982**	**92/1978**		
76/1983	36/1986	**40/1985**			

13/1978 74/1982 92/1978 40/1985		

13. From the above table it is clear that:-

- 7 mining leases (73/1977, 42/1978, 59/1981, 36/1980, 68/1978, 49/1983 & 76/1983) were involved in illegal mining repeatedly in the year 2000, 2012 & 2021-22.
- 24 mining leases (48/1978, 25/1979, 54/1990, 65/1983, 54/1978, 86/1983, 44/1978, 45/1978, 52/1990, 32/1988, 60/1983, 62/1983, 74/1983, 161/1990, 15/1980, 40/1987, 53/1978, 101/1977, 74/1978, 36/1986, 13/1978, 74/1982, 92/1978 & 40/1985) were involved in illegal mining repeatedly in the year 2000 & 2012 but not in 2021-22.
- 1 mining lease (22/2003) was involved in illegal mining repeatedly in the year 2012 & 2021-22.
- 2 mining leases (75/1983 & 50/1979) were involved in illegal mining repeatedly in the year 2000 & 2021-22 but not in 2012.

14. From the year 2000 till date total penalty of Rs. 35,02,35,000/- has been imposed on 40 lessees out of which an amount of Rs. 17,43,72,507/- has already been recovered from 28 leassee/defaulters and an amount of Rs. 1,95,63,417/- was waived off in Amnesty scheme-2022. So, as of now total penalty amount of Rs. 19,39,35,924/- in 28 cases has been recovered/disposed and total penalty amount of Rs. 15,62,99,076/- in 12 cases remains to be recovered. A chart of total imposed penalty & recovered amount from 40 lessees is annexed herewith & marked as **Annexure-6.**

15. It is further submitted that out of 12 cases, the lessees of 4 leases involving an amount of Rs. 4.86 Crore have obtained stay on the recovery by the Hon'ble High Court of Rajasthan at Jodhpur. As far as remaining 8 cases, recovery proceedings for an amount of Rs. 10.76

Crore are presently pending under the Land Revenue Act, 1956. The present status of recovery of these 12 cases is provided as follows:

S. No.	Name of Defaulter	M.L. No.	Dues Amount (in Cr.)	Recovery Authority	Present status of Recovery
1.	M/S Jagdamba Stone Crushing Industries	86/1983	2,11,19,259/-	AME (Recovery) Churu	Property attached & auction was done on 7.11.22, 25.1.23, 21.2.23, 27.3.23, 4.5.23, 14.6.2023 & 20.07.2023 but no bid was obtained. Next auction is scheduled on 23.08.2023.
2.	M/S Randhisar Stone Crushing	62/1983	1,75,41,195/-	AME (Recovery) Churu	Property attached & auction was done on 15.11.22, 29.3.23, 6.5.23, 15.6.2023 & 21.07.2023 but no bid was obtained. Next auction is scheduled on 24.08.2023.
3.	Maina devi W/O Girdharilal Meghwal	54/1978	77,39,380/-	AME (Recovery) Churu	No property was reported by Tehsildar Sujanagarh & Commisioner,

					Nagar parishad, sujangarh vide their letter dated 08.09.22 & 28.09.22 respectively.
4.	Yogesh Kumar Sharma S/O Niranjan Sharma	52/1990	72,78,826/-	AME (Recovery) Churu	No property was reported by Tehsildar Sujanagarh & Commisioner, Nagar parishad, sujangarh vide their letter dated 08.09.22 & 28.09.22 respectively.
5.	M/S Churu Labor Contractor Cooperative Society	65/1983	1,28,87,986/-	AME (Recovery) Churu	Property was found but it is under dispute. To get other property details, a letter dated 30.05.23 was written to Tehsildar churu & Commissioner Nagar Parishad churu.
6.	Inderchand Golian S/O Leeladhar Goliyan	44/1978	1,88,02,143/-	ME (Recovery) Srigangana gar	Defaulter died on 22.02.21.

7.	Inderchand Golian S/O Leeladhar Goliyan	45/1978	80,07,169/-	ME (Recovery) Srigangana gar	Defaulter died on 22.02.21.
8.	Kishan Singh Gehlot S/O Dhudaram	54/1990	1,42,74,674/-	ME (Recovery) Bikaner	Defaulter died on 05.09.15.
9.	M/S PG Stone Crusing Ind.	11/1978	59,21,559/-	ME (Recovery) Bikaner	STAY granted on recovery of dues by Hon'ble HC Jodhpur on dated 13.12.22.
10.	Niranjan Sharma S/O Bhanwar Lal Sharma	32/1988	1,52,57,537/-	AME Churu	STAY granted on recovery of dues by Hon'ble HC Jodhpur on dated 10.11.22.
11.	Shankar Lal S/O Ganesh Ram	73/1977	74,68,169/-	AME Churu	STAY granted on recovery of dues by Hon'ble HC Jodhpur on dated 14.12.17.
12.	Lalit Kumar Verma S/O Hanumanmal Verma	60/1983	2,00,01,179/-	AME Churu	STAY granted on recovery of dues by Hon'ble HC Jodhpur on dated 13.11.19.

Copies of the order dated 10/11/2022 in SB Civil Writ Petition No. 16877/2022, order dated 14/12/2017 in SB Civil Writ Petition No. 9470/2016, order dated 13/11/2019 in SB Civil Writ Petition No. 16668/2019, order dated 13/12/2022 in SB Civil Writ Petition No.

14941/2022 passed by the Hon'ble High Court of Rajasthan at Jodhpur staying the recovery in abovementioned 4 cases is annexed herewith and marked as **Annexure-7 (Colly)**.

16. Presently, out of total 8 cases enumerated above, recovery proceedings are actively under process for 5 cases by AME (Recovery) Churu, 1 case by ME (Recovery) Bikaner, and 2 cases by ME (Recovery) Sriganganagar. Among these 8 cases, properties in 2 cases are scheduled for auction on 23.08.2023 and 24.08.2023. (S. No. 1 & 2), while property information could not be obtained for 2 cases (S.No. 3 & 4). In one case, property details have been identified but are presently under dispute and in 3 cases the defaulters have unfortunately passed away (S. No. 6, 7 & 8).

17. In view of the facts and circumstances of the case, the Applicant herein has failed to make out any case which calls for interference by this Ld. Tribunal. Hence, the instant Original Applicant may be dismissed with costs keeping in view the correct facts and circumstances.

Date: 26.07.2023

Place: New Delhi

DEPARTMENT OF MINES AND GEOLOGY

THROUGH 

PRACHI MISHRA

8, Todarmal lane,

Bengali Market,

New Delhi-110001

M: 9818488187

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

O.A. NO. 209/ 2022

IN THE MATTER OF:

MEGH SINGH ...APPLICANT

VERSUS

STATE OF RAJASTHAN & ORS. ...RESPONDENTS

AFFIDAVIT

I, Bheem Singh s/o Shri Nen Singh aged about 57 years R/o Village-Narasana, District- Jalore working as Superintending Mining Engineer, Government of Rajasthan, Bikaner, solemnly swear and affirm on oath as under: -

1. That I am working as Superintending Mining Engineer, Government of Rajasthan and sufficiently conversant with the facts and circumstances of the present case thus competent to swear the instant affidavit as I am.

2. I state that I have read and understood the contents of the accompanying Report/ Response which have been drafted by my counsel under my instructions, and the same have read and understood by me. I say that the contents of the same are true and correct to the best of my knowledge and belief.

3- That the submissions made therein are believed to be true and that nothing material has been concealed therefrom.

CENTRAL NOTARY ★ ADVOCATE TALIB HASSAN BIKANER ★ GOVT. OF INDIA

ATTESTED 01/6/2022 CENTRAL NOTARY BIKANER (RAJ.) INDIA

अधीक्षण खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
बीकानेर वृत्त बीकानेर

4. I say that Annexure annexed and marked in the instant report are true copies of their respective originals.

CENTRAL NOTARY ADVOCATE TALIB HASAN BIKANER Regd. No. 10002 Valid Up. 31.01.2025 NOTARIAL NOTARIAL GOVT. OF INDIA

DEPONENT

VERIFICATION: -

CENTRAL NOTARY ADVOCATE TALIB HASAN BIKANER Regd. No. 10002 GOVT. OF INDIA

I, the Deponent above named do hereby solemnly affirm that the contents of Paragraphs No. 1 to 4 of the foregoing Affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at Bikaner on this 1st day of June, 2023.

तालिब हसन, एडवोकेट
सेन्ट्रल नोटरी पब्लिक, बीकानेर (राज.)
क्रमांक 2655 दि. 01/6/2023

DEPONENT

ANNEXURE - 1 (Colly)

(M.L. No. 65/1983)

COMPLIANCE STATUS OF MINING LEASE OF RANDHISAR PAHADI IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 03/04/2023 IN THE MATTER OF O.A. NO. 209/2022

1	**Name of lessee**	M/s Churulabour co-operative society, Churu
	Area	2500Sqm.
	Mineral	Masonary Stone
	Period	11.11.1973 to 31.03.2025
	Present status of lease (operational/cancel)	Lease was cancelled by SME Bikaner order dated 09.09.22 due to non-payment of Illegal Panchnama dues.
2	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2000)**	Rs. 18,20,000/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount Recovered:- NIL Recovery Proceeding under Land Revenue Act 1956. Detail Mentioned on Annexure-6.
3	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2012)**	Rs. 1,10,67,986/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount Recovered:- NIL Recovery Proceeding under Land Revenue Act 1956. Detail Mentioned on Annexure-6.
4	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 21-22)**	NIL
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount Recovered:- N.A.
5	**Work Suspension Period with reason**	➢ From16.08.2009 to 19.06.2011 due to pending of forest diversion ➢ From 01.01.2014 to 09.09.2022 due to pending of Renewal
6	**Status of EC & CTO/CTE conditions&Incurring of expenses on CSR activities**	EC & CTO/CTE was not obtained by the lease holder.
7	**Scientific mining in accordance with Mining Plan**	On inspection dated 14.12.2021, mining activity in lease area was found closedsince 01.01.2014and for non-compliance of mining lease conditionsa notice dated 22.12.2021 was issued by AME Churu to the lease holder. Later, the lease was cancelled on dated 09.09.2022 for non-payment of Illegal Panchnama dues.
8	**Carrying out of Plantation**	No plantation was found by SME Bikaner & AME churu team on inspection dated 16.09.2022.
9	**Implementation of mine closure plan&Reclamation/rehabilitation of mining lease area**	Implementation of thiswill be done after final decision of appellant court. After final decision of appellant court, fencingwork &water reservoir will be made from DMFT fund after approval from DMFT governing council. This water will be used for drinking& irrigation by all resident of that area. It may be useful for recharging ground water.

सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
चूरू

(M.L. No. 48/1978)

COMPLIANCE STATUS OF MINING LEASE OF RANDHISAR PAHADI IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 03/04/2023 IN THE MATTER OF O.A. NO. 209/2022

1	**Name of lessee**	Sh. Surja ram khatik
	Area	3570 Sqm.
	Mineral	Masonary Stone
	Period	16.02.1979 to 15.02.2029
	Present status of lease (operational/cancel)	Lease was cancelled by AMEChuru order dated 26.08.2022due to non-submission of mutation application in prescribed time. Lessee has filed an appeal before ADM court Jodhpur (appellate authority) against cancellation order Dated 26.08.2022.
2	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2000)**	Rs. 73,50,000/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 18,37,500/- Total Amount Waived :- Rs. 55,12,500/- (Rs. 18,37,500/- on dated 28.02.2023)
3	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2012)**	Rs. 54,63,790/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 13,65,948/- Total Amount Waived :- Rs. 40,97,842/- (Rs. 13,65,948/- on dated 28.02.2023)
4	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 21-22)**	NIL
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- N.A.
5	**Work Suspension Period with reason**	➢ From16.08.2009 to 19.06.2011 due to pending of forest diversion ➢ From 01.01.2014 to 26.08.2022 due to pending of Renewal
6	**Status of EC &CTO/CTE conditions&Incurring of expenses on CSR activities**	To submit required information in the Hon'ble NGT court a letter no. 4720 dated 24.04.2023 was written by SME Bikaner to RSPCB Nagaur.
7	**Scientific mining in accordance with Mining Plan**	On inspection dated 21.12.2021, mining activity in lease area was found closed since 01.01.2014and for non-compliance of mining lease conditionsa notice dated 22.12.2021 was issued by AME Churu to the lease holder. Later, the lease was cancelled on dated 26.08.2022 due to non-submission of mutation application in prescribed time.
8	**Carrying out of Plantation**	No plantation was found by SME Bikaner &AMEchuru team on inspection dated 16.09.2022.
9	**Implementation of mine closure plan& Reclamation/Rehabilitation of mining lease area**	Implementation of this will be done after final decision of appellant court. After final decision of appellant court, fencing work & water reservoir will be made from DMFT fund after approval from DMFT governing council. This water will be used for drinking& irrigation by all resident of that area. It may be useful for recharging ground water.

सहायक खान अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
चूरू

(M.L. No. 36/1980)

COMPLIANCE STATUS OF MINING LEASE OF RANDHISAR PAHADI IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 03/04/2023 IN THE MATTER OF O.A. NO. 209/2022

1	**Name of lessee**	Smt. Bijju Devi
	Area	3394 Sqm.
	Mineral	Masonary Stone
	Period	25.08.1982 to 24.08.2032
	Present status of lease (operational/cancel)	Lease was cancelled by SME Bikaner order dated 09.09.22 due to non-compliance of Notice dated 01.06.2022. Lessee has filed an appeal in ADM court Jodhpur (appellate authority) against cancellation order dated 09.09.2022.
2	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2000)**	Rs. 4,20,000/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 4,20,000/- (Rs. 4,20,000/- on dated 21.12.2017)
3	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2012)**	Rs. 35,19,678/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 35,19,678/- (Rs. 35,19,678/- on dated 21.12.2017)
4	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 21-22)**	Rs. 4,81,600/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs.4,81,600/- (Rs. 4,81,600/- on dated 13.06.2022)
5	**Work Suspension Period with reason**	➢ From16.08.2009 to 19.06.2011 due to pending of forest diversion ➢ From 01.01.2014 to 21.12.2017 due to pending of Renewal
6	**Status of EC &CTO/CTE conditions&Incurring of expenses on CSR activities**	To submit required information in the Hon'ble NGT court a letter no. 4720 dated 24.04.2023 was written by SME Bikaner to RSPCB Nagaur.
7	**Scientific mining in accordance with Mining Plan**	On inspection dated 28.05.2022, unscientific mining was found in lease area and regarding this a notice dated 01.06.2022 was issued by AME Churu to the lease holder. Later, the lease was cancelled on dated 09.09.22 for non-compliance of Notice dated 01.06.2022.
8	**Carrying out of Plantation**	No plantation was found by SME Bikaner & AME churu team on inspection dated 16.09.2022.
9	**Implementation of mine closure plan Reclamation/rehabilitation of mining lease area**	Implementation of this will be done after final decision of appellant court. After final decision of appellant court, fencing work & water reservoir will be made from DMFT fund after approval from DMFT governing council. This water will be used for drinking& irrigation by all resident of that area. It may be useful for recharging ground water.

सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
चूरू

(M.L. No. 54/1978)

COMPLIANCE STATUS OF MINING LEASE OF RANDHISAR PAHADI IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 03/04/2023 IN THE MATTER OF O.A. NO. 209/2022

1	**Name of lessee**	Smt. Maina Devi
	Area	2620 Sqm.
	Mineral	Masonary Stone
	Period	29.08.1979 to 28.08.2029
	Present status of lease (operational/cancel)	Lease was cancelled by SME Bikaner order dated 09.09.22 due to non-payment of Illegal Panchnama dues.
2	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2000)**	Rs. 5,60,000/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. NIL Recovery Proceeding under Land Revenue Act 1956. Detail Mentioned on Annexure-6.
3	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2012)**	Rs. 71,79,380/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. NIL Recovery Proceeding under Land Revenue Act 1956. Detail Mentioned on Annexure-6.
4	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 21-22)**	NIL
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- N.A.
5	**Work Suspension Period with reason**	➢ From16.08.2009 to 19.06.2011 due to pending of forest diversion ➢ From 01.01.2014 to 09.09.2022 due to pending of Renewal
6	**Status of EC &CTO/CTE conditions&Incurring of expenses on CSR activities**	EC & CTO/CTE have not been obtained by the lease holder.
7	**Scientific mining in accordance with Mining Plan**	On inspection dated 07.12.2021, mining activity in lease area was found closed since 01.01.2014and for non-compliance of mining lease conditionsa notice dated 10.12.2021 was issued by AME Churu to the lease holder. Later, the lease was cancelled on dated 09.09.22 for non-payment of Illegal Panchnama dues.
8	**Carrying out of Plantation**	No plantation was found by SME Bikaner & AME churu team on inspection dated 16.09.2022.
9	**Implementation of mine closure plan& Reclamation/rehabilitation of mining lease area**	Implementation of this will be done after final decision of appellant court. After final decision of appellant court, fencing work & water reservoir will be made from DMFT fund after approval from DMFT governing council. This water will be used for drinking& irrigation by all resident of that area. It may be useful for recharging ground water.

सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
चूरू

(M.L. No. 32/1988)

COMPLIANCE STATUS OF MINING LEASE OF RANDHISAR PAHADI IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 03/04/2023 IN THE MATTER OF O.A. NO. 209/2022

1	**Name of lessee**	Sh. Niranjansharma
	Area	3500 Sqm.
	Mineral	Masonary Stone
	Period	06.03.1974 to 31.03.2025
	Present status of lease (operational/cancel)	Lease was cancelled by SME Bikaner order dated 09.09.22 due to non-payment of Illegal Panchnama dues. Lessee has filed an SBCW 16877/22 in the High court, Jodhpur regarding dues/Amnesty scheme.
2	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2000)**	Rs. 34,30,000/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- NIL (Stay on recovery by Hon'ble High court Jodhpur on dated 10.11.2022 in S.B.C.W. 16877/2022)
3	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2012)**	Rs. 1,18,27,537/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- NIL (Stay on recovery by Hon'ble High court Jodhpur on dated 10.11.2022 in S.B.C.W. 16877/2022)
4	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 21-22)**	NIL
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- N.A.
5	**Work Suspension Period with reason**	➢ From16.08.2009 to 19.06.2011 due to pending of forest diversion ➢ From 01.01.2014 to 09.09.2022 due to pending of Renewal
6	**Status of EC &CTO/CTE conditions&Incurring of expenses on CSR activities**	EC & CTO/CTE have not been obtained by the lease holder.
7	**Scientific mining in accordance with Mining Plan**	On inspection dated 07.12.2021, mining activity in lease area was found closed since 01.01.2014and for non-compliance of mining lease conditionsa notice dated 10.12.2021 was issued by AME Churu to the lease holder. Later, the lease was cancelled on dated 09.09.2022 for non-payment of Illegal Panchnama dues.
8	**Carrying out of Plantation**	No plantation was found by SME Bikaner & AME churu team on inspection dated 16.09.2022.
9	**Implementation of mine closure plan& Reclamation/rehabilitation of mining lease area**	Implementation of this will be done after final decision of appellant court. After final decision of appellant court, fencing work & water reservoir will be made from DMFT fund after approval from DMFT governing council. This water will be used for drinking& irrigation by all resident of that area. It may be useful for recharging ground water.

सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
चूरू

(M.L. No. 86/1983)

COMPLIANCE STATUS OF MINING LEASE OF RANDHISAR PAHADI IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 03/04/2023 IN THE MATTER OF O.A. NO. 209/2022

1	**Name of lessee**	M/s Jagdamba stone crushing industries, Randhisar.
	Area	5000 Sqm.
	Mineral	Masonary Stone
	Period	03.06.1974 to 31.03.2025
	Present status of lease (operational/cancel)	Lease was cancelled by SME Bikaner order dated 09.09.22 due to non-payment of Illegal Panchnama dues. Lessee has filed an SBCW 16185/22 in the High court, Jodhpur regarding cancellation order/dues/Amnesty scheme.
2	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2000)**	Rs. 27,30,000/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- NIL Recovery Proceeding under Land Revenue Act 1956. Detail Mentioned on Annexure-6.
3	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2012)**	Rs. 1,83,89,259/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- NIL Recovery Proceeding under Land Revenue Act 1956. Detail Mentioned on Annexure-6.
4	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 21-22)**	NIL
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- N.A.
5	**Work Suspension Period with reason**	➢ From16.08.2009 to 19.06.2011 due to pending of forest diversion ➢ From 01.01.2014 to 09.09.2022 due to pending of Renewal
6	**Status of EC &CTO/CTE conditions&Incurring of expenses on CSR activities**	To submit required information in the Hon'ble NGT court a letter no. 4720 dated 24.04.2023 was written by SME Bikaner to RSPCB Nagaur.
7	**Scientific mining in accordance with Mining Plan**	On inspection dated 07.12.2021, mining activity in lease area was found closed since 01.01.2014and for non-compliance of mining lease conditionsa notice dated 10.12.2021 was issued by AME Churu to the lease holder. Later, the lease was cancelled on dated 09.09.2022 for non-payment of Illegal Panchnama dues.
8	**Carrying out of Plantation**	No plantation was found by SME Bikaner & AME churu team on inspection dated 16.09.2022.
9	**Implementation of mine closure plan& Reclamation/rehabilitation of mining lease area**	Implementation of this will be done after final decision of appellant court. After final decision of appellant court, fencing work & water reservoir will be made from DMFT fund after approval from DMFT governing council. This water will be used for drinking& irrigation by all resident of that area. It may be useful for recharging ground water.

सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
चूरू

(M.L. No. 161/1990)

COMPLIANCE STATUS OF MINING LEASE OF RANDHISAR PAHADI IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 03/04/2023 IN THE MATTER OF O.A. NO. 209/2022

1	**Name of lessee**	M/s Ambey Mines and Minerals
	Area	2800 Sqm.
	Mineral	Masonary Stone
	Period	14.08.1981 to 13.08.2031
	Present status of lease (operational/cancel)	Lease was cancelled by SME Bikaner order dated 09.09.22 due to non- compliance of Notice dated 01.06.2022. Lessee has filed an appeal in ADM court Jodhpur(appellate authority) against cancellation order in compliance of Hon'ble High court jodhpur order dated 03.02.2023.
2	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2000)**	Rs. 12,60,000/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 12,60,000/- (Rs. 12,60,000/- on dated 08.09.2017)
3	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2012)**	Rs. 81,67,796/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 81,67,796/- (Rs. 21,90,000/- on dated 08.09.2017, Rs. 25,00,000/- on dated 21.12.2017, Rs. 23,00,000/- on dated 22.12.2017, Rs. 11,78,000/- on dated 29.12.2017)
4	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 21-22)**	Rs.11,79,500/-
	Recovered amount with date/Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 11,79,500/- (Rs. 11,79,500/- on dated 17.12.2022)
5	**Work Suspension Period with reason**	➢ From16.08.2009 to 19.06.2011 due to pending of forest diversion ➢ From 01.01.2014 to 27.12.2017 due to pending of Renewal
6	**Status of EC &CTO/CTE conditions&Incurring of expenses on CSR activities**	To submit required information in the Hon'ble NGT court a letter no. 4720 dated 24.04.2023 was written by SME Bikaner to RSPCB Nagaur.
7	**Scientific mining in accordance with Mining Plan**	On inspection dated 28.05.2022, unscientific mining was found in lease area and regarding this a notice dated 01.06.2022 was issued by AME Churu to the lease holder. Later, the lease was cancelled on dated 09.09.22 for non- compliance of Notice dated 01.06.2022.
8	**Carrying out of Plantation**	Inadequate plantation was found by joint inspection team of Mines & Pollution dept. on dated 12.09.2022.
9	**Implementation of mine closure plan& Reclamation/rehabilitation of mining lease area**	Implementation of this will be done after final decision of appellant court. After final decision of appellant court, fencing work & water reservoir will be made from DMFT fund after approval from DMFT governing council. This water will be used for drinking& irrigation by all resident of that area. It may be useful for recharging ground water.

सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
चूरू

(M.L. No. 59/1981)

COMPLIANCE STATUS OF MINING LEASE OF RANDHISAR PAHADI IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 03/04/2023 IN THE MATTER OF O.A. NO. 209/2022

1	**Name of lessee**	Sh. Arjun ram s/o Mohan ram Jat
	Area	2500 Sqm.
	Mineral	Masonary Stone
	Period	09.07.1982 to 08.07.2032
	Present status of lease (operational/cancel)	Lease was cancelled by SME Bikaner order dated 09.09.22 due to non-payment of Illegal Panchnama dues. Lessee has filed an appeal in ADM court Jodhpur(appellate authority) against cancellation order in compliance of Hon'ble High court jodhpur order dated 03.02.2023.
2	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2000)**	Rs. 11,02,500/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 11,02,500/- (Rs. 11,02,500/- on dated 20.12.2017)
3	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2012)**	Rs. 74,75,082/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 74,75,082/- (Rs. 9,17,500/- on dated 20.12.2017, Rs. 22,50,000/- on dated 21.12.2017, Rs. 22,27,582/- on dated 22.12.2017, Rs. 22,50,000/- on dated 26.12.2017)
4	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 21-22)**	Rs.10,56,650/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 10,56,650/- (Rs. 1,96,650/- on dated 09.06.2022, & Rs. 5,50,000/- on dated 16.09.2022 & Rs. 3,10,000/- on dated 17.09.2022)
5	**Work Suspension Period with reason**	➢ From16.08.2009 to 19.06.2011 due to pending of forest diversion ➢ From 01.01.2014 to 27.12.2017 due to pending of Renewal
6	**Status of EC &CTO/CTE conditions&Incurring of expenses on CSR activities**	To submit required information in the Hon'ble NGT court a letter no. 4720 dated 24.04.2023 was written by SME Bikaner to RSPCB Nagaur.
7	**Scientific mining in accordance with Mining Plan**	On inspection dated 28.05.2022, unscientific mining was found in lease area and regarding this a notice dated 01.06.2022 was issued by AME Churu to the lease holder. Later, the lease was cancelled on dated 09.09.22 for non-payment of Illegal Panchnama dues.
8	**Carrying out of Plantation**	Inadequate plantation was found by SME Bikaner & AME churu team on inspection dated 16.09.2022.
9	**Implementation of mine closure plan& Reclamation/rehabilitation of mining lease area**	Implementation of this will be done after final decision of appellant court. After final decision of appellant court, fencing work & water reservoir will be made from DMFT fund after approval from DMFT governing council. This water will be used for drinking& irrigation by all resident of that area. It may be useful for recharging ground water.

सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
चूरू

(M.L. No. 41/1978)

COMPLIANCE STATUS OF MINING LEASE OF RANDHISAR PAHADI IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 03/04/2023 IN THE MATTER OF O.A. NO. 209/2022

1	**Name of lessee**	Sh. Megharamjat
	Area	4000 Sqm.
	Mineral	Masonary Stone
	Period	27.01.1974 to 31.03.2025
	Present status of lease (operational/cancel)	Lease was cancelled by SME Bikaner order dated 09.09.22 due to non-compliance of Notice dated 01.06.2022. Lessee has filed an appeal in ADM court Jodhpur (appellate authority) against cancellation order in compliance of Hon'ble High court jodhpur order dated 03.02.2023.
2	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2000)**	Rs. 31,50,000/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 31,50,000/- (Rs. 31,50,000/- on dated 31.03.2017)
3	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2012)**	NIL
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- N.A.
4	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 21-22)**	NIL
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- N.A.
5	**Work Suspension Period with reason**	➢ From16.08.2009 to 19.06.2011 due to pending of forest diversion ➢ From 01.01.2014 to 18.04.2017 due to pending of Renewal
6	**Status of EC &CTO/CTE conditions&Incurring of expenses on CSR activities**	To submit required information in the Hon'ble NGT court a letter no. 4720 dated 24.04.2023 was written by SME Bikaner to RSPCB Nagaur.
7	**Scientific mining in accordance with Mining Plan**	On inspection dated 27.05.2022, unscientific mining was found in lease area and regarding this a notice dated 01.06.2022 was issued by AME Churu to the lease holder. Later, the lease was cancelled on dated 09.09.22 for non-compliance of Notice dated 01.06.2022.
8	**Carrying out of Plantation**	Zero plantation was found by joint inspection team of Mines & Pollution dept. on dated 12.09.2022.
9	**Implementation of mine closure plan& Reclamation/rehabilitation of mining lease area**	Implementation of this will be done after final decision of appellant court. After final decision of appellant court, fencing work & water reservoir will be made from DMFT fund after approval from DMFT governing council. This water will be used for drinking& irrigation by all resident of that area. It may be useful for recharging ground water.

सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
चूरू

(M.L. No. 16/1999)

COMPLIANCE STATUS OF MINING LEASE OF RANDHISAR PAHADI IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 03/04/2023 IN THE MATTER OF O.A. NO. 209/2022

1	**Name of lessee**	Sh. Khiya ram s/o Surja ram jat
	Area	6000 Sqm.
	Mineral	Masonary Stone
	Period	13.03.1974 to 31.03.2025
	Present status of lease (operational/cancel)	Lease was cancelled by SME Bikaner order dated 09.09.22non-compliance of Notice dated 01.06.2022. Lessee has filed an appeal in ADM court Jodhpur (appellate authority) against cancellation order in compliance of Hon'ble High court jodhpur order dated 03.02.2023.
2	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2000)**	NIL
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- N.A.
3	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2012)**	NIL
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- N.A.
4	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 21-22)**	NIL
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- N.A.
5	**Work Suspension Period with reason**	➢ From16.08.2009 to 19.06.2011 due to pending of forest diversion
6	**Status of EC &CTO/CTE conditions&Incurring of expenses on CSR activities**	To submit required information in the Hon'ble NGT court a letter no. 4720 dated 24.04.2023 was written by SME Bikaner to RSPCB Nagaur.
7	**Scientific mining in accordance with Mining Plan**	On inspection dated 27.05.2022, unscientific mining was found in lease area and regarding this a notice dated 01.06.2022 was issued by AME Churu to the lease holder. Later, the lease was cancelled on dated 09.09.22 for non-compliance of Notice dated 01.06.2022.
8	**Carrying out of Plantation**	Inadequate plantation was found by joint inspection team of Mines & Pollution dept. on dated 12.09.2022.
9	**Implementation of mine closure plan& Reclamation/rehabilitation of mining lease area**	Implementation of this will be done after final decision of appellant court. After final decision of appellant court, fencing work & water reservoir will be made from DMFT fund after approval from DMFT governing council. This water will be used for drinking& irrigation by all resident of that area. It may be useful for recharging ground water.

सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
चूरू

(M.L. No. 22/2003)

COMPLIANCE STATUS OF MINING LEASE OF RANDHISAR PAHADI IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 03/04/2023 IN THE MATTER OF O.A. NO. 209/2022

1	**Name of lessee**	Sh. Pratapsinghrajpurohit
	Area	2500 Sqm.
	Mineral	Masonary Stone
	Period	31.10.1973 to 30.10.2023
	Present status of lease (operational/cancel)	Lease was cancelled by SME Bikaner order dated 09.9.22 due to non-payment of Illegal Panchnama dues. Lessee has filed an appeal in ADM court Jodhpur (appellate authority) against cancellation order dated 09.09.2022.
2	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2000)**	NIL
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- N.A.
3	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2012)**	Rs. 52,67,606/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 43,68,000/- (Rs15,00,000/- on dated 30.03.2017, Rs 25,00,000/- on dated 31.03.2017, Rs 3,68,000/- on dated 19.06.2017)
4	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 21-22)**	Rs.15,61,350/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 15,61,350/- (Rs. 2,61,350/- on dated 22.06.2022 Rs. 9,00,000/- on dated 22.09.2022, Rs. 4,00,000/- on dated 23.09.2022)
5	**Work Suspension Period with reason**	➢ From16.08.2009 to 19.06.2011 due to pending of forest diversion
6	**Status of EC &CTO/CTE conditions&Incurring of expenses on CSR activities**	To submit required information in the Hon'ble NGT court a letter no. 4720 dated 24.04.2023 was written by SME Bikaner to RSPCB Nagaur.
7	**Scientific mining in accordance with Mining Plan**	On inspection dated 27.05.2022, unscientific mining was found in lease area. Later, the lease was cancelled on dated 09.09.2022 for non-payment of Illegal Panchnama dues.
8	**Carrying out of Plantation**	Inadequate plantation was found by SME Bikaner & AME churu team on inspection dated 16.09.2022.
9	**Implementation of mine closure plan& Reclamation/rehabilitation of mining lease area**	Implementation of this will be done after final decision of appellant court. After final decision of appellant court, fencing work & water reservoir will be made from DMFT fund after approval from DMFT governing council. This water will be used for drinking& irrigation by all resident of that area. It may be useful for recharging ground water.

सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
चूरू

(M.L. No. 06/2001)

COMPLIANCE STATUS OF MINING LEASE OF RANDHISAR PAHADI IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 03/04/2023 IN THE MATTER OF O.A. NO. 209/2022

1	**Name of lessee**	Sh. Ramniwasjat s/o Ganpat ram jat
	Area	6436 Sqm.
	Mineral	Masonary Stone
	Period	16.02.1982 to 19.06.2031
	Present status of lease (operational/cancel)	Lease was cancelled by SME Bikaner order dated 16.09.22 due to non-compliance of Dues Notice dated 26.07.2022. Lessee has filed an appeal in ADM court Jodhpur (appellate authority) against cancellation order in compliance of Hon'ble High court jodhpur order dated 03.02.2023.
2	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2000)**	NIL
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- N.A.
3	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2012)**	NIL
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- N.A.
4	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 21-22)**	NIL
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- N.A.
5	**Work Suspension Period with reason**	➢ From16.08.2009 to 19.06.2011 due to pending of forest diversion
6	**Status of EC &CTO/CTE conditions&Incurring of expenses on CSR activities**	To submit required information in the Hon'ble NGT court a letter no. 4720 dated 24.04.2023 was written by SME Bikaner to RSPCB Nagaur.
7	**Scientific mining in accordance with Mining Plan**	On inspection dated 30.08.2022, unscientific mining was found in lease area. Later, the lease was cancelled on dated 16.09.2022 for non-compliance of Dues Notice dated 26.07.2022.
8	**Carrying out of Plantation**	No plantation was found by SME Bikaner & AME churu team on inspection dated 16.09.2022.
9	**Implementation of mine closure plan& Reclamation/rehabilitation of mining lease area**	Implementation of this will be done after final decision of appellant court. After final decision of appellant court, fencing work & water reservoir will be made from DMFT fund after approval from DMFT governing council. This water will be used for drinking& irrigation by all resident of that area. It may be useful for recharging ground water.

सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
चूरू

(M.L. No. 45/1978)

COMPLIANCE STATUS OF MINING LEASE OF RANDHISAR PAHADI IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 03/04/2023 IN THE MATTER OF O.A. NO. 209/2022

1	**Name of lessee**	Sh. InderchandGolyan
	Area	3500 Sqm.
	Mineral	Masonary Stone
	Period	27.01.1974 to 31.03.2025
	Present status of lease (operational/cancel)	Lease was cancelled by SME Bikaner order dated 09.09.22 due to non-payment of Illegal Panchnama dues.
2	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2000)**	Rs. 13,86,000/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- NIL Recovery Proceeding under Land Revenue Act 1956. Detail Mentioned on Annexure-6.
3	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2012)**	Rs. 66,21,169/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- NIL Recovery Proceeding under Land Revenue Act 1956. Detail Mentioned on Annexure-6.
4	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 21-22)**	NIL
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- N.A.
5	**Work Suspension Period with reason**	➢ From16.08.2009 to 19.06.2011 due to pending of forest diversion ➢ From 01.01.2014 to 09.09.2022 due to pending of Renewal
6	**Status of EC &CTO/CTE conditions&Incurring of expenses on CSR activities**	To submit required information in the Hon'ble NGT court a letter no. 4720 dated 24.04.2023 was written by SME Bikaner to RSPCB Nagaur.
7	**Scientific mining in accordance with Mining Plan**	On inspection dated 23.12.2021, mining activity in lease area was found closed since 01.01.2014and for non-compliance of mining lease conditionsand regarding this a notice dated 23.12.2021 was issued by AME Churu to the lease holder. Later, the lease was cancelled on dated 09.09.2022 for non-payment of Illegal Panchnama dues.
8	**Carrying out of Plantation**	No plantation was found by SME Bikaner & AME churu team on inspection dated 16.09.2022.
9	**Implementation of mine closure plan& Reclamation/rehabilitation of mining lease area**	Implementation of this will be done after final decision of appellant court. After final decision of appellant court, fencing work & water reservoir will be made from DMFT fund after approval from DMFT governing council. This water will be used for drinking& irrigation by all resident of that area. It may be useful for recharging ground water.

सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
चूरू

(M.L. No. 25/1979)

COMPLIANCE STATUS OF MINING LEASE OF RANDHISAR PAHADI IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 03/04/2023 IN THE MATTER OF O.A. NO. 209/2022

1	**Name of lessee**	M/s Khatushyam greet udyog
	Area	3375 Sqm.
	Mineral	Masonary Stone
	Period	27.08.1974 to 31.03.2025
	Present status of lease (operational/cancel)	Lease was cancelled by AME Churu order dated 09.11.2021due to non-submission of mutation application in prescribed time. Lessee has filed an appeal in ADM court Jodhpur (appellate authority) against cancellation order dated 09.11.2021.
2	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2000)**	Rs. 9,24,000/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- 2,31,000/- Total Amount Waived :- 6,93,000/- (Rs. 2,00,000/- on dated 14.12.2022 & Rs. 31,000/- on dated 27.02.2023)
3	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2012)**	Rs. 75,16,767/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 18,79,192/- Total Amount Waived :- Rs. 58,37,575/- (Rs. 18,79,192/- on dated 27.02.2023)
4	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 21-22)**	NIL
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- N.A.
5	**Work Suspension Period with reason**	➢ From16.08.2009 to 19.06.2011 due to pending of forest diversion ➢ From 01.01.2014 to 09.11.2021 due to pending of Renewal
6	**Status of EC & CTO/CTE conditions&Incurring of expenses on CSR activities**	To submit required information in the Hon'ble NGT court a letter no. 4720 dated 24.04.2023 was written by SME Bikaner to RSPCB Nagaur.
7	**Scientific mining in accordance with Mining Plan**	The lease was cancelled due to non-submission of mutation application in prescribed time.
8	**Carrying out of Plantation**	No plantation was found by SME Bikaner & AME churu team on inspection dated 16.09.2022.
9	**Implementation of mine closure plan& Reclamation/rehabilitation of mining lease area**	Implementation of this will be done after final decision of appellant court. After final decision of appellant court, fencing work & water reservoir will be made from DMFT fund after approval from DMFT governing council. This water will be used for drinking& irrigation by all resident of that area. It may be useful for recharging ground water.

सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
चूरू

(M.L. No. 40/1987)

COMPLIANCE STATUS OF MINING LEASE OF RANDHISAR PAHADI IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 03/04/2023 IN THE MATTER OF O.A. NO. 209/2022

1	**Name of lessee**	M/s MaaBhawani Stone
	Area	5581 Sqm.
	Mineral	Masonary Stone
	Period	26.10.1977 to 25.10.2027
	Present status of lease (operational/cancel)	Lease was cancelled by SME Bikaner order dated 09.09.22 due to non- compliance of Notice dated 01.06.2022. Lessee has filed an appeal in ADM court Jodhpur (appellate authority) against cancellation order in compliance of Hon'ble High court jodhpur order dated 03.02.2023.
2	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2000)**	Rs. 36,75,000/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 36,75,000/- (Rs. 36,75,000/- on dated 10.08.2018)
3	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2012)**	Rs. 1,34,15,814/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 1,34,15,814/- (Rs. 1,34,15,814/- on dated 10.08.2018)
4	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 21-22)**	NIL
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- N.A.
5	**Work Suspension Period with reason**	➢ From16.08.2009 to 19.06.2011 due to pending of forest diversion ➢ From 01.01.2014 to 31.10.2018 due to pending of Renewal
6	**Status of EC &CTO/CTE conditions&Incurring of expenses on CSR activities**	To submit required information in the Hon'ble NGT court a letter no. 4720 dated 24.04.2023 was written by SME Bikaner to RSPCB Nagaur.
7	**Scientific mining in accordance with Mining Plan**	On inspection dated 27.05.2022, unscientific mining was found in lease area and regarding this a notice dated 01.06.2022 was issued by AME Churu to the lease holder. Later, the lease was cancelled on dated 09.09.22 for non- compliance of Notice dated 01.06.2022.
8	**Carrying out of Plantation**	Zero plantation was found by joint inspection team of Mines & Pollution dept. on dated 12.09.2022.
9	**Implementation of mine closure plan& Reclamation/rehabilitation of mining lease area**	Implementation of this will be done after final decision of appellant court. After final decision of appellant court, fencing work & water reservoir will be made from DMFT fund after approval from DMFT governing council. This water will be used for drinking& irrigation by all resident of that area. It may be useful for recharging ground water.

सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
चूरू

(M.L. No. 62/1983)

COMPLIANCE STATUS OF MINING LEASE OF RANDHISAR PAHADI IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 03/04/2023 IN THE MATTER OF O.A. NO. 209/2022

1	**Name of lessee**	M/s Randhisar stone crushing industries
	Area	2500 Sqm.
	Mineral	Masonary Stone
	Period	31.10.1973 to 31.03.2025
	Present status of lease (operational/cancel)	Lease was cancelled by SME Bikaner order dated 09.09.22de to non-payment of Illegal Panchnama dues. Lessee has filed an SBCW 16489/22 in the High court, Jodhpur regarding Proprietorship of lease.
2	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2000)**	Rs. 59,50,000/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. NIL Recovery Proceeding under Land Revenue Act 1956. Detail Mentioned on Annexure-6.
3	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2012)**	Rs. 1,15,91,195/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. NIL Recovery Proceeding under Land Revenue Act 1956. Detail Mentioned on Annexure-6.
4	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 21-22)**	NIL
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- N.A.
5	**Work Suspension Period with reason**	➢ From16.08.2009 to 19.06.2011 due to pending of forest diversion ➢ From 01.01.2014 to 09.09.2022 due to pending of Renewal
6	**Status of EC & CTO/CTE conditions&Incurring of expenses on CSR activities**	To submit required information in the Hon'ble NGT court a letter no. 4720 dated 24.04.2023 was written by SME Bikaner to RSPCB Nagaur.
7	**Scientific mining in accordance with Mining Plan**	On inspection dated 14.12.2021, mining activity in lease area was found closed since 01.01.2014and for non-compliance of mining lease conditionsa notice dated 22.12.2021 was issued by AME Churu to the lease holder. Later, the lease was cancelled on dated 09.09.2022 for non-payment of Illegal Panchnama dues.
8	**Carrying out of Plantation**	No plantation was found by SME Bikaner & AME churu team on inspection dated 16.09.2022.
9	**Implementation of mine closure plan& Reclamation/rehabilitation of mining lease area**	Implementation of this will be done after final decision of appellant court. After final decision of appellant court, fencing work & water reservoir will be made from DMFT fund after approval from DMFT governing council. This water will be used for drinking& irrigation by all resident of that area. It may be useful for recharging ground water.

सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
चूरू

(M.L. No. 68/1978)

COMPLIANCE STATUS OF MINING LEASE OF RANDHISAR PAHADI IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 03/04/2023 IN THE MATTER OF O.A. NO. 209/2022

1	**Name of lessee**	Smt. Shanti devikhatik
	Area	2150 Sqm.
	Mineral	Masonary Stone
	Period	25.06.1979 to 24.06.2029
	Present status of lease (operational/cancel)	Lease was cancelled by SME Bikaner order dated 09.09.22 due to non-payment of Illegal Panchnama dues. Lessee has filed an appeal in ADM court Jodhpur (appellate authority) against cancellation order in compliance of Hon'ble High court jodhpur order dated 03.02.2023.
2	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2000)**	Rs. 3,01,000/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 3,01,000/- (Rs. 3,01,000/- on dated 23.06.2017)
3	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2012)**	Rs. 51,69,549/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 51,69,549/- (Rs. 51,69,549/- on dated 23.06.2017)
4	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 21-22)**	Rs.11,79,500/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 11,79,500/- Rs. 1,79,500/- on dated 09.06.2022, & Rs. 10,00,000/- on dated 16.06.2022)
5	**Work Suspension Period with reason**	➢ From16.08.2009 to 19.06.2011 due to pending of forest diversion ➢ From 01.01.2014 to 27.08.2017 due to pending of Renewal
6	**Status of EC &CTO/CTE conditions&Incurring of expenses on CSR activities**	To submit required information in the Hon'ble NGT court a letter no. 4720 dated 24.04.2023 was written by SME Bikaner to RSPCB Nagaur.
7	**Scientific mining in accordance with Mining Plan**	On inspection dated 27.05.2022, unscientific mining was found in lease area and regarding this a notice dated 01.06.2022 was issued by AME Churu to the lease holder. Later, the lease was cancelled on dated 09.09.22 for non-payment of Illegal Panchnama dues.
8	**Carrying out of Plantation**	Adequate plantation was found by joint inspection team of Mines & Pollution dept. on dated 12.09.2022.
9	**Implementation of mine closure plan& Reclamation/rehabilitation of mining lease area**	Implementation of this will be done after final decision of appellant court. After final decision of appellant court, fencing work & water reservoir will be made from DMFT fund after approval from DMFT governing council. This water will be used for drinking& irrigation by all resident of that area. It may be useful for recharging ground water.

सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
चूरू

(M.L. No. 73/1977)

COMPLIANCE STATUS OF MINING LEASE OF RANDHISAR PAHADI IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 03/04/2023 IN THE MATTER OF O.A. NO. 209/2022

1	**Name of lessee**	Sh. Shankar lal
	Area	1575 Sqm.
	Mineral	Masonary Stone
	Period	27.04.1978 to 26.04.2028
	Present status of lease (operational/cancel)	Lease was cancelled by SME Bikaner order dated 09.09.22 due to non-payment of Illegal Panchnama dues. Lessee has filed an appeal in ADM court Jodhpur (appellate authority) against cancellation order dated 09.09.2022.
2	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2000)**	Rs. 5,60,000/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. Nil (Stay on recovery by Hon'ble High court Jodhpur on dated 14.12.2017 in S.B.C.W. 9470/2016)
3	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2012)**	Rs. 69,08,169/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. Nil (Stay on dated 14.12.2017 by Hon'ble High court Jodhpur in S.B.C.W. 9470/2016)
4	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 21-22)**	Rs.5,16,250/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 5,16,250/- (Rs. 1,76,250/- on dated 09.06.2022, & Rs. 3,40,000/- on dated 10.06.2022)
5	**Work Suspension Period with reason**	➢ From16.08.2009 to 19.06.2011 due to pending of forest diversion ➢ From 01.01.2014 to 11.06.2018 due to pending of Renewal
6	**Status of EC &CTO/CTE conditions&Incurring of expenses on CSR activities**	To submit required information in the Hon'ble NGT court a letter no. 4720 dated 24.04.2023 was written by SME Bikaner to RSPCB Nagaur.
7	**Scientific mining in accordance with Mining Plan**	On inspection dated 28.05.2022, unscientific mining was found in lease area and regarding this a notice dated 01.06.2022 was issued by AME Churu to the lease holder. Later, the lease was cancelled on dated 09.09.22 for non-payment of Illegal Panchnama dues.
8	**Carrying out of Plantation**	Inadequate plantation was found by joint inspection team of Mines & Pollution dept. on dated 12.09.2022.
9	**Implementation of mine closure plan& Reclamation/rehabilitation of mining lease area**	Implementation of this will be done after final decision of appellant court. After final decision of appellant court, fencing work & water reservoir will be made from DMFT fund after approval from DMFT governing council. This water will be used for drinking& irrigation by all resident of that area. It may be useful for recharging ground water.

सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
चूरू

(M.L. No. 50/1979)

COMPLIANCE STATUS OF MINING LEASE OF RANDHISAR PAHADI IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 03/04/2023 IN THE MATTER OF O.A. NO. 209/2022

1	**Name of lessee**	M/s Jain Stone crushing works-II
	Area	2700 Sqm.
	Mineral	Masonary Stone
	Period	21.12.1974 to 31.03.2025
	Present status of lease (operational/cancel)	Lease was cancelled by SME Bikaner order dated 09.09.22 due to non- compliance of Notice dated 01.06.2022. Lessee has filed an appeal in ADM court Jodhpur (appellate authority) against cancellation order dated 09.09.2022.
2	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2000)**	Rs. 27,30,000/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 27,30,000/- (Rs. 2,50,000/- on dated 31.03.2017, Rs. 24,80,000/- on dated 17.05.2017)
3	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2012)**	NIL
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- N.A.
4	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 21-22)**	Rs.1,80,250/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 1,80,250/- (Rs. 1,80,250/- on dated 14.06.2022)
5	**Work Suspension Period with reason**	➢ From16.08.2009 to 19.06.2011 due to pending of forest diversion ➢ From 01.01.2014 to 09.05.2017 due to pending of Renewal
6	**Status of EC &CTO/CTE conditions&Incurring of expenses on CSR activities**	To submit required information in the Hon'ble NGT court a letter no. 4720 dated 24.04.2023 was written by SME Bikaner to RSPCB Nagaur.
7	**Scientific mining in accordance with Mining Plan**	On inspection dated 27.05.2022, unscientific mining was found in lease area and regarding this a notice dated 01.06.2022 was issued by AME Churu to the lease holder. Later, the lease was cancelled on dated 09.09.22 for non- compliance of Notice dated 01.06.2022.
8	**Carrying out of Plantation**	Zero plantation was found by joint inspection team of Mines & Pollution dept. on dated 12.09.2022.
9	**Implementation of mine closure plan& Reclamation/rehabilitation of mining lease area**	Implementation of this will be done after final decision of appellant court. After final decision of appellant court, fencing work & water reservoir will be made from DMFT fund after approval from DMFT governing council. This water will be used for drinking& irrigation by all resident of that area. It may be useful for recharging ground water.

सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
चूरू

(M.L. No. 71/1983)

COMPLIANCE STATUS OF MINING LEASE OF RANDHISAR PAHADI IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 03/04/2023 IN THE MATTER OF O.A. NO. 209/2022

1	**Name of lessee**	Sh. Mangtu ram
	Area	2616.90 Sqm.
	Mineral	Masonary Stone
	Period	02.01.1979 to 01.01.2029
	Present status of lease (operational/cancel)	Lease was cancelled by SME Bikaner order dated 09.09.22 due to non-compliance of Notice dated 01.06.2022. Lessee has filed an appeal in ADM court Jodhpur (appellate authority) against cancellation order dated 09.09.2022.
2	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2000)**	Rs. 36,75,000/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 36,75,000/- (Rs. 36,75,000/- on dated 31.03.2017)
3	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2012)**	NIL
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- N.A.
4	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 21-22)**	NIL
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- N.A.
5	**Work Suspension Period with reason**	➢ From16.08.2009 to 19.06.2011 due to pending of forest diversion ➢ From 01.01.2014 to 19.04.2017 due to pending of Renewal
6	**Status of EC &CTO/CTE conditions&Incurring of expenses on CSR activities**	To submit required information in the Hon'ble NGT court a letter no. 4720 dated 24.04.2023 was written by SME Bikaner to RSPCB Nagaur.
7	**Scientific mining in accordance with Mining Plan**	On inspection dated 27.05.2022, unscientific mining was found in lease area and regarding this a notice dated 01.06.2022 was issued by AME Churu to the lease holder. Later, the lease was cancelled on dated 09.09.22 for non-compliance of Notice dated 01.06.2022.
8	**Carrying out of Plantation**	Zero plantation was found by joint inspection team of Mines & Pollution dept. on dated 12.09.2022.
9	**Implementation of mine closure plan& Reclamation/rehabilitation of mining lease area**	Implementation of this will be done after final decision of appellant court. After final decision of appellant court, fencing work & water reservoir will be made from DMFT fund after approval from DMFT governing council. This water will be used for drinking& irrigation by all resident of that area. It may be useful for recharging ground water.

सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
चूरू

(M.L. No. 54/1990)

COMPLIANCE STATUS OF MINING LEASE OF RANDHISAR PAHADI IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 03/04/2023 IN THE MATTER OF O.A. NO. 209/2022

1	**Name of lessee**	Sh. Kishansinghgehlot
	Area	5578.45 Sqm.
	Mineral	Masonary Stone
	Period	05.12.1975 to 04.12.2025
	Present status of lease (operational/cancel)	Lease was cancelled by AME Churu order dated 26.08.2022due to non-submission of mutation application in prescribed time.
2	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2000)**	Rs. 75,60,000/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. NIL Recovery Proceeding under Land Revenue Act 1956. Detail Mentioned on Annexure-6.
3	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2012)**	Rs. 67,14,674/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. NIL Recovery Proceeding under Land Revenue Act 1956. Detail Mentioned on Annexure-6.
4	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 21-22)**	NIL
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- N.A.
5	**Work Suspension Period with reason**	➢ From16.08.2009 to 19.06.2011 due to pending of forest diversion ➢ From 01.01.2014 to 26.08.2022 due to pending of Renewal
6	**Status of EC &CTO/CTE conditions&Incurring of expenses on CSR activities**	EC & CTO/CTE have not been obtained by the lease holder.
7	**Scientific mining in accordance with Mining Plan**	On inspection dated 14.12.2021, mining activity in lease area was found closed since 01.01.2014and for non-compliance of mining lease conditionsa notice dated 22.12.2021 was issued by AME Churu to the lease holder. The lease was cancelled on dated 09.11.2021 due to non-submission of mutation application in prescribed time.
8	**Carrying out of Plantation**	No plantation was found by SME Bikaner & AME churu team on inspection dated 16.09.2022.
9	**Implementation of mine closure plan Reclamation/rehabilitation of mining lease area**	Implementation of this will be done after final decision of appellant court. After final decision of appellant court, fencing work & water reservoir will be made from DMFT fund after approval from DMFT governing council. This water will be used for drinking& irrigation by all resident of that area. It may be useful for recharging ground water.

सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
चूरू

(M.L. No. 49/1983)

COMPLIANCE STATUS OF MINING LEASE OF RANDHISAR PAHADI IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 03/04/2023 IN THE MATTER OF O.A. NO. 209/2022

1	**Name of lessee**	Sh. Ramavtar s/o Sh. SatyanarayanKhatik
	Area	2000 Sqm.
	Mineral	Masonary Stone
	Period	26.11.1973 to 31.03.2025
	Present status of lease (operational/cancel)	Lease was cancelled by SME Bikaner order dated 09.09.22 due to non-compliance of Notice dated 01.06.2022. Lessee has filed an appeal in ADM court Jodhpur (appellate authority) against cancellation order in compliance of Hon'ble High court jodhpur order dated 03.02.2023.
2	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2000)**	Rs. 7,70,000/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 7,70,000/- (Rs. 7,70,000/- on dated 07.02.2018)
3	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2012)**	Rs. 22,78,687/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 22,78,687/- (Rs. 22,78,687/- on dated 07.02.2018)
4	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 21-22)**	Rs.3,67,150/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 3,67,150/- (Rs. 3,67,150/- on dated 05.07.2022)
5	**Work Suspension Period with reason**	➢ From16.08.2009 to 19.06.2011 due to pending of forest diversion ➢ From 01.01.2014 to 07.03.2018 due to pending of Renewal
6	**Status of EC &CTO/CTE conditions&Incurring of expenses on CSR activities**	To submit required information in the Hon'ble NGT court a letter no. 4720 dated 24.04.2023 was written by SME Bikaner to RSPCB Nagaur.
7	**Scientific mining in accordance with Mining Plan**	On inspection dated 28.05.2022, unscientific mining was found in lease area and regarding this a notice dated 01.06.2022 was issued by AME Churu to the lease holder. Later, the lease was cancelled on dated 09.09.22 for non- compliance of Notice dated 01.06.2022.
8	**Carrying out of Plantation**	Adequate plantation was found by joint inspection team of Mines & Pollution dept. on dated 12.09.2022.
9	**Implementation of mine closure plan& Reclamation/rehabilitation of mining lease area**	Implementation of this will be done after final decision of appellant court. After final decision of appellant court, fencing work & water reservoir will be made from DMFT fund after approval from DMFT governing council. This water will be used for drinking& irrigation by all resident of that area. It may be useful for recharging ground water.

सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
चूरू

(M.L. No. 40/1985)

COMPLIANCE STATUS OF MINING LEASE OF RANDHISAR PAHADI IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 03/04/2023 IN THE MATTER OF O.A. NO. 209/2022

1	**Name of lessee**	Sh. Birbal Ram Bawri s/o Ganesh Ram Bawri
	Area	1400 Sqm.
	Mineral	Masonary Stone
	Period	25.02.1980 to 24.02.2030
	Present status of lease (operational/cancel)	Lease was cancelled by SME Bikaner order dated 19.09.22 due to non-compliance of mining lease conditions. Lessee has filed an appeal before ADM court Jodhpur (appellate authority) against cancellation order dated 19.09.2022.
2	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2000)**	Rs.3,36,000/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 3,36,000/- (Rs. 3,36,000/- on dated 12.08.2022)
3	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2012)**	Rs. 57,25,564/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 57,25,564/- (Rs. 57,25,564/- on dated 12.08.2022)
4	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 21-22)**	NIL
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- N.A.
5	**Work Suspension Period with reason**	➢ From16.08.2009 to 19.06.2011 due to pending of forest diversion ➢ From 01.01.2014 to 18.09.2022 due to pending of Renewal
6	**Status of EC &CTO/CTE conditions&Incurring of expenses on CSR activities**	To submit required information in the Hon'ble NGT court a letter no. 4720 dated 24.04.2023 was written by SME Bikaner to RSPCB Nagaur.
7	**Scientific mining in accordance with Mining Plan**	On inspection dated 16.07.2022, unscientific mining was found in lease area and regarding this a notice dated 26.07.2022 was issued by AME Churu to the lease holder. Later, the lease was cancelled on dated 19.09.22 for non-compliance of Notice dated 26.07.2022.
8	**Carrying out of Plantation**	No plantation was found by SME Bikaner & AME churu teamon inspection dated 16.09.2022.
9	**Implementation of mine closure plan& Reclamation/rehabilitation of mining lease area**	Implementation of this will be done after final decision of appellant court. After final decision of appellant court, fencing work & water reservoir will be made from DMFT fund after approval from DMFT governing council. This water will be used for drinking& irrigation by all resident of that area. It may be useful for recharging ground water.

सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
चूरू

(M.L. No. 53/1978)

COMPLIANCE STATUS OF MINING LEASE OF RANDHISAR PAHADI IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 03/04/2023 IN THE MATTER OF O.A. NO. 209/2022

1	**Name of lessee**	Sh. Vinodkumarbangarwa
	Area	2550 Sqm.
	Mineral	Masonary Stone
	Period	16.02.1974 to 31.03.2025
	Present status of lease (operational/cancel)	Lease was cancelled by SME Bikaner order dated 09.09.22 due to non- compliance of Notice dated 01.06.2022. Lessee has filed an appeal in ADM court Jodhpur (appellate authority) against cancellation order dated 09.09.2022.
2	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2000)**	Rs. 13,30,000/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 13,30,000/- (Rs. 13,30,000/- on dated 30.03.2017)
3	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2012)**	Rs. 11,08,655/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 11,08,655/- (Rs. 11,08,655/- on dated 30.03.2017)
4	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 21-22)**	NIL
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- N.A.
5	**Work Suspension Period with reason**	➢ From16.08.2009 to 19.06.2011 due to pending of forest diversion ➢ From 01.01.2014 to 19.04.2017 due to pending of Renewal
6	**Status of EC &CTO/CTE conditions&Incurring of expenses on CSR activities**	To submit required information in the Hon'ble NGT court a letter no. 4720 dated 24.04.2023 was written by SME Bikaner to RSPCB Nagaur.
7	**Scientific mining in accordance with Mining Plan**	On inspection dated 28.05.2022, unscientific mining was found in lease area and regarding this a notice dated 01.06.2022 was issued by AME Churu to the lease holder. Later, the lease was cancelled on dated 09.09.22 for non- compliance of Notice dated 01.06.2022.
8	**Carrying out of Plantation**	Inadequate plantation was found by joint inspection team of Mines & Pollution dept. on dated 12.09.2022.
9	**Implementation of mine closure plan& Reclamation/rehabilitation of mining lease area**	Implementation of this will be done after final decision of appellant court. After final decision of appellant court, fencing work & water reservoir will be made from DMFT fund after approval from DMFT governing council. This water will be used for drinking& irrigation by all resident of that area. It may be useful for recharging ground water.

सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
चूरू

(M.L. No. 101/1977)

COMPLIANCE STATUS OF MINING LEASE OF RANDHISAR PAHADI IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 03/04/2023 IN THE MATTER OF O.A. NO. 209/2022

1	**Name of lessee**	Smt. Mamtadevi
	Area	3600 Sqm.
	Mineral	Masonary Stone
	Period	07.01.1978 to 06.01.2028
	Present status of lease (operational/cancel)	Lease was cancelled by SME Bikaner order dated 09.09.22 due to non-compliance of Notice dated 01.06.2022. Lessee has filed an appeal in ADM court Jodhpur (appellate authority) against cancellation order dated 09.09.2022.
2	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2000)**	Rs. 3,50,000/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 3,50,000/- (Rs. 3,50,000/- on dated 09.08.2017)
3	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2012)**	Rs. 34,78,686/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 34,78,686/- (Rs. 34,78,686/- on dated 09.08.2017)
4	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 21-22)**	NIL
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- N.A.
5	**Work Suspension Period with reason**	➢ From16.08.2009 to 19.06.2011 due to pending of forest diversion ➢ From 01.01.2014 to 09.08.2017 due to pending of Renewal
6	**Status of EC &CTO/CTE conditions&Incurring of expenses on CSR activities**	To submit required information in the Hon'ble NGT court a letter no. 4720 dated 24.04.2023 was written by SME Bikaner to RSPCB Nagaur.
7	**Scientific mining in accordance with Mining Plan**	On inspection dated 27.05.2022, unscientific mining was found in lease area and regarding this a notice dated 01.06.2022 was issued by AME Churu to the lease holder. Later, the lease was cancelled on dated 09.09.22 for non-compliance of Notice dated 01.06.2022.
8	**Carrying out of Plantation**	Zero plantation was found by joint inspection team of Mines & Pollution dept. on dated 12.09.2022.
9	**Implementation of mine closure plan& Reclamation/rehabilitation of mining lease area**	Implementation of this will be done after final decision of appellant court. After final decision of appellant court, fencing work & water reservoir will be made from DMFT fund after approval from DMFT governing council. This water will be used for drinking & irrigation by all resident of that area. It may be useful for recharging ground water.

सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
चूरू

(M.L. No. 75/1983)

COMPLIANCE STATUS OF MINING LEASE OF RANDHISAR PAHADI IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 03/04/2023 IN THE MATTER OF O.A. NO. 209/2022

1	**Name of lessee**	Smt. Rajudevi
	Area	1500 Sqm.
	Mineral	Masonary Stone
	Period	15.01.1979 to 14.01.2029
	Present status of lease (operational/cancel)	Lease was cancelled by SME Bikaner order dated 09.09.22 due to non-payment of Illegal Panchnama dues. Lessee has filed an appeal in ADM court Jodhpur (appellate authority) against cancellation order dated 09.09.2022.
2	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2000)**	Rs. 26,25,000/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 26,25,000/- (Rs. 26,25,000/- on dated 31.03.2017)
3	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2012)**	NIL
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- N.A.
4	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 21-22)**	Rs.4,91,400/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 4,91,400/- (Rs. 1,00,000/- on dated 09.06.2022, & Rs. 3,91,400/- on dated 21.09.2022)
5	**Work Suspension Period with reason**	➢ From16.08.2009 to 19.06.2011 due to pending of forest diversion ➢ From 01.01.2014 to 18.04.2017 due to pending of Renewal
6	**Status of EC &CTO/CTE conditions&Incurring of expenses on CSR activities**	To submit required information in the Hon'ble NGT court a letter no. 4720 dated 24.04.2023 was written by SME Bikaner to RSPCB Nagaur.
7	**Scientific mining in accordance with Mining Plan**	On inspection dated 27.05.2022, unscientific mining was found in lease area and regarding this a notice dated 01.06.2022 was issued by AME Churu to the lease holder. Later, the lease was cancelled on dated 09.09.22 for non-payment of Illegal Panchnama dues.
8	**Carrying out of Plantation**	No plantation was found by SME Bikaner & AME churu team on inspection dated 16.09.2022.
9	**Implementation of mine closure plan& Reclamation/rehabilitation of mining lease area**	Implementation of this will be done after final decision of appellant court. After final decision of appellant court, fencing work & water reservoir will be made from DMFT fund after approval from DMFT governing council. This water will be used for drinking& irrigation by all resident of that area. It may be useful for recharging ground water.

सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
चूरू

(M.L. No. 162/1990)

COMPLIANCE STATUS OF MINING LEASE OF RANDHISAR PAHADI IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 03/04/2023 IN THE MATTER OF O.A. NO. 209/2022

1	**Name of lessee**	Sh. Rajenderpanwar
	Area	4800 Sqm.
	Mineral	Masonary Stone
	Period	27.06.1981 to 26.06.2031
	Present status of lease (operational/cancel)	Lease was cancelled by SME Bikaner order dated 09.09.22 due to non-compliance of Notice dated 01.06.2022. Lessee has filed an appeal in ADM court Jodhpur (appellate authority) against cancellation order in compliance of Hon'ble High court jodhpur order dated 03.02.2023.
2	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2000)**	Rs. 19,60,000/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 19,60,000/- (Rs. 19,60,000/- on dated 31.03.2017)
3	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2012)**	NIL
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- N.A.
4	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 21-22)**	NIL
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- N.A.
5	**Work Suspension Period with reason**	➢ From16.08.2009 to 19.06.2011 due to pending of forest diversion ➢ From 01.01.2014 to 27.06.2017 due to pending of Renewal
6	**Status of EC & CTO/CTE conditions & Incurring of expenses on CSR activities**	To submit required information in the Hon'ble NGT court a letter no. 4720 dated 24.04.2023 was written by SME Bikaner to RSPCB Nagaur.
7	**Scientific mining in accordance with Mining Plan**	On inspection dated 27.05.2022, unscientific mining was found in lease area and regarding this a notice dated 01.06.2022 was issued by AME Churu to the lease holder. Later, the lease was cancelled on dated 09.09.22 for non-compliance of Notice dated 01.06.2022.
8	**Carrying out of Plantation**	Adequate plantation was found by joint inspection team of Mines & Pollution dept. on dated 12.09.2022.
9	**Implementation of mine closure plan& Reclamation/rehabilitation of mining lease area**	Implementation of this will be done after final decision of appellant court. After final decision of appellant court, fencing work & water reservoir will be made from DMFT fund after approval from DMFT governing council. This water will be used for drinking& irrigation by all resident of that area. It may be useful for recharging ground water.

सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
चूरू

(M.L. No. 74/1978)

COMPLIANCE STATUS OF MINING LEASE OF RANDHISAR PAHADI IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 03/04/2023 IN THE MATTER OF O.A. NO. 209/2022

1	**Name of lessee**	M/s Poonia Blast Suppliers Pro. Sh. BhanwarlalPoonia S/o Sugna ram Poonia
	Area	4916 Sqm.
	Mineral	Masonary Stone
	Period	31.07.1979 to 30.07.2029
	Present status of lease (operational/cancel)	Lease was cancelled by SME Bikaner order dated 09.09.22 due to non-payment of Illegal Panchnama dues. Lessee has filed an appeal in ADM court Jodhpur (appellate authority) against cancellation order dated 09.09.2022.
2	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2000)**	Rs. 35,00,000/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs35,00,000/- (Rs. 14,00,000/- on dated 30.03.2017, Rs. 21,00,000/- on dated 09.06.2017)
3	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2012)**	Rs. 80,51,241/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 80,51,241/- (Rs. 80,51,241/- on dated 09.06.2017)
4	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 21-22)**	Rs.10,56,650/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs.10,56,650/- (Rs. 1,96,650/- on dated 09.06.2022, & Rs. 8,60,000/- on dated 19.09.2022)
5	**Work Suspension Period with reason**	➢ From16.08.2009 to 19.06.2011 due to pending of forest diversion ➢ From 01.01.2014 to 07.06.2017 due to pending of Renewal
6	**Status of EC &CTO/CTE conditions&Incurring of expenses on CSR activities**	To submit required information in the Hon'ble NGT court a letter no. 4720 dated 24.04.2023 was written by SME Bikaner to RSPCB Nagaur.
7	**Scientific mining in accordance with Mining Plan**	On inspection dated 28.05.2022, unscientific mining was found in lease area and regarding this a notice dated 01.06.2022 was issued by AME Churu to the lease holder. Later, the lease was cancelled on dated 09.09.22 for non-payment of Illegal Panchnama dues.
8	**Carrying out of Plantation**	Inadequate plantation was found by joint inspection team of Mines & Pollution dept. on dated 12.09.2022.
9	**Implementation of mine closure plan& Reclamation/rehabilitation of mining lease area**	Implementation of this will be done after final decision of appellant court. After final decision of appellant court, fencing work & water reservoir will be made from DMFT fund after approval from DMFT governing council. This water will be used for drinking& irrigation by all resident of that area. It may be useful for recharging ground water.

सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
चूरू

(M.L. No. 44/1978)

COMPLIANCE STATUS OF MINING LEASE OF RANDHISAR PAHADI IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 03/04/2023 IN THE MATTER OF O.A. NO. 209/2022

1	**Name of lessee**	Sh. InderchandGolyan
	Area	5000 Sqm.
	Mineral	Masonary Stone
	Period	27.01.1974 to 31.03.2025
	Present status of lease (operational/cancel)	Lease was cancelled by SME Bikaner order dated 09.09.22 due to non-payment of Illegal Panchnama dues.
2	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2000)**	Rs. 33,60,000/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- NIL Recovery Proceeding under Land Revenue Act 1956. Detail Mentioned on Annexure-6.
3	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2012)**	Rs. 1,54,42,143/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- NIL Recovery Proceeding under Land Revenue Act 1956. Detail Mentioned on Annexure-6.
4	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 21-22)**	NIL
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- N.A.
5	**Work Suspension Period with reason**	➢ From16.08.2009 to 19.06.2011 due to pending of forest diversion ➢ From 01.01.2014 to 09.09.2022 due to pending of Renewal
6	**Status of EC &CTO/CTE conditions&Incurring of expenses on CSR activities**	To submit required information in the Hon'ble NGT court a letter no. 4720 dated 24.04.2023 was written by SME Bikaner to RSPCB Nagaur.
7	**Scientific mining in accordance with Mining Plan**	On inspection dated 21.12.2021, mining activity in lease area was found closed since 01.01.2014and for non-compliance of mining lease conditionsa notice dated 22.12.2021 was issued by AME Churu to the lease holder. Later, the lease was cancelled on dated 09.09.2022 for non-payment of Illegal Panchnama dues.
8	**Carrying out of Plantation**	No plantation was found by SME Bikaner & AME churu team on inspection dated 16.09.2022.
9	**Implementation of mine closure plan& Reclamation/rehabilitation of mining lease area**	Implementation of this will be done after final decision of appellant court. After final decision of appellant court, fencing work & water reservoir will be made from DMFT fund after approval from DMFT governing council. This water will be used for drinking& irrigation by all resident of that area. It may be useful for recharging ground water.

सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
चूरू

(M.L. No. 76/1983)

COMPLIANCE STATUS OF MINING LEASE OF RANDHISAR PAHADI IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 03/04/2023 IN THE MATTER OF O.A. NO. 209/2022

1	**Name of lessee**	Sh. Tara chand
	Area	4500 Sqm.
	Mineral	Masonary Stone
	Period	28.01.1974 to 31.03.2025
	Present status of lease (operational/cancel)	Lease was cancelled by SME Bikaner order dated 09.09.22 due to non-compliance of Notice dated 01.06.2022. Lessee has filed an appeal in ADM court Jodhpur (appellate authority) against cancellation order dated 09.09.2022.
2	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2000)**	Rs. 58,80,000/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 58,80,000/- (Rs. 10,00,000/- on dated 13.04.2018, Rs. 19,00,000/- on dated 19.04.2018, Rs. 18,50,000/- on dated 20.04.2018, Rs. 11,30,000/- on dated 23.04.2018)
3	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2012)**	Rs. 42,76,305/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 87,32,260/- (Rs. 2,30,000/- on dated 23.04.2018, Rs. 40,46,305/- on dated 24.04.2018)
4	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 21-22)**	Rs.7,86,450/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 7,86,450/- (Rs. 7,86,450/- on dated 13.06.2022)
5	**Work Suspension Period with reason**	➢ From16.08.2009 to 19.06.2011 due to pending of forest diversion ➢ From 01.01.2014 to 24.04.2018 due to pending of Renewal
6	**Status of EC &CTO/CTE conditions&Incurring of expenses on CSR activities**	To submit required information in the Hon'ble NGT court a letter no. 4720 dated 24.04.2023 was written by SME Bikaner to RSPCB Nagaur.
7	**Scientific mining in accordance with Mining Plan**	On inspection dated 28.05.2022, unscientific mining was found in lease area and regarding this a notice dated 01.06.2022 was issued by AME Churu to the lease holder. Later, the lease was cancelled on dated 09.09.22 for non-compliance of Notice dated 01.06.2022.
8	**Carrying out of Plantation**	Zero plantation was found by joint inspection team of Mines & Pollution dept. on dated 12.09.2022.
9	**Implementation of mine closure plan& Reclamation/rehabilitation of mining lease area**	Implementation of this will be done after final decision of appellant court. After final decision of appellant court, fencing work & water reservoir will be made from DMFT fund after approval from DMFT governing council. This water will be used for drinking& irrigation by all resident of that area. It may be useful for recharging ground water.

सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
चूरू

(M.L. No. 15/1980)

COMPLIANCE STATUS OF MINING LEASE OF RANDHISAR PAHADI IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 03/04/2023 IN THE MATTER OF O.A. NO. 209/2022

1	**Name of lessee**	M/s Jai Maa stone
	Area	5000 Sqm.
	Mineral	Masonary Stone
	Period	04.11.1981 to 03.11.2031
	Present status of lease (operational/cancel)	Lease was cancelled by SME Bikaner order dated 09.09.22 due to non-compliance of Notice dated 01.06.2022. Lessee has filed an appeal in ADM court Jodhpur (appellate authority) against cancellation order dated 09.09.2022.
2	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2000)**	Rs. 44,80,000/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 44,80,000/- (Rs. 44,80,000/- on dated 15.07.2021)
3	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2012)**	Rs. 76,65,002/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 76,65,002/- (Rs. 76,65,002/- on dated 15.07.2021)
4	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 21-22)**	NIL
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- N.A.
5	**Work Suspension Period with reason**	➢ From16.08.2009 to 19.06.2011 due to pending of forest diversion ➢ From 01.01.2014 to 15.07.2021 due to pending of Renewal
6	**Status of EC &CTO/CTE conditions&Incurring of expenses on CSR activities**	To submit required information in the Hon'ble NGT court a letter no. 4720 dated 24.04.2023 was written by SME Bikaner to RSPCB Nagaur.
7	**Scientific mining in accordance with Mining Plan**	On inspection dated 27.05.2022, unscientific mining was found in lease area and regarding this a notice dated 01.06.2022 was issued by AME Churu to the lease holder. Later, the lease was cancelled on dated 09.09.22 for non-compliance of Notice dated 01.06.2022.
8	**Carrying out of Plantation**	Adequate plantation was found by joint inspection team of Mines & Pollution dept. on dated 12.09.2022.
9	**Implementation of mine closure plan& Reclamation/rehabilitation of mining lease area**	Implementation of this will be done after final decision of appellant court. After final decision of appellant court, fencing work & water reservoir will be made from DMFT fund after approval from DMFT governing council. This water will be used for drinking& irrigation by all resident of that area. It may be useful for recharging ground water.

सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
चूरू

(M.L. No. 36/1986)

COMPLIANCE STATUS OF MINING LEASE OF RANDHISAR PAHADI IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 03/04/2023 IN THE MATTER OF O.A. NO. 209/2022

1	**Name of lessee**	M/s Amibka Stone Balast Suppliers, Randhisar
	Area	5523 Sqm.
	Mineral	Masonary Stone
	Period	18.09.1981 to 17.09.2031
	Present status of lease (operational/cancel)	Lease was cancelled by SME Bikaner order dated 09.09.22 due to non-compliance of Notice dated 01.06.2022. Lessee has filed an appeal in ADM court Jodhpur (appellate authority) against cancellation order dated 09.09.2022.
2	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2000)**	Rs. 21,00,000/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 21,00,000/- (Rs. 21,00,000/- on dated 08.09.2017)
3	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2012)**	Rs. 52,96,262/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 52,96,262/- (Rs. 52,96,262/- on dated 08.09.2017)
4	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 21-22)**	NIL
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- N.A.
5	**Work Suspension Period with reason**	➢ From16.08.2009 to 19.06.2011 due to pending of forest diversion ➢ From 01.01.2014 to 06.09.2017 due to pending of Renewal
6	**Status of EC &CTO/CTE conditions&Incurring of expenses on CSR activities**	To submit required information in the Hon'ble NGT court a letter no. 4720 dated 24.04.2023 was written by SME Bikaner to RSPCB Nagaur.
7	**Scientific mining in accordance with Mining Plan**	On inspection dated 27.05.2022, unscientific mining was found in lease area and regarding this a notice dated 01.06.2022 was issued by AME Churu to the lease holder. Later, the lease was cancelled on dated 09.09.22 for non-compliance of Notice dated 01.06.2022.
8	**Carrying out of Plantation**	adequate plantation was found by joint inspection team of Mines & Pollution dept. on dated 12.09.2022.
9	**Implementation of mine closure plan& Reclamation/rehabilitation of mining lease area**	Implementation of this will be done after final decision of appellant court. After final decision of appellant court, fencing work & water reservoir will be made from DMFT fund after approval from DMFT governing council. This water will be used for drinking& irrigation by all resident of that area. It may be useful for recharging ground water.

सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
चूरू

(M.L. No. 52/1990)

COMPLIANCE STATUS OF MINING LEASE OF RANDHISAR PAHADI IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 03/04/2023 IN THE MATTER OF O.A. NO. 209/2022

1	**Name of lessee**	Sh. Yogeshkumarsharma
	Area	5461.60 Sqm.
	Mineral	Masonary Stone
	Period	31.12.1980 to 31.12.2030
	Present status of lease (operational/cancel)	Lease was cancelled by SME Bikaner order dated 09.09.22 due to non-payment of Illegal Panchnama dues.
2	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2000)**	Rs. 7,87,500/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. NIL Recovery Proceeding under Land Revenue Act 1956. Detail Mentioned on Annexure-6.
3	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2012)**	Rs. 64,91,326/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. NIL Recovery Proceeding under Land Revenue Act 1956. Detail Mentioned on Annexure-6.
4	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 21-22)**	NIL
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- N.A.
5	**Work Suspension Period with reason**	➢ From16.08.2009 to 19.06.2011 due to pending of forest diversion ➢ From 01.01.2014 to 09.09.2022 due to pending of Renewal
6	**Status of EC & CTO/CTE conditions&Incurring of expenses on CSR activities**	To submit required information in the Hon'ble NGT court a letter no. 4720 dated 24.04.2023 was written by SME Bikaner to RSPCB Nagaur.
7	**Scientific mining in accordance with Mining Plan**	On inspection dated 14.12.2021, mining activity in lease area was found closed since 01.01.2014and for non-compliance of mining lease conditionsa notice dated 22.12.2021 was issued by AME Churu to the lease holder. Later, the lease was cancelled on dated 09.09.2022 for non-payment of Illegal Panchnama dues.
8	**Carrying out of Plantation**	No plantation was found by SME Bikaner & AME churu team on inspection dated 16.09.2022.
9	**Implementation of mine closure plan& Reclamation/rehabilitation of mining lease area**	Implementation of this will be done after final decision of appellant court. After final decision of appellant court, fencing work & water reservoir will be made from DMFT fund after approval from DMFT governing council. This water will be used for drinking& irrigation by all resident of that area. It may be useful for recharging ground water.

सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
चूरू

(M.L. No. 95/1978)

COMPLIANCE STATUS OF MINING LEASE OF RANDHISAR PAHADI IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 03/04/2023 IN THE MATTER OF O.A. NO. 209/2022

1	**Name of lessee**	Sh. Bhagirathmalagarwal
	Area	1500 Sqm.
	Mineral	Masonary Stone
	Period	21.02.1974 to 31.03.2025
	Present status of lease (operational/cancel)	Lease was cancelled by AME Churu order dated 28.07.2021due to non-submission of mutation application in prescribed time. Lessee has filed an appeal in ADM court Jodhpur (appellate authority) against cancellation order dated 28.07.2021.
2	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2000)**	Rs. 42,00,000/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- 10,50,000/- Total Amount Waived :- 31,50,000/- (Rs. 2,00,000/- on dated 14.12.2022 & Rs. 8,50,000/- on dated 28.02.2023)
3	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2012)**	NIL
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- N.A.
4	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 21-22)**	NIL
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- N.A.
5	**Work Suspension Period with reason**	➢ From16.08.2009 to 19.06.2011 due to pending of forest diversion ➢ From 01.01.2014 to 28.07.2021 due to pending of Renewal
6	**Status of EC &CTO/CTE conditions&Incurring of expenses on CSR activities**	To submit required information in the Hon'ble NGT court a letter no. 4720 dated 24.04.2023 was written by SME Bikaner to RSPCB Nagaur.
7	**Scientific mining in accordance with Mining Plan**	The lease was cancelled on dated 28.07.2021 due to non-submission of mutation application in prescribed time.
8	**Carrying out of Plantation**	No plantation was found by SME Bikaner & AME churu team on inspection dated 16.09.2022.
9	**Implementation of mine closure plan& Reclamation/rehabilitation of mining lease area**	Implementation of this will be done after final decision of appellant court. After final decision of appellant court, fencing work & water reservoir will be made from DMFT fund after approval from DMFT governing council. This water will be used for drinking & irrigation by all resident of that area. It may be useful for recharging ground water.

सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
चूरू

(M.L. No. 13/1978)

COMPLIANCE STATUS OF MINING LEASE OF RANDHISAR PAHADI IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 03/04/2023 IN THE MATTER OF O.A. NO. 209/2022

1	**Name of lessee**	Sh. AshwanikumarSai
	Area	3500 Sqm.
	Mineral	Masonary Stone
	Period	27.01.1979 to 26.01.2029
	Present status of lease (operational/cancel)	Lease was cancelled by SME Bikaner order dated 09.09.22 due to non-compliance of Notice dated 01.06.2022. Lessee has filed an appeal in ADM court Jodhpur (appellate authority) against cancellation order in compliance of Hon'ble High court jodhpur order dated 03.02.2023.
2	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2000)**	Rs. 2,24,000/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 2,24,000/- (Rs. 2,24,000/- on dated 05.10.2017)
3	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2012)**	Rs. 1,25,40,386/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 1,25,40,386/- (Rs. 47,76,000/- on dated 05.10.2017, Rs. 77,64,386 on dated 07.10.2017)
4	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 21-22)**	NIL
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- N.A.
5	**Work Suspension Period with reason**	➢ From16.08.2009 to 19.06.2011 due to pending of forest diversion ➢ From 01.01.2014 to 28.09.2017 due to pending of Renewal
6	**Status of EC &CTO/CTE conditions&Incurring of expenses on CSR activities**	To submit required information in the Hon'ble NGT court a letter no. 4720 dated 24.04.2023 was written by SME Bikaner to RSPCB Nagaur.
7	**Scientific mining in accordance with Mining Plan**	On inspection dated 27.05.2022, unscientific mining was found in lease area and regarding this a notice dated 01.06.2022 was issued by AME Churu to the lease holder. Later, the lease was cancelled on dated 09.09.22 for non-compliance of Notice dated 01.06.2022.
8	**Carrying out of Plantation**	Zero plantation was found by joint inspection team of Mines & Pollution dept. on dated 12.09.2022.
9	**Implementation of mine closure plan& Reclamation/rehabilitation of mining lease area**	Implementation of this will be done after final decision of appellant court. After final decision of appellant court, fencing work & water reservoir will be made from DMFT fund after approval from DMFT governing council. This water will be used for drinking& irrigation by all resident of that area. It may be useful for recharging ground water.

सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
चूरू

(M.L. No. 42/1978)

COMPLIANCE STATUS OF MINING LEASE OF RANDHISAR PAHADI IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 03/04/2023 IN THE MATTER OF O.A. NO. 209/2022

1	**Name of lessee**	Sh. MangilalJat
	Area	4582 Sqm.
	Mineral	Masonary Stone
	Period	27.01.1974 to 31.03.2025
	Present status of lease (operational/cancel)	Lease was cancelled by SME Bikaner order dated 09.09.22 due to non-payment of Illegal Panchnama dues. Lessee has filed an appeal in ADM court Jodhpur (appellate authority) against cancellation order in compliance of Hon'ble High court jodhpur order dated 03.02.2023.
2	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2000)**	Rs. 9,80,000/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 9,80,000/- (Rs. 9,80,000/- on dated 31.05.2017)
3	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2012)**	Rs. 87,32,260/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 87,32,260/- (Rs. 87,32,260/- on dated 31.05.2017)
4	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 21-22)**	Rs.13,76,200/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs.13,76,200/- (Rs. 1,00,000/- on dated 09.06.2022, & Rs. 12,76,200/- on dated 19.09.2022)
5	**Work Suspension Period with reason**	➢ From16.08.2009 to 19.06.2011 due to pending of forest diversion ➢ From 01.01.2014 to 30.08.2017 due to pending of Renewal
6	**Status of EC &CTO/CTE conditions&Incurring of expenses on CSR activities**	To submit required information in the Hon'ble NGT court a letter no. 4720 dated 24.04.2023 was written by SME Bikaner to RSPCB Nagaur.
7	**Scientific mining in accordance with Mining Plan**	On inspection dated 28.05.2022, unscientific mining was found in lease area and regarding this a notice dated 01.06.2022 was issued by AME Churu to the lease holder. Later, the lease was cancelled on dated 09.09.22 for non-payment of Illegal Panchnama dues.
8	**Carrying out of Plantation**	No plantation was found by SME Bikaner & AME churu team on inspection dated 16.09.2022.
9	**Implementation of mine closure plan& Reclamation/rehabilitation of mining lease area**	Implementation of this will be done after final decision of appellant court. After final decision of appellant court, fencing work & water reservoir will be made from DMFT fund after approval from DMFT governing council. This water will be used for drinking& irrigation by all resident of that area. It may be useful for recharging ground water.

सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
चूरू

(M.L. No. 74/1982)

COMPLIANCE STATUS OF MINING LEASE OF RANDHISAR PAHADI IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 03/04/2023 IN THE MATTER OF O.A. NO. 209/2022

1	**Name of lessee**	Sh. Radheyshyam s/o Sh. Nathuramjat
	Area	5000 Sqm.
	Mineral	Masonary Stone
	Period	01.07.1973 to 31.03.2025
	Present status of lease (operational/cancel)	Lease was cancelled by SME Bikaner order dated 09.09.22 due to non-compliance of Notice dated 01.06.2022. Lessee has filed an appeal in ADM court Jodhpur (appellate authority) against cancellation order dated 09.09.2022.
2	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2000)**	Rs. 6,30,000/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 6,30,000/- (Rs. 6,30,000/- on dated 25.05.2017)
3	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2012)**	Rs. 48,80,554/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 48,80,554/- (Rs. 48,80,554/- on dated 25.05.2017)
4	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 21-22)**	NIL
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- N.A.
5	**Work Suspension Period with reason**	➢ From16.08.2009 to 19.06.2011 due to pending of forest diversion ➢ From 01.01.2014 to 24.05.2017 due to pending of Renewal
6	**Status of EC &CTO/CTE conditions&Incurring of expenses on CSR activities**	To submit required information in the Hon'ble NGT court a letter no. 4720 dated 24.04.2023 was written by SME Bikaner to RSPCB Nagaur.
7	**Scientific mining in accordance with Mining Plan**	On inspection dated 28.05.2022, unscientific mining was found in lease area and regarding this a notice dated 01.06.2022 was issued by AME Churu to the lease holder. Later, the lease was cancelled on dated 09.09.22 for non-compliance of Notice dated 01.06.2022.
8	**Carrying out of Plantation**	Zero plantation was found by joint inspection team of Mines & Pollution dept. on dated 12.09.2022.
9	**Implementation of mine closure plan& Reclamation/rehabilitation of mining lease area**	Implementation of this will be done after final decision of appellant court. After final decision of appellant court, fencing work & water reservoir will be made from DMFT fund after approval from DMFT governing council. This water will be used for drinking& irrigation by all resident of that area. It may be useful for recharging ground water.

सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
चूरू

(M.L. No. 60/1983)

COMPLIANCE STATUS OF MINING LEASE OF RANDHISAR PAHADI IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 03/04/2023 IN THE MATTER OF O.A. NO. 209/2022

1	**Name of lessee**	Sh. LalitkumarVerma
	Area	3000 Sqm.
	Mineral	Masonary Stone
	Period	31.10.1973 to 31.03.2025
	Present status of lease (operational/cancel)	Lease was cancelled by SME Bikaner order dated 09.09.22 due to non-payment of Dead rent dues.
2	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2000)**	Rs. 23,10,000/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. Nil (Stay on recovery by Hon'ble High court Jodhpur on dated 13.11.2019 in S.B.C.W. 16668/2019)
3	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2012)**	Rs. 1,76,91,179/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. Nil (Stay on recovery by Hon'ble High court Jodhpur on dated 13.11.2019 in S.B.C.W. 16668/2019)
4	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 21-22)**	NIL
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- N.A.
5	**Work Suspension Period with reason**	➢ From16.08.2009 to 19.06.2011 due to pending of forest diversion ➢ From 01.01.2014 to 09.09.2022 due to pending of Renewal
6	**Status of EC &CTO/CTE conditions&Incurring of expenses on CSR activities**	EC & CTO/CTE was not obtained by the lease holder.
7	**Scientific mining in accordance with Mining Plan**	On inspection dated 21.12.2021, mining activity in lease area was found closed since 01.01.2014and for non-compliance of mining lease conditionsa notice dated 22.12.2021 was issued by AME Churu to the lease holder. Later, the lease was cancelled on dated 09.09.2022 for non-payment of Dead rent dues.
8	**Carrying out of Plantation**	No plantation was found by SME Bikaner & AME churu team on inspection dated 16.09.2022.
9	**Implementation of mine closure plan& Reclamation/rehabilitation of mining lease area**	Implementation of this will be done after final decision of appellant court. After final decision of appellant court, fencing work & water reservoir will be made from DMFT fund after approval from DMFT governing council. This water will be used for drinking& irrigation by all resident of that area. It may be useful for recharging ground water.

सहायक खनि अभियन्ता
जल एवं भू-विज्ञान विभाग
चूरू

(M.L. No. 92/1978)

COMPLIANCE STATUS OF MINING LEASE OF RANDHISAR PAHADI IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 03/04/2023 IN THE MATTER OF O.A. NO. 209/2022

1	**Name of lessee**	Sh. Babulalpoonia s/o Sh. Sugna ram poonia
	Area	4000 Sqm.
	Mineral	Masonary Stone
	Period	30.03.1979 to 29.03.2029
	Present status of lease (operational/cancel)	Lease was cancelled by SME Bikaner order dated 09.09.22 due to non-compliance of Notice dated 01.06.2022. Lessee has filed an appeal in ADM court Jodhpur (appellate authority) against cancellation order dated 09.09.2022.
2	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2000)**	Rs. 12,60,000/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 12,60,000/- (Rs. 12,60,000/- on dated 05.10.2017)
3	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2012)**	Rs. 74,40,724/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 74,40,724/- (Rs. 38,40,000/- on dated 05.10.2017, Rs. 14,55,724/- on dated 03.11.2017, Rs. 21,45,000/- on dated 15.11.2017)
4	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 21-22)**	NIL
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- N.A.
5	**Work Suspension Period with reason**	➢ From16.08.2009 to 19.06.2011 due to pending of forest diversion ➢ From 01.01.2014 to 15.11.2017 due to pending of Renewal
6	**Status of EC &CTO/CTE conditions&Incurring of expenses on CSR activities**	To submit required information in the Hon'ble NGT court a letter no. 4720 dated 24.04.2023 was written by SME Bikaner to RSPCB Nagaur.
7	**Scientific mining in accordance with Mining Plan**	On inspection dated 28.05.2022, unscientific mining was found in lease area and regarding this a notice dated 01.06.2022 was issued by AME Churu to the lease holder. Later, the lease was cancelled on dated 09.09.22 for non-compliance of Notice dated 01.06.2022.
8	**Carrying out of Plantation**	Inadequate plantation was found by joint inspection team of Mines & Pollution dept. on dated 12.09.2022.
9	**Implementation of mine closure plan& Reclamation/rehabilitation of mining lease area**	Implementation of this will be done after final decision of appellant court. After final decision of appellant court, fencing work & water reservoir will be made from DMFT fund after approval from DMFT governing council. This water will be used for drinking& irrigation by all resident of that area. It may be useful for recharging ground water.

सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
चूरू

(M.L. No. 74/1983)

COMPLIANCE STATUS OF MINING LEASE OF RANDHISAR PAHADI IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 03/04/2023 IN THE MATTER OF O.A. NO. 209/2022

1	**Name of lessee**	Smt. Parki Devi
	Area	900 Sqm.
	Mineral	Masonary Stone
	Period	15.01.1979 to 14.01.2029
	Present status of lease (operational/cancel)	Lease was cancelled by SME Bikaner order dated 09.09.22 due to non-compliance of Notice dated 22.12.2021 and as per report dated 30.08.2022. Lessee has filed an appeal in ADM court Jodhpur (appellate authority) against cancellation order in compliance of Hon'ble High court jodhpur order dated 03.02.2023.
2	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2000)**	Rs. 2,24,000/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 2,24,000/- (Rs. 2,24,000/- on dated 19.05.2022)
3	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2012)**	Rs. 24,02,416/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. 24,02,416/- (Rs. 24,02,416/- on dated 19.05.2022)
4	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 21-22)**	NIL
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- N.A.
5	**Work Suspension Period with reason**	➢ From16.08.2009 to 19.06.2011 due to pending of forest diversion ➢ From 01.01.2014 to 09.09.2022 due to pending of Renewal
6	**Status of EC &CTO/CTE conditions&Incurring of expenses on CSR activities**	EC & CTO/CTE was not obtained by the lease holder.
7	**Scientific mining in accordance with Mining Plan**	On inspection dated 21.12.2021, mining activity in lease area was found closed since 01.01.2014and for non-compliance of mining lease conditionsa notice dated 22.12.2021 was issued by AME Churu to the lease holder. Later, the lease was cancelled on dated 09.09.22 for non-compliance of Notice dated 22.12.2021 and as per report dated 30.08.2022.
8	**Carrying out of Plantation**	No plantation was found by SME Bikaner & AME churu team on inspection dated 16.09.2022.
9	**Implementation of mine closure plan& Reclamation/rehabilitation of mining lease area**	Implementation of this will be done after final decision of appellant court. After final decision of appellant court, fencing work & water reservoir will be made from DMFT fund after approval from DMFT governing council. This water will be used for drinking& irrigation by all resident of that area. It may be useful for recharging ground water.

सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
चूरू

(M.L. No. 11/1978)

COMPLIANCE STATUS OF MINING LEASE OF RANDHISAR PAHADI IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 03/04/2023 IN THE MATTER OF O.A. NO. 209/2022

1	**Name of lessee**	M/s P.G. stone crushing industries
	Area	3052 Sqm.
	Mineral	Masonary Stone
	Period	26.04.1978 to 26.04.2028
	Present status of lease (operational/cancel)	Lease was cancelled by SME Bikaner order dated 09.09.22 due to non-payment of Illegal Panchnama dues. Lessee has filed an SBCW 14941/22 in the High court, Jodhpur, against recovery and cancellation order dated 09.09.2022.
2	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2000)**	NIL
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. NIL
3	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2012)**	Rs. 59,21,559/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- Rs. NIL (Stay on recovery by Hon'ble High court Jodhpur on dated 13.12.2022 in S.B.C.W. 14941/2022)
4	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 21-22)**	NIL
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- N.A.
5	**Work Suspension Period with reason**	➢ From16.08.2009 to 09.09.2022 due to pending of forest diversion
6	**Status of EC &CTO/CTE conditions&Incurring of expenses on CSR activities**	EC & CTO/CTE was not obtained by the lease holder.
7	**Scientific mining in accordance with Mining Plan**	On inspection dated 08.12.2021, mining activity in lease area was found closed since 01.01.2014and for non-compliance of mining lease conditionsa notice dated 10.12.2021 was issued by AME Churu to the lease holder. Later, the lease was cancelled on dated 09.09.2022 for non-payment of Illegal Panchnama dues.
8	**Carrying out of Plantation**	No plantation was found by SME Bikaner & AME churu team on inspection dated 16.09.2022.
9	**Implementation of mine closure plan& Reclamation/rehabilitation of mining lease area**	Implementation of this will be done after final decision of appellant court. After final decision of appellant court, fencing work & water reservoir will be made from DMFT fund after approval from DMFT governing council. This water will be used for drinking& irrigation by all resident of that area. It may be useful for recharging ground water.

सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
चूरू

(M.L. No. 21/1988)

COMPLIANCE STATUS OF MINING LEASE OF RANDHISAR PAHADI IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 03/04/2023 IN THE MATTER OF O.A. NO. 209/2022

1	**Name of lessee**	M/s Shayam greet utpadak company, Randhisar
	Area	6000 Sqm.
	Mineral	Masonary Stone
	Period	12.11.1973 to 31.03.2025
	Present status of lease (operational/cancel)	Lease was cancelled by AME Bikaner order dated 12.08.2010in compliance of direction passedon dated 24.06.2009by The Secretary mines (gr-2) Jaipurdue to shifting of applied area in renewal application.
2	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2000)**	Rs. 6,30,000/-
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- 1,57,500/- Total Amount Waived :- 4,72,500/- (Rs. 1,57,500/- on dated 31.01.2023)
3	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 2012)**	NIL
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- N.A.
4	**Illegal Panchnama Penalty amount (year 21-22)**	NIL
	Recovered amount with date/ Present status of recovery	Total Amount recovered:- N.A.
5	**Work Suspension Period with reason**	➢ From16.08.2009 to 12.08.2010 due to pending of forest diversion.
6	**Status of EC &CTO/CTE conditions&Incurring of expenses on CSR activities**	EC & CTO/CTE was not obtained by the lease holder.
7	**Scientific mining in accordance with Mining Plan**	The lease was cancelled on dated 12.08.2010 in compliance of direction passed on dated 24.06.2009by The Secretary mines (gr-2).
8	**Carrying out of Plantation**	No plantation was found by SME Bikaner & AME churu team on inspection dated 16.09.2022.
9	**Implementation of mine closure plan& Reclamation/rehabilitation of mining lease area**	Implementation of this will be done after final decision of appellant court. After final decision of appellant court, fencing work & water reservoir will be made from DMFT fund after approval from DMFT governing council. This water will be used for drinking& irrigation by all resident of that area. It may be useful for recharging ground water.

सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
चूरू

ANNEXURE - 2 (Colly)

राजस्थान सरकार
कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एंव भू विज्ञान विभाग, बीकानेर वृत्त बीकानेर।
क्रमांक:अखअ/बीका/विधि/एनजीटी/209/2022/4720 दिनांक: ~~03.2023~~ 24/4/23

क्षैत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
राजस्थान, नागौर।

विषयः— माननीय एन.जी.टी., नई दिल्ली में लम्बित ओ.ए. संख्या 209/2022 मेघ सिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य.

प्रसंगः— माननीय एन.जी.टी, नई दिल्ली का आदेश दिनांक 03.04.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं माननीय प्राधिकरण के आदेश दिनांक 03.04.2023 के सबंध में निवेदन है कि उक्त प्रकरण में दो माह में प्रत्येक खनन पट्टावार निम्न बिन्दुओ पर माननीय प्राधिकरण में अतिरिक्त जवाब पेश किया जाना है।

1. Compliance of EC and CTE/CTO consent Condition.
2. Incurring of expenses on CSR activities.

अतः माननीय प्राधिकरण के आदेश दिनांक 03.04.2023 की पालना रिपोर्ट निर्धारित समयावधि में माननीय प्राधिकरण में प्रस्तुत करने का श्रम करावे।

संलग्नःउपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(भीम सिंह)
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

4721-4722/24.4.23

प्रतिलिपी—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान निदेशक, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर
2. सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चुरू।

अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

राजस्थान सरकार
कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एंव भू विज्ञान विभाग, बीकानेर वृत्त बीकानेर।
क्रमांक:अखअ/बीका/विधि/एनजीटी/209/2022/5240 दिनांक: 7.06.2023

क्षैत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
राजस्थान, नागौर।

विषयः— माननीय एन.जी.टी., नई दिल्ली में लम्बित ओ.ए. संख्या 209/2022 मेघ सिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य,

प्रसंगः— इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 4720 दिनांक 24.04.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा माननीय प्राधिकरण के आदेश दिनांक 03.04.2023 के सबंध में उक्त प्रकरण में दो माह में प्रत्येक खनन पट्टावार निम्न बिन्दुओ पर माननीय प्राधिकरण में अतिरिक्त जवाब पेश किया जाना है।

1. Compliance of EC and CTE/CTO consent Condition.
2. Incurring of expenses on CSR activities.

अतः आपसे पुनः निवेदन है कि माननीय प्राधिकरण के आदेश दिनांक 03.04.2023 की पालना रिपोर्ट निर्धारित समयावधि में माननीय प्राधिकरण में प्रस्तुत करने का श्रम करावे।

संलग्नःउपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(भीम सिंह)
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

5241-42/7.6.2023

प्रतिलिपीः—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान निदेशक, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर
2. सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चुरू।

अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite
Police Line, District- Nagaur 341001
email : rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

RO/RPCB/NGR/Legal OA 209-2022/456 Date: 09/06/2023

Superintendent Mining Engineer
Department of Mines and Geology
Bikaner

Sub: Regarding Compliance of NGT OA 209/2022 order dated 03/04/2023

Ref: Your Office letter dated 24/04/2023 and 07/06/2023 (Copy Enclosed)

Sir,

In compliance to NGT OA 209/2022 (Megh Singh & Ors. Vs State of Rajasthan & Ors.) and with reference to your letter dated 07/06/2022, following is point wise reply:

S.No.	Required to be submit in NGT by various dept.	Reply
1.	Compliance of Consent to Operate	Joint inspection of the mines located in Village Randhisar was conducted on 12/09/2022 with Department of Mines and Geology. Compliance of CTO was submitted in NGT vide mail dated 20/09/2022. The mines leases stand cancelled and, CTO were revoked and directions for closure of all Mining leases were issued by RSPCB Head Office Jaipur. Since the mines are non-operational. The status of compliance of CTO remains the same. Copy of compliance of individual mines are attached with this letter.
2.	Compliance of Environmental Clearance	Conditions mentioned in EC related to RPSCB are same that are mentioned in CTO issued to the mines. Therefore, compliance of CTO submitted in NGT

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite
Police Line, District- Nagaur 341001
email : rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

		may be considered as compliance of EC. Also, certified compliance of mines comes under the purview of MoEF&CC.
3.	Incurring of expenses on CSR activities by mines	This information shall be requested from former mine lessee.

Submitted for your perusal and further necessary action.

Encl: As Above

Yours Sincerely

(Savita)

Regional Officer

Copy to:

1. Master File

Regional Officer

INSPECTION REPORT IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 22/08/2022 IN THE MATTER OF O.A. 209/2022

(Under Section 24 of the Air Act, 1981 and Under Section 10 of EP Act, 1986)

1	a. Name of the Mining Lease	Sh. Babulal poonlya
	b. Address of the Mining Lease	ML No.- 92/1978 Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh District- Churu
	c. Area of the Mining Lease	0.4500hect.
	d. Mobile	9413693134
2	Date of Inspection	12 /09/2022
3	Type of Industry	Mines
4	Status of the Mining Lease	Cancelled
5	Status of consent under Air Act, 1981	CTO was issued for the production capacity of 80121 TPA which stands valid till 30.09.2022 In reference to cancellation order issued by SME Bikaner vide letter no 1995 dated 09.09.2022 , recommendation for revocation of CTO has been forwarded to RSPCB Head Office Jaipur.

Status of Consent to operate Conditions found during the inspection at the site:

S.No.	Description of required compliance	Observation
1	Whether water sprinkling was found carried out at critical points prone to air pollution.	Lease was found non-operational during inspection due to cancellation of mining lease.
2.	Status of Overburden	No overburden found
3	Whether adequate plantation was found at the site	Approx. 40 Inadequate plantation
4	Status of Wire Fencing/Permanent Wall	Wire fencing found at outer side of the mining lease area
5	Status of Lease Pillars	Lease pillars were found at the time of inspection
6	Status of Rainwater harvesting structure available at the site	No rainwater harvesting structure found at the site

(SMF Balance)

AMEChum

JEE

RO, Nagaur

MF II Churu

MF II (Churu)

Photographs of M.I. NO. 92/1978





INSPECTION REPORT IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 22/08/2022 IN THE MATTER OF O.A. 209/2022

(Under Section 24 of the Air Act, 1981 and Under Section 10 of EP Act, 1986)

1	a. Name of the Mining Lease	**Sh. Tarachand** **Ml. No.- 76/1983**
	b. Address of the Mining Lease	Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh District- Churu
	c. Area of the Mining Lease	0.4500hect.
	d. Mobile	**9166867021**
2	Date of Inspection	12/09/2022
3	Type of Industry	**Mines**
4	Status of the Mining Lease	**Cancelled**
5	Status of consent under Air Act, 1981	CTO was issued for the production capacity of **90753 TPA** which stands valid till**30.04.2023** **In reference to cancellation order issued by SME Bikaner vide letter do 1870 dated09.09.2022 , recommendation for revocation of CTO has been forwarded to RSPCB Head Office Jaipur.**

Status of Consent to operate Conditions found during the inspection at the site:

S.No.	Description of required compliance	Observation
1	Whether water sprinkling was found carried out at critical points prone to air pollution.	Lease was found non-operational during inspection due to cancellation of mining lease.
2.	Status of Overburden	No overburden found
3	Whether adequate plantation was found at the site	Inadequate plantation Zero Plantation near mining lease.
4	Status of Wire Fencing/Permanent Wall	Wire fencing found at outer side of the mining lease area
5	Status of Lease Pillars	Lease pillars were found at the time of inspection
6	Status of Rainwater harvesting structure available at the site	No rainwater harvesting structure found at the site

(SME Bikaner) AME Churu JEE Ro, Nagaur

MF II Churu MF II (Churu)

Photographs of M.L. NO. 76-1977





SPECTION REPORT IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 22/08/2022 IN THE MATTER OF O.A. 209/2022

(Under Section 24 of the Air Act, 1981 and Under Section 10 of EP Act, 1986)

1	a. Name of the Mining Lease	**Sh. Radheshyam**
	b. Address of the Mining Lease	**Ml. No.- 74/1982** **Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh** **District- Churu**
	c. Area of the Mining Lease	0.5000hect.
	d. Mobile	**9660914399**
2	Date of Inspection	12 /09/2022
3	Type of Industry	**Mines**
4	Status of the Mining Lease	**Cancelled**
5	Status of consent under Air Act, 1981	CTO was issued for the production capacity of **127270 TPA** which stands valid till **31.07.2027** **In reference to cancellation order issued by SME Bikaner vide letter no 1959 dated 09.09.2022 , recommendation for revocation of CTO has been forwarded to RSPCB Head Office Jaipur.**

Status of Consent to operate Conditions found during the inspection at the site:

S.No.	Description of required compliance	Observation
1	Whether water sprinkling was found carried out at critical points prone to air pollution.	Lease was found non-operational during inspection due to cancellation of mining lease.
2.	Status of Overburden	No overburden found
3	Whether adequate plantation was found at the site	Inadequate plantation Zero Plantation near mining lease
4	Status of Wire Fencing/Permanent Wall	Wire fencing found at outer side of the mining lease area
5	Status of Lease Pillars	Lease pillars were found at the time of inspection
6	Status of Rainwater harvesting structure available at the site	No rainwater harvesting structure found at the site

(SMF Bikaner)

AMEChuru

JEE

RO, Nagaur

MF-II Churu

MFII (Churu)

Photographs of M.L. NO. 74-1982





INSPECTION REPORT IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 22/08/2022 IN THE MATTER OF O.A. 209/2022

(Under Section 24 of the Air Act, 1981 and Under Section 10 of EP Act, 1986)

1	a. Name of the Mining Lease	**M/sPuniya Blast Supplier**
	b. Address of the Mining Lease	**ML No.- 74/1978** Village- Randhisar, Tehsil- Sujangrh District- Churu
	c. Area of the Mining Lease	0.491(hect
	d. Mobile	**9413861914**
2	Date of Inspection	12/09/2022
3	Type of Industry	**Mines**
4	Status of the Mining Lease	**Cancelled** CTO was issued for the production capacity of **101470 TPA** which stands valid till **31.08.2026**
5	Status of consent under Air Act, 1981	**In reference to cancellation order issued by SME Bikaner vide letter no 1890 dated 09.09.2022 , recommendation for revocation of CTO has been forwarded to RSPCB Head Office Jaipur.**

Status of Compliance to applicable Conditions found during the inspection at the site:

S.No.	Description of required compliance	Observation
1	Whether water sprinkling was found carried out at critical points prone to air pollution.	Lease was found non-operational during inspection due to cancellation of mining lease.
2.	Status of Overburden	No overburden found
3	Whether adequate plantation was found at the site	Approx. 40 Inadequate plantation
4	Status of Wire Fencing/Permanent Wall	Wire fencing found at entry point side of the mining lease area
5	Status of Lease Pillars	Lease pillars were found at the time of inspection
6	Status of Rainwater harvesting structure available at the site	No rainwater harvesting structure found at the site

(SME Bikaner) AMEC JEE Ro, Jaipur

MRII Churu MCR (Churu)

Photographs of M.L. NO. 74-1978



INSPECTION REPORT IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 22/08/2022 IN THE MATTER OF O.A. 209/2022

(Under Section 24 of the Air Act, 1981 and Under Section 10 of EP Act, 1986)

1	a. Name of the Mining Lease	**Sh. Shankar lal** **ML No.- 73/1977**
	b. Address of the Mining Lease	Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh District- Churu
	c. Area of the Mining Lease	0.1575hect.
	d. Mobile	**9079723750**
2	Date of Inspection	12 /09/2022
3	Type of Industry	**Mines**
4	Status of the Mining Lease	**Cancelled**
5	Status of consent under Air Act, 1981	CTO was issued for the production capacity of **30154 TPA** which stands valid till**31.05.2023** **In reference to cancellation order issued by SME Bikaner vide letter no 1855 dated 09.09.2022 , recommendation for revocation of CTO has been forwarded to RSPCB Head Office Jaipur.**

Status of Consent to operate Conditions found during the inspection at the site:

S.No.	Description of required compliance	Observation
1	Whether water sprinkling was found carried out at critical points prone to air pollution.	Lease was found non-operational during inspection due to cancellation of mining lease.
2.	Status of Overburden	No overburden found
3	Whether adequate plantation was found at the site	Approx 10 Inadequate plantation
4	Status of Wire Fencing/Permanent Wall	Wire fencing found at outer side of the mining lease area
5	Status of Lease Pillars	Lease pillars were found at the time of inspection
6	Status of Rainwater harvesting structure available at the site	No rainwater harvesting structure found at the site

(SME Bikaner)

AME Chem

JEE

RO, Nagaur

MA-II Chem

MFII (Chem)

Photographs of M.L. NO. 73-1977





INSPECTION REPORT IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 22/08/2022 IN THE MATTER OF O.A. 209/2022

(Under Section 24 of the Air Act, 1981 and Under Section 10 of EP Act, 1986)

1	a. Name of the Mining Lease	**Sh. Mangtu Ram** **ML No.- 71/1983**
	b. Address of the Mining Lease	Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh District- Churu
	c. Area of the Mining Lease	0.2616hect.
	d. Mobile	**9829453036**
2	Date of Inspection	12 09/2022
3	Type of Industry	**Mines**
4	Status of the Mining Lease	**Cancelled**
5	Status of consent under Air Act, 1981	CTO was issued for the production capacity of **51012 TPA** which stands valid till**31.05.2026** **In reference to cancellation order issued by SME Bikaner vide letter no 1988 dated 09.09.2022 , recommendation for revocation of CTO has been forwarded to RSPCB Head Office Jaipur.**

Status of Consent to operate Conditions found during the inspection at the site:

S.No.	Description of required compliance	Observation
1	Whether water sprinkling was found carried out at critical points prone to air pollution.	Lease was found non-operational during inspection due to cancellation of mining lease.
2.	Status of Overburden	No overburden found
3	Whether adequate plantation was found at the site	Inadequate plantation Zero Plantation near mining lease
4	Status of Wire Fencing/Permanent Wall	Permanent wall found at outer side of the mining lease area
5	Status of Lease Pillars	Lease pillars were found at the time of inspection
6	Status of Rainwater harvesting structure available at the site	No rainwater harvesting structure found at the site

(SME Bikaner)

AME Churu

JEE

RO, Nagaur

MF II Churu

MCTI

Photographs of M.L. NO. 71/1983



INSPECTION REPORT IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 22/08/2022 IN THE MATTER OF O.A. 209/2022

(Under Section 24 of the Air Act, 1981 and Under Section 10 of EP Act, 1986)

1	a. Name of the Mining Lease	Smt. Shanti Devi ML No.- 68/1978
	b. Address of the Mining Lease	Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh District- Churu
	c. Area of the Mining Lease	0.2150hect.
	d. Mobile	9414086482
2	Date of Inspection	12 09/2022
3	Type of Industry	Mines
4	Status of the Mining Lease	Cancelled
5	Status of consent under Air Act, 1981	CTO was issued for the production capacity of 40107 TPA which stands valid till31.05.2026 In reference to cancellation order issued by SME Bikaner vide letter no 2002 dated 09.09.2022, recommendation for revocation of CTO has been forwarded to RSPCB Head Office Jaipur.

Status of Consent to operate Conditions found during the inspection at the site:

S.No.	Description of required compliance	Observation
1	Whether water sprinkling was found carried out at critical points prone to air pollution.	Lease was found non-operational during inspection due to cancellation of mining lease.
2.	Status of Overburden	No overburden found
3	Whether adequate plantation was found at the site	Approx 50 Adequate plantation
4	Status of Wire Fencing/Permanent Wall	No fencing was found at outer side of the mining lease area
5	Status of Lease Pillars	Lease pillars were found at the time of inspection
6	Status of Rainwater harvesting structure available at the site	No rainwater harvesting structure found at the site

(Smt. Bikaner) AEE Churu

JEE

RO, Jaipur

MR II Churu

(Churu)

Photographs of M.L. NO. 68/1978





INSPECTION REPORT IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 22/08/2022 IN THE MATTER OF O.A. 209/2022

(Under Section 24 of the Air Act, 1981 and Under Section 10 of EP Act, 1986)

1	a. Name of the Mining Lease	Sh. Vinod Kumar Bangarwa
	b. Address of the Mining Lease	ML No.- 53/1978 Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh District- Churu
	c. Area of the Mining Lense	0.2550hect.
	d. Mobile	9549253529
2	Date of Inspection	12 /09/2022
3	Type of Industry	Mines
4	Status of the Mining Lease	Cancelled
5	Status of consent under Air Act, 1981	CTO was issued for the production capacity of 51012 TPA which stands valid till 31.03.2027 In reference to cancellation order issued by SME Bikaner vide letter no 1925 dated 09.09.2022 , recommendation for revocation of CTO has been forwarded to RSPCB Head Office Jaipur.

Status of Consent to operate Conditions found during the inspection at the site:

S.No.	Description of required compliance	Observation
1	Whether water sprinkling was found carried out at critical points prone to air pollution.	Lease was found non-operational during inspection due to cancellation of mining lease.
2.	Status of Overburden	No overburden found
3	Whether adequate plantation was found at the site	Approx. 30 Inadequate plantation
4	Status of Wire Fencing/Permanent Wall	Wire fencing found at outer side of the mining lease area
5	Status of Lease Pillars	Lease pillars were found at the time of inspection
6	Status of Rainwater harvesting structure available at the site	No rainwater harvesting structure found at the site

(SMI Bikaner) AME Churu JEE. RO, Nagaur

MF II Churu MCII (Churu)

Photographs of M.L. NO. 53/1978





INSPECTION REPORT IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 22/08/2022 IN THE MATTER OF O.A. 209/2022

(Under Section 24 of the Air Act, 1981 and Under Section 10 of EP Act, 1986)

1	a. Name of the Mining Lease	M/s Jain Stone Crushing-II ML No.- 50/1979
	b. Address of the Mining Lease	Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh District- Churu
	c. Area of the Mining Lease	0.2700hect
	d. Mobile	9414536593
2	Date of Inspection	12/09/2022
3	Type of Industry	Mines
4	Status of the Mining Lease	Cancelled
5	Status of consent under Air Act, 1981	CTO was issued for the production capacity of 51012 TPA which stands valid till31.05.2026 In reference to cancellation order issued by SME Bikaner vide letter no 1898 dated 09.09.2022, recommendation for revocation of CTO has been forwarded to RSPCB Head Office Jaipur.

Status of Consent to operate Conditions found during the inspection at the site:

S.No.	Description of required compliance	Observation
1	Whether water sprinkling was found carried out at critical points prone to air pollution.	Lease was found non-operational during inspection due to cancellation of mining lease.
2	Status of Overburden	No overburden found
3	Whether adequate plantation was found at the site	Inadequate plantation Zero Plantation near mining lease
4	Status of Wire Fencing/Permanent Wall	Wire fencing found at outer side of the mining lease area
5	Status of Lease Pillars	Lease pillars were found at the time of inspection
6	Status of Rainwater harvesting structure available at the site	No rainwater harvesting structure found at the site

AEE (SME Bikaner)
AEE

JEE

MFT

Photographs of M.L. NO. 50/1979





INSPECTION REPORT IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 22/08/2022 IN THE MATTER OF O.A. 209/2022

(Under Section 24 of the Air Act, 1981 and Under Section 10 of EP Act, 1986)

1	a. Name of the Mining Lease	**Sh. RamvatarKhatik** **ML No.- 49/1983**
	b. Address of the Mining Lease	Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh District- Churu
	c. Area of the Mining Lease	0.2000hect.
	d. Mobile	**9784401481**
2	Date of Inspection	12 /09/2022
3	Type of Industry	**Mines**
4	Status of the Mining Lease	**Cancelled**
5	Status of consent under Air Act, 1981	CTO was issued for the production capacity of **40107 TPA** which stands valid till**29.02.2028** **In reference to cancellation order issued by SME Bikaner vide letter no 1973 dated 09.09.2022, recommendation for revocation of CTO has been forwarded to RSPCB Head Office Jaipur.**

Status of Consent to operate Conditions found during the inspection at the site:

S.No.	Description of required compliance	Observation
1	Whether water sprinkling was found carried out at critical points prone to air pollution.	Lease was found non-operational during inspection due to cancellation of mining lease.
2.	Status of Overburden	No overburden found
3	Whether adequate plantation was found at the site	Approx. 47 Adequate plantation
4	Status of Wire Fencing/Permanent Wall	Wire fencing found at outer side of the mining lease area
5	Status of Lease Pillars	Lease pillars were found at the time of inspection
6	Status of Rainwater harvesting structure available at the site	No rainwater harvesting structure found at the site

(SME Bikaner) AME Team JEE RO, Jaipur

MA II Chemist MA II (Chem)

Photographs of M.I. NO. 49/1983





INSPECTION REPORT IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 22/08/2022 IN THE MATTER OF O.A. 209/2022

(Under Section 24 of the Air Act, 1981 and Under Section 10 of EP Act, 1986)

1	a. Name of the Mining Lease	**Sh. Megha ram**
	b. Address of the Mining Lease	**ML No.- 41/1978**
	c. Area of the Mining Lease	Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh District- Churu
	d. Mobile	0.4000hect.
2	Date of Inspection	**9982499834**
3	Type of Industry	12 /09/2022
4	Status of the Mining Lease	**Mines**
		Cancelled
5	Status of consent under Air Act, 1981	CTO was issued for the production capacity of **80121 TPA** which stands valid till**30.04.2026** **In reference to cancellation order issued by SME Bikaner vide letter no 1883 dated09.09.2022 , recommendation for revocation of CTO has been forwarded to RSPCB Head Office Jaipur.**

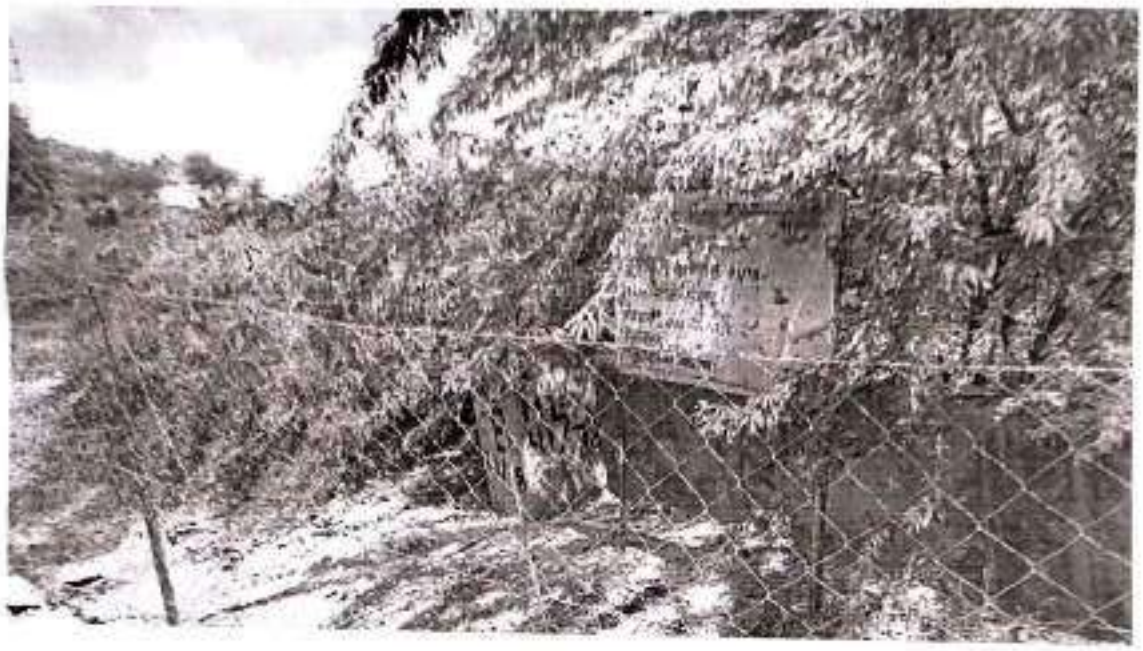
States of Consent to operate Conditions found during the inspection at the site:

S.No.	Description of required compliance	Observation
1	Whether water sprinkling was found carried out at critical points prone to air pollution.	Lease was found non-operational during inspection due to cancellation of mining lease.
2.	Status of Overburden	No overburden found
3	Whether adequate plantation was found at the site	Inadequate plantation Zero Plantation on mining lease.
4	Status of Wire Fencing/Permanent Wall	Wire fencing found at outer side of the mining lease area
5	Status of Lease Pillars	Lease pillars were found at the time of inspection
6	Status of Rainwater harvesting structure available at the site	No rainwater harvesting structure found at the site

(SMF Bikaner) AMEC Incharge JEE Ro, Nagaur

MF II Churu (MF II Churu)

Photographs of M.I. NO. 41-1978





INSPECTION REPORT IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 22/08/2022 IN THE MATTER OF O.A. 209/2022

(Under Section 24 of the Air Act, 1981 and Under Section 10 of EP Act, 1986)

1	a. Name of the Mining Lease	**M/s Ma Bhawani Stone** ML No.- 40/1987
	b. Address of the Mining Lease	Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh District- Churu
	c. Area of the Mining Lease	0.558Ihect.
	d. Mobile	**9660315171**
2	Date of Inspection	12 /09/2022
3	Type of Industry	**Mines**
4	Status of the Mining Lease	**Cancelled**
5	Status of consent under Air Act, 1981	**CTO was issued for the production capacity of 106836 TPA which stands valid till31.10.2023** **In reference to cancellation order issued by SME Bikaner vide letter no 1967 dated 09.09.2022 , recommendation for revocation of CTO has beea forwarded to RSPCB Head Office Jaipur.**

Status of Consent to operate Conditions found during the inspection at the site:

S.No.	Description of required compliance	Observation
1	Whether water sprinkling was found carried out at critical points prone to air pollution.	Lease was found non-operational during inspection due to cancellation of mining lease.
2.	Status of Overburden	No overburden found
3	Whether adequate plantation was found at the site	Inadequate plantation Zero Plantation near mining lease
4	Status of Wire Fencing/Permanent Wall	No Wire fencing found at outer side of the mining lease area
5	Status of Lease Pillars	Lease pillars were found at the time of inspection
6	Status of Rainwater harvesting structure available at the site	No rainwater harvesting structure found at the site

(SME Patanar) AMEChuru JEE RO, Jaipur

MR II Churu MEI (Churu)





INSPECTION REPORT IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 22/08/2022 IN THE MATTER OF O.A. 209/2022

(Under Section 24 of the Air Act, 1981 and Under Section 10 of EP Act, 1986)

1	a. Name of the Mining Lease	**M/sAmbika Stone Balast Suppliers ML No.- 36/1986**
	b. Address of the Mining Lease	Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh District- Churu
	c. Area of Mining lease	0.5523Hectare
	d. Mobile No.	**9414402070**
2	Date of Inspection	12/09/2022
3	Type of Industry	**Mines**
4	Status of Mining lease:	**Cancelled**
5	Status of consent under Air Act, 1981	CTO was issued for the production capacity of **106836 TPA** which stands valid till**30.09.2027** **In reference to cancellation order issued by SME Bikaner vide letter no 1939 dated09.09.2022 , recommendation for revocation of CTO has been forwarded to RSPCB Head Office Jaipur.**

Status of Consent to operate Conditions found during the inspection at the site:

S.No.	Description of required compliance	Observation
1	Whether water sprinkling was found carried out at critical points prone to air pollution.	Lease was found non-operational during inspection due to cancellation of mining lease.
2.	Status of Overburden	No overburden found
3	Whether adequate plantation was found at the site	Approx- 80 Adequate plantation
4	Status of Wire Fencing/Permanent Wall	Wire fencing found at entry point of the mining lease area
5	Status of Lease Pillars	Lease pillars were found at the time of inspection
6	Status of Rainwater harvesting structure available at the site	No rainwater harvesting structure found at the site

(SME Bikaner) AEE AEE Churu JEE RO, Nagaur

MA Churu MFII (Churu)




Latitude: 27.896626
Longitude: 74.50809
Elevation: 348.71±12m
Accuracy: 10.8 m
Time: 09-12-2022 11:22
Note: 35/60

INSPECTION REPORT IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 22/08/2022 IN THE MATTER OF O.A. 209/2022

(Under Section 24 of the Air Act, 1981 and Under Section 10 of EP Act, 1986)

1	a. Name of the Mining Lease	**Sh. Rajendra Panwar** **ML No.- 162/1990**
	b. Address of the Mining Lease	Village- **Randhisar, Tehsil- Sujangarh** District- Churu
	c. Area of the Mining Lease	0.4800hect.
	d. Mobile	**9414402266**
2	Date of Inspection	12 /09/2022
3	Type of Industry	**Mines**
4	Status of the Mining Lease	**Cancelled**
5	Status of consent under Air Act, 1981	CTO was issued for the production capacity of **95043 TPA** which stands valid till **30.06.2027** **In reference to cancellation order issued by SME Bikaner vide letter no 1876 dated 09.09.2022 , recommendation for revocation of CTO has been forwarded to RSPCB Head Office Jaipur.**

Status of Consent to operate Conditions found during the inspection at the site:

S.No.	Description of required compliance	Observation
1	Whether water sprinkling was found carried out at critical points prone to air pollution.	Lease was found non-operational during inspection due to cancellation of mining lease.
2.	Status of Overburden	No overburden found
3	Whether adequate plantation was found at the site	Approx. 80 Adequate plantation
4	Status of Wire Fencing/Permanent Wall	Wire fencing found at outer side of the mining lease area
5	Status of Lease Pillars	Lease pillars were found at the time of inspection
6	Status of Rainwater harvesting structure available at the site	No rainwater harvesting structure found at the site

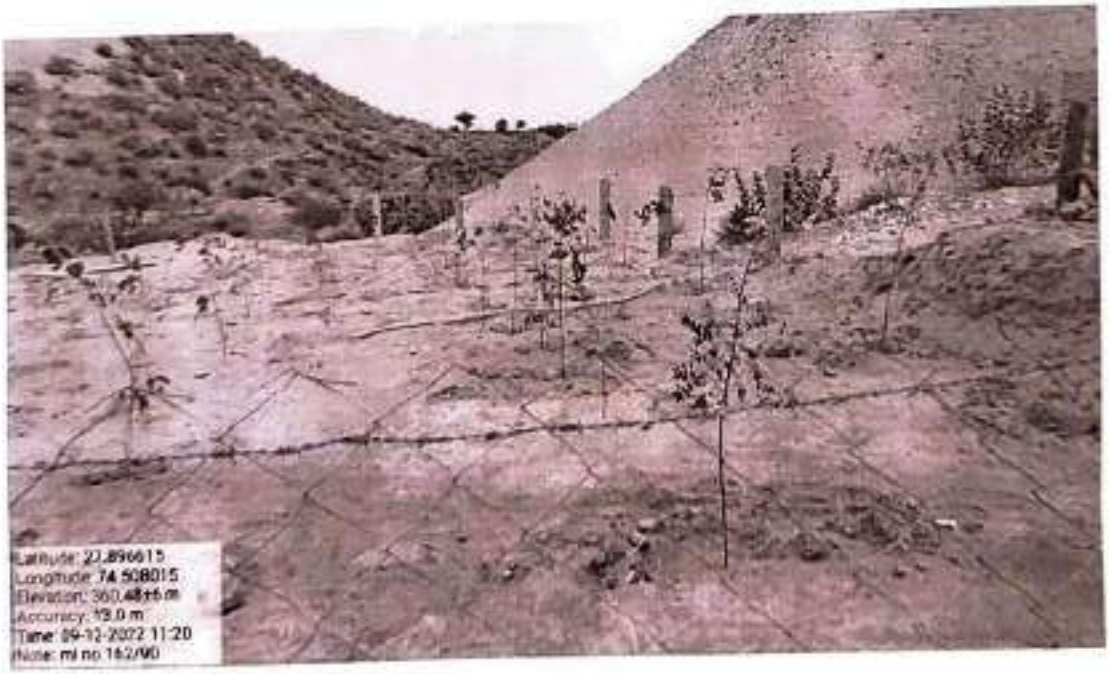
(SME Bikaner)

AMEChurn

JEE.

RO, Nagaur




Latitude: 22.896615
Longitude: 74.508015
Elevation: 360.48±6.0m
Accuracy: 19.0 m
Time: 09-12-2022 11:20
Note: ml no 162/90

INSPECTION REPORT IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 22/08/2022 IN THE MATTER OF O.A. 209/2022

(Under Section 24 of the Air Act, 1981 and Under Section 10 of EP Act, 1986)

1	a. Name of the Mining Lease	M/sAmbey Mines and minerals, Randhisar ML No.- 161/1990
	b. Address of the Mining Lease	Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh District- Churu
	c. Area of the Mining Lease	0.2800hect
	d. Mobile	9610360022
2	Date of Inspection	12-09/2022
3	Type of Industry	Mines
4	Status of the Mining Lease	Cancelled
5	Status of consent under Air Act, 1981	CTO was issued for the production capacity of 51012 TPA which stands valid till31-05-2026 In reference to cancellation order issued by SME Bikaner vide letter no1911 dated 09-09-2022 , recommendation for revocation of CTO has been forwarded to RSPCB Head Office Jaipur.

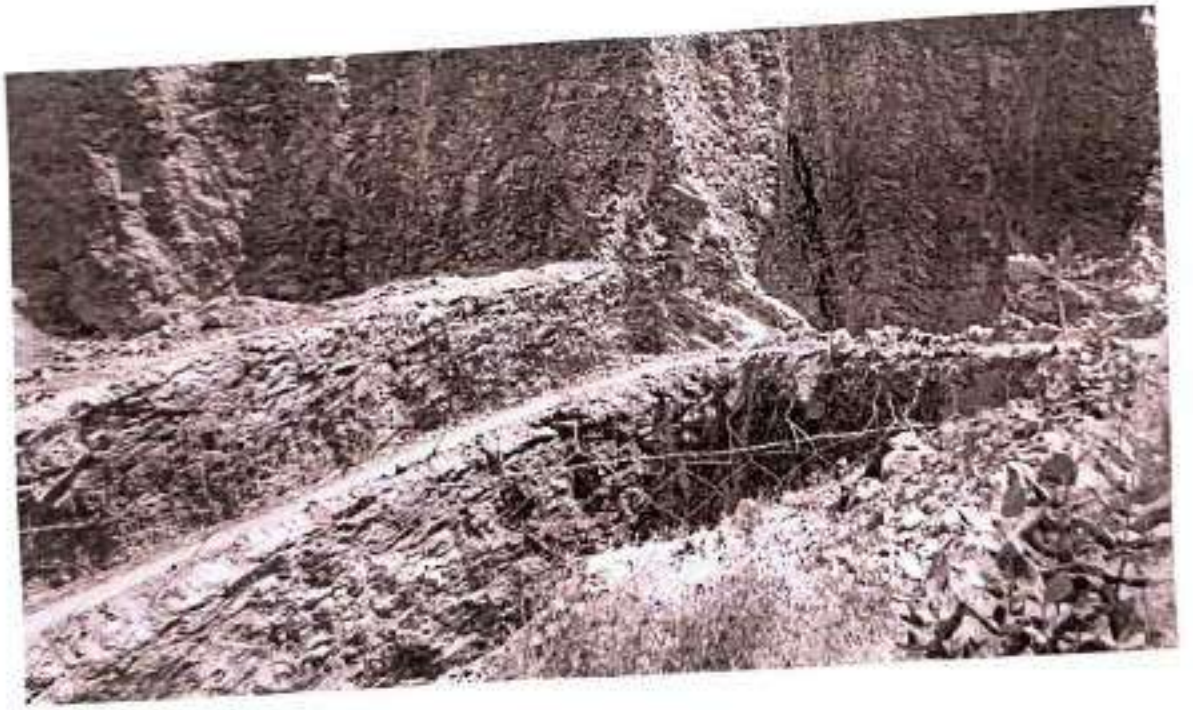
Status of Consent to operate Conditions found during the inspection at the site:

S.No.	Description of required compliance	Observation
1	Whether water sprinkling was found carried out at critical points prone to air pollution.	Lease was found non-operational during inspection due to cancellation of mining lease.
2.	Status of Overburden	No overburden found
3	Whether adequate plantation was found at the site	Approx. 15 Inadequate plantation
4	Status of Wire Fencing/Permanent Wall	Wire fencing found at entry point side of the mining lease area
5	Status of Lease Pillars	Lease pillars were found at the time of inspection
6	Status of Rainwater harvesting structure available at the site	No rainwater harvesting structure found at the site

(SME Bikaner) AMEC Churu JEE RO, Jaipur

MF-II Churu MFII Churu





INSPECTION REPORT IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 22/08/2022 IN THE MATTER OF O.A. 209/2022

(Under Section 24 of the Air Act, 1981 and Under Section 10 of EP Act, 1986)

1	a. Name of the Mining Lease	Sh. Khiya ram ML No.- 16/1999
	b. Address of the Mining Lease	Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh District- Churu
	c. Area of the Mining Lease	0.6000hect.
	d. Mobile	9116792787
2	Date of Inspection	12 /09/2022
3	Type of Industry	Mines
4	Status of the Mining Lease	Cancelled
5	Status of consent under Air Act, 1981	CTO was issued for the production capacity of 135720 TPA which stands valid till30.04.2026 In reference to cancellation order issued by SME Bikaner vide letter no 1905 dated09.09.2022 , recommendation for revocation of CTO has been forwarded to RSPCB Head Office Jaipur.

Status of Consent to operate Conditions found during the inspection at the site:

S.No.	Description of required compliance	Observation
1	Whether water sprinkling was found carried out at critical points prone to air pollution.	Lease was found non-operational during inspection due to cancellation of mining lease.
2.	Status of Overburden	No overburden found
3	Whether adequate plantation was found at the site	Approx 40 Inadequate plantation
4	Status of Wire Fencing/Permanent Wall	Wire fencing found at outer side of the mining lease area
5	Status of Lease Pillars	Lease pillars were found at the time of inspection
6	Status of Rainwater harvesting structure available at the site	No rainwater harvesting structure found at the site

(SME Bikaner) AM(E) Churu JEE RO, Nagaur

MF-II Churu


पट्टा धारी का नाम सिंवाराम जाट
रणधीसर पहाड़ी
खनन पट्टा लाइसेन्स सं. 16/99
खनिज-स्टोन क्वार्ट्ज
क्षेत्रफल-6000 वर्ग मीटर
अवधी- 8-9-2017 से 31-3-2025 तक


Latitude: 27.804371
Longitude: 74.509015
Altitude: 308.32±2 m
Accuracy: 23.0 m
Time: 09-12-2022 12:45
Note: 16/99

INSPECTION REPORT IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 22/08/2022 IN THE MATTER OF O.A. 209/2022

(Under Section 24 of the Air Act, 1981 and Under Section 10 of EP Act, 1986)

1	a. Name of the Mining Lease	**M/S Jai Ma Stone** **ML No.- 15/1980**
	b. Address of the Mining Lease	Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh District- Churu
	c. Area of the Mining Lease	0.5000hect
	d. Mobile	**7406859885**
2	Date of Inspection	12 09/2022
3	Type of Industry	Mines
4	Status of the Mining Lease	**Cancelled**
5	**Status of consent** under Air Act, 1981	CTO was issued for the production capacity of **101470 TPA** which stands valid till **31.05.2026** **In reference to cancellation order issued by SME Bikaner vide letter no 1918 dated 09.09.2022 , recommendation for revocation of CTO has been forwarded to RSPCB Head Office Jaipur.**

Status of Consent to operate Conditions found during the inspection at the site:

S.No.	Description of required compliance	Observation
1	Whether water sprinkling was found carried out at critical points prone to air pollution.	Lease was found non-operational during inspection due to cancellation of mining lease.
2	Status of Overburden	No overburden found
3	Whether adequate plantation was found at the site	Approx. 74 Adequate plantation
4	Status of Wire Fencing/Permanent Wall	Wire fencing found at entry point of the mining lease area
5	Status of Lease Pillars	Lease pillars were found at the time of inspection
6	Status of Rainwater harvesting structure available at the site	No rainwater harvesting structure found at the site

(SME Bikaner) AEE JEE RO, Nagaur

MFL (Churu)





INSPECTION REPORT IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 22/08/2022 IN THE MATTER OF O.A. 209/2022

(Under Section 24 of the Air Act, 1981 and Under Section 10 of EP Act, 1986)

1	a. Name of the Mining Lease	Sh. Ashwini kumarsain ML No.- 13/1978
	b. Address of the Mining Lease	Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh District- Churu
	c. Area of the Mining Lease	0.3500hect.
	d. Mobile	9462000003
2	Date of Inspection	12.09.2022
3	Type of Industry	Mines
4	Status of the Mining Lease	Cancelled
5	Status of consent under Air Act, 1981	CTO was issued for the production capacity of 114400 TPA which stands valid till28.02.2023 In reference to cancellation order issued by SME Bikaner vide letter no 1862 dated09.09.2022 , recommendation for revocation of CTO has been forwarded to RSPCB Head Office Jaipur.

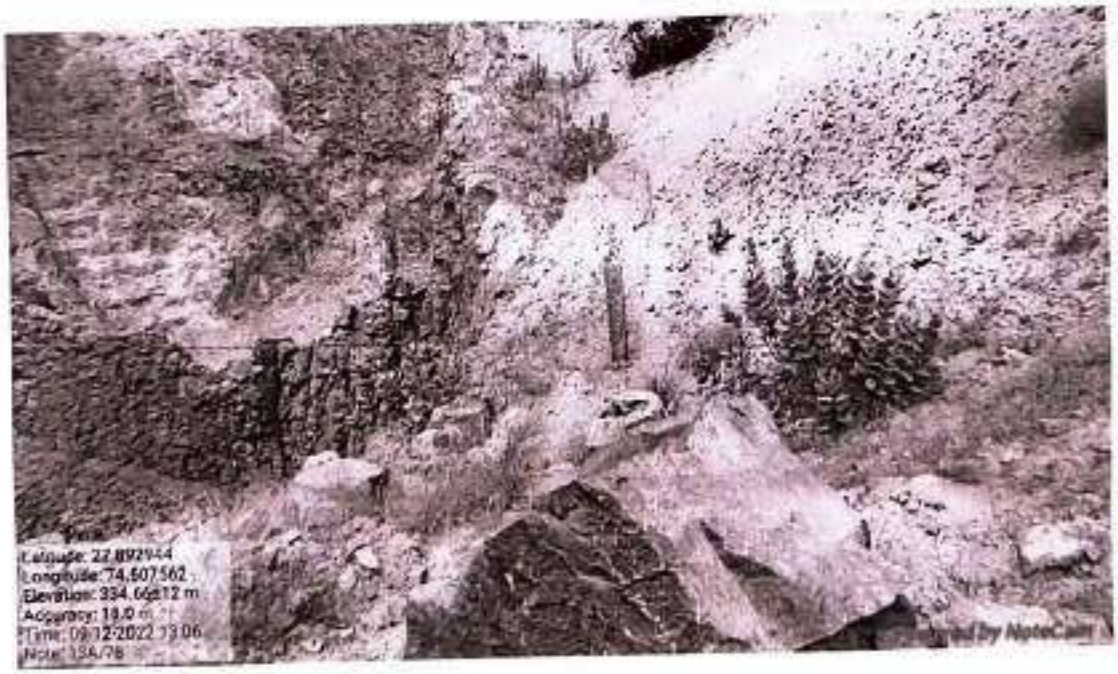
Status of Consent to operate Conditions found during the inspection at the site:

S.No.	Description of required compliance	Observation
1	Whether water sprinkling was found carried out at critical points prone to air pollution.	Lease was found non-operational during inspection due to cancellation of mining lease.
2.	Status of Overburden	No overburden found
3	Whether adequate plantation was found at the site	Inadequate plantation Zero plantation near mining lease
4	Status of Wire Fencing/Permanent Wall	Wire fencing found at outer side of the mining lease area
5	Status of Lease Pillars	Lease pillars were found at the time of inspection
6	Status of Rainwater harvesting structure available at the site	No rainwater harvesting structure found at the site

(SME Bikaner) AM E Churu JEE RO, Nagaur

MF-II Churu




Latitude: 27.892944
Longitude: 74.507562
Elevation: 334.66±12 m
Accuracy: 18.0 m
Time: 09/12/2022 23:06
Note: 13A/78

INSPECTION REPORT IN COMPLIANCE TO NGT ORDER DATED 22/08/2022 IN THE MATTER OF O.A. 209/2022

(Under Section 24 of the Air Act, 1981 and Under Section 10 of EP Act, 1986)

1	a. Name of the Mining Lease	**Mrs.Mamta Devi** **ML No.- 101/1977**
	b. Address of the Mining Lease	Village- Randhisar, Tehsil- Sujangarh District- Churu
	c. Area of the Mining Lease	0.3600hect.
	d. Mobile	**9414984232**
2	Date of Inspection	12-09/2022
3	Type of Industry	**Mines**
4	Status of the Mining Lease	**Cancelled**
5	**Status of consent under Air Act, 1981**	CTO was issued for the production capacity of **72649 TPA** which stands valid till**31.05.2026** **In reference to cancellation order issued by SME Bikaner vide letter no 1932 dated09.09.2022 , recommendation for revocation of CTO has been forwarded to RSPCB Head Office Jaipur.**

Status of Consent to operate Conditions found during the inspection at the site:

S.No.	Description of required compliance	Observation
1	Whether water sprinkling was found carried out at critical points prone to air pollution.	Lease was found non-operational during inspection due to cancellation of mining lease.
2.	Status of Overburden	No overburden found
3	Whether adequate plantation was found at the site	Inadequate plantation Zero Plantation near mining lease
4	Status of Wire Fencing/Permanent Wall	Permanent wall found at outer side of the mining lease area
5	Status of Lease Pillars	Lease pillars were found at the time of inspection
6	Status of Rainwater harvesting structure available at the site	No rainwater harvesting structure found at the site

SME (SME Bikaner)

AME Chhuru

JEE

RO, Nagaur

MF-II Churu

MF II (Churu)




Latitude: 27.891387
Longitude: 74.507194
Elevation: 344.52±32 m
Accuracy: 10.6 m
Time: 09-12-2022 13:16
Note: 101/77

ANNEXURE - 3 (Colly)

ML-65/1983

97

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–65/1983/79 दिनांक :– 03-06-2022

सर्वश्री चूरू लेबर को0 सोसायटी ,
निवासी रणधीसर पहाड़ी,
तहसील–सुजानगढ़, जिला– चूरू।

विषय :– खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू क्षैत्र 2500वर्गमीटर के संबंध में ।

प्रसंग :– इस कार्यालय का पत्र दिनांक 06.08.2013, 11.11.2013, पत्रांक 3371 दिनांक 15.03.2017 व पत्रांक 3767 दिनांक 08.12.2017 ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि आपके पक्ष मे स्वीकृत खनन पटटे के संबंध मे निम्नलिखित संविदा की शर्तो का उल्लंधन एवं अन्य अनियमितताओ पायी गयी है :–

1–यह कि देय राशि रूपये 1,35,28,800/– आपके विरूद बकाया है और निश्चित तिथि पर भुगतान करने मे आप असफल रहे है । यह संविदा की धारा 4(3) (4) एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(2)(ii) का उल्लघंन है।

अवैध खनन पंचनामा निरीक्षण अवधि दिनांक 03.07.2000 से 07.07.2000	राशि	18,20,000/–
अवैध खनन पंचनामा अवधि दिनांक 03.11.2012	राशि	1,10,67,986/–
स्थिर भाटक अवधि दिनांक 01.04.2015 से 30.06.2022	राशि	6,40,811/–
	योग	1,35,28,800/–

आपको प्रासंगिक पत्र से बकाया राशि जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया था । जो आज दिनांक तक जमा नही हुई है। अतः इस पत्र के जरिये आपका अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है कि अब भी उपरोक्त राशि 7 दिवस मे जमा करवा दे। अन्यथा आपके खननपट्टे विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी। जिसमें आपका खननपट्टा खण्डित भी किया जा सकता है। सो सूचित रहे।

03/06/2022
(सोहन लाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–65/1983/79 दिनांक :– 03-06-2022

सर्वश्री चूरू लेबर को0 सोसायटी ,
निवासी रणधीसर पहाड़ी,
तहसील–सुजानगढ़, जिला– चूरू।

विषय :– खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू क्षैत्र 2500वर्गमीटर के संबंध में ।

प्रसंग :– इस कार्यालय का पत्र दिनांक 06.08.2013, 11.11.2013, पत्रांक 3371 दिनांक 15.03.2017 व पत्रांक 3767 दिनांक 08.12.2017 ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि आपके पक्ष मे स्वीकृत खनन पटटे के संबंध मे निम्नलिखित संविदा की शर्तो का उल्लंधन एवं अन्य अनियमितताओ पायी गयी है :–

1–यह कि देय राशि रूपये 1,35,28,800/– आपके विरूद बकाया है और निश्चित तिथि पर भुगतान करने मे आप असफल रहे है । यह संविदा की धारा 4(3) (4) एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(2)(ii) का उल्लघंन है।

अवैध खनन पंचनामा निरीक्षण अवधि दिनांक 03.07.2000 से 07.07.2000	राशि	18,20,000/–
अवैध खनन पंचनामा अवधि दिनांक 03.11.2012	राशि	1,10,67,986/–
स्थिर भाटक अवधि दिनांक 01.04.2015 से 30.06.2022	राशि	6,40,811/–
	योग	1,35,28,800/–

आपको प्रासंगिक पत्र से बकाया राशि जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया था । जो आज दिनांक तक जमा नही हुई है। अतः इस पत्र के जरिये आपका अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है कि अब भी उपरोक्त राशि 7 दिवस मे जमा करवा दे। अन्यथा आपके खननपट्टे विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी। जिसमें आपका खननपट्टा खण्डित भी किया जा सकता है। सो सूचित रहे।

(सोहने लाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर(राजस्थान)

Office of the Supdt. Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, C-64, Sadulganj, Bikaner (Rajasthan)
Tel. no 0151-2226611
E-mail- sme.bikaner@rajasthan.gov.in

कमांकः– अखअ/बीका/अप्र/चुरू/एम.एम.एल.–65/1983/ दिनांक :–

कार्यालय आदेश

सर्वश्री चूरू लेबर कॉ–ऑपरेटिव सोसायटी, रणधीसर पहाड़ी, तहसील–सुजानगढ, जिला–चूरू के पक्ष में खननपट्टा का प्रथम नवीनीकरण एम.एल. 38/1978, खनिज–स्टोन बैलास्ट, क्षैत्रफल 2500वर्गमीटर, निकट ग्राम–रणधीसर, तहसील–सुजानगढ, जिला–चूरू के पक्ष में अवधि दिनांक 11.11.1978 से 5 वर्ष के लिए सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, श्रीगंगानगर के आदेश कमांक सखअ/श्रीगंगा/एम.एम. एल./38/1978/1954–59 दिनांक 16.09.1978 द्वारा स्वीकृत किया गया। कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश कमांक खअ/बीके/एम.एम.एल. 65/1983/301 दिनांक 01.05.1991 द्वारा खननपट्टे का द्वितीय नवीनीकरण अवधि दिनांक 11.11.1983 से 10.11.1993 हेतु स्वीकृत हुआ। खननपट्टा का तृतीय नवीनीकरण एम.एल. 39/1993 दिनांक 27.04.1993 को अवधि दिनांक 11.11.1993 से 10.11.2003 व चतुर्थ नवीनीकरण एम.एल. 33/2003 दिनांक 10.11.2003 को अवधि दिनांक 11.11.2003 से 10.11.2023 तक के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त खननपट्टा ततसमय राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियम 17(2) के अन्तर्गत बढ़ी हुई अवधि में प्रभावशील रहा।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 9(3) के तहत खननपट्टे की अवधि दिनांक 31.03.2025 तक स्वतः ही बढ़ गई है। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 75,606/– है। सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने निम्न दोषो के निवारण हेतु 30/45 दिवसीय चेतना पत्र कमांक 79 दिनांक 03.06.2022 जारी किया। जो कि पटटाधारी को दिनांक 12.06.2022 को तामिल हुआ।

1. **यह कि देय राशि रूपये 1,35,28,800/–आपके विरूद्व बकाया है और निश्चित तिथी पर भुगतान करने में आप असफल रहे हैं। यह संविदा की धारा की धारा 4(3)(4) एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(2)(II) का उल्लघंन है।**

पटटाधारी द्वारा उक्त चेतना पत्र की पालना निर्धारित समयावधि पश्चात भी नही करने के कारण एवं वर्तमान में पटटेधारी के विरूद्व राशि मय ब्याज रूपये 1,35,47,702/–बकाया होने से सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने उक्त खनन पटटा खण्डित करने के प्रस्ताव इस कार्यालय को पठाये है। श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर ने उक्त खनन पटटा खण्डित करने का अनुमोदन अपने पत्र कमांक 2489 दिनांक 09.09.2022 से प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चुरू के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमो में प्रदत शक्तियो का उपयोग करते हुए उक्त खनन पटटा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरंत प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

–sd–
भीम सिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

कमांकसम/1807 दिनांकः 9.9.2022

प्रतिलिपीः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर को उनके पत्र कमांक 2489 दिनांक 09.09.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चुरू।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरू को उनके पत्र कमांक 443 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में
4. उप वन संरक्षक, चुरू।
5. सर्वश्री चुरू लेबर कॉ–ऑपरेटिव सोसायटी, रणधीसर पहाडी, तहसील सुजानगढ जिला चुरू द्वारा सहायक खनि अभियन्ता, चुरू

CC-I
09/09/2022

भीम सिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

ML-48/1978

100

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- amechuru@dmg-raj.org

क्रमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/48/78/114-115 दिनांक :– 19-05-2015

श्रीमति रूकमणी देवी पत्नि श्री मालचन्द खटीक,
निवासी– रणधीसर, जिला–चूरू ।
श्री भगवानी देवी पत्नि श्री सत्यानारायण खटीक,
निवासी– रणधीसर, जिला–चूरू ।

विषय :– खननपट्टा का नामान्तरण करने के संबंध में।
प्रसंग :– आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 04.05.2015 के संदर्भ में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा प्रासंगिक पत्र से पट्टाधारी का मृत्यु प्रमाण पत्र, न्यायालय का उक्त खननपट्टे के संबंध में जारी प्रशासन पत्र जिसमें श्रीमति रूकमणी देवी पत्नि श्री मालचन्द खटीक, निवासी– रणधीसर, जिला–चूरू व श्रीमति भगवानी देवी पत्नि श्री सत्यानारायण खटीक, निवासी– रणधीसर, जिला–चूरू के पक्ष में प्रशासन पत्र जारी किया गया है, की प्रति व रूकमणी देवी का पहचान पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त दस्तावेज खननपट्टा नामान्तरण हेतु पूर्ण नही है ।

अतः मृत्यु प्रमाण पत्र, दोनो वारिश के पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ, बकाया नही का प्रमाण पत्र, दोनों का शपथ पत्र नोटेरी सत्यापित करा प्रस्तुत करें । अन्यथा आपका आवेदन पत्र अस्वीकृत करते हुवे शून्य घोषित कर दिया जावेगा।

(रामलाल सिंह)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

CC minor

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एल./48/1978/1382-1383 दिनांक :– 26.08.2022

1. श्रीमती रूकमणी देवी पत्नी श्री मालचन्द खटीक,
2. श्रीमती भगवानी देवी पत्नी श्री सत्यनारायण खटीक,

निवासी–ग्राम–रणधीसर, तहसील–सुजानगढ,
जिला–चूरू।

विषय :– श्री सुरजाराम खटीक पुत्र श्री हनुमानाराम खटीक, निवासी–रणधीसर पहाड़ी, तहसील–सुजानगढ, जिला–चूरू(राजस्थान) के पक्ष स्वीकृत खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर, तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू(राजस्थान) का नामान्तरण (1) श्रीमती रूकमणी देवी पत्नी श्री मालचन्द खटीक व (2) श्रीमती भगवानी देवी पत्नी श्री सत्यनारायण खटीक, निवासी–ग्राम–रणधीसर, तहसील–सुजानगढ, जिला–चूरू के पक्ष में करने के संबंध में।

प्रसंगः– आपका आवेदन पत्र दिनांक 04.05.2015 व दिनांक 17.06.2022 के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्री सुरजाराम खटीक पुत्र श्री हनुमानाराम खटीक, निवासी–रणधीसर पहाड़ी, तहसील–सुजानगढ, जिला–चूरू(राजस्थान) के पक्ष में एक खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर, तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में क्षैत्र 3570वर्गमीटर वार्षिक स्थिर भाटक 624.75/– प्रति वर्ष की दर से कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक सखअ/श्रीगंगा/एमएमएल/48/1978/2488–93 दिनांक 28.10.1978 द्वारा खननपट्टा संविदा निष्पादन की तिथि से 10 वर्ष के लिए स्वीकृत किया गया। संविदा का निष्पादन दिनांक 16.02.1979 को हुआ। इस प्रकार खननपट्टा की अवधि दिनांक 16.02.1979 से 15.02.1989 तक के लिए स्वीकृत किया गया। दिनांक 15.02.1989 से आगे की अवधि के लिए खननपट्टा का नवीनीकरण आवेदन पत्र ततसमय वन डायवर्तजन नही होने व उसके बाद अवैध खनन की राशि बकाया होने के कारण स्वीकृत नही किये जा सके। खननपट्टा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 74 के तहत कियाशील रहा है।

श्री सुरजाराम खटीक पुत्र श्री हनुमानाराम खटीक, निवासी–रणधीसर पहाड़ी, तहसील–सुजानगढ, जिला–चूरू(राजस्थान) की मृत्यु दिनांक 05.10.2001 को हो जाने पर उनकी पुत्रियों (1) श्रीमती रूकमणी देवी पत्नी श्री मालचन्द खटीक व (2) श्रीमती भगवानी देवी पत्नी श्री सत्यनारायण खटीक, निवासी–ग्राम–रणधीसर, तहसील–सुजानगढ, जिला–चूरू द्वारा खननपट्टा नामान्तरण आवेदन इस कार्यालय में दिनांक 04.05.2015 को प्रस्तुत किया गया। इस कार्यालय द्वारा कमीपूर्ति नोटिस 114–15 दिनांक 19.05.2015 जारी किया गया। आवेदनकर्ता द्वारा दिनांक 17.06.2022 को प्रार्थना–पत्र के साथ नामांतरण शुल्क राशि 2,000/– जी.आर.एन. नं. 0063535279 दिनांक 16.06.2022 का जमा शुदा चालान की प्रति प्रस्तुत कर खननपट्टा स्वयं के नाम नामान्तरण करने हेतु निवेदन किया गया।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 दिनांक 01.03.2017 से प्रभाव में आने के कारण नियम 76(2) के तहत खननपट्टा नामांतरण आवेदन पत्र मय शुल्क खानधारी की मृत्यु तिथी से तीन माह की समयावधि में प्रस्तुत करना आवश्यक है। चूंकि प्रकरण में नामांतरण शुल्क 3 माह की समयावधि के पश्चात् प्रस्तुत किये जाने से राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 76(2) के तहत उक्त खननपट्टे का नामांतरण आवेदन पत्र स्वतः ही अस्वीकृत की श्रेणी में आता है।

अतः राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नामांतरण आवेदन पत्र को अस्वीकृत किया जाकर खननपट्टा खण्डित किया जाता है।

सोहन
26/08/2022
(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
चूरू(राजस्थान)

क्रमांक/सम/1384 दिनांकः– 26.08.2022

प्रतिलिपि श्री अर्जुनराम खनि कार्यदेशक को देकर लेख है कि खननपट्टा क्षैत्र का कब्जा राज्य सरकार के पक्ष में लिया जाकर कब्जा रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

सोहन
26/08/2022
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
चूरू(राजस्थान)

निरीक्षण रिपोर्ट

ML-36/1980

102

आज दिनांक 28/05/2022 को अन्वेषित धरती द्वारा खनन पट्टा संख्या 36/80 पदाधिकारी श्रीमति बिन्नु देवी पति श्री श्रवण कुमार वाले खनिज ब्लॉक वेलाष्ट [redacted]0.3393 है. मिट्ट ग्राम रणधीसर पहाड़ी तह सुजानगढ़ जिला चुरू का मौका निरीक्षण करने हेतु मौके पर पहुंचा गया। मौका निरीक्षण बिन्दुवार निम्न प्रकार है:

(i) वर्तमान निरीक्षण खनन पट्टे से संबंधित सीमा स्तम्भ लगे हुये पाये गये।

(ii) वर्तमान निरीक्षण खनन पट्टे की संबंधित जानकारी बोर्ड लगा हुआ पाया गया।

(iii) खनन पट्टे के आस-पास आंशिक पौधारोपण किया हुआ पाया गया।

(iv) खनन पट्टे के बाहरी रास्ते के तरफ सुरक्षा हेतु तारबंदी की हुई पायी गई।

(v) खनन पट्टे मे खनन कार्य चालू पाया गया परन्तु खनन मजदूरो द्वारा सुरक्षा उपकरणो का उपयोग नही किया जाना पाया गया।

(vi) खनन पट्टे मे खनन कार्य खान सुरक्षा निदेशालय द्वारा नियुक्त कम तकनिकी कर्मचारी। खान प्रबंधक की उपस्थिती मे नही होता हुआ पाया गया।

(vii) खनन पट्टे मे खनन कार्य अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार होते हुए नही पाया गया।

मौके पर निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर हस्ताक्षर किये गये।

Annexure-I
Issue Notice to lessee
सही
30/05/2022

सही
28/5/22
MF II

Approved
MF II

सही
28/05/2022
AME Churu
Camp - Randhisar

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

ML-36/1980

103

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

कमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–36/1980/ 60 दिनांक :– 01-06-2022

श्रीमति बिजू देवी पत्नि श्री श्रवण कुमार जाट,
निवासी–छापर
तहसील–सुजानगढ़, जिला– चूरू ।

विषयः– खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के संबंध मे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में स्वीकृत खननपट्टा क्षैत्र का दिनांक 28.05.2022 को कार्यालय फिल्ड स्टाफ द्वारा निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण आपके खननपट्टा पर निम्नानुसरा कमियॉ पाई गयीः–

1. खननकार्य के दौरान खनन मजदूरों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नही किया जाना पाया गया।
2. आपके खननपट्टे पर खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनिकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य नही किया जाना पाया गया।
3. आपके खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसर खननकार्य नही किया जाना पाया गया।

अतः आपको इस चेतना पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप का निवारण इस चेतना पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि मे कर सूचित करे। उपरोक्त पालना नही किये जाने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अवहेलना मानी जांकर आपके खननपट्टे विरूद्व निम्नलिखित कार्यवाही की जावेगी :–

1– आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अनुसार शास्ती आरोपित की जावेगी ।

या

2–आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 45 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अंतर्गत खननपटटे की प्रतिभूति राशि का हरण करते हुवे खनन पटटे को खण्डित करने की कार्यवाही की जावेगी।

सो सूचित रहे।

01/06/2022
(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

यूक 6/6

3/6/22

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

ML-36/1980

104

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

कमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–36/1980/ 60 दिनांक :– 01-06-2022

श्रीमति बिजू देवी पत्नि श्री श्रवण कुमार जाट,
निवासी–छापर
तहसील–सुजानगढ़, जिला– चूरू ।

विषयः– खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के संबंध मे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में स्वीकृत खननपट्टा क्षैत्र का दिनांक 28.05.2022 को कार्यालय फिल्ड स्टाफ द्वारा निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण आपके खननपट्टा पर निम्नानुसरा कमियॉ पाई गयीः–

1. खननकार्य के दौरान खनन मजदूरों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नही किया जाना पाया गया।
2. आपके खननपट्टे पर खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनिकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य नही किया जाना पाया गया।
3. आपके खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसर खननकार्य नही किया जाना पाया गया।

अतः आपको इस चेतना पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप का निवारण इस चेतना पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि मे कर सूचित करे। उपरोक्त पालना नही किये जाने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अवहेलना मानी जांकर आपके खननपट्टे विरूद्व निम्नलिखित कार्यवाही की जावेगी :–

1– आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अनुसार शास्ती आरोपित की जावेगी ।

या

2–आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 45 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अंतर्गत खननपटटे की प्रतिभूति राशि का हरण करते हुवे खनन पटटे को खण्डित करने की कार्यवाही की जावेगी।

सो सूचित रहे।

01/06/2022
(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

3/6/22

राजस्थान सरकार ML-36/1980

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सी–64, सादुलगंज, बीकानेर वृत्त बीकानेर।

105

क्रमांकःअखअ/बीका/अप्र/चुरू/एम.एल. 36/1980/ दिनांकः .2022

कार्यालय आदेश

श्री दुलाराम पुत्र श्री उमाराम मेघवाल, निवासी–लालगढ़, चूरू के पक्ष में एक खननपट्टा एम.एल. 36/1980, खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम– रणधीसर, तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू क्षैत्रफल 3394वर्ग मीटर वार्षिक स्थिर भाटक 594/– पर संविदा पंजीयन से 10 वर्ष के लिये कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक खअ/बीका/एम.एम.एल./36/1980/1235 दिनांकः 31.08.1981 द्वारा स्वीकृत किया गया। संविदा का पंजीयन 25.08.1982 को हुआ। इस प्रकार खननपट्टा अवधि दिनांक 25.08.1982 से 24.08.1992 तक की अवधि के लिए प्रभावी हुआ। खननपट्टे का हस्तान्तरण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक खअ/बीका/एम.एम.एल. 36/80/1570 दिनांक 09.06.1989 द्वारा श्री रामनिवास शर्मा पुत्र श्री गोरधन राम शर्मा, निवासी–ईयारा, तहसील–सुजानगढ़, जिला–चूरू के नाम से स्वीकृत किया गया। खननपट्टे का प्रथम नवीनीकरण एम.एल. 114/1992 दिनांक 18.02.1992 को अवधि दिनांक 25.08.1992 से 24.08.2002 तक की अवधि के लिए आवेदित किया गया। द्वितीय नवीनीकरण हेतु एम.एल. 52/2001 दिनांक 29.10.2001 को अवधि दिनांक 25.08.2002 से 24.08.2022 तक की अवधि के लिए आवेदित किया गया। उक्त खननपट्टा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 के नियम 17(2) के तहत प्रभावशील रहा है। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 9(2) के तहत खननपट्टे की अवधि 24.08.2032 तक स्वतः ही बढी हुई मानी गयी। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक अखअ/बीका/ चूरू/एम.एल./36/80/424 दिनांक 05.02.2018 द्वारा खननपट्टा श्रीमति बिज्जू देवी पत्नि श्री श्रवण कुमार जाट, निवासी– छापर, तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू के पक्ष में हस्तान्तरण स्वीकृत किया गया। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 29,008/– है।

सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने निम्न दोषो के निवारण हेतु पटटाधारी को चेतना पत्र संख्या 60 दिनांक 01.06.2022 जारी किया गया। जो कि पटटेधारी को नियमानुसार तामिल हुआ।

1–खनन कार्य के दौरान खनन मजदूरों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नही किया जाना पाया गया।

2– खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनीकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिती में खननकार्य किया जाना नहीं पाया गया।

3– खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नहीं किया जाना पाया गया।

पटटाधारी द्वारा चेतना पत्र का प्रस्तुत जबाव दिनांक 16.06.2022 अनुसार चेतना पत्र की पूर्ण पालना नही हुई। चेतना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात भी पूर्ण पालना नहीं होने से सहायक खनि अभियन्ता, चूरू द्वारा खननपट्टे का क्षैत्रफल बहुत कम 3394वर्गमीटर होने व अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार बैंच बनाकर सुरक्षित तरीके से खननकार्य किया जाना संभव नहीं होने का उल्लेख करते हुए उक्त खनन पटटे को खण्डित करने के अनुमोदन का प्रस्ताव निदेशालय, उदयपुर को प्रेषित करते हुए प्रति इस कार्यालय को पृष्ठाकिंत की गयी। तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1687 दिनांक 07.09.2022 द्वारा निदेशालय को अनुशंषा की गयी। जिस पर निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर ने अपने पत्र क्रमांकः 825 दिनांक 08.09.2022 के द्वारा उक्त खनन पटटा खण्डित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चूरू के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमो में प्रदत शक्तियो का उपयोग करते हुए उक्त खनन पटटा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरन्त प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

भीमसिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

क्रमांक/सम/ 1946 दिनांकः 9.9.2022

प्रतिलिपीः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान निदेशक, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को उनके पत्र क्रमांकः निदे/प.2(एच–1)चूरू/2022/825 दिनांक 08.09.2022 के संदर्भ में।
2. श्रीमान जिला कलक्टर , चुरू।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरू को उनके पत्र क्रमांक 460 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में।
4. उप वन संरक्षक, चूरू।
5. श्रीमति बिज्जू देवी पत्नि श्री श्रवण कुमार जाट, निवासी– छापर, तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू (राजस्थान) द्वारा सहायक खनि अभियन्ता, चुरू।
6. रक्षित पत्रावली

भीमसिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

cc–I

09/09/2022

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–54/1978/ 85 दिनांक :– 03-06-2022

श्रीमति मैना देवी पत्नि श्री गिरधारी लाल मेघवाल,
निवासी रणधीसर पहाड़ी,
तहसील–सुजानगढ़, जिला– चूरू।

विषय :– खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू क्षैत्र 2620वर्गमीटर के संबंध में ।

प्रसंग :– इस कार्यालय का पत्र दिनांक 06.08.2013, 11.11.2013, पत्रांक 3374 दिनांक 15.03.2017 व पत्रांक 3773 दिनांक 08.12.2017 ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि आपके पक्ष मे स्वीकृत खनन पटटे के संबंध मे निम्नलिखित संविदा की शर्तो का उल्लंधन एवं अन्य अनियमितताओ पायी गयी है :–

1–यह कि देय राशि रूपये 77,82,923/– आपके विरूद बकाया है और निश्चित तिथि पर भुगतान करने मे आप असफल रहे है । यह संविदा की धारा 4(3) (4) एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(2)(ii) का उल्लघंन है।

अवैध खनन पंचनामा निरीक्षण अवधि दिनांक 03.07.2000 से 07.07.2000	राशि	5,60,000/–
अवैध खनन पंचनामा अवधि दिनांक 31.10.2012	राशि	71,79,380/–
स्थिर भाटक अवधि दिनांक 01.04.2021 से 30.06.2022	राशि	43,543/–
	योग	77,82,923/–

आपको प्रासंगिक पत्र से बकाया राशि जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया था । जो आज दिनांक तक जमा नही हुई है। अतः इस पत्र के जरिये आपका अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है कि अब भी उपरोक्त राशि 7 दिवस मे जमा करवा दे। अन्यथा आपके खननपट्टे विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी। जिसमें आपका खननपट्टा खण्डित भी किया जा सकता है। सो सूचित रहे।

सोहन
03/06/2022
(सोहन लाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)
0/C

ML-54/1978

107

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांक:– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–54/1978/85 दिनांक :– 03-06-2022

श्रीमति मैना देवी पत्नि श्री गिरधारी लाल मेघवाल,
निवासी रणधीसर पहाड़ी,
तहसील–सुजानगढ़, जिला– चूरू।

विषय :– खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू क्षैत्र 2620वर्गमीटर के संबंध में ।

प्रसंग :– इस कार्यालय का पत्र दिनांक 06.08.2013, 11.11.2013, पत्रांक 3374 दिनांक 15.03.2017 व पत्रांक 3773 दिनांक 08.12.2017 ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि आपके पक्ष मे स्वीकृत खनन पटटे के संबंध मे निम्नलिखित संविदा की शर्तो का उल्लंधन एवं अन्य अनियमितताओ पायी गयी है :–

1–यह कि देय राशि रूपये 77,82,923/– आपके विरूद बकाया है और निश्चित तिथि पर भुगतान करने मे आप असफल रहे है । यह संविदा की धारा 4(3) (4) एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(2)(ii) का उल्लघंन है।

अवैध खनन पंचनामा निरीक्षण अवधि दिनांक 03.07.2000 से 07.07.2000	राशि	5,60,000/–
अवैध खनन पंचनामा अवधि दिनांक 31.10.2012	राशि	71,79,380/–
स्थिर भाटक अवधि दिनांक 01.04.2021 से 30.06.2022	राशि	43,543/–
	योग	77,82,923/–

आपको प्रासंगिक पत्र से बकाया राशि जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया था । जो आज दिनांक तक जमा नही हुई है। अतः इस पत्र के जरिये आपका अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है कि अब भी उपरोक्त राशि 7 दिवस मे जमा करवा दे। अन्यथा आपके खननपट्टे विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी। जिसमें आपका खननपट्टा खण्डित भी किया जा सकता है। सो सूचित रहे।

(सोहन लाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

मैना देवी

ML-54/1978

108

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर(राजस्थान)

Office of the Supdt. Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, C-64, Sadulganj, Bikaner (Rajasthan) Tel. no 0151-2226611
E-mail- sme.bikaner@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– अखअ/बीका/अप्र/चुरू/एम.एम.एल.–54/1978/. दिनांक :–

कार्यालय आदेश

श्री दीपाराम पुत्र श्री धन्नाराम मेघवाल के पक्ष में एक खननपट्टा खनिज स्टोन बैलांस्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू में कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 3085–90 दिनांक 22.07.1978 द्वारा संविदा पंजीयन से 10 वर्ष के लिए स्वीकृत हुआ। संविदा का पंजीयन दिनांक 29.08.1979 को हुआ। खननपट्टे की प्रथम नवीनीकरण एम.एल. 17/89 अवधि दिनांक 29.08.1989 से 28.08.1999 तक के लिए दिनांक 08.03.1989 को आवेदित किया गया। खननपटटे का द्वितीय नवीनीकरण एम.एल. 13/99 अवधि दिनांक 29.08.1999 से 28.08.2019 तक के लिए दिनांक 30.04.1999 को आवेदित किया गया। उक्त खननपट्टा ततसमय राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियम 17(2) के अन्तर्गत बढ़ी हुई अवधि में प्रभावशील रहा। पट्टाधारी की मृत्यु होने पर सहायक खनि अभियन्ता, चुरू के आदेश क्रमांक 2663 दिनांक 18.10.2016 से उक्त खननपट्टा श्रीमति मैना देवी पत्नि श्री गिरधारी लाल मेघवाल, निवासी– रणधीसर पहाड़ी, तहसील– सुजानगढ, जिला–चूरू के नाम से नामान्तरण स्वीकृत किया गया।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 9(2) के तहत खननपट्टे की अवधि दिनांक 28.08.2029 तक स्वतः ही बढ़ गई है। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 34,834/– है। सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने निम्न दोषो के निवारण हेतु 30/45 दिवसीय चेतना पत्र क्रमांक 85 दिनांक 03.06.2022 जारी किया। जो कि पटटाधारणी को दिनांक 03.06.2022 को ही तामिल हुआ।

1. **यह कि देय राशि रूपये 77,82,923/–आपके विरूद्व बकाया है और निश्चित तिथी पर भुगतान करने में आप असफल रहे हैं। यह संविदा की धारा की धारा 4(3)(4) एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(2)(II) का उल्लघंन है।**

पटटाधारी द्वारा उक्त चेतना पत्र की पालना निर्धारित समयावधि पश्चात भी नही करने के कारण एवं वर्तमान में पटटेधारणी के विरूद्व राशि मय ब्याज रूपये 77,91,632/–बकाया होने से सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने उक्त खनन पटटा खण्डित करने के प्रस्ताव इस कार्यालय को पठाये है। श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर ने उक्त खनन पटटा खण्डित करने का अनुमोदन अपने पत्र क्रमांक 2485 दिनांक 09.09.2022 से प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चुरू के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमो में प्रदत शक्तियो का उपयोग करते हुए उक्त खनन पटटा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरंत प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

भीम सिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

कमांकसम/ 1777 दिनांकः 9.9.2022

प्रतिलिपीः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर को उनके पत्र क्रमांक 2485 दिनांक 09.09.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चुरू।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरू को उनके पत्र क्रमांक 439 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में
4. उप वन संरक्षक, चुरू।
5. श्रीमति मैना देवी, निवासी रणधीसर पहाडी, तहसील सुजानगढ जिला चुरू द्वारा सहायक खनि अभियन्ता, चुरू

CC-I

09/09/2022

भीम सिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

ML-32/1988

109

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra,
Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–32/1988/ 86 दिनांक :– 03-06-2022

श्री निरंजन शर्मा, पुत्र स्व0 श्री भंवरलाल शर्मा,
निवासी नया बास, सुजानगढ़,
तहसील–सुजानगढ़, जिला– चूरू।

विषय :– खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू क्षैत्र 3500वर्गमीटर के संबंध में ।

प्रसंग :– इस कार्यालय का पत्र दिनांक 06.08.2013, 11.11.2013, पत्रांक 3375 दिनांक 15.03.2017 व पत्रांक 3772 दिनांक 08.12.2017 ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि आपके पक्ष मे स्वीकृत खनन पटटे के संबंध मे निम्नलिखित संविदा की शर्तो का उल्लंधन एवं अन्य अनियमितताओ पायी गयी है :–

1–यह कि देय राशि रूपये 1,53,48,873/– आपके विरूद बकाया है और निश्चित तिथि पर भुगतान करने मे आप असफल रहे है । यह संविदा की धारा 4(3) (4) एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(2)(ii) का उल्लघंन है।

अवैध खनन पंचनामा निरीक्षण अवधि दिनांक 03.07.2000 से 07.07.2000	राशि	34,30,000/–
अवैध खनन पंचनामा अवधि दिनांक 07.11.2012	राशि	1,18,27,537/–
स्थिर भाटक अवधि दिनांक 01.04.2021 से 30.06.2022	राशि	91,336/–
	योग	1,53,48,873/–

आपको प्रासंगिक पत्र से बकाया राशि जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया था । जो आज दिनांक तक जमा नही हुई है। अतः इस पत्र के जरिये आपका अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है कि अब भी उपरोक्त राशि 7 दिवस मे जमा करवा दे। अन्यथा आपके खननपट्टे विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी। जिसमें आपका खननपट्टा खण्डित भी किया जा सकता है। सो सूचित रहे।

03/06/2022
(सोहन लाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

ML-32/1988

110

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra,
Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–32/1988/ 86 दिनांक :– 03-06-2022

श्री निरंजन शर्मा, पुत्र स्व0 श्री भंवरलाल शर्मा,
निवासी नया बास, सुजानगढ़,
तहसील–सुजानगढ़, जिला– चूरू।

विषय :– खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू क्षैत्र 3500वर्गमीटर के संबंध में ।

प्रसंग :– इस कार्यालय का पत्र दिनांक 06.08.2013, 11.11.2013, पत्रांक 3375 दिनांक 15.03.2017 व पत्रांक 3772 दिनांक 08.12.2017 ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि आपके पक्ष मे स्वीकृत खनन पटटे के संबंध मे निम्नलिखित संविदा की शर्तो का उल्लंधन एवं अन्य अनियमितताओ पायी गयी है :–

1–यह कि देय राशि रूपये 1,53,48,873/– आपके विरूद बकाया है और निश्चित तिथि पर भुगतान करने मे आप असफल रहे है । यह संविदा की धारा 4(3) (4) एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(2)(ii) का उल्लघंन है।

अवैध खनन पंचनामा निरीक्षण अवधि दिनांक 03.07.2000 से 07.07.2000	राशि	34,30,000/–
अवैध खनन पंचनामा अवधि दिनांक 07.11.2012	राशि	1,18,27,537/–
स्थिर भाटक अवधि दिनांक 01.04.2021 से 30.06.2022	राशि	91,336/–
	योग	1,53,48,873/–

आपको प्रासंगिक पत्र से बकाया राशि जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया था । जो आज दिनांक तक जमा नही हुई है। अतः इस पत्र के जरिये आपका अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है कि अब भी उपरोक्त राशि 7 दिवस मे जमा करवा दे। अन्यथा आपके खननपट्टे विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी। जिसमें आपका खननपट्टा खण्डित भी किया जा सकता है। सो सूचित रहे।

(सोहन लाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

109684
12-6-22

ML-32/1988

111

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर(राजस्थान)

Office of the Supdt. Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, C-64, Sadulganj, Bikaner (Rajasthan) Tel. no 0151-2226611
E-mail- sme.bikaner@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– अखअ/बीका/अप्र/चुरू/एम.एम.एल.–32/1988/ . दिनांक :–

कार्यालय आदेश

श्री निरंजन लाल पुत्र श्री भंवरलाल शर्मा, निवासी– सुजानगढ, तहसील–सुजानगढ, जिला–चूरू के पक्ष में खननपट्टा का प्रथम नवीनीकरण अवधि दिनांक 06.03.1979 से 05.03.1989 एम.एल. 78/1978 खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू क्षैत्रफल 3500वर्गमीटर वार्षिक स्थिर भाटक 2725/– पर कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 20–23 दिनांक 24.01.1979 द्वारा स्वीकृत हुआ। खननपट्टे की द्वितीय नवीनीकरण एम.एल. 32/88 अवधि दिनांक 06.03.1989 से 05.03.1999 तक के लिए दिनांक 16.09.1988 को आवेदित किया गया। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 729 दिनांक 31.10.1988 द्वारा खननपट्टे का द्वितीय नवीनीकरण स्वीकृत किया गया।

खननपटटे का तृतीय नवीनीकरण एम.एल. 11/98 अवधि दिनांक 06.03.1999 से 05.03.2019 तक के लिए दिनांक 20.03.1998 को आवेदित किया गया। उक्त खननपट्टा ततसमय राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियम 17(2) के अन्तर्गत बढ़ी हुई अवधि में प्रभावशील रहा। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 9(3) के तहत खननपट्टे की अवधि दिनांक 31.03.2025 तक स्वतः ही बढ़ गई है। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 73,069/– है। सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने निम्न दोषो के निवारण हेतु 30/45 दिवसीय चेतना पत्र क्रमांक 86 दिनांक 03.06.2022 जारी किया। जो कि पटटाधारी को दिनांक 12.06.2022 को तामिल हुआ।

1. **यह कि देय राशि रूपये 1,53,48,873/–आपके विरूद्व बकाया है और निश्चित तिथी पर भुगतान करने में आप असफल रहे हैं। यह संविदा की धारा की धारा 4(3)(4) एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(2)(II) का उल्लघंन है।**

पटटाधारी द्वारा उक्त चेतना पत्र की पालना निर्धारित समयावधि पश्चात भी नही करने के कारण एवं वर्तमान में पटटेधारी के विरूद्व राशि मय ब्याज रूपये 1,53,67,140 /–बकाया होने से सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने उक्त खनन पटटा खण्डित करने के प्रस्ताव इस कार्यालय को पठाये है। श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर ने उक्त खनन पटटा खण्डित करने का अनुमोदन अपने पत्र क्रमांक 2475 दिनांक 09.09.2022 से प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चुरू के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमो में प्रदत शक्तियो का उपयोग करते हुए उक्त खनन पटटा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरंत प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

-Sd-
भीम सिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

क्रमांकसम/ 180 दिनांकः 9.9.2022

प्रतिलिपीः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर को उनके पत्र क्रमांक 2475 दिनांक 09.09.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चुरू।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरू को उनके पत्र क्रमांक 431 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में
4. उप वन संरक्षक, चुरू।
5. श्री निरंजन शर्मा पुत्र स्व. श्री भॅवरला शर्मा, निवासी नया बास, सुजानगढ, तहसील सुजानगढ जिला चुरू द्वारा सहायक खनि अभियन्ता, चुरू

CC-I
09/09/2022

भीम सिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

ML-86/1983

रजि ऐ.डी. 112

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

कमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–86/1983/84 दिनांक :– 03-06-2022

सर्वश्री जगदम्बा स्टोन केसिंग ईण्डस्ट्रीज,
निवासी रणधीसर पहाड़ी,
तहसील–सुजानगढ़, जिला– चूरू।

विषय :– खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू क्षैत्र 5000वर्गमीटर के संबंध में ।

प्रसंग :– इस कार्यालय का पत्र दिनांक 06.08.2013, 11.11.2013, पत्रांक 3377 दिनांक 15.03.2017 व पत्रांक 3771 दिनांक 08.12.2017 ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि आपके पक्ष मे स्वीकृत खनन पटटे के संबंध मे निम्नलिखित संविदा की शर्तो का उल्लंधन एवं अन्य अनियमितताओ पायी गयी है :–

1–यह कि देय राशि रूपये 2,12,37,187/– आपके विरूद बकाया है और निश्चित तिथि पर भुगतान करने मे आप असफल रहे है । यह संविदा की धारा 4(3) (4) एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(2)(ii) का उल्लघंन है।

स्थिर भाटक अवधि दिनांक 01.04.2021 से 30.06.2022	राशि	1,17,928/–
अवैध खनन पंचनामा निरीक्षण अवधि दिनांक 03.07.2000 से 07.07.2000	राशि	27,30,000/–
अवैध खनन पंचनामा अवधि दिनांक 06.11.2012	राशि	1,83,89,259/–
	योग	2,12,37,187/–

आपको प्रासंगिक पत्र से बकाया राशि जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया था । जो आज दिनांक तक जमा नही हुई है। अतः इस पत्र के जरिये आपका अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है कि अब भी उपरोक्त राशि 7 दिवस मे जमा करवा दे। अन्यथा आपके खननपट्टे विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी। जिसमें आपका खननपट्टा खण्डित भी किया जा सकता है। सो सूचित रहे।

सोहन 03/06/2022
(सोहन लाल गुर्जर)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

o/c

ML-86/1983

रजि ऐ.डी. 113

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

कमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–86/1983/84 दिनांक :– 03-06-2022

सर्वश्री जगदम्बा स्टोन क्रेसिंग ईण्डस्ट्रीज,
निवासी रणधीसर पहाड़ी,
तहसील–सुजानगढ़, जिला– चूरू।

विषय :– खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू क्षैत्र 5000वर्गमीटर के संबंध में ।

प्रसंग :– इस कार्यालय का पत्र दिनांक 06.08.2013, 11.11.2013, पत्रांक 3377 दिनांक 15.03.2017 व पत्रांक 3771 दिनांक 08.12.2017 ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि आपके पक्ष मे स्वीकृत खनन पटटे के संबंध मे निम्नलिखित संविदा की शर्तो का उल्लंधन एवं अन्य अनियमितताओ पायी गयी है :–

1–यह कि देय राशि रूपये 2,12,37,187/– आपके विरूद बकाया है और निश्चित तिथि पर भुगतान करने मे आप असफल रहे है । यह संविदा की धारा 4(3) (4) एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(2)(ii) का उल्लघंन है।

स्थिर भाटक अवधि दिनांक 01.04.2021 से 30.06.2022	राशि	1,17,928/–
अवैध खनन पंचनामा निरीक्षण अवधि दिनांक 03.07.2000 से 07.07.2000	राशि	27,30,000/–
अवैध खनन पंचनामा अवधि दिनांक 06.11.2012	राशि	1,83,89,259/–
	योग	2,12,37,187/–

आपको प्रासंगिक पत्र से बकाया राशि जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया था । जो आज दिनांक तक जमा नही हुई है। अतः इस पत्र के जरिये आपका अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है कि अब भी उपरोक्त राशि 7 दिवस मे जमा करवा दे। अन्यथा आपके खननपट्टे विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी। जिसमें आपका खननपट्टा खण्डित भी किया जा सकता है। सो सूचित रहे।

(सोहन लाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

2143

12-6-22

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर(राजस्थान)

Office of the Supdt. Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, C-64, Sadulganj, Bikaner (Rajasthan)
Tel. no 0151-2226611
E-mail- sme.bikaner@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– अखअ/बीका/अप्र/चुरू/एम.एम.एल.–86/1983/ दिनांक :–

कार्यालय आदेश

मैसर्स जोशी एण्ड जोशी प्रो0 श्री आर.के. जोशी बीकानेर के पक्ष में एक खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट, क्षैत्रफल 5000वर्गमीटर, निकट ग्राम रणधीसर पहाड़ी, तहसील सुजानगढ़ के पक्ष में सहायक सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक खअ/बीका/एम.एम.एल./35/74/687–691 दिनांक 15.03.1974 से संविदा पंजीयन की तिथि से पॉच वर्ष के लिए स्वीकृत किया गया। संविदा का पंजीयन दिनांक 03.06.1974 को हुआ। इस प्रकार उक्त खननपट्टे की अवधि दिनांक 03.06.1974 से 02.06.1979 तक के लिये थी।

खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 370 दिनांक 19.03.1980 द्वारा उक्त खननपट्टे का प्रथम नवीनीकरण एम.एल. 28/1979 अवधि दिनांक 02.06.1979 से 01.06.1984 तक के लिए स्वीकृत किया गया। खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 1022 दिनांक 08.06.1982 द्वारा उक्त खननपट्टा श्री मघाराम पुत्र श्री नत्थूराम पूनियॉ निवासी–पड़िहारा, तहसील–रतनगढ़ जिला चूरू के पक्ष में हस्तान्तरित किया गया। खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 326 दिनांक 04.02.1992 द्वारा उक्त खननपट्टे का द्वितीय नवीनीकरण एम.एल. 86/1983 अवधि दिनांक 02.06.1984 से 01.06.1994 तक के लिए स्वीकृत किया गया। खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 4510 दिनांक 09.12.1992 द्वारा उक्त खननपट्टा का हस्तानान्तरण सर्वश्री जगदम्बा स्टोन केसिंग इण्डस्ट्रीज के पक्ष में स्वीकृत किया गया।

पट्टाधारी ने खननपट्टा का तृतीय नवीनीकरण एम.एल. 23/1994 दिनांक 08.03.1994 को अवधि दिनांक 02.06.1994 से 01.06.2004 व चतुर्थ नवीनीकरण एम.एल. 25/2003 दिनांक 17.07.2003 को अवधि दिनांक 03.06.2004 से 02.06.2024 तक के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त खननपट्टा ततसमय राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियम 17(2) के अन्तर्गत बढ़ी हुई अवधि में प्रभावशील रहा। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 9(3) के तहत खननपट्टे की अवधि दिनांक 31.03.2025 तक स्वतः ही बढ़ गई है। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 94,342/– है। सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने निम्न दोषो के निवारण हेतु 30/45 दिवसीय चेतना पत्र क्रमांक 84 दिनांक 03.06.2022 जारी किया। जो कि पटटाधारी को दिनांक 12.06.2022 को तामिल हुआ।

1. **यह कि देय राशि रूपये 2,12,37,187/–आपके विरूद्व बकाया है और निश्चित तिथी पर भुगतान करने में आप असफल रहे हैं। यह संविदा की धारा की धारा 4(3)(4) एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(2)(II) का उल्लघंन है।**

पटटाधारी द्वारा उक्त चेतना पत्र की पालना निर्धारित समयावधि पश्चात भी नही करने के कारण एवं वर्तमान में पटटेधारी के विरूद्व राशि मय ब्याज रूपये 2,12,60,773/–बकाया होने से सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने उक्त खनन पटटा खण्डित करने के प्रस्ताव इस कार्यालय को पठाये है। श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर ने उक्त खनन पटटा खण्डित करने का अनुमोदन अपने पत्र क्रमांक 2487 दिनांक 09.09.2022 से प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चुरू के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमो में प्रदत शक्तियो का उपयोग करते हुए उक्त खनन पटटा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरंत प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

भीम सिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

कमांकसम/ 1795 दिनांकः 9.9.2022

प्रतिलिपीः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर को उनके पत्र कमांक 2487 दिनांक 09.09.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चुरू।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरू को उनके पत्र कमांक 437 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में
4. उप वन संरक्षक, चुरू।
5. सर्वश्री जगदम्बा स्टोन केसिंग इण्डस्ट्रीज, निवासी रणधीसर पहाडी, तहसील सुजानगढ जिला चुरू द्वारा सहायक खनि अभियन्ता, चुरू।

भीम सिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

cc -I

09/09/2022

GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

कमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल–86/1983/ 572 दिनांक :–12.09.2022

1. मांग शाखा 2. अवैध खनन शाखा 3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा
4. संगणक 5. मानचित्र शाखा

विषयः– खननपट्टा एम.एल. 86/1983 निकट ग्राम रणधीसर, तहसील–सुजानगढ, जिला–चूरू के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश कमांक 1795 दिनांक 09.09.2022 से उक्त खननपट्टा खण्डित किया जाकर खननपट्टा का कब्जा दि[redacted] 10.09.2022 को राज्य सरकार के पक्ष में लिया गया है।

12/09/2022

(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

Bandhisar kabja report

निरिक्षण रिपोर्ट

ML-161/1990

116

आज दिनांक 28/05/2022 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा खनन पट्टा संख्या 161/90 वाले पट्टाधारी मै. अम्बे मज्जन एण्ड मिनरल्स द्वारा क्षेत्रफल 0.280 हे. वाला खनिज मेकासरी ब्लेक (ब्लेक बैसाल्ट) निकट ग्राम रणजीतपुरा पहाड़ी तह चुनावगढ़ जिला चित्तौड़ का मौका निरिक्षण करने हेतु मौके पर पहुंचा गया। मौका निरिक्षण बिन्दु वार निम्न प्रकार है:

(i) कम्पनी निरिक्षण खनन पट्टा से संबन्धित सीमा चिन्ह खोदे हुये पाये गये।

(ii) कम्पनी निरिक्षण खनन पट्टा से संबन्धित सूचना बोर्ड लगा हुआ पाया गया।

(iii) खनन पट्टा के आस-पास पौधारोपण (आंशिक) किया हुआ पाया गया।

(iv) खनन पट्टे के बाहरी रास्ते की तरफ सुरक्षा हेतु तारबंदी की हुई पाई गई।

(v) खनन पट्टे में खनन कार्य चालू पाया गया किन्तु खनन मजदूरों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नहीं किया जाना पाया गया।

(vi) खनन पट्टे में खनन कार्य खान सुरक्षा निदेशालय द्वारा नियुक्त तकनिकी कर्मचारी / खान प्रबंधक की उपस्थिती में नहीं होता हुआ पाया गया।

(vii) खनन पट्टे में खनन कार्य अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार होता हुआ नहीं पाया गया।

मौके पर निरिक्षण रिपोर्ट तैयार कर हस्ताक्षर करवाये गये।

CC-I
Issue Notice to lessee
सॉफ्ट
30/05/2022

अ/-
28/5/22
MFII

Bijoy Nath
MFII

सोहन
28/05/2022
ASME Churu
Camp- Randhisar

ML-161/1990

117

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–161/1990/75 दिनांक :– 01-06-2022

सर्वश्री अम्बे माईन्स एण्ड मिनरल्स,
पता– खसरा नं.– 634/344,
निकट ग्राम रणधीसर
तहसील सुजानगढ जिला चूरू (राजस्थान) ।

विषयः– खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के संबंध मे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में स्वीकृत खननपट्टा क्षैत्र का दिनांक 28.05.2022 को कार्यालय फिल्ड स्टाफ द्वारा निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण आपके खननपट्टा पर निम्नानुसरा कमियॉ पाई गयीः–

1. खननकार्य के दौरान खनन मजदूरों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नही किया जाना पाया गया।
2. आपके खननपट्टे पर खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनिकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य नही किया जाना पाया गया।
3. आपके खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसर खननकार्य नही किया जाना पाया गया।

अतः आपको इस चेतना पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप का निवारण इस चेतना पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि मे कर सूचित करे। उपरोक्त पालना नही किये जाने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अवहेलना मानी जांकर आपके खननपट्टे विरूद्व निम्नलिखित कार्यवाही की जावेगी :–

1– आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अनुसार शास्ती आरोपित की जावेगी ।

या

2–आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 45 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अंतर्गत खननपटटे की प्रतिभूति राशि का हरण करते हुवे खनन पटटे को खण्डित करने की कार्यवाही की जावेगी।

सो सूचित रहे।

01/06/2022
(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
o/c चूरू(राजस्थान)

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

ML-161/1990

118

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–161/1990/75 दिनांक :– 01-06-2022

सर्वश्री अम्बे माईन्स एण्ड मिनरल्स,
पता– खसरा नं.– 634/344,
निकट ग्राम रणधीसर
तहसील सुजानगढ जिला चूरू (राजस्थान) ।

विषयः– खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के संबंध मे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में स्वीकृत खननपट्टा क्षैत्र का दिनांक 28.05.2022 को कार्यालय फिल्ड स्टाफ द्वारा निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण आपके खननपट्टा पर निम्नानुसरा कमियॉ पाई गयीः–

1. खननकार्य के दौरान खनन मजदूरों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नही किया जाना पाया गया।
2. आपके खननपट्टे पर खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनिकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य नही किया जाना पाया गया।
3. आपके खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसर खननकार्य नही किया जाना पाया गया।

अतः आपको इस चेतना पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप का निवारण इस चेतना पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि मे कर सूचित करे। उपरोक्त पालना नही किये जाने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अवहेलना मानी जांकर आपके खननपट्टे विरूद्व निम्नलिखित कार्यवाही की जावेगी :–

1– आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अनुसार शास्ती आरोपित की जावेगी ।

या

2–आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 45 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अंतर्गत खननपटटे की प्रतिभूति राशि का हरण करते हुवे खनन पटटे को खण्डित करने की कार्यवाही की जावेगी।

सो सूचित रहे।

(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

राकेश पारीक

राजस्थान सरकार ML-161/1990

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सी–64, सादुलगंज, बीकानेर वृत्त बीकानेर।

कमांकःअखअ/बीका/अप्र/चुरू/एम.एल. 161/1990/ दिनांकः .2022

119

कार्यालय आदेश

श्री सुरजाराम पुत्र श्री उमाराम निवासी–ग्राम डूंगरास अगुणा तहसील सुजानगढ जिला चूरू (राजस्थान) के पक्ष में एक खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर, तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में क्षैत्र 2800वर्गमीटर वार्षिक स्थिर भाटक 500/– प्रति वर्ष की दर से संविदा पंजीयन की तिथी से 10 वर्ष के लिए कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर के आदेश कमांकं खअ/बीके/एम.एम.एल./05/81/736 दिनांक 28.04.1981 द्वारा स्वीकृत होकर अवधि दिनांक 14.08.1981 से 13.08.1991 के लिए प्रभावी हुआ। खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश कमांक 711–719 दिनांक 28.07.1990 के द्वारा खननपट्टा का हस्तांतरण श्री झूमरमल खिलेरी पुत्र श्री अमराराम खिलेरी, निवासी– डुंगरास अगुणा, तहसील– सुजानगढ, जिला–चूरू (राजस्थान) के पक्ष में स्वीकृत हुआ। खननपट्टे का प्रथम नवीनीकरण एम.एल. 161/1990 अवधि दिनांक 14.08.1991 से 13.08.2001 तक के लिए कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर वृत, बीकानेर कार्यालय के आदेश कमांक 571 दिनांक 05.07.1991 के तहत स्वीकृत किया गया। खननपट्टे का द्वितीय नवीनीकरण एम.एल. 40/2000 अवधि दिनांक 14.08.2001 से 13.08.2021 तक के लिए दिनांक 11.08.2000 को खनि अभियन्ता, बीकानेर कार्यालय में आवेदित किया गया। उक्त खननपट्टा ततसमय राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियम 17(2) के अन्तर्गत बढ़ी हुई अवधि में प्रभावशील रहा। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 9(2) के तहत खननपट्टे की अवधि दिनांक 13.08.2031 तक स्वतः ही बढ़ गई है। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 68,600/– है।

इस कार्यालय के आदेश कमांक अखअ/बीका/ अप्र/एमएल–161/1990/2553 दिनांक 24.11.2021 द्वारा खननपट्टा का हस्तान्तरण सर्वश्री अम्बे माईन्स एण्ड मिनरल्स, पता– खसरा नं.– 634/344, निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू (राजस्थान) के पक्ष में स्वीकृत किया गया।

सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने निम्न दोषो के निवारण हेतु पटटाधारी को चेतना पत्र संख्या 75 दिनांक 01.06.2022 जारी किया गया। जो कि पटटेधारी को नियमानुसार तामिल हुआ।

1– खननकार्य के दौरान खनन मजदूरों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपकरणों का उपयोग नही किया जाना पाया गया।

2– खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनीकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य किया जाना नहीं पाया गया।

3– खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नहीं किया जाना पाया गया।

पटटाधारी द्वारा चेतना पत्र का प्रस्तुत जबाव दिनांक 29.06.2022 अनुसार चेतना पत्र की पूर्ण पालना नही हुई। चेतना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात भी पूर्ण पालना नहीं होने से सहायक खनि अभियन्ता, चूरू द्वारा खननपट्टे का क्षैत्रफल बहुत कम 2800वर्गमीटर होने व अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार बैंच बनाकर सुरक्षित तरीके से खननकार्य किया जाना संभव नहीं होने का उल्लेख करते हुए उक्त खनन पटटे को खण्डित करने के अनुमोदन का प्रस्ताव निदेशालय, उदयपुर को प्रेषित करते हुए प्रति इस कार्यालय को पृष्ठाकिंत की गयी। तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1687 दिनांक 07.09.2022 द्वारा निदेशालय को अनुशंषा की गयी। जिस पर निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर ने अपने पत्र कमांकः 825 दिनांक 08.09.2022 के द्वारा उक्त खनन पटटा खण्डित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चूरू के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमो में प्रदत शक्तियो का उपयोग करते हुए उक्त खनन पटटा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरन्त प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

-sd-
भीमसिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

कमांक/सम/ 1911 दिनांकः 9.9.2022

प्रतिलिपीः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान निदेशक, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को उनके पत्र कमांकः निदे/प. 2(एच–1)चूरू/2022/825 दिनांक 08.09.2022 के संदर्भ में।
2. श्रीमान जिला कलक्टर , चुरू।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरू को उनके पत्र कमांक 488 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में।
4. उप वन संरक्षक, चूरू।
5. सर्वश्री अम्बे माईन्स एण्ड मिनरल्स, पता– खसरा नं.– 634/344, निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू (राजस्थान) द्वारा सहायक खनि अभियन्ता, चुरू।
6. रक्षित पत्रावली

CC-I
09/09/2022

भीमसिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, चूरू

ML-59/1981

120

पंचनामा कमांक: 190

दिनांक 28/12/2021

मौका पंचनामा (अनाधिकृत खनन)

1- पंचनामा बनाने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पदनाम:- तौसिफ अहमद mfo अर्जुनराम mfo

2- पंचनामा बनाने की तिथी : 28/12/2021

3- पंचनामा बनाने का समय:

4- पंचनामा बनाये जाने वाले स्थान का पूर्ण विवरण(मय मौका नक्शा) खनन पट्टा संख्या 59/1981 निकट ग्राम रणधीसर पुराई वाला खनिज क्षेत्र देलाल पहाड़ी अर्जुनराम जाट के C-D पक्ष के समीप

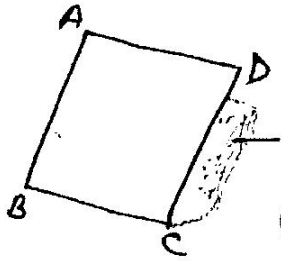
5- खनिज जिसका अवैध खनन पाया गया : मैग्नीशियम

6- नियम जिसके अंतर्गत पंचनामा बनाया गया : RMMCR-2017 के नियम 54 के अनुसार

7- अनाधिकृत खनन के लिए खोदे गये पिटों का विवरण:-

पिट क्र	लम्बाई	चौड़ाई	गहराई	अक्षांश/देशान्तर	खनिज का आयतन	आपेक्षिक घनत्व	रिकवरी %	अवैध खनन की मात्रा
1	43 (M)	5 (M)	6 (M)	(माईनिंग प्लान अनुसार)	1290 m^3	2.6	90%	3018.6 MT

(ML No. 59/1961)



अवैध खनन पिट

(कच्ची नक्शा)

Not To Scale

- पिट के फोटोग्राफ संलग्न करे एवं ऑनलाइन अपलोड करे।

8- अनाधिकृत खनन कर कुल निकाले गये खनिज की मात्रा:- 3018.6 (MT)

9- मौके पर जब्त किये गये खनिज की मात्रा:-

10- अनाधिकृत खनन कार्य करने वाले व्यक्तियों के नाम व पतें

क्र.सं.	नाम अनाधिकृत खननकर्ता	पूर्ण पता
1.	तिलोकाराम S/o किशनाराम जड़वाल	निवासी हरिनगर तह. खींवसर हाल रणधीसर पहाड़ी
2.		
3.		

11- अनाधिकृत खनन की कार्यावधि (खननकर्ताओं व उपस्थिति मोतबीरान के बतलाये अनुसार) तिलोकाराम

12- अवैध खनन को निर्गमित किये जाने वाले व्यक्तियों / इकाईयों का विवरण:-

रुपया 2112/-

28/12/2022

13- अनाधिकृत खनन कार्य में उपयोग में लिये गये औजार,मशीनरी आदि का विवरण

क्र.स.	नाम औजार/मशीनरी	संख्या
1.	वन्द निरसन मौके पर कोई मशीनरी औजार आदि	
2.	नहीं मिली।	
3.		
4.		
5.		

14- मौके पर जब्त किये गये खनिज/औजारों की सुपुर्दगी में लेने वाले व्यक्ति का विवरण नाम, पता व हस्ताक्षर

1— —

2— —

15- अन्य विवरण— मौके पर वन्द निरसन उक्त खनन पट्टे में पट्टाधारी के प्रतिनिधि तिलोकाराम गढ़वाल द्वारा किये जाने की जानकारी प्राप्त हुई।

16- अनाधिकृत खननकर्ताओं के हस्ताक्षर

क्र.स.	नाम अनाधिकृत खननकर्ता	हस्ताक्षर	विवरण
1.	तिलोकाराम S/o रामकिशनाराम		
2.	वि. अधिकारी तल रणजीतपुरा पहाड़ी	तिलोकाराम	
3.			
4.			

17- उपस्थित मोतबीरान के हस्ताक्षर

क्र.स.	नाम मोतबीरान	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.			
2.	—	—	
3.	—	—	—

पंचनामा बनाने वाले अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर

खनि अभियन्ता को प्रस्तुत करने की दिनांक :—

राजस्थान–सरकार
GOVT OF RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एंव भू–विज्ञान विभाग, चूरू (राज.)।

E-mail-ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः–सखअ/चूरू/अवैध/2022–23/108 दिनांकः– 01/06/2022

प्रेषितिः–

श्री अर्जनराम पुत्र श्री मोमनराम गढ़वाल,
निवासी वार्ड नं. 07, ढाणी रामदेवरा, कालेरो की ढाणी,
तहसील बीदासर जिला चूरू।

विषयः–खनन पट्टा एम.एल. 59/1981 नि.ग्रा. रणधीसर में स्वीकृत खनन क्षैत्र के बाहर अवैध खनन की शास्ती राशि जमा कराकर अवैध खनन प्रकरण कम्पाउण्ड कराने बाबत्।

प्रंसगः– इस कार्यालय का जारी नोटिस स.ख.अ/चूरू/अवैध/2021–22/161 दिनांक 10.01.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय द्वारा बनाये गये मौका पंचनामा दिनांक 28.12.2021 के अनुसार आप द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र एम.एल. 59/1981 नि.ग्रा. रणधीसर के बाहर 3019 टन खनिज मेसनरीस्टोन का अवैध खनन किया जाना पाया गया। जिसके संबंध में आपको प्रासंगिक पत्र से कारण बताओ नोटिस जारी कर आपका जवाब चाहा गया था, जो कि आज दिनांक तक प्राप्त नही हुआ है।

अतः आप द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर किये गये अवैध खनन की वर्तमान प्रचलित रॉयल्टी की दर 35/– प्रति टन की 10 गुणा राशि रू. 10,56,650/– की मांग कायम की जाकर आपको निर्देश दिये जाते है कि उपरोक्त वर्णित शास्ती राशि रूपये 10,56,650/– कार्यालय में उपस्थित होकर/ऑनलाईन माध्यम से 7 दिवस में जमा राजकोष में करवाकर अवैध खनन प्रकरण कम्पाउण्ड करावें, अन्यथा आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टे को खण्ड़ित करने की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। सो सूचित रहें।

01/06/2022
(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता
खान एंव भू विज्ञान विभाग
चूरू (राज.)।

क्रमांकः–सखअ/चूरू/अवैध/2022–23/109–111 दिनांकः–01/06/2022

प्रतिलिपि–

1. मांग शाखा कार्यालय हाजा को दी जाकर लेख है कि उपरोक्तानुसार मांग राशि को मांग संधारण रजिस्टर में दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही करें।
2. अधिशुल्क निर्धारण लिपिक कार्यालय हाजा को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. हल्का खनि कार्यदेशक को भेजकर लेख है कि पट्टाधारी द्वारा जब तक अवैध खनन की मांग राशि जमा नही हो जाती है, तब तक खनन पट्टे में खनन गतिविधियां स्थिगत रखने की कार्यवाही कर रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता को पेश करें।

01/06/2022
सहायक खनि अभियन्ता
खान एंव भू विज्ञान विभाग
चूरू (राज.)।

राजस्थान–सरकार
GOVT OF RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एंव भू–विज्ञान विभाग, चूरू (राज.)।

E-mail-ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः–सखअ/चूरू/अवैध/2022–23/108 दिनांकः– 02/06/2022

प्रेषितिः–

श्री अर्जुनराम पुत्र श्री मोमनराम गढ़वाल,
निवासी वार्ड नं. 07, ढाणी रामदेवरा, कालेरो की ढाणी,
तहसील बीदासर जिला चूरू।

विषयः–खनन पट्टा एम.एल. 59/1981 नि.ग्रा. रणधीसर में स्वीकृत खनन क्षेत्र के बाहर अवैध खनन की शास्ती राशि जमा कराकर अवैध खनन प्रकरण कम्पाउण्ड कराने बाबत्।

प्रंसगः– इस कार्यालय का जारी नोटिस स.ख.अ/चूरू/अवैध/2021–22/161 दिनांक 10.01.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय द्वारा बनाये गये मौका पंचनामा दिनांक 28.12.2021 के अनुसार आप द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र एम.एल. 59/1981 नि.ग्रा. रणधीसर के बाहर 3019 टन खनिज मेसनरीस्टोन का अवैध खनन किया जाना पाया गया। जिसके संबंध में आपको प्रासंगिक पत्र से कारण बताओ नोटिस जारी कर आपका जवाब चाहा गया था, जो कि आज दिनांक तक प्राप्त नही हुआ है।

अतः आप द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर किये गये अवैध खनन की वर्तमान प्रचलित रॉयल्टी की दर 35/– प्रति टन की 10 गुणा राशि रू. 10,56,650/– की मांग कायम की जाकर आपको निर्देश दिये जाते है कि उपरोक्त वर्णित शास्ती राशि रूपये 10,56,650/– कार्यालय में उपस्थित होकर/ऑनलाईन माध्यम से 7 दिवस में जमा राजकोष में करवाकर अवैध खनन प्रकरण कम्पाउण्ड करावें, अन्यथा आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टे को खण्ड़ित करने की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। सो सूचित रहें।

(सोहनलाल गुरू) 01/06/2022
सहायक खनि अभियन्ता
खान एंव भू विज्ञान विभाग
चूरू (राज.)।
दिनांकः– 02/06/2022

क्रमांकः–सखअ/चूरू/अवैध/2022–23/109–111

प्रतिलिपि–

1. मांग शाखा कार्यालय हाजा को दी जाकर लेख है कि उपरोक्तानुसार मांग राशि को मांग संधारण रजिस्टर में दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही करें।
2. अधिशुल्क निर्धारण लिपिक कार्यालय हाजा को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. हल्का खनि कार्यदेशक को भेजकर लेख है कि पट्टाधारी द्वारा जब तक अवैध खनन की मांग राशि जमा नही हो जाती है, तब तक खनन पट्टे में खनन गतिविधियां स्थिगत रखने की कार्यवाही कर रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता को पेश करें।

01/06/2022
सहायक खनि अभियन्ता
खान एंव भू विज्ञान विभाग
चूरू (राज.)।

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN
कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर(राजस्थान)
Office of the Supdt. Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, C-64, Sadulganj, Bikaner (Rajasthan)
Tel. no 0151-2226611
E-mail- sme.bikaner@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– अखअ/बीका/अप्र/चुरू/एम.एम.एल.–59/1981/ दिनांक :–

कार्यालय आदेश

श्री गणेश पुत्र श्री हरीराम माली, निवासी–रानी बाजार, बीकानेर के पक्ष में एक खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम– रणधीसर, तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू क्षैत्रफल 2500 वर्गमीटर वार्षिक स्थिर भाटक 4381/– पर खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक खअ/बीका/ एम.एल./59/81/1423 दिनांक 07.11.1981 द्वारा संविदा पंजीयन की तिथि से 10 वर्ष के लिए स्वीकृत हुआ। संविदा का पंजीयन दिनांक 09.07.1982 को हुआ। इस प्रकार खननपट्टा की अवधि दिनांक 09.07.1982 से 08.07.1992 तक के लिए प्रभाव में आया।

खननपट्टा का प्रथम नवीनीकरण एम.एल. 77/1992 दिनांक 01.02.1992 को अवधि दिनांक 09.07.1992 से 08.07.2002 तक के लिए आवेदित किया गया। खननपट्टे का द्वितीय नवीनीकरण एम.एल. 20/2001 दिनांक 29.05.2001 को अवधि दिनांक 09.07.2002 से 08.07.2022 तक के लिए आवेदित किया गया। उक्त खननपट्टा ततसमय राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियम 17(2) के अन्तर्गत बढ़ी हुई अवधि में प्रभावशील रहा।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 9(2) के तहत खननपट्टे की अवधि दिनांक 08.07.2032 तक स्वतः ही बढ़ गई है। कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक अखअ/बीका/ अप्र/चूरू/एम.एल./59/81/683 दिनांक 16.02.2018 द्वारा उक्त खननपट्टा सर्वश्री नन्दिनी स्टोन, रणधीसर, तहसील–सुजानगढ़, जिला–चूरू(राजस्थान) के पक्ष में हस्तानान्तरण स्वीकृत किया गया। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 49000/– है। कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक अखअ/बीका/ अप्र/चूरू/एम.एल./59/81/1273 दिनांक 27.02.2020 द्वारा उक्त खननपट्टा श्री अर्जुनराम पुत्र श्री मोहनराम जाट, निवासी– वार्ड नं. 7, ढाणी रामदेवरा, कालेरों की ढाणी, बीदासर, तहसील–बीदासर, जिला–चूरू (राजस्थान) के पक्ष में स्वीकृत किया गया।

सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने निम्न दोषो के निवारण हेतु 30/45 दिवसीय चेतना पत्र क्रमांक 108 दिनांक 01.06.2022 जारी किया।

1. **आपके के पक्ष में स्वीकृत खनन पटटे का मौका पंचनामा दिनांक 28.12.2021 के अनुसार आप द्वारा खनन पटटा क्षैत्र के बाहर 3019 टन खनिज मैसेनरी स्टोन का अवैध खनन किया जाना पाया गया। जिसकी मॉग नियमानुसार रू. 10,56,650/– कायम की गई।**

जिसकी पालना में पटटाधारी द्वारा राशि रूपये 1,96,650/– दिनांक 09.06.2022 को राजकोष में जमा करवाये गये, परन्तु पटटाधारी द्वारा उक्त चेतना पत्र की पूर्ण पालना निर्धारित समयावधि पश्चात भी नही करने के कारण एवं शेष राशि रूपये 8,60,000/–बकाया होने से सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने उक्त खनन पटटा खण्डित करने के प्रस्ताव इस कार्यालय को

पठाये है। श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर ने उक्त खनन पटटा खण्डित करने का अनुमोदन अपने पत्र कमांक 2473 दिनांक 09.09.2022 से प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चुरू के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमो में प्रदत शक्तियो का उपयोग करते हुए उक्त खनन पटटा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरंत प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

भीम सिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

कमांकसम/ 1843 दिनांकः 9.9.2022

प्रतिलिपीः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर को उनके पत्र कमांक 2473 दिनांक 09.09.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चुरू।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरू को उनके पत्र कमांक 475 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में
4. उप वन संरक्षक, चुरू।
5. श्री अर्जुन राम पुत्र श्री मोहनराम जाट निवासी वार्ड नम्बर 7, ढाणी रामदेवरा, कालेरो की ढाणी, बीदासर तहसील बीदासर जिला चुरूचुरू द्वारा सहायक खनि अभियन्ता, चुरू।

CC-I

भीम सिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235

E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

कमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल–59/1981/ 570 दिनांक :–12.09.2022

1. मांग शाखा 2. अवैध खनन शाखा 3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा
4. संगणक 5. मानचित्र शाखा

विषयः– खननपट्टा एम.एल. 59/1981 निकट ग्राम रणधीसर, तहसील–सुजानगढ, जिला–चूरू के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश कमांक 1843 दिनांक 09.09.2022 से उक्त खननपट्टा खण्डित किया जाकर खननपट्टा का कब्जा दिनांक 10.09.2022 को राज्य सरकार के पक्ष में लिया गया है।

12/09/2022
(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

निरीक्षण रिपोर्ट

ML-41/1978

126

आज दिनांक 27/05/2022 को अहोदस्ताक्षरकर्ता द्वारा खनन पट्टा संख्या 41/78 पट्टाधारी श्री मेघाराम जाट क्षेत्रफल 0.4000 है. वाले ग्रेनाइट खनन बेलाट निवासी ग्राम रलावास पहाड़ी- तह. सुजानगढ़ जिला चुरू का मौका निरीक्षण करने हेतु मौके पर पहुंचा गया। मौका निरीक्षण बिन्दु वार निम्नानुसार है:

(i) वक्त निरीक्षण खनन पट्टे की सम्बंधित समीपस्थम्भ पाये हुये पाये गये।

(ii) वक्त निरीक्षण खनन पट्टे की सम्बंधित सूचना बोर्ड लगा हुआ पाया गया।

(iii) वक्त निरीक्षण खनन पट्टे के आस-पास पर्याप्त पौधारोपण/वृक्षारोपण किया हुआ पाया गया

(iv) खनन पट्टे के पास गुजरने वाले रास्ते की तरफ सुरक्षा दिवार/तारबंदी की हुई पायी गई

(v) वक्त निरीक्षण खनन पट्टे में खनन कार्य चालू पाया गया किन्तु सुरक्षा उपकरणों का उपयोग खनन मजदूरों द्वारा किया जाना नहीं पाया गया।

खनन पट्टे में खनन कार्य खान सुरक्षा निदेशालय से नियुक्त तकनिकी कर्मचारी/खान प्रबंधक की उपस्थिति में नहीं किया जाना पाया गया

खनन पट्टे में खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना (माइनिंग प्लान) के अनुसार किया जाना नहीं पाया गया

cc → Issue Notice to Lessee
30/05/2022

P.T.O

मौके पर मिरचा रिपोर्ट का हस्तांतरण किये गये।

27/5/2022
MFII

Tessy
MFII

27/05/2022
AM E Churu
Camp-Randhisar

ML-41/1978

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

128

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–41/1978/67 दिनांक :– 01-06-2022

श्री मेघाराम पुत्र श्री रूपाराम,
निवासी–धातरी,
तहसील–सुजानगढ़, जिला–चूरू।

विषयः– खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के संबंध मे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में स्वीकृत खननपट्टा क्षैत्र का दिनांक 28.05.2022 को कार्यालय फिल्ड स्टाफ द्वारा निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण आपके खननपट्टा पर निम्नानुसरा कमियॉ पाई गयीः–

1. खननकार्य के दौरान खनन मजदूरों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नही किया जाना पाया गया।
2. आपके खननपट्टे पर खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनिकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य नही किया जाना पाया गया।
3. आपके खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसर खननकार्य नही किया जाना पाया गया।

अतः आपको इस चेतना पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप का निवारण इस चेतना पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि मे कर सूचित करे। उपरोक्त पालना नही किये जाने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अवहेलना मानी जांकर आपके खननपट्टे विरूद्व निम्नलिखित कार्यवाही की जावेगी :–

1– आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अनुसार शास्ती आरोपित की जावेगी ।

या

2–आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 45 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अंतर्गत खननपटटे की प्रतिभूति राशि का हरण करते हुवे खनन पटटे को खण्डित करने की कार्यवाही की जावेगी।

सो सूचित रहें।

01/06/2022
(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

ML-41/1978

129

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

कमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–41/1978/ 67 दिनांक :– 01-06-2022

श्री मेघाराम पुत्र श्री रूपाराम,
निवासी–धातरी,
तहसील–सुजानगढ़, जिला–चूरू।

विषयः– खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के संबंध मे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में स्वीकृत खननपट्टा क्षैत्र का दिनांक 28.05.2022 को कार्यालय फिल्ड स्टाफ द्वारा निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण आपके खननपट्टा पर निम्नानुसरा कमियॉ पाई गयीः–

1. खननकार्य के दौरान खनन मजदूरों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नही किया जाना पाया गया।
2. आपके खननपट्टे पर खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनिकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य नही किया जाना पाया गया।
3. आपके खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसर खननकार्य नही किया जाना पाया गया।

अतः आपको इस चेतना पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप का निवारण इस चेतना पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि मे कर सूचित करे। उपरोक्त पालना नही किये जाने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अवहेलना मानी जांकर आपके खननपट्टे विरूद्व निम्नलिखित कार्यवाही की जावेगी :–

1– आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अनुसार शास्ती आरोपित की जावेगी ।

या

2–आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 45 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अंतर्गत खननपटटे की प्रतिभूति राशि का हरण करते हुवे खनन पटटे को खण्डित करने की कार्यवाही की जावेगी।

सो सूचित रहे।

(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

10-6-2022

ML-41/1978

130

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सी–64, सादुलगंज, बीकानेर वृत्त बीकानेर।

क्रमांकःअखअ/बीका/अप्र/चुरू/एम.एल. 41/1978/ दिनांकः .2022

कार्यालय आदेश

सर्वश्री गंगानगर कन्स. कम्पनी, 7 सी ब्लॉक, श्रीगंगागनर के पक्ष खनन पट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट क्षैत्रफल 4000वर्गमीटर निकटग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू का प्रथम नवीनीकरण एम.एल. 41/1978 सहायक खनि अभियन्ता, श्रीगंगानगर कार्यालय के आदेश क्रमांक सखअ/श्रीगंगा/एम.एम.एल. –41/78/2464 दिनांक 28.10.1978 द्वारा अवधि दिनांक 27.01.1979 से 26.01.1989 के लिए स्वीकृत हुआ । खननपट्टा का द्वितीय नवीनीकरण दिनांक 27.01.1989 से 26.01.1999 हेतु दिनांक 26.07.1988 को आवेदन पत्र एम.एल. 28/88 प्रस्तुत किया गया। पट्टाधारी ने खननपट्टा का तृतीय नवीनीकरण 27.01.1999 से 26.01.2019 हेतु दिनांक 10.05.1999 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त खननपट्टा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 के नियम 17(2) के तहत प्रभावशील रहा है। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 9(3) के तहत खननपट्टे की अवधि 31.03.2025 तक स्वतः ही बढी हुई मानी गयी। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 49,000/– है। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक अखअ/बीका/अप्र/ चूरू/एम. एल./41/78/257 दिनांक 15.01.2019 द्वारा खननपट्टा का हस्तांतरण श्री मेघाराम पुत्र श्री रूपाराम जाट, निवासी–धातरी, तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू(राजस्थान) के पक्ष में स्वीकृत किया गया।

सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने निम्न दोषो के निवारण हेतु पटटाधारी को चेतना पत्र संख्या 67 दिनांक 01.06.2022 जारी किया गया। जो कि पटटेधारी को नियमानुसार तामिल हुआ।

1– खननकार्य के दौरान खनन मजदूरों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नहीं किया जाना पाया गया।

2–खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनीकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिती में खननकार्य किया जाना नहीं पाया गया।

3– खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नहीं किया जाना पाया गया।

पटटाधारी द्वारा चेतना पत्र का प्रस्तुत जबाव दिनांक 14.06.2022 अनुसार चेतना पत्र की पूर्ण पालना नही हुई। चेतना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात भी पूर्ण पालना नहीं होने से सहायक खनि अभियन्ता, चूरू द्वारा खननपट्टे का क्षैत्रफल बहुत कम 4000वर्गमीटर होने व अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार बैंच बनाकर सुरक्षित तरीके से खननकार्य किया जाना संभव नहीं होने का उल्लेख करते हुए उक्त खनन पटटे को खण्डित करने के अनुमोदन का प्रस्ताव निदेशालय, उदयपुर को प्रेषित करते हुए प्रति इस कार्यालय को पृष्ठाकिंत की गयी। तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1687 दिनांक 07.09.2022 द्वारा निदेशालय को अनुशंषा की गयी। जिस पर निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर ने अपने पत्र क्रमांकः 825 दिनांक 08.09.2022 के द्वारा उक्त खनन पटटा खण्डित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चूरू के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमो में प्रदत शक्तियो का उपयोग करते हुए उक्त खनन पटटा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरन्त प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

–sd–
भीमसिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

क्रमांक/सम/ 1883 दिनांकः 9.9.2022

प्रतिलिपीः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान निदेशक, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को उनके पत्र क्रमांकः निदे/प.2(एच–1)चूरू/2022/825 दिनांक 08.09.2022 के संदर्भ में।
2. श्रीमान जिला कलक्टर , चुरू।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरू को उनके पत्र क्रमांक 424 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में।
4. उप वन संरक्षक, चुरू।
5. श्री मेघाराम पुत्र श्री रूपाराम जाट, निवासी–धातरी, तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू(राजस्थान) द्वारा सहायक खनि अभियन्ता, चुरू।
6. रक्षित पत्रावली

भीमसिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

CC-I
09/09/2022

निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनांक - 27/05/2022 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा खनन क्षेत्र रणधीसर पहाड़ी तहसील - सुजानगढ़ जिला - चूरू में घृत खनन पट्टा संख्या - 16/99 पट्टाधारी श्री खींवाराम के पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र - 0.6000 हैक्टर वाले खनिज - चेजा पत्थर (~~वाले~~ स्टोन बैलास्ट) का मौका निरीक्षण किया गया, जिसका विवरण इस प्रकार है -

1. वक्त निरीक्षण खनन पट्टा क्षेत्र पर खनन पट्टा से संबंधित सूचना का बोर्ड स्थापित मिला।
2. वक्त निरीक्षण खनन पट्टा की सीमा स्तम्भ लगे हुए पाए गये।
3. वक्त निरीक्षण खनन पट्टा में खनन कार्य चालू मिला।
4. वक्त निरीक्षण पट्टेदारी द्वारा आंशिक वृक्षारोपण किया जाना पाया गया।
5. वक्त निरीक्षण खनन की दो सीमा पर पत्थर की सुरक्षा दीवार व दो तरफ किया जाना पाया गया।
6. मौके पर खनन पट्टा में खनन कार्य खान प्रबंधक/ तकनीकी कर्मचारी की उपस्थिति में किया जाना नहीं पाया गया।
7. वक्त निरीक्षण खनन कार्य अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार किया जाना नहीं पाया गया।

निरीक्षण रिपोर्ट मौके पर तैयार कर हस्ताक्षर किये गये।

CC-I
Issue Notice to Lessee
सोह
30/05/2022

27/5/22
MF II

Today
MF

सोहल
27/05/2022
AME Church
Camp-Randhisar

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

ML-16/1999

132

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–16/1999/ 66 दिनांक :– 01-06-2022

श्री खीया राम पुत्र श्री सुरजाराम,
निवासी–वार्ड नं. 07, ढाणी पोटलियान,
कलेंरो की ढाणी, बीदासर,
तहसील– बीदासर, जिला–चूरू(राजस्थान)।

विषयः– खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के संबंध मे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में स्वीकृत खननपट्टा क्षैत्र का दिनांक 28.05.2022 को कार्यालय फिल्ड स्टाफ द्वारा निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण आपके खननपट्टा पर निम्नानुसरा कमियॉ पाई गयीः–

1. आपके खननपट्टे पर खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनिकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य नही किया जाना पाया गया।
2. आपके खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसर खननकार्य नही किया जाना पाया गया।

अतः आपको इस चेतना पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप का निवारण इस चेतना पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि मे कर सूचित करे। उपरोक्त पालना नही किये जाने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अवहेलना मानी जांकर आपके खननपट्टे विरूद्व निम्नलिखित कार्यवाही की जावेगी :–

1– आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अनुसार शास्ती आरोपित की जावेगी ।

या

2–आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 45 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अंतर्गत खननपटटे की प्रतिभूति राशि का हरण करते हुवे खनन पटटे को खण्डित करने की कार्यवाही की जावेगी।

सो सूचित रहे।

01/06/2022
(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

ML-16/1999

133

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–16/1999/ 66 दिनांक :– 01-06-2022

श्री खीया राम पुत्र श्री सुरजाराम,
निवासी–वार्ड नं. 07, ढाणी पोटलियान,
कलेंरो की ढाणी, बीदासर,
तहसील– बीदासर, जिला–चूरू(राजस्थान)।

विषयः– खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के संबंध मे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में स्वीकृत खननपट्टा क्षैत्र का दिनांक 27.05.2022 को कार्यालय फिल्ड स्टाफ द्वारा निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण आपके खननपट्टा पर निम्नानुसरा कमियॉ पाई गयीः–

1. आपके खननपट्टे पर खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनिकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य नही किया जाना पाया गया।
2. आपके खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसर खननकार्य नही किया जाना पाया गया।

अतः आपको इस चेतना पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप का निवारण इस चेतना पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि मे कर सूचित करे। उपरोक्त पालना नही किये जाने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अवहेलना मानी जांकर आपके खननपट्टे विरूद्व निम्नलिखित कार्यवाही की जावेगी :–

1– आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अनुसार शास्ती आरोपित की जावेगी ।

या

2–आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 45 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अंतर्गत खननपटटे की प्रतिभूति राशि का हरण करते हुवे खनन पटटे को खण्डित करने की कार्यवाही की जावेगी।

सो सूचित रहे।

(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

राजस्थान सरकार ML-16/1999

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सी–64, सादुलगंज, बीकानेर वृत्त बीकानेर।

134

क्रमांकःअखअ/बीका/अप्र/चुरू/एम.एल. 16/1999/ दिनांकः .2022

कार्यालय आदेश

सर्वश्री पड़िहारा स्टोन क्रसिंग कम्पनी, 7–सी, ब्लॉक, श्री गंगानगर के पक्ष में खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू में क्षैत्रफल 6000वर्गमीटर का प्रथम नवीनीकरण एम. एल. 43/1978 अवधि दिनांक 13.03.1979 से 12.03.1989 के लिए सहायक खनि अभियन्ता, श्रीगंगानगर के कार्यालय आदेश क्रमांकःसखअ/श्रीगंगा/एमएमएल/43/1978/2440 दिनांकः 28.10.1978 द्वारा स्वीकृत किया गया। खनि अभियन्ता, बीकानेर कार्यालय के आदेश कमांक खअ/बीका/अप्र/302 दिनांक 03.03.2008 से खननपट्टे का द्वितीय नवीनीकरण एम.एल. 31/1988 अवधि दिनांक 13.03.1989 से 12.03.1999 व तृतीय नवीनीकरण एम.एल. 16/1999 अवधि दिनांक 13.03.1999 से 12.03.2019 तक के लिये स्वीकृत किया गया। खनि अभियन्ता, बीकानेर कार्यालय के आदेश कमांक खअ/बीका/अप्र/नवीनी एमएमएल /16/99/589 दिनांक 21.08.2016 द्वारा उक्त खननपट्टा श्री ओमप्रकाश किल्का पुत्र श्री भंवरलाल किल्का, निवासी–आबसर, तहसील–सुजानगढ़, जिला–चूरू के पक्ष मे हस्तानान्तरण स्वीकृत किया गया। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 9(3) के तहत खननपट्टे की अवधि 31.03.2025 तक स्वतः ही बढी हुई मानी गयी। इस कार्यालय के आदेश कमांक/अखअ/बीका/अप्र/एमएल–16/1999/3245 दिनांक 08.09.2017 द्वारा खननपट्टा का हस्तान्तरण सर्वश्री दुर्गा स्टोन, गॉव–रणधीसर, तहसील –सुजानगढ़, जिला–चूरू के पक्ष मे हस्तानान्तरण स्वीकृत किया गया। इस कार्यालय के आदेश कमांक/अखअ/बीका/अप्र/एमएल–16/1999/1092 दिनांक 19.02.2020 द्वारा खननपट्टा का हस्तान्तरण श्री खीया राम पुत्र श्री सुरजा, जाति–जाट, निवासी–वार्ड नं. 07, ढाणी पोटलियान, कलेंरो की ढाणी, बीदासर, तहसील–बीदासर, जिला–चूरू(राजस्थान) के पक्ष मे हस्तानान्तरण स्वीकृत किया गया। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 65,881/– है।

सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने निम्न दोषो के निवारण हेतु पटटाधारी को चेतना पत्र संख्या 66 दिनांक 01.06.2022 जारी किया गया। जो कि पटटेधारी को नियमानुसार तामिल हुआ।

1–खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनीकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिती में खननकार्य किया जाना नहीं पाया गया।

2– खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नहीं किया जाना पाया गया।

पटटाधारी द्वारा चेतना पत्र का प्रस्तुत जबाव दिनांक 16.06.2022 अनुसार चेतना पत्र की पूर्ण पालना नही हुई। चेतना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात भी पूर्ण पालना नहीं होने से सहायक खनि अभियन्ता, चूरू द्वारा खननपट्टे का क्षैत्रफल बहुत कम 6000वर्गमीटर होने व अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार बैंच बनाकर सुरक्षित तरीके से खननकार्य किया जाना संभव नहीं होने का उल्लेख करते हुए उक्त खनन पटटे को खण्डित करने के अनुमोदन का प्रस्ताव निदेशालय, उदयपुर को प्रेषित करते हुए प्रति इस कार्यालय को पृष्ठाकिंत की गयी। तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1687 दिनांक 07.09.2022 द्वारा निदेशालय को अनुशंषा की गयी। जिस पर निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर ने अपने पत्र कमांकः 825 दिनांक 08. 09.2022 के द्वारा उक्त खनन पटटा खण्डित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चूरू के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमो में प्रदत शक्तियो का उपयोग करते हुए उक्त खनन पटटा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरन्त प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

-sd-
भीमसिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

क्रमांक/सम/ 1905 दिनांकः 9.9.2022

प्रतिलिपीः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान निदेशक, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को उनके पत्र कमांकः निदे/प.2(एच–1)चूरू/2022/825 दिनांक 08.09.2022 के संदर्भ में।
2. श्रीमान जिला कलक्टर , चुरू।
3. उप वन संरक्षक, चूरू ।
4. सहायक खनि अभियन्ता, चुरू को उनके पत्र कमांक 464 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में।
5. श्री खीया राम पुत्र श्री सुरजा, जाति–जाट, निवासी–वार्ड नं. 07, ढाणी पोटलियान, कलेंरो की ढाणी, बीदासर, तहसील–बीदासर, जिला–चूरू(राजस्थान)
6. रक्षित पत्रावली

भीमसिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

CC-I

09/09/2022

राजस्थान सरकार

ML-22/2003

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग , चूरू

135

पंचनामा कमांक: 196 दिनांक 08/02/2022

मौका पंचनामा (अनाधिकृत खनन)

1- पंचनामा बनाने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पदनाम:- तौसिफ अहमद MFII, अर्जुन राम MFII

2- पंचनामा बनाने की तिथी : 8/02/2022

3- पंचनामा बनाने का समय:

4- पंचनामा बनाये जाने वाले स्थान का पूर्ण विवरण(मय मौका नक्शा) खनन पट्टा संख्या 22/2003 वाली खनिज मोरारी क्ले निटवाड़ रतनगढ़ तह. सुजानगढ़ जुं. में A-B लाइन पर

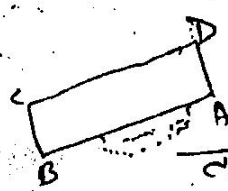
5- खनिज जिसका अवैध खनन पाया गया : मोरारी क्ले

6- नियम जिसके अंर्तगत पंचनामा बनाया गया : RMMCR-2017 के नियम 54 के अनुसार

7- अनाधिकृत खनन के लिए खोदे गये पिटों का विवरण:-

पिट क्र	लम्बाई	चौडाई	गहराई	अक्षांश/देशान्तर	खनिज का आयतन	आपेक्षिक घनत्व	रिकवरी %	अवैध खनन की मात्रा
1.	43	6	7		1806	2.6	95%	4460.82 To say 4461 MT (लगभग)

जरी नक्शा
NOT TO Scale



ताजा अवैध खनित पिट

- पिट के फोटोग्राफ संलग्न करे एवं ऑनलाईन अपलोड करे।

8- अनाधिकृत खनन कर कुल निकाले गये खनिज की मात्रा:- 4461 MT

9- मौके पर जब्त किये गये खनिज की मात्रा:- NIL

10- अनाधिकृत खनन कार्य करने वाले व्यक्तियों के नाम व पतें

क्र.सं.	नाम अनाधिकृत खननकर्ता	पूर्ण पता
1.	भुवेश राजपुरोहित S/O शिवदान सिंह राजपुरोहित	निटवाड़ रतनगढ़ तह. सुजानगढ़ जुं.
2.		
3.		

हस्ताक्षर उपरोक्त
राजपुरोहित

11- अनाधिकृत खनन की कार्यावधि

(खननकर्ताओं व उपस्थिति मोतबीरान के बतलाये अनुसार)

12- अवैध खनन को निर्गमित किये जाने वाले व्यक्तियों / इकाईयों का विवरण:-

ML.No. 22/2003
प्रताप सिंह राजपुरोहित S/o भंवर सिंह राजपुरोहित
मकान नं. 536/319

Scanned with CamScanner

अनाधिकृत खनन कार्य में उपयोग में लिये गये औजार,मशीनरी आदि का विवरण

क्र.स.	नाम औजार/मशीनरी	संख्या
1.	मौके पर वर्तमान में कोई औजार/मशीनरी नहीं मिली।	
2.		
3.		
4.		
5.		

14- मौके पर जब्त किये गये खनिज/औजारों की सुपुर्दगी में लेने वाले व्यक्ति का विवरण नाम, पता व हस्ताक्षर

1—————— 2——————

15- अन्य विवरण मौके पर वर्तमान में अनु खनन कार्य पूर्णिमा सुरेश राजपुरोहित एवं रघुवीर राजपुरोहित द्वारा करने की जानकारी मिली।

16- अनाधिकृत खननकर्ताओं के हस्ताक्षर

क्र.स.	नाम अनाधिकृत खननकर्ता	हस्ताक्षर	विवरण
1.	सुरेश राजपुरोहित S/O गौरी		निवासी गृहा रणवाड़िया
2.	रघुवीर राजपुरोहित		तह. कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द
3.			
4.			

17- उपस्थित मोतबीरान के हस्ताक्षर

क्र.स.	नाम मोतबीरान	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	—	—	—
2.	—	—	—
3.			

पंचनामा बनाने वाले
अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर

खनि अभियन्ता को प्रस्तुत करने की दिनांक :— 08/2/2022
MF-II

राजस्थान–सरकार
GOVT OF RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एंव भू–विज्ञान विभाग, चूरू (राज.)।

E-mail-ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः–सखअ/चूरू/अवैध/2022–23/128 दिनांकः– 01/06/2022

प्रेषितिः–

श्री प्रताप सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री शंकर सिंह राजपुरोहित,
निवासी रणधीसर पहाड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू।
पिन 331505।

विषयः–खनन पट्टा एम.एल. 22/2003 नि.ग्रा. रणधीसर में स्वीकृत खनन क्षैत्र के बाहर अवैध की शास्ती राशि जमा कराकर अवैध खनन प्रकरण कम्पाउण्ड कराने बाबत्।

प्रंसगः– इस कार्यालय का जारी नोटिस स.ख.अ/चूरू/अवैध/2021–22/227 दिनांक 15.03.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय द्वारा बनाये गये मौका पंचनामा दिनांक 08.02.2022 के अनुसार आप द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र एम.एल. 22/2003 नि.ग्रा. रणधीसर के बाहर 4461 टन खनिज मेसनरीस्टोन का अवैध खनन किया जाना पाया गया। जिसके संबंध में आपको प्रासंगिक पत्र से कारण बताओ नोटिस जारी कर आपका जवाब चाहा गया था, जो कि आज दिनांक तक प्राप्त नही हुआ है।

अतः आप द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर किये गये अवैध खनन की वर्तमान प्रचलित रॉयल्टी की दर रूपये 35/– प्रति टन से 10 गुणा राशि रू. 15,61,350/– की मांग कायम की जाकर आपको निर्देश दिये जाते है कि उपरोक्त वर्णित शास्ती राशि रूपये 15,61,350/– कार्यालय में उपस्थित होकर/ऑनलाईन माध्यम से 7 दिवस में राजकोष में जमा करवाकर अवैध खनन प्रकरण कम्पाउण्ड करावें, अन्यथा आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टे को नियमानुसार खण्ड़ित करने की कार्यवाही की जावेगी। सो सूचित रहें।

01/06/2022
(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता
खान एंव भू विज्ञान विभाग
चूरू (राज.)।

9c

क्रमांकः–सखअ/चूरू/अवैध/2022–23/129-130 दिनांकः– 01/06/2022

प्रतिलिपि–

1. मांग शाखा कार्यालय हाजा को दी जाकर लेख है कि उपरोक्तानुसार मांग राशि को मांग संधारण रजिस्टर में दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही करें।
2. अधिशुल्क निर्धारण लिपिक कार्यालय हाजा को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. हल्का खनि कार्यदेशक को भेजकर लेख है कि पट्टाधारी द्वारा जब तक अवैध खनन की मांग राशि जमा नही हो जाती है, तब तक खनन पट्टे में खनन गतिविधियां स्थिगत रखने की कार्यवाही कर रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता को पेश करें।

01/06/2022
सहायक खनि अभियन्ता
खान एंव भू विज्ञान विभाग
चूरू (राज.)।

9c

राजस्थान–सरकार
GOVT OF RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एंव भू–विज्ञान विभाग, चूरू (राज.)।

E-mail-ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः–सखअ/चूरू/अवैध/2022–23/128 दिनांकः– 01/06/2022

प्रेषितिः–

श्री प्रताप सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री शंकर सिंह राजपुरोहित,
निवासी रणधीसर पहाड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू।
पिन 331505।

विषयः–खनन पट्टा एम.एल. 22/2003 नि.ग्रा. रणधीसर में स्वीकृत खनन क्षैत्र के बाहर अवैध की शास्ती राशि जमा कराकर अवैध खनन प्रकरण कम्पाउण्ड कराने बाबत्।

प्रंसगः– इस कार्यालय का जारी नोटिस स.ख.अ/चूरू/अवैध/2021–22/227 दिनांक 15.03.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय द्वारा बनाये गये मौका पंचनामा दिनांक 08.02.2022 के अनुसार आप द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र एम.एल. 22/2003 नि.ग्रा. रणधीसर के बाहर 4461 टन खनिज मेसनरीस्टोन का अवैध खनन किया जाना पाया गया। जिसके संबंध में आपको प्रासंगिक पत्र से कारण बताओ नोटिस जारी कर आपका जवाब चाहा गया था, जो कि आज दिनांक तक प्राप्त नही हुआ है।

अतः आप द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर किये गये अवैध खनन की वर्तमान प्रचलित रॉयल्टी की दर रूपये 35/– प्रति टन से 10 गुणा राशि रू. 15,61,350/– की मांग कायम की जाकर आपको निर्देश दिये जाते है कि उपरोक्त वर्णित शास्ती राशि रूपये 15,61,350/– कार्यालय में उपस्थित होकर/ऑनलाईन माध्यम से 7 दिवस में राजकोष में जमा करवाकर अवैध खनन प्रकरण कम्पाउण्ड करावें, अन्यथा आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टे को नियमानुसार खण्ड़ित करने की कार्यवाही की जावेगी। सो सूचित रहें।

01/06/2022
(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता
खान एंव भू विज्ञान विभाग
चूरू (राज.)।

क्रमांकः–सखअ/चूरू/अवैध/2022–23/129-130 दिनांकः– 01/06/2022

प्रतिलिपि–

1. मांग शाखा कार्यालय हाजा को दी जाकर लेख है कि उपरोक्तानुसार मांग राशि को मांग संधारण रजिस्टर में दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही करें।
2. अधिशुल्क निर्धारण लिपिक कार्यालय हाजा को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. हल्का खनि कार्यदेशक को भेजकर लेख है कि पट्टाधारी द्वारा जब तक अवैध खनन की मांग राशि जमा नही हो जाती है, तब तक खनन पट्टे में खनन गतिविधियां स्थिगत रखने की कार्यवाही कर रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता को पेश करें।

01/06/2022
सहायक खनि अभियन्ता
खान एंव भू विज्ञान विभाग
चूरू (राज.)।

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN
कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर(राजस्थान)
Office of the Supdt. Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, C-64, Sadulganj, Bikaner (Rajasthan)
Tel. no 0151-2226611
E-mail- sme.bikaner@rajasthan.gov.in

139

कमांकः– अखअ/बीका/अप्र/चुरू/एम.एम.एल.–22/2003/ दिनांक :–

कार्यालय आदेश

सर्वश्री सेडूराम ओमप्रकाश प्रोपराईटर श्री सेडूराम, निवासी–रणधीसर, तहसील–सुजानगढ, जिला–चूरू(राजस्थान) के पक्ष में सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर के आदेश कमांक सखअ/बीके/एम.एल/38/ 73/615/1545 दिनांक 24.08.1977 से खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट, क्षैत्र 2500वर्गमीटर निकट ग्राम रणधीसर, तहसील –सुजानगढ़, जिला– चूरू के पक्ष में अवधि दिनांक 31.10.1973 से 30.10.1978 तक के लिए स्वीकृत किया गया। खननपट्टे का हस्तानान्तरण श्री शंकर सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, रणधीसर पहाड़ी, तहसील–सुजानगढ़, जिला–चूरू के पक्ष में सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, श्रीगंगानगर के आदेश कमांक 1753 दिनांक 30.08.1978 द्वारा स्वीकृत किया गया। खननपट्टे का प्रथम नवीनीकरण एम.एल. 19/78 अवधि दिनांक 31.10.1978 से 30.10.1983 तक के लिए सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, श्रीगंगानगर के आदेश कमांक सखअ/श्रीगंगा/एम.एल/19/78/1674 दिनांक 31.07.1978 द्वारा स्वीकृत किया गया। खननपट्टे का द्वितीय नवीनीकरण एम.एल. 33/83 अवधि दिनांक 31.10.1983 से 30.10.1993 तक के लिए खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर के आदेश कमांक सखअ/श्रीगंगा/एम.एल/33/33/904 दिनांक 06.11.1990 द्वारा स्वीकृत किया गया। खननपट्टे का तृतीय नवीनीकरण एम.एल. 34/93 अवधि दिनांक 31.10.1993 से 30.10.2003 तक के लिए तथा चतुर्थ नवीनीकरण एम.एल. 22/03 अवधि दिनांक 31.10.2003 से 30.10.2023 तक के लिए अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर के आदेश कमांक अखअ/बीका/अप्र/एम.एल/34/93 एवं 22/03/3705 दिनांक 31.12.2004 द्वारा स्वीकृत किया गया। खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर के आदेश कमांक खअ/बीका/अप्र /एमएमएल/22/2003/2114 दिनांक 22.11.2010 द्वारा खननपट्टा श्री प्रतापसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री शंकर सिंह राजपुरोहित, निवासी–रणधीसर, तहसील–सुजानगढ़, जिला– चूरू के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत किया गया।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 9(3) के तहत खननपट्टे की अवधि दिनांक 31.03.2025 तक स्वतः ही बढ़ गई है। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 1,05,000/– है। सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने निम्न दोषो के निवारण हेतु 30/45 दिवसीय चेतना पत्र कमांक 128 दिनांक 07.06.2022 जारी किया।

1. **आपके के पक्ष में स्वीकृत खनन पटटे का मौका पंचनामा दिनांक 08.02.2022 के अनुसार आप द्वारा खनन पटटा क्षैत्र के बाहर 4461 टन खनिज मैसेनरी स्टोन का अवैध खनन किया जाना पाया गया। जिसकी मॉग नियमानुसार रू. 15,61,350/– कायम की गई।**

जिसकी पालना में पटटाधारी द्वारा राशि रूपये 2,61,350/– दिनांक 22.06.2022 को राजकोष में जमा करवाये गये परन्तु नोटिस दिनांक 07.06.2022 की पूर्ण पालना निर्धारित समयावधि पश्चात भी नही करने के कारण एवं वर्तमान में पटटेधारी के विरूद्व राशि मय ब्याज रूपये 13,00,000/–बकाया होने से सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने उक्त खनन पटटा खण्डित करने के प्रस्ताव इस कार्यालय को पठाये। श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर ने उक्त खनन पटटा खण्डित करने का अनुमोदन अपने पत्र कमांक 2481 दिनांक 09.09.2022 से प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चुरू के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमो में प्रदत शक्तियो का उपयोग करते हुए उक्त खनन पटटा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरंत प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

-Sd-
भीम सिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

कमांकसम/ 1813 दिनांकः 9.9.2022

प्रतिलिपीः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर को उनके पत्र कमांक 2481 दिनांक 09.09.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चुरू।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरू को उनके पत्र कमांक 477 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में
4. उप वन संरक्षक, चुरू।
5. श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री शंकर सिंह राजपुरोहित निवासी रणधीसर तहसील सुजानगढ जिला चुरू द्वारा स.ख.अ. चुरू।

CC-I
09/09/2022

भीम सिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

कमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल–22/2003/ 568 दिनांक :–12.09.2022

1. मांग शाखा 2. अवैध खनन शाखा 3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा
4. संगणक 5. मानचित्र शाखा

विषयः– खननपट्टा एम.एल. 22/2003 निकट ग्राम रणधीसर, तहसील–सुजानगढ, जिला–चूरू के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश कमांक 1813 दिनांक 09.09.2022 से उक्त खननपट्टा खण्डित किया जाकर खननपट्टा का कब्जा दिनांक 10.09.2022 को राज्य सरकार के पक्ष में लिया गया है।

12/09/2022
(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

ML-06/2001

141

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

कमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–06/2001/98 दिनांक :–26.07.2022

श्री रामनिवास जाट पुत्र श्री गणपतराम जाट,
निवासी–गोपालपुरा, तहसील–सुजानगढ,
जिला–चूरू(राजस्थान)

विषयः– खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू क्षैत्र 6436 वर्गमीटर, स्थिर भाटक 26,148/– अवधि दिनांक 16.02.1982 से 50 वर्ष के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पटटे के संबंध मे निम्नलिखित संविदा की शर्तो का उल्लंधन एवं अन्य अनियमितताएँ पायी गयी है :–

1–यह कि देय राशि रूपये 19,147/– आपके विरूद्ध बकाया है और निश्चित तिथि पर भुगतान करने में आप असफल रहे है । यह संविदा की शर्त संख्या 4(3) (4) एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 28(2)(ii) का उल्लघंन है।

स्थिर भाटक दिनांक 01.07.2021 से 31.03.2022 19,147/–

योग 19,147/–

अतः आपको इस चेतना पत्र द्धारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप का निवारण इस चेतना पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि मे कर सूचित करे । उपरोक्त पालना नही किये जाने पर अवहेलना मानी जांकर आपके खननपट्टे विरूद्ध निम्नलिखित कार्यवाही की जावेगी :–

1– आप द्धारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 28(2)(xvii)(a) के तहत अनुसार प्रतिभूति राशि का 10 प्रतिशत/न्यूनतम 5,000/– व अधिकतम 10,000/– की शास्ती आरोपित की जावेगी ।

या

2–आप द्धारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 45 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 28(2)(xvii)(a) के अंतर्गत खननपट्टे की प्रतिभूति राशि का हरण करते हुवे खनन पटटे को खण्डित करने की कार्यवाही की जावेगी।

सो सूचित रहे।

सोहन
26/07/2022
(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

ML-06/2001

142

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

कमांक:– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–06/2001/98 दिनांक :– 26.07.2022

श्री रामनिवास जाट पुत्र श्री गणपतराम जाट,
निवासी–गोपालपुरा, तहसील–सुजानगढ,
जिला–चूरू(राजस्थान)

विषय:– खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू क्षैत्र 6436 वर्गमीटर, स्थिर भाटक 26,148/– अवधि दिनांक 16.02.1982 से 50 वर्ष के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पटटे के संबंध मे निम्नलिखित संविदा की शर्तो का उल्लंघन एवं अन्य अनियमितताऐं पायी गयी है :–

1–यह कि देय राशि रूपये 19,147/– आपके विरूद्ध बकाया है और निश्चित तिथि पर भुगतान करने में आप असफल रहे है । यह संविदा की शर्त संख्या 4(3) (4) एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 28(2)(ii) का उल्लघंन है।

स्थिर भाटक दिनांक 01.07.2021 से 31.03.2022 19,147/–

योग 19,147/–

अतः आपको इस चेतना पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप का निवारण इस चेतना पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि मे कर सूचित करे । उपरोक्त पालना नही किये जाने पर अवहेलना मानी जाकर आपके खननपट्टे विरूद्ध निम्नलिखित कार्यवाही की जावेगी :–

1– आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 28(2)(xvii)(a) के तहत अनुसार प्रतिभूति राशि का 10 प्रतिशत/न्यूनतम 5,000/– व अधिकतम 10,000/– की शास्ती आरोपित की जावेगी ।

या

2–आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 45 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 28(2)(xvii)(a) के अंतर्गत खननपट्टे की प्रतिभूति राशि का हरण करते हुवे खनन पटटे को खण्डित करने की कार्यवाही की जावेगी।

सो सूचित रहे।

CC-I

27/7/2022

26/07/2022
(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

राजस्थान सरकार
GOVT OF RAJASTHAN
कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर(राजस्थान)
Office of the Supdt. Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, C-64, Sadulganj, Bikaner (Rajasthan)
Tel. no 0151-2226611
E-mail- sme.bikaner@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– अखअ/बीका/अप्र/चुरू/एम.एम.एल.–06/2001/ दिनांक :– .09.2022

कार्यालय आदेश

श्री प्रताप सिंह पुरोहित पुत्र श्री भांकरसिंह निवासी– रणधीसर, तहसील–सुजानगढ, जिला–चूरू के पक्ष में खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट, क्षैत्रफल 6436वर्गमीटर, एम.एल. –55/1980 कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदे ा क्रमांक–खअ/बीका/एमएमएल/55/1980/1224–1229 दिनांक 31.08.1981 द्वारा संविदा पंजीयन तिथि से 10 वर्श के लिए स्वीकृत किया गया। संविदा का पंजीयन दिनांक 16.02.1982 को हुआ। इस प्रकार खननपट्टा अवधि दिनांक 16.02.1982 से 15.02.1992 तक के लिए प्रभावी हुआ। खननपट्टे का प्रथम नवीनीकरण एम.एल. 179/1991 अवधि दिनांक 16.02.1992 से 15.02.2002 तक के लिए तथा द्वितीय नवीनीकरण एम.एल. 06/2001 अवधि दिनांक 16.02.2002 से 15.02.2022 तक के लिए कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर के आदे ा क्रमांक खअ/बीके/अप्र/06/2001/1162 दिनांक 18.12.2004 के द्वारा स्वीकृत किया गया।

कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदे ा क्रमांक खअ/बीका/अप्र/06/2001/231 दिनांक 06.02.2012 द्वारा खननपट्टा का हस्तांतरण श्री रामनिवास जाट पुत्र श्री गणपतराम जाट, निवासी–गोपालपुरा तहसील–सुजानगढ़, जिला–चूरू (राजस्थान) के पक्ष में स्वीकृत किया गया।

कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदे ा क्रमांक खअ/बीका/अप्र/06 /2001/2218–2227 दिनांक 31.10.2012 द्वारा खननपट्टा की अवधि 20 से 30 वर्श अर्थात् दिनांक 19.06.2031 तक बढाई गई। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 26,148/– है। सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने निम्न दोशो के निवारण हेतु 30/45 दिवसीय चेतना पत्र क्रमांक 98 दिनांक 26.07.2022 जारी किया। जो कि पटटाधारी को दिनांक 26.07.2022 को ही तामिल हुआ।

1. **यह कि देय राशि रूपये 19147/–आपके विरूद्व बकाया है और निश्चित तिथी पर भुगतान करने में आप असफल रहे हैं। यह संविदा की धारा की धारा 4(3)(4) एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(2)(II) का उल्लघंन है।**

पटटाधारी द्वारा उक्त चेतना पत्र की पालना निर्धारित समयावधि पश्चात भी नही करने के कारण एवं वर्तमान में पटटेधारी के विरूद्व राशि मय ब्याज रूपये 32,221/–बकाया होने से सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने उक्त खनन पटटा खण्डित करने के प्रस्ताव इस कार्यालय को पठाये है। श्रीमान अतिरिक्त निदेशक (खान), जोधपुर से उक्त खनन पटटा खण्डित करने का अनुमोदन अपने पत्र क्रमांक 2536 दिनांक 16.09.2022 से प्रदान किया है।

ML-06/2001

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चुरू के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमो में प्रदत शक्तियो का उपयोग करते हुए उक्त खनन पटटा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरंत प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

-sd-
भीम सिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

दिनांकः 16.9.2022

कमांकसम/ 2076

प्रतिलिपीः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेशित हैः–

1. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर को उनके पत्र कमांक 2536 दिनांक 16.09.2022 के संदर्भ में।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चुरू।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरू को उनके पत्र कमांक 548 दिनांक 12.09.2022 के संदर्भ में।
4. उपवन संरक्षक, चुरू।
5. श्री रामनिवास जाट पुत्र श्री गणपतराम जाट, निवासी–गोपालपुरा तहसील–सुजानगढ़, जिला–चूरू द्वारा सहायक खनि अभियन्ता, चुरू।

अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर

CC-I
सोहन
16/09/2022

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

कमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल–06/2001/ 599 दिनांक :–20.09.2022

1. मांग शाखा 2. अवैध खनन शाखा 3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा
4. संगणक 5. मानचित्र शाखा

विषयः– खननपट्टा एम.एल. 06/2001 निकट ग्राम रणधीसर, तहसील–सुजानगढ, जिला–चूरू के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश कमांक 2076 दिनांक 16.09.2022 से उक्त खननपट्टा खण्डित किया जाकर खननपट्टा का कब्जा दिनांक 17.09.2022 को राज्य सरकार के पक्ष में लिया गया है।

सोहन
20/09/2022
(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

Pandhisar kabja report

ML-45/1978 Regd AD

145

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- amechuru@dmg-raj.org

क्रमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–45/78/ 90 दिनांक :– 03-06-2022

श्री ईन्द्रचन्द्र गोल्यान–प्रथम पुत्र श्री लीलाधर गोल्यान,
निवासी– 107, पैराडाईज अपार्टमेन्ट,
डी–148, दुर्गामार्ग बनीपार्क,
जयपुर(राजस्थान)

विषय :– खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू क्षैत्र 3500वर्गमीटर के संबंध में ।

प्रसंग :– इस कार्यालय का पत्र दिनांक 06.08.2013, 11.11.2013, पत्रांक 3358 दिनांक 15.03.2017 व पत्रांक 3768 दिनांक 08.12.2017 ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि आपके पक्ष मे स्वीकृत खनन पटटे के संबंध मे निम्नलिखित संविदा की शर्तो का उल्लंधन एवं अन्य अनियमितताओ पायी गयी है :–

1–यह कि देय राशि रूपये 82,38,865/– आपके विरूद बकाया है और निश्चित तिथि पर भुगतान करने मे आप असफल रहे है । यह संविदा की धारा 4(3) (4) एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(2)(ii) का उल्लघंन है।

दिनांक 01.04.2020 से 30.06.2022 तक का स्थिर भाटक	राशि	2,31,696/–
अवैध खनन पंचनामा निरीक्षण अवधि दिनांक 03.07.2000 से 07.07.2000	राशि	13,86,000/–
अवैध खनन पंचनामा अवधि दिनांक 03.11.2012	राशि	66,21,169/–
	योग	82,38,865/–

आपको प्रासंगिक पत्र से बकाया राशि जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया था । जो आज दिनांक तक जमा नही हुई है। अतः इस पत्र के जरिये आपका अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है कि अब भी उपरोक्त राशि 7 दिवस मे जमा करवा दे। अन्यथा आपके खननपट्टे विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी। जिसमें आपका खननपट्टा खण्डित भी किया जा सकता है। सो सूचित रहें।

03/06/2022
(सोहन लाल गुर्जर)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

Sign In Register

ML-45/1978

146

हिन्दी

You are here Home>> **Track Consignment**

Track Consignment

Quick help

* Indicates a required field.

* Consignment Number

RR859116650IN

Booked At	Booked On	Destination Pincode	Tariff	Article Type	Delivery Location	Delivery Confirmed On
Churu City S.O	10/06/2022 13:46:36	302016	22.00	Registered Letter	Shastri Nagar H.O	13/06/2022 17:04:53

Event Details For : RR859116650IN

Current Status : Item Delivery Confirmed

Date	Time	Office	Event
13/06/2022	17:04:53	Shastri Nagar H.O	Item Delivery Confirmed
13/06/2022	11:20:51	Shastri Nagar H.O	Out for Delivery
13/06/2022	08:40:55	Shastri Nagar H.O	Item Received
13/06/2022	04:25:43	Jaipur Ma RMS TMO	Item Dispatched
13/06/2022	03:57:13	Jaipur Ma RMS TMO	Item Received
13/06/2022	02:37:48	Jaipur CRC L1R	Item Dispatched
12/06/2022	20:59:21	Jaipur CRC L1R	Item Bagged
12/06/2022	17:08:18	Jaipur CRC L1R	Item Received
10/06/2022	21:21:15	Churu RMS L2U	Item Dispatched
10/06/2022	20:56:11	Churu RMS L2R	Item Dispatched
[illegible]22	20:29:42	Churu RMS L2R	Item Bagged
10/06/2022	18:46:56	Churu RMS L2R	Item Received
10/06/2022	17:01:29	Churu Collectorate S.O	Item Dispatched
10/06/2022	16:28:59	Churu City S.O	Item Dispatched
10/06/2022	16:27:23	Churu City S.O	Item Bagged
10/06/2022	13:46:36	Churu City S.O	Item Booked

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

ML-45/1978

147

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर(राजस्थान)

Office of the Supdt. Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, C-64, Sadulganj, Bikaner (Rajasthan) Tel. no 0151-2226611
E-mail- sme.bikaner@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– अखअ/बीका/अप्र/चुरू/एम.एम.एल.–45/1978/ दिनांक :–

कार्यालय आदेश

श्री इन्द्रचन्द गौल्यान पुत्र श्री लीलाधर गौल्यान निवासी– 7 सी, ब्लॉक, श्रीगंगानगर के पक्ष में एक खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम–रणधीसर, तहसील–सुजानगढ, जिला–चूरू में क्षेत्रफल 3500वर्गमीटर वार्षिक स्थिर भाटक 1134/– पर कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांकःसखअ/श्रीगंगा/एम.एम.एल./45/1978/2458 दिनांक 28.10.1978 द्वारा अवधि दिनांक 27.01.1979 से 26.01.1989 तक के लिए प्रथम नवीनीकरण स्वीकृत किया गया।

पट्टाधारी द्वारा द्वितीय नवीनीकरण आवेदन पत्र एम.एल. 35/1988 अवधि दिनांक 27.01.1989 से 26.01.1999 तक के लिए दिनांक 26.09.1988 को कार्यालय खनि अभियन्ता बीकानेर में आवेदित किया गया। पट्टाधारी द्वारा तृतीय नवीनीकरण आवेदन पत्र एम.एल. 04/1998 अवधि दिनांक 27.01.1999 से 26.01.2019 तक के लिए दिनांक 21.01.1998 को कार्यालय खनि अभियन्ता बीकानेर में आवेदित किया गया। उक्त खननपट्टा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 के नियम 17(2) के तहत प्रभावशील रहा है।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 9(3) के तहत खननपट्टे की अवधि दिनांक 31.03.2025 तक स्वतः ही बढ़ गई है। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 1,02,976/– है। सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने निम्न दोषो के निवारण हेतु 30/45 दिवसीय चेतना पत्र क्रमांक 90 दिनांक 03.06.2022 जारी किया। जो कि पटटाधारी को डाक विभाग की वेवसाईट अनुसार दिनांक 13.06.2022 को तामिल हुई।

1. **यह कि देय राशि रूपये 82,38,865/– आपके विरूद्व बकाया है और निश्चित तिथी पर भुगतान करने में आप असफल रहे है। यह संविदा की धारा की धारा 4(3) (4) एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(2)(II) का उल्लघंन है।**

पटटाधारी द्वारा उक्त चेतना पत्र की पालना निर्धारित समयावधि पश्चात भी नही करने के कारण एवं वर्तमान में पटटेधारी के विरूद्व राशि मय ब्याज रूपये 82,64,609/–बकाया होने से सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने उक्त खनन पटटा खण्डित करने के प्रस्ताव इस कार्यालय को पठाये। श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर ने उक्त खनन पटटा खण्डित करने का अनुमोदन अपने पत्र क्रमांक 2469 दिनांक 09.09.2022 से प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चुरू के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमो में प्रदत शक्तियो का उपयोग करते हुए उक्त खनन पटटा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरंत प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

–sd–
भीम सिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

कमांकसम/ 1825 दिनांकः 9.9.2022

प्रतिलिपीः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर को उनके पत्र क्रमांक 2469 दिनांक 09.09.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चुरू।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरू को उनके पत्र क्रमांक 483 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में ।
4. उप वन संरक्षक, चुरू।
5. श्री इन्द्रचन्द गोल्यान पुत्र श्री लीलाधर गोल्यान, निवासः– 107, पैराडाईज अपार्टमेंट, डी–148, दुर्गा मार्ग, बनीपार्क, जयपुर, जिला–जयपुर– 302016 द्वारा स.ख.अ. चुरू।

CC-I
09/09/2022

भीम सिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

ML-25/1979

148

सेवामें,

श्रीमान् सहायक खनि. अभियन्ता,
खान एवं भू – विज्ञान विभाग
चूरू (राजस्थान) ।

विषय :– खनन पट्टा सं. ML 25/1979 का नामान्तरण मेरे नाम दर्ज करवाने के संबंध में प्रार्थना–पत्र।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ML 25/1979 खनन पट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट क्षेत्रफल 3375वर्गमीटर निकट ग्राम रणधीसर पहाड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में मेरे पिताजी श्री भगवानदत्त लाटा प्रो.श्रीखाटु श्याम ग्रीट उद्योग के नाम से आपके कार्यालय के क्षैत्राधिकार में स्वीकृत है।

मेरे पिताजी का स्वर्गवास दिनांक 06/06/2014 को हो चुका है तथा माताजी का स्वर्गवास दिनांक 04/05/2017 को हो चुका है। रणधीसर पहाड़ी का वन डायवर्जन व अवैध खनन की बकाया राशि स्पष्ट नहीं होने व बकाया राशि शासन स्तर से विचाराधीन होने के कारण तत्समय जमा नहीं करवा पाये थे। अब अवैध खनन की बकाया राशि का मेरे द्वारा प्रबन्ध कर लिया गया है। उक्त खनन पट्टा मेरे पक्ष में नामान्तरण होते ही उक्त बकाया जमा करवा दूंगा। साथ ही निवेदन है कि उक्त खनन पट्टे में दिनांक 01/01/2014 से खनन कार्य आपके विभाग द्वारा बन्द करवा रखा है।

उक्त खनन पट्टे मे मेरे अलावा वारिस

1. श्रीमती तारादेवी पुत्री
2. लोकबन्धु शर्मा पुत्र
3. सीताराम शर्मा पुत्र
4. कन्हैयालाल लाटा पुत्र
5. श्रीमती चन्दा देवी पुत्री
6. उमाकान्त लाटा पुत्र
7. तिलोकचन्द लाटा पुत्र है।

उक्त सभी वारिसान द्वारा उक्त खनन पट्टा मेरे पक्ष में नामान्तरण करने की सहमति प्रदान की है। ग्राम पंचायत जसवन्तगढ़ जिला नागौर द्वारा जारी वारिसनामा की प्रति संलग्न है।

चूंकि मेरे नाम से राजस्थान में कोई खनन पट्टा/ठेका स्वीकृत नही है, और न ही आवेदित है। यह कि उक्त खनन पट्टा मेरे नाम से नामान्तरण हो जाता है तो खनन पट्टे के विरूद्ध अवैध खनन की बकाया राशि जमा कराने को तैयार हूं। साथ ही भविष्य में कोई राशि बकाया निकलती है तो उसे जमा कराने हेतु तैयार रहूंगा।

अतः इस पत्र के साथ सभी वारिसान के सहमति शपथ पत्र, आधार कार्ड तथा मेरा शपथ पत्र व आधार कार्ड व पेन कार्ड नोटेरी सत्यापित करा प्रस्तुत कर रहा हू। साथ ही नये नियमो के तहत लागु 2000/–रसीद संख्या 005198757 दिनांक 29/07/2021 का नामान्तरण शुल्क भी जमा करा आपके कार्यालय में दिनांक ..... को प्रस्तुत कर दी गयी है। कृपया उक्त खनन पट्टा मेरे नाम से नामान्तरण करवाने का श्रम करावें।

दिनांक :– 22-09-2021

प्रार्थी

गुरूप्रसाद शर्मा (लाटा) पुत्र स्व.भगवानदत्त लाटा
निवासी–जसवन्तगढ़ (नागौर)
हाल नि. कोठारी रोड़, सुजानगढ़ (चूरू)

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांक/सखअ/चूरू/अप्र/एम.एल.–25/1979/ 1691 दिनांक :– 09-11-2021

श्री गुरूप्रसाद शर्मा(लाटा) पुत्र स्व0 भगवानदत्त लाटा,
निवासी–जसवन्तगढ़ (नागौर),
हाल निवासी–कोठारी रोड़, सुजानगढ़ (चूरू)।

विषय :– सर्वश्री खादु श्याम ग्रिट उधोग, सो. प्रोपराईटर श्री भगवानदत्त लाटा पुत्र श्री रामकुमार लाटा, निवासी–जसवन्तगढ़, तहसील– लाडनू, जिला–नागौर के पक्ष में स्वीकृत खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट, निकट ग्राम–रणधीसर, तहसील–सुजानगढ़, जिला–चूरू का नामान्तरण श्री गुरूप्रसाद शर्मा(लाटा) पुत्र स्व0 भगवानदत्त लाटा निवासी– जसवन्तगढ़ (नागौर), हाल निवासी–कोठारी रोड़, सुजानगढ़ (चूरू) के पक्ष में करने के संबंध में ।

प्रसंग :– आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 22.09.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि श्री भगवानदत्त लाटा मालिक श्री खादूश्याम ग्रिट उधोग, रणधीसर पहाड़ी, तहसील– सुजानगढ़, जिला– चूरू के पक्ष में एक खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट, क्षैत्रफल–3375वर्गमीटर, निकट ग्राम रणधीसर पहाड़ी, तहसील सुजानगढ़ का कार्यालय ~~सहायक~~ सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, श्रीगंगानगर के आदेश कमांक खअ/श्रीगंगा/एम.एम.एल./25/79/1012 दिनांक 30.04.1979 द्वारा खननपट्टे का प्रथम नवीनीकरण अवधि दिनांक 27.08.1979 से 26.08.1989 तक के लिये स्वीकृत किया गया।

पट्टाधारी द्वारा द्वितीय नवीनीकरण आवेदन पत्र एम.एल. 39/1989 अवधि 27.08.1989 से 26.08.1999 व तृतीय नवीनीकरण आवेदन पत्र एम.एल. 10/1999 अवधि 27.08.1999 से 26.08.2019 तक के लिए आवेदित किया गया। दिनांक 27.08.1989 से आगे की अवधि के लिए खननपट्टा का नवीनीकरण आवेदन पत्र तत्समय वन डायवर्जन नहीं होने व उसके बाद अवैध खनन की राशि बकाया होने के कारण स्वीकृत नही किये जा सके। खननपट्टा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 74 के तहत कियाशील रहा है।

पट्टाधारी श्री भगवानदत्त लाटा मालिक श्री खादूश्याम ग्रिट उधोग की मृत्यु दिनांक 06.06.2014 को हो जाने पर पुत्र होने के नाते आप द्वारा नामान्तरण शुल्क 2,000/– जरिये जी.आर.एन. 0051987577 दिनांक 29.07.2021 से जमा कराते हुए खननपट्टा स्वयं के नाम से

Copy Recd. 9.11.2021

नामान्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 22.09.2021 मय सहमति पत्र व कुर्सीनामा प्रस्तुत किया गया ।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 76(2) के तहत नामांतरण हेतु सूचना खानधारी की मृत्यु के बाद एक माह मे तथा आवेदन पत्र मय नामान्तरण शुल्क खानधारी की मत्यु तिथी से तीन माह की समयावधि में प्रस्तुत करना आवश्यक है । चूकिं प्रकरण में पट्टाधारी की मृत्यु की सूचना, आवेदन पत्र व नामांतरण शुल्क निर्धारित समयावधि के पश्चात प्रस्तुत किये जाने से राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 क नियम 76(2) के तहत उक्त खननपट्टे का नामान्तरण आवेदन पत्र स्वतः ही अस्वीकृत की श्रेणी मे आता है।

अतः राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नामांतरण आवेदन पत्र का निरस्त करते हुए खननपट्टा खण्डित किया जाता है।

भवदीय

09/11/2021

(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
चूरू(राजस्थान)

निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनांक 27/5/2022 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा खनन क्षेत्र - रणचीजर पहाड़ी तहसील - सुजानगढ़ जिला - चूरू में घृत खनन पट्टा लंबा - 50/87 पट्टाधारी - मां भवानी स्टोन वाले खनिज - स्टोन बैलास्ट (चेजा पत्थर) का मौका निरीक्षण किया गया, जिसका विवरण इस प्रकार है -

1. वक्त निरीक्षण खनन पट्टा क्षेत्र पर खनन पट्टा से संबंधित सूचना का बोर्ड स्थापित नहीं मिला
2. खनन पट्टा के सीमा स्तम्भ लगे हुए नहीं मिले।
3. खनन पट्टा में खनन कार्य पूर्णतया बंद मिला।
4. खनन पट्टा में खनन कार्य बंद होने से पट्टाधारी द्वारा वृक्षारोपण आदि किया जाना नहीं पाया गया
5. खनन पट्टा क्षेत्र पर बाहरी सीमा पर सुरक्षा हेतु तारबंदी किया जाना पाया गया।

निरीक्षण रिपोर्ट मौके पर तैयार कर हस्ताक्षर किये गये।

CC-I
पट्टाधारी को नोटिसपार्थ भेजें
सोम
30/05/2022

अरुण
27/5/22
MF II

MFII

सोहन
27/05/2022
AME Church
Camp - Randhisar

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

ML-40/1987

152

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

कमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–40/1987/ 58 दिनांक :– 01-06-2022

सर्वश्री मॉ भवानी स्टोन,
रणधीसर, तहसील–सुजानगढ़,
जिला– चूरू।

विषयः– खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के संबंध मे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में स्वीकृत खननपट्टा क्षैत्र का दिनांक 27.05.2022 को कार्यालय फिल्ड स्टाफ द्वारा निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण आपके खननपट्टा पर निम्नानुसरा कमियॉ पाई गयीः–

1. खननपट्टा पर सूचना बोर्ड स्थापित नही पाया गया।
2. खननपट्टे के सीमा स्तम्भ लगे हुए नही पाये गये।
3. खननपट्टे से संबंधित वृक्षारोपण नही किया जाना पाया गया।

अतः आपको इस चेतना पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप का निवारण इस चेतना पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि मे कर सूचित करे। उपरोक्त पालना नही किये जाने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अवहेलना मानी जांकर आपके खननपट्टे विरूद्व निम्नलिखित कार्यवाही की जावेगी :–

1– आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(iv) के अनुसार शास्ती आरोपित की जावेगी ।

या

2–आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 45 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(iv) के अंतर्गत खननपटटे की प्रतिभूति राशि का हरण करते हुवे खनन पटटे को खण्डित करने की कार्यवाही की जावेगी।

सो सूचित रहे।

01/06/2022
(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

ML-40/1987

153

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

कमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–40/1987/ 58 दिनांक :– 01-06-2022

सर्वश्री मॉ भवानी स्टोन,
रणधीसर, तहसील–सुजानगढ़,
जिला– चूरू।

विषयः– खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के संबंध मे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में स्वीकृत खननपट्टा क्षैत्र का दिनांक 27.05.2022 को कार्यालय फिल्ड स्टाफ द्वारा निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण आपके खननपट्टा पर निम्नानुसरा कमियॉ पाई गयीः–

1. खननपट्टा पर सूचना बोर्ड स्थापित नही पाया गया।
2. खननपट्टे के सीमा स्तम्भ लगे हुए नही पाये गये।
3. खननपट्टे से संबंधित वृक्षारोपण नही किया जाना पाया गया।

अतः आपको इस चेतना पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप का निवारण इस चेतना पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि मे कर सूचित करे। उपरोक्त पालना नही किये जाने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अवहेलना मानी जांकर आपके खननपट्टे विरूद्व निम्नलिखित कार्यवाही की जावेगी :–

1– आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(iv) के अनुसार शास्ती आरोपित की जावेगी ।

या

2–आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 45 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(iv) के अंतर्गत खननपटटे की प्रतिभूति राशि का हरण करते हुवे खनन पटटे को खण्डित करने की कार्यवाही की जावेगी।

सो सूचित रहे।

(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

ML-40/1987

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सी–64, सादुलगंज, बीकानेर वृत्त बीकानेर।

154

क्रमांकःअखअ/बीका/अप्र/चुरू/एम.एल. 40/1987/ दिनांकः .2022

कार्यालय आदेश

श्री धन्नाराम पुत्र श्री हनुमानाराम खटीक, निवासी रणधीसर, तहसील सुजानगढ़, जिला–चूरू के पक्ष मे एक खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर, तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में क्षैत्र 5521वर्गमीटर वार्षिक स्थिर भाटक 966रू 20पैसे पर कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर के आदेश क्रमांक खअ/बीके/एमएमएल/14/1977/471 दिनांक 31.07.1977 द्वारा संविदा पंजीयन तिथी से 10 वर्ष के लिये स्वीकृत किया गया। संविदा का पंजीयन दिनांक 26.10.1977 को हुआ। इस प्रकार खननपट्टा अवधि दिनांक 26.10.1977 से 25.10.1987 तक के लिए प्रभाव मे आया। खननपट्टा का प्रथम नवीनीकरण एम.एल. 40/1987 अवधि दिनांक 26.10.1987 से 25.10.1997 तक के लिए कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक खअ/बीके/नवीनी/एम.एम.एल./40/87/1219 दिनांक 24.04.1992 द्वारा स्वीकृत किया गया। खननपट्टे का द्वितीय नवीनीकरण आवेदन पत्र एम.एल. 99/1996 दिनांक 23.10.1996 को अवधि दिनांक 26.10.1997 से 25.10.2017 के लिए प्रस्तुत किया गया। उक्त खननपट्टा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 के नियम 17(2) के तहत प्रभावशील रहा है। श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर जोन, जोधपुर के आदेश क्रमांक अनिखा/जोध/ अप्र/चूरू/एम.एल./40/87/3043 दिनांक 15.10.2018 द्वारा खननपट्टे का नामान्तरण श्री बनवारी लाल पुत्र श्री धन्नाराम बागड़ी, निवासी– रणधीसर पहाड़ी, तहसील–सुजानगढ़, जिला – चूरू हाल निवासी भगवती गैस गोदाम के पास, जगमालपुरा रोड़, वार्ड नं. 45, सीकर तहसील व जिला– सीकर(राजस्थान) के पक्ष मे स्वीकृत किया गया। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 9(2) के तहत खननपट्टे की अवधि 25.10.2027 तक स्वतः ही बढी हुई मानी गयी। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक अखअ/बीका/ चूरू/एम.एल./40/87/121 दिनांक 10.01.2019 द्वारा खननपट्टा सर्वश्री मॉ भवानी स्टोन, रणधीसर, तहसील–सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान) के पक्ष में हस्तान्तरण स्वीकृत किया गया। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 49,000/– है।

सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने निम्न दोषो के निवारण हेतु पटटाधारी को चेतना पत्र संख्या 58 दिनांक 01.06.2022 जारी किया गया। जो कि पटटेधारी को नियमानुसार तामिल हुआ।

1– खननपट्टा पर सूचना बोर्ड स्थापित नही पाया गया।
2– खननपट्टे के सीमा स्तम्भ लगे हुए नही पाए गए।
3– खननपट्टे से संबंधित वृक्षारोपण नही किया जाना पाया गया।

पटटाधारी द्वारा चेतना पत्र की पालना नही की गई। चेतना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात भी पालना नहीं होने से सहायक खनि अभियन्ता, चूरू द्वारा खननपट्टे का क्षैत्रफल बहुत कम 5521वर्गमीटर होने व अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार बैंच बनाकर सुरक्षित तरीके से खननकार्य किया जाना संभव नहीं होने का उल्लेख करते हुए उक्त खनन पटटे को खण्डित करने के अनुमोदन का प्रस्ताव निदेशालय, उदयपुर को प्रेषित करते हुए प्रति इस कार्यालय को पृष्ठाकिंत की गयी। तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1687 दिनांक 07.09.2022 द्वारा निदेशालय को अनुशंषा की गयी। जिस पर निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर ने अपने पत्र क्रमांकः 825 दिनांक 08.09.2022 के द्वारा उक्त खनन पटटा खण्डित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चूरू के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमो में प्रदत शक्तियो का उपयोग करते हुए उक्त खनन पटटा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरन्त प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

–sd–
भीमसिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

क्रमांक/सम/ 1967 दिनांकः 9.9.2022

प्रतिलिपीः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान निदेशक, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को उनके पत्र क्रमांकः निदे/ प. 2(एच–1)चूरू/2022/825 दिनांक 08.09.2022 के संदर्भ में।
2. श्रीमान जिला कलक्टर , चुरू।
3. उप वन संरक्षक, चूरू ।
4. सहायक खनि अभियन्ता, चुरू को उनके पत्र क्रमांक 468 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में।
5. सर्वश्री मॉ भवानी स्टोन, रणधीसर, तहसील–सुजानगढ़ जिला–चूरू (राजस्थान)
6. रक्षित पत्रावली

Cc-I
09/09/2022

भीमसिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

ML-62/1983

155

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of.Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–62/1983/ 81 दिनांक :– 03-06-2022

सर्वश्री रणधीसर स्टोन क्रेसिंग इण्डस्ट्रीज,
द्वारा श्री ओम प्रकाश यादव पुत्र श्री सेडूराम यादव
निवासी रणधीसर पहाड़ी,
तहसील–सुजानगढ़, जिला– चूरू।

विषय :– खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू क्षैत्र 2500वर्गमीटर के संबंध में ।

प्रसंग :– इस कार्यालय का पत्र दिनांक 06.08.2013, 11.11.2013, पत्रांक 3370 दिनांक 15.03.2017 व पत्रांक 3784 दिनांक 08.12.2017 ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि आपके पक्ष मे स्वीकृत खनन पटटे के संबंध मे निम्नलिखित संविदा की शर्तो का उल्लंधन एवं अन्य अनियमितताओ पायी गयी है :–

1–यह कि देय राशि रूपये 1,76,72,445/– आपके विरूद बकाया है और निश्चित तिथि पर भुगतान करने मे आप असफल रहे है । यह संविदा की धारा 4(3) (4) एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(2)(ii) का उल्लघंन है।

अवैध खनन पंचनामा निरीक्षण अवधि दिनांक 03.07.2000 से 07.07.2000	राशि	59,50,000/–
अवैध खनन पंचनामा अवधि दिनांक 01.11.2012	राशि	1,15,91,195/–
स्थिर भाटक अवधि दिनांक 01.04.2021 से 30.06.2022	राशि	1,31,250/–
	योग	1,76,72,445/–

आपको प्रासंगिक पत्र से बकाया राशि जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया था । जो आज दिनांक तक जमा नही हुई है। अतः इस पत्र के जरिये आपका अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है कि अब भी उपरोक्त राशि 7 दिवस मे जमा करवा दे। अन्यथा आपके खननपट्टे विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी। जिसमें आपका खननपट्टा खण्डित भी किया जा सकता है। सो सूचित रहे।

03/06/2022
(सोहन लाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

ML-62/1983

156

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

कमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–62/1983/81 दिनांक :– 09-06-2022

सर्वश्री रणधीसर स्टोन क्रेसिंग इण्डस्ट्रीज,
द्वारा श्री ओम प्रकाश यादव पुत्र श्री सेडूराम यादव
निवासी रणधीसर पहाड़ी,
तहसील–सुजानगढ़, जिला– चूरू।

विषय :– खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू क्षैत्र 2500वर्गमीटर के संबंध में ।

प्रसंग :– इस कार्यालय का पत्र दिनांक 06.08.2013, 11.11.2013, पत्रांक 3370 दिनांक 15.03.2017 व पत्रांक 3784 दिनांक 08.12.2017 ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि आपके पक्ष मे स्वीकृत खनन पटटे के संबंध मे निम्नलिखित संविदा की शर्तो का उल्लंधन एवं अन्य अनियमितताओ पायी गयी है :–

1–यह कि देय राशि रूपये 1,76,72,445/– आपके विरूद बकाया है और निश्चित तिथि पर भुगतान करने मे आप असफल रहे है । यह संविदा की धारा 4(3) (4) एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(2)(ii) का उल्लघंन है।

अवैध खनन पंचनामा निरीक्षण अवधि दिनांक 03.07.2000 से 07.07.2000	राशि	59,50,000/–
अवैध खनन पंचनामा अवधि दिनांक 01.11.2012	राशि	1,15,91,195/–
स्थिर भाटक अवधि दिनांक 01.04.2021 से 30.06.2022	राशि	1,31,250/–
	योग	1,76,72,445/–

आपको प्रासंगिक पत्र से बकाया राशि जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया था । जो आज दिनांक तक जमा नही हुई है। अतः इस पत्र के जरिये आपका अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है कि अब भी उपरोक्त राशि 7 दिवस मे जमा करवा दे। अन्यथा आपके खननपट्टे विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी। जिसमें आपका खननपट्टा खण्डित भी किया जा सकता है। सो सूचित रहे।

(सोहन लाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

राजमाता यादव

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

ML-62/1983

157

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर(राजस्थान)

Office of the Supdt. Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, C-64, Sadulganj, Bikaner (Rajasthan)
Tel. no 0151-2226611
E-mail- sme.bikaner@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– अखअ/बीका/अप्र/चुरू/एम.एम.एल.–62/1983/ दिनांक :–

कार्यालय आदेश

सर्वश्री रणधीसर स्टोन केशिंग इण्डस्ट्रीज प्रोपराईटर श्री ओमप्रकाश यादव पुत्र श्री सेडूराम यादव निवासी– रणधीसर, तहसील–सुजानगढ, जिला–चूरू के पक्ष में खननपट्टा का प्रथम नवीनीकरण एम.एल. 18/1978, खनिज–स्टोन बैलास्ट, क्षैत्रफल 2500वर्गमीटर, निकट ग्राम–रणधीसर, तहसील–सुजानगढ, जिला–चूरू के पक्ष में अवधि दिनांक 31.10.1978 से 5 वर्ष के लिए सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक सखअ/श्रीगंगा/एम.एम.एल./18/1978/1631 दिनांक 31.07.1978 द्वारा स्वीकृत किया गया।

कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक खअ/बीके/एम.एम.एल. 62/1983/942 दिनांक 09.11.1990 द्वारा खननपट्टे का द्वितीय नवीनीकरण अवधि दिनांक 31.10.1983 से 30.10.1993 हेतु स्वीकृत हुआ। खननपट्टा का तृतीय नवीनीकरण एम.एल. 41/1993 दिनांक 27.04.1993 को अवधि दिनांक 31.10.1993 से 30.10.2003 व चतुर्थ नवीनीकरण एम.एल. 32/2003 दिनांक 21.10.2003 को अवधि दिनांक 31.10.2003 से 30.10.2023 तक के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त खननपट्टा ततसमय राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियम 17(2) के अन्तर्गत बढ़ी हुई अवधि में प्रभावशील रहा।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 9(3) के तहत खननपट्टे की अवधि दिनांक 31.03.2025 तक स्वतः ही बढ़ गई है। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 1,05,000/– है। सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने निम्न दोषो के निवारण हेतु 30/45 दिवसीय चेतना पत्र क्रमांक 81 दिनांक 03.06.2022 जारी किया। जो कि पटटाधारी को दिनांक 12.06.2022 को तामिल हुआ।

1. **यह कि देय राशि रूपये 1,76,72,445/–आपके विरूद्व बकाया है और निश्चित तिथी पर भुगतान करने में आप असफल रहे हैं। यह संविदा की धारा की धारा 4(3)(4) एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(2)(II) का उल्लघंन है।**

पटटाधारी द्वारा उक्त चेतना पत्र की पालना निर्धारित समयावधि पश्चात भी नही करने के कारण एवं वर्तमान में पटटेधारी के विरूद्व राशि मय ब्याज रूपये 1,76,98,695/–बकाया होने से सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने उक्त खनन पटटा खण्डित करने के प्रस्ताव इस कार्यालय को पठाये है। श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर ने उक्त खनन पटटा खण्डित करने का अनुमोदन अपने पत्र क्रमांक 2471 दिनांक 09.09.2022 से प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चुरू के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमो में प्रदत शक्तियो का उपयोग करते हुए उक्त खनन पटटा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरंत प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

-sd-
भीम सिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

क्रमांकसम/ 1831 दिनांकः 9.9.2022

प्रतिलिपीः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान),जोधपुर को उनके पत्र क्रमांक 2471 दिनांक 09.09.2022 के संदर्भ में।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चुरू।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरू को उनके पत्र क्रमांक 435 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में ।
4. उप वन संरक्षक, चुरू।
5. सर्वश्री रणधीसर स्ओन केसिंग इण्डस्ट्रीज, रणधीसर पहाडी तहसील सुजानगढ जिला चुरू द्वारा स.ख.अ. चुरू।

CC-I
09/09/2022

भीम सिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

ML-68/1978

158

निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनांक -27/5/2022 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा खनन क्षेत्र रणधीसर पहाड़ी तहसील - सुजानगढ़ जिला - चूरू में चूना खनन पट्टा संख्या - 68/78 पट्टाधारी श्रीमति शांति देवी के पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र 0.2150 हेक्टर वाले खनिज - लाइम स्टोन बैलास्ट (चेजा पत्थर) का मौका निरीक्षण किया गया, जिसका विवरण इस प्रकार है -

1. वक्त निरीक्षण खनन पट्टा क्षेत्र पर खनन पट्टा से संबंधित सूचना का बोर्ड स्थापित पाया गया।
2. वक्त निरीक्षण खनन पट्टा के सीमा स्तम्भ लगे हुए पाए गये।
3. वक्त निरीक्षण खनन पट्टा में खनन कार्य चालू मिला।
4. ~~वक्त~~ वक्त निरीक्षण पट्टेधारी द्वारा वृक्षारोपण किया जाना नहीं पाया गया।
5. वक्त निरीक्षण खनन पट्टा पर सुरक्षा दीवार/ तारबंदी किया जाना नहीं पाया गया।
6. मौके पर खनन पट्टा में खनन कार्य खान प्रबंधक/ तकनीकी कर्मचारी की उपस्थिति में किया जाना नहीं पाया गया।
7. वक्त निरीक्षण खनन पट्टा में खनन कार्य अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार किया जाना नहीं पाया गया।

मौके पर निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर हस्ताक्षर किये गये

सोहन
27/05/2022
AME Churu
Camp-Ramdhisar

अर्जुन
27/5/22
MFII

CC-I
Issue Notice to Lessee
सोहन
30/05/2022

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

ML-68/1978

159

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–68/1978/62 दिनांक :– 01-06-2022

श्रीमति शान्ति देवी पत्नि स्व0 श्री दौलाराम खटीक,
निवासी रणधीसर पहाड़ी,
तहसील–सुजानगढ़, जिला– चूरू ।

विषयः– खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के संबंध मे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में स्वीकृत खननपट्टा क्षैत्र का दिनांक 27.05.2022 को कार्यालय फिल्ड स्टाफ द्वारा निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण आपके खननपट्टा पर निम्नानुसरा कमियॉ पाई गयीः–

1. आपके खननपट्टे पर खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनिकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य नही किया जाना पाया गया।
2. खननपट्टा की सुरक्षा दीवार/तारबन्दी किया जाना नही पाया गया।
3. आपके खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नही किया जाना पाया गया।
4. आप द्वारा खननपट्टे से संबंधित वृक्षारोपण नही किया गया है।

अतः आपको इस चेतना पत्र द्धारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप का निवारण इस चेतना पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि मे कर सूचित करे। उपरोक्त पालना नही किये जाने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अवहेलना मानी जांकर आपके खननपट्टे विरूद्व निम्नलिखित कार्यवाही की जावेगी :–

1– आप द्धारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अनुसार शास्ती आरोपित की जावेगी ।

या

2–आप द्धारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 45 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अंतर्गत खननपटटे की प्रतिभूति राशि का हरण करते हुवे खनन पटटे को खण्डित करने की कार्यवाही की जावेगी।

सो सूचित रहे।

01/06/2022
(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

ML-68/1978

160

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–68/1978/ 62 दिनांक :– 01-06-2022

श्रीमति शान्ति देवी पत्नि स्व0 श्री दौलाराम खटीक,
निवासी रणधीसर पहाड़ी,
तहसील–सुजानगढ़, जिला– चूरू ।

विषयः– खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के संबंध मे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में स्वीकृत खननपट्टा क्षैत्र का दिनांक 27.05.2022 को कार्यालय फिल्ड स्टाफ द्वारा निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण आपके खननपट्टा पर निम्नानुसरा कमियॉ पाई गयीः–

1. आपके खननपट्टे पर खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनिकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य नही किया जाना पाया गया।
2. खननपट्टा की सुरक्षा दीवार/तारबन्दी किया जाना नही पाया गया।
3. आपके खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नही किया जाना पाया गया।
4. आप द्वारा खननपट्टे से संबंधित वृक्षारोपण नही किया गया है।

अतः आपको इस चेतना पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप का निवारण इस चेतना पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि मे कर सूचित करे। उपरोक्त पालना नही किये जाने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अवहेलना मानी जांकर आपके खननपट्टे विरूद्व निम्नलिखित कार्यवाही की जावेगी :–

1– आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अनुसार शास्ती आरोपित की जावेगी ।

या

2–आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 45 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अंतर्गत खननपटटे की प्रतिभूति राशि का हरण करते हुवे खनन पटटे को खण्डित करने की कार्यवाही की जावेगी।

सो सूचित रहे।

(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

राजस्थान सरकार

ML-68/1978

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सी–64, सादुलगंज, बीकानेर वृत्त बीकानेर।

161

क्रमांकःअखअ/बीका/अप्र/चुरू/एम.एल. 68/1978/ दिनांकः .2022

कार्यालय आदेश

श्री दौलाराम खटीक पुत्र श्री रामचन्द्र खटीक, निवासी–रणधीसर, तहसील– सुजानगढ़, जिला–चूरू के पक्ष में एक खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट, क्षैत्रफल 2150 वर्गमीटर, निकट ग्राम रणधीसर पहाड़ी, तहसील सुजानगढ़ का सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, श्री गंगानगर के आदेश क्रमांक सखअ/श्रीगंगा/एम.एम.एल./68/78/3097 दिनांक 22.12.1978 द्वारा संविदा पंजीयन तिथि से 10 वर्ष के लिए स्वीकृत किया गया । संविदा का पंजीयन दिनांक 25.06.1979 को हुआ । इस प्रकार खननपट्टा अवधि दिनांक 25.06.1979 से 24.06.1989 के लिए प्रभाव मे आया। पट्टाधारी द्वारा प्रथम नवीनीकरण आवेदन पत्र दिनांक 13.04.1989 को एम. एल. 45/1989 अवधि 25.06.1989 से 24.06.1999 तक के लिये खनि अभियन्ता, बीकानेर कार्यालय मे प्रस्तुत किया गया। पट्टाधारी द्वारा खननपट्टे का द्वितीय नवीनीकरण एम.एल. 12/1999 दिनांक 15.04.1999 को अवधि दिनांक 25.06.1999 से 24.06.2019 हेतु आवेदित किया गया। उक्त खननपट्टा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 के नियम 17(2) के तहत प्रभावशील रहा है। पट्टाधारी का स्वर्गवास होने पर कार्यालय अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर जोन, जोधपुर के आदेश क्रमांक अनिखा/जोध/सीसी/अप्र/चूरू/एम.एल./68/78/2042 दिनांक 11.08.2017 द्वारा उक्त खननपट्टा श्रीमति शान्ति देवी पत्नि श्री दौलाराम खटीक, निवासी–रणधीसर, तहसील–सुजानगढ़, जिला–चूरू (राजस्थान) के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत किया गया। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 9(2) के तहत खननपट्टे की अवधि 24.06.2029 तक स्वतः ही बढी हुई मानी गयी। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 49,000/– है।

सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने निम्न दोषो के निवारण हेतु पटटाधारी को चेतना पत्र संख्या 62 दिनांक 01.06.2022 जारी किया गया। जो कि पटटेधारी को नियमानुसार तामिल हुआ।

1– खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनीकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिती में खननकार्य किया जाना नहीं पाया गया।

2––खननपट्टा की सुरक्षा दीवार/तारबंदी किया जाना नहीं पाया गया।

3– खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नहीं किया जाना पाया गया।

4–खननपट्टे से संबंधित वृक्षारोपण नहीं किया जाना पाया।

पटटाधारी द्वारा चेतना पत्र का प्रस्तुत जबाव दिनांक 16.06.2022 अनुसार चेतना पत्र की पूर्ण पालना नही हुई। चेतना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात भी पूर्ण पालना नहीं होने से सहायक खनि अभियन्ता, चूरू द्वारा खननपट्टे का क्षैत्रफल बहुत कम 2150वर्गमीटर होने व अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार बैंच बनाकर सुरक्षित तरीके से खननकार्य किया जाना संभव नहीं होने का उल्लेख करते हुए उक्त खनन पटटे को खण्डित करने के अनुमोदन का प्रस्ताव निदेशालय, उदयपुर को प्रेषित करते हुए प्रति इस कार्यालय को पृष्ठाकिंत की गयी। तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1687 दिनांक 07.09.2022 द्वारा निदेशालय को अनुशंषा की गयी। जिस पर निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर ने अपने पत्र क्रमांकः 825 दिनांक 08.09.2022 के द्वारा उक्त खनन पटटा खण्डित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चूरू के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमो में प्रदत शक्तियो का उपयोग करते हुए उक्त खनन पटटा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरन्त प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

(भीमसिंह)
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

क्रमांक/सम/ 2002 दिनांकः 9.9.2022

प्रतिलिपीः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान निदेशक, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को उनके पत्र क्रमांकः निदे/ प. 2(एच–1)चूरू/2022/825 दिनांक 08.09.2022 के संदर्भ में।
2. श्रीमान जिला कलक्टर , चुरू।
3. उप वन संरक्षक, चूरू ।
4. सहायक खनि अभियन्ता, चुरू को उनके पत्र क्रमांक 454 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में।
5. श्रीमति शान्ति देवी पत्नि श्री दौलाराम खटीक, निवासी–रणधीसर, तहसील–सुजानगढ़, जिला–चूरू (राजस्थान) ।
6. रक्षित पत्रावली

अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

CC-I
09/09/2022

निरीक्षण रिपोर्ट

ML-73/1977

162

आज दिनांक 28/05/2022 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा खनन पट्टा संख्या 73/77 पचवारी शंकर लाल पुत्र फल डॉ. वास्ते खनिज श्री बैजनाथ सिंह ग्राम रणधीसर पहाड़ी तह: सुजानगढ़ जिला चुरू का मौका निरीक्षण करने हेतु मौके पर पहुंचा गया मौका निरीक्षण विधुवार निम्न प्रकार है:

(i) वक्त निरीक्षण खनन पट्टा से संबंधित सीमांकन स्तम्भ लगे हुये पाये गये।

(ii) वक्त निरीक्षण खनन पट्टे की संबंधित सूचना बोर्ड लगा हुआ पाया गया

(iii) वक्त निरीक्षण खनन पट्टे के आस-पास अवैध पैमारोपण दृष्टिगोचर किया हुआ पाया गया।

(iv) खनन पट्टे के बाहरी सीमा पर सुरक्षा हेतु तारबंदी की हुई पायी गई।

(v) वक्त निरीक्षण खनन पट्टे में खनन कार्य चालू पाया गया किन्तु सुरक्षा उपकरणों का उपयोग खनन मजदूरों द्वारा किया जाना नहीं पाया गया

(vi) खनन पट्टे में खनन कार्य खान सुरक्षा निदेशालय द्वारा नियुक्त तकनिकी कर्मचारी / खान प्रबंधक की उपस्थिति में नहीं किया जाना पाया।

CC-I
Issued Notice to Lessee
30/05/2022

(vii) खनन पट्टे में खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना (माइनिंग प्लान) के अनुसार किया जाना नहीं पाया गया।

सोड़ा — R.T.O

मौके पर निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर तत्काल किया जाये।

28/5/22
MF II

28/05/2022
AME Churu
Camp-Randhisar

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

ML-73/1977

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

164

क्रमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–73/1977/ 76 दिनांक :– 01-06-2022

श्री शंकर लाल पुत्र श्री गणेशा राम ,
निवासी बड़ी जसोलाई,
तहसील व जिला बीकानेर ।

विषयः– खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के संबंध मे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में स्वीकृत खननपट्टा क्षैत्र का दिनांक 28.05.2022 को कार्यालय फिल्ड स्टाफ द्वारा निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण आपके खननपट्टा पर निम्नानुसरा कमियॉ पाई गयीः–

1. खननकार्य के दौरान खनन मजदूरों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नही किया जाना पाया गया।
2. आपके खननपट्टे पर खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनिकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य नही किया जाना पाया गया।
3. आपके खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसर खननकार्य नही किया जाना पाया गया।

अतः आपको इस चेतना पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप का निवारण इस चेतना पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि मे कर सूचित करे। उपरोक्त पालना नही किये जाने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अवहेलना मानी जांकर आपके खननपट्टे विरूद्व निम्नलिखित कार्यवाही की जावेगी :–

1– आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अनुसार शास्ती आरोपित की जावेगी ।

या

2–आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 45 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अंतर्गत खननपटटे की प्रतिभूति राशि का हरण करते हुवे खनन पटटे को खण्डित करने की कार्यवाही की जावेगी।

सो सूचित रहे।

01/06/2022
(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

ML-73/1977

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

165

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra,
Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–73/1977/76 दिनांक :– 01-06-2022

श्री शंकर लाल पुत्र श्री गणेशा राम ,
निवासी बड़ी जसोलाई,
तहसील व जिला बीकानेर ।

विषयः– खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के संबंध मे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में स्वीकृत खननपट्टा क्षैत्र का दिनांक 28.05.2022 को कार्यालय फिल्ड स्टाफ द्वारा निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण आपके खननपट्टा पर निम्नानुसरा कमियॉ पाई गयीः–

1. खननकार्य के दौरान खनन मजदूरों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नही किया जाना पाया गया।
2. आपके खननपट्टे पर खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनिकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य नही किया जाना पाया गया।
3. आपके खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसर खननकार्य नही किया जाना पाया गया।

अतः आपको इस चेतना पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप का निवारण इस चेतना पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि मे कर सूचित करे। उपरोक्त पालना नही किये जाने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अवहेलना मानी जांकर आपके खननपट्टे विरूद्व निम्नलिखित कार्यवाही की जावेगी :–

1– आप द्धारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अनुसार शास्ती आरोपित की जावेगी ।

या

2–आप द्धारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 45 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अंतर्गत खननपटटे की प्रतिभूति राशि का हरण करते हुवे खनन पटटे को खण्डित करने की कार्यवाही की जावेगी।

सो सूचित रहे।

(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

राजस्थान सरकार ML-73/1977

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सी–64, सादुलगंज, बीकानेर वृत्त बीकानेर।

कमांकःअखअ/बीका/अप्र/चुरू/एम.एल. 73/1977/ दिनांकः .2022

166

कार्यालय आदेश

श्री गणेशाराम पुत्र श्री तेजाराम मेघवाल, निवासी–बड़ी जसोलाई, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर के पक्ष मे एक खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर, तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में क्षैत्र 1575वर्गमीटर वार्षिक स्थिर भाटक 437.50 की दर पर संविदा.पंजीयन की तिथी से 10 वर्ष के लिए कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर के आदेश कमांक खअ/बीका/एमएमएल/73/1977/1420– 1424 दिनांक 22.12.1977 स्वीकृत हुआ। संविदा का पंजीयन दिनांक 27.04.1978 को हुआ। अतः खननपट्टा अवधि दिनांक 27.04.1978 से 26.04.1988 के लिए प्रभाव मे आया। पट्टाधारी द्वारा खननपट्टे का प्रथम नवीनीकरण एम.एल. 59/1987 अवधि दिनांक 27.04.1988 से 26.04.1998 तक के लिए दिनांक 26.10.1987 को कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर मे आवेदित किया गया। पट्टाधारी द्वारा खननपट्टे का द्वितीय नवीनीकरण एम.एल. 16/1998 अवधि दिनांक 27.04.1998 से 26.04.2018 तक के लिए दिनांक 23.04.1998 को कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर मे आवेदित किया गया। उक्त खननपट्टा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 के नियम 17(2) के तहत प्रभावशील रहा है। कार्यालय अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर जोन, जोधपुर के आदेश कमांक अनिखा/जोध /अप्र/चूरू/एम.एल./73/77/रणधीसर/2018 /1696 दिनांक 31.05.2018 द्वारा खननपट्टा का नामान्तरण श्री शंकरलाल पुत्र स्व0 श्री गणेशाराम मेघवाल, निवासी–बड़ी जसोलाई, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर के पक्ष में स्वीकृत किया गया। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 9(2) के तहत खननपट्टे की अवधि 26.04.2028 तक स्वतः ही बढी हुई मानी गयी। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 54951/– है।

सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने निम्न दोषो के निवारण हेतु पटटाधारी को चेतना पत्र संख्या 76 दिनांक 01.06.2022 जारी किया गया। जो कि पटटेधारी को नियमानुसार तामिल हुआ।

1– खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनीकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य किया जाना नहीं पाया गया।

2– खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नहीं किया जाना पाया गया।

पटटाधारी द्वारा चेतना पत्र का प्रस्तुत जबाव दिनांक 16.06.2022 अनुसार चेतना पत्र की पूर्ण पालना नही हुई। चेतना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात भी पूर्ण पालना नहीं होने से सहायक खनि अभियन्ता, चूरू द्वारा खननपट्टे का क्षैत्रफल बहुत कम 1575वर्गमीटर होने व अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार बैंच बनाकर सुरक्षित तरीके से खननकार्य किया जाना संभव नहीं होने का उल्लेख करते हुए उक्त खनन पटटे को खण्डित करने के अनुमोदन का प्रस्ताव निदेशालय, उदयपुर को प्रेषित करते हुए प्रति इस कार्यालय को पृष्ठाकिंत की गयी। तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1687 दिनांक 07.09.2022 द्वारा निदेशालय को अनुशंषा की गयी। जिस पर निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर ने अपने पत्र कमांकः 825 दिनांक 08.09.2022 के द्वारा उक्त खनन पटटा खण्डित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चूरू के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमो में प्रदत शक्तियो का उपयोग करते हुए उक्त खनन पटटा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरन्त प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

–sd–
भीमसिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

कमांकसम/1855 दिनांकः 9.9.22

प्रतिलिपीः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान निदेशक, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को उनके पत्र कमांकः निदे/प.2(एच–1)चूरू/2022/825 दिनांक 08.09.2022 के संदर्भ में।
2. श्रीमान जिला कलक्टर , चुरू।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरू को उनके पत्र कमांक 474 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में।
4. उप वन संरक्षक, चूरू।
5. श्री शंकरलाल पुत्र स्व0 श्री गणेशाराम मेघवाल, निवासी–बड़ी जसोलाई, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर(राजस्थान) द्वारा सहायक खनि अभियन्ता, चुरू।
6. रक्षित पत्रावली

भीमसिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

cc-I
09/09/2022

निरीक्षण रिपोर्ट

ML-50/1979

167

आज दिनांक- 27/5/2022 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा खनन क्षेत्र रणधीसर पहाड़ी तहसील-सुजानगढ़ जिला-चूरू में खनन पट्टा संख्या - 50/79 पट्टाधारी मैसर्स जैन स्टोन क्रशिंग वर्क्स-II क्षेत्र- ~~2000~~ 2700 हैं. वाले खनिज चेजा पत्थर (स्टोन बैलास्ट) का मौका निरीक्षण किया गया जिसका विवरण इस प्रकार है-

1. खनन निरीक्षण खनन पट्टा क्षेत्र पर खनन पट्टा से संबंधित सूचना का बोर्ड स्थापित पाया गया।
2. मौके पर खनन पट्टा के सीमा स्तम्भ लगे हुए पाए गये।
3. खनन पट्टा में खनन कार्य चालू पाया गया।
4. खनन निरीक्षण पट्टेधारी द्वारा आंशिक वृक्षारोपण किया जाना पाया गया।
5. खनन निरीक्षण खनन पट्टा की बाहरी सीमा पर सुरक्षा हेतु तारबंदी किया जाना पाया गया।
6. मौके पर खनन पट्टा में खनन कार्य खान प्रबंधक/तकनीकी कर्मचारी की उपस्थिति में किया जाना नहीं पाया गया।
7. खनन निरीक्षण खनन कार्य अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार किया जाना नहीं पाया गया।

निरीक्षण रिपोर्ट मौके पर तैयार कर हस्ताक्षर किये गये।

CC-I
issue Notice to lessee
सोह
30/05/2022

27/5/22
MF II

MFII

सोह
27/05/2022
AME Churu
Camp-Randhisar

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

ML-50/1979

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

168

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–50/1979/54 दिनांक :– 01-06-2022

सर्वश्री जैन स्टोन केसिंग वर्क्स--ा ,
निवासी रणधीसर पहाड़ी,
तहसील--सुजानगढ़, जिला– चूरू ।

विषयः– खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के संबंध मे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में स्वीकृत खननपट्टा क्षैत्र का दिनांक 27 05.2022 को कार्यालय फिल्ड स्टाफ द्वारा निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण आपके खननपट्टा पर निम्नानुसरा कमियॉ पाई गयीः–

1. आपके खननपट्टे पर खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनिकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य नही किया जाना पाया गया।
2. आपके खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नही किया जाना पाया गया।

अतः आपको इस चेतना पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप का निवारण इस चेतना पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि मे कर सूचित करे। उपरोक्त पालना नही किये जाने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अवहेलना मानी जांकर आपके खननपट्टे विरूद्व निम्नलिखित कार्यवाही की जावेगी :--

1– आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अनुसार शास्ती आरोपित की जावेगी ।

या

2–आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 45 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अंतर्गत खननपटटे की प्रतिभूति राशि का हरण करते हुवे खनन पटटे को खण्डित करने की कार्यवाही की जावेगी।

सो सूचित रहे।

01/06/2022
(सोहनलाल चूरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

C/C

ML-50/1979

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान) 169

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांक:– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–50/1979/ 54 दिनांक :– 01-06-2022

सर्वश्री जैन स्टोन केसिंग वर्क्स–II ,
निवासी रणधीसर पहाड़ी,
तहसील–सुजानगढ़, जिला– चूरू ।

विषय:– खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के संबंध मे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में स्वीकृत खननपट्टा क्षैत्र का दिनांक 27.05.2022 को कार्यालय फिल्ड स्टाफ द्वारा निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण आपके खननपट्टा पर निम्नानुसरा कमियॉ पाई गयी:–

1. आपके खननपट्टे पर खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनिकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य नही किया जाना पाया गया।
2. आपके खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नही किया जाना पाया गया।

अतः आपको इस चेतना पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप का निवारण इस चेतना पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि मे कर सूचित करे। उपरोक्त पालना नही किये जाने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अवहेलना मानी जांकर आपके खननपट्टे विरूद्व निम्नलिखित कार्यवाही की जावेगी :–

1– आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अनुसार शास्ती आरोपित की जावेगी ।

या

2–आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 45 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अंतर्गत खननपटटे की प्रतिभूति राशि का हरण करते हुवे खनन पटटे को खण्डित करने की कार्यवाही की जावेगी।

सो सूचित रहे।

(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

ML-50/1979

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सी–64, सादुलगंज, बीकानेर वृत्त बीकानेर।

170

क्रमांकःअखअ/बीका/अप्र/चुरू/एम.एल. 50/1979/ दिनांकः .2022

कार्यालय आदेश

सर्वश्री जैन स्टोन कसिंग वर्कस–II, रणधीसर पहाड़ी, तहसील –सुजानगढ़, जिला–चूरू के पक्ष में खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट, क्षैत्रफल 2700वर्गमीटर, निकट ग्राम रणधीसर पहाड़ी, तहसील सुजानगढ़, जिला–चूरू का प्रथम नवीनीकरण एम.एल. 50/1979 अवधि दिनांक 21.12.1979 से 20.12.1989 तक के लिये कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक सखअ/श्रीगंगा/एम.एम.एल./50/79/1585 दिनांक 30.08.1979 द्वारा स्वीकृत किया गया। पट्टाधारी ने खननपट्टा का द्वितीय नवीनीकरण एम.एल. 87/1989 अवधि दिनांक 21.12.1989 से 20.12.1999 हेतु दिनांक 18.12.1989 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। पट्टाधारी ने खननपट्टा का तृतीय नवीनीकरण एम.एल. 41/1999 अवधि दिनांक 21.12.1999 से 20.12.2019 हेतु दिनांक 14.07.1999 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त खननपट्टा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 के नियम 17(2) के तहत प्रभावशील रहा है। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 9(3) के तहत खननपट्टे की अवधि 31.03.2025 तक स्वतः ही बढी हुई मानी गयी। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 49,000/– है।

सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने निम्न दोषो के निवारण हेतु पटटाधारी को चेतना पत्र संख्या 54 दिनांक 01.06.2022 जारी किया गया। जो कि पटटेधारी को नियमानुसार तामिल हुआ।

1–खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनीकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिती में खननकार्य किया जाना नहीं पाया गया।

2– खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नहीं किया जाना पाया गया।

पटटाधारी द्वारा चेतना पत्र का प्रस्तुत जबाव दिनांक 16.06.2022 अनुसार चेतना पत्र की पूर्ण पालना नही हुई। चेतना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात भी पूर्ण पालना नहीं होने से सहायक खनि अभियन्ता, चूरू द्वारा खननपट्टे का क्षैत्रफल बहुत कम 2700वर्गमीटर होने व अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार बैंच बनाकर सुरक्षित तरीके से खननकार्य किया जाना संभव नहीं होने का उल्लेख करते हुए उक्त खनन पटटे को खण्डित करने के अनुमोदन का प्रस्ताव निदेशालय, उदयपुर को प्रेषित करते हुए प्रति इस कार्यालय को पृष्ठाकिंत की गयी। तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1687 दिनांक 07.09.2022 द्वारा निदेशालय को अनुशंषा की गयी। जिस पर निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर ने अपने पत्र क्रमांकः 825 दिनांक 08.09.2022 के द्वारा उक्त खनन पटटा खण्डित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चूरू के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमो में प्रदत शक्तियो का उपयोग करते हुए उक्त खनन पटटा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरन्त प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

–sd–
भीमसिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

क्रमांक/सम/ 1898 दिनांकः 9.9.2022

प्रतिलिपीः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान निदेशक, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को उनके पत्र क्रमांकः निदे/ प.2(एच–1)चूरू/2022/825 दिनांक 08.09.2022 के संदर्भ में।
2. श्रीमान जिला कलक्टर , चुरू।
3. उप वन संरक्षक, चूरू ।
4. सहायक खनि अभियन्ता, चुरू को उनके पत्र क्रमांक 466 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में।
5. सर्वश्री जैन स्टोन कसिंग वर्कस–II, रणधीसर पहाड़ी, तहसील –सुजानगढ़, जिला–चूरू (राजस्थान)
6. रक्षित पत्रावली

cc-I
09/09/2022

भीमसिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

ML-71/1983

निरीक्षण रिपोर्ट

171

आज दिनांक- 27/5/2022 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा खनन क्षेत्र- रणधीसर पहाड़ी तहसील - खुजानगढ़ जिला - चूरू में घृत खनन पट्टा नंबर - 71/83 पट्टाधारी श्री मंगतूराम के पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र 0.2616 हैक्टर वाले खनिज - स्टोन बैलास्ट (- चेजा पत्थर) का मौका निरीक्षण किया गया, जिसका विवरण इस प्रकार है -

1. वक्त निरीक्षण खनन पट्टा क्षेत्र पर खनन पट्टा से संबंधित सूचना का बोर्ड स्थापित मिला।
2. वक्त निरीक्षण खनन पट्टा के सीमा स्तम्भ लगे हुए पाए गये।
3. मौके पर खनन पट्टा में खनन कार्य - चालू पाया गया।
4. वक्त निरीक्षण पट्टेधारी द्वारा वृक्षारोपण किया जाना नहीं पाया गया।
5. वक्त निरीक्षण खनन पट्टा की बाहरी सीमा के पास पक्की सुरक्षा दीवार बनी हुई पाई गई।
6. वक्त निरीक्षण खनन पट्टा में खनन कार्य खान प्रबंधक / तकनीकी कर्मचारी की उपस्थिति में किया जाना नहीं पाया गया।
7. वक्त निरीक्षण खनन पट्टा में खनन कार्य अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार किया जाना नहीं पाया गया।

निरीक्षण रिपोर्ट मौके पर तैयार कर हस्ताक्षर किये गये।

CC-I
Issue Notice to Lessee
30/05/2022

27/5/22
ARM II

27/05/2022
ARME Churu
Camp-Randhisar

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

ML-71/1983

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

172

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

कमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–71/1983/57 दिनांक :– 01-06-2022

श्री मंगतूराम पुत्र श्री भीखाराम डूडी जाति जाट
निवासी कस्बा छापर
तहसील सुजानगढ़, जिला– चूरू ।

विषयः– खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के संबंध मे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में स्वीकृत खननपट्टा क्षैत्र का दिनांक 27.05.2022 को कार्यालय फिल्ड स्टाफ द्वारा निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण आपके खननपट्टा पर निम्नानुसरा कमियॉ पाई गयीः–

1. आपके खननपट्टे पर खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनिकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य नही किया जाना पाया गया।
2. आपके खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नही किया जाना पाया गया।

अतः आपको इस चेतना पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि उप्ररोक्त आरोप का निवारण इस चेतना पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि मे कर सूचित करे। उपरोक्त पालना नही किये जाने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अवहेलना मानी जांकर आपके खननपट्टे विरूद्व निम्नलिखित कार्यवाही की जावेगी :–

1– आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अनुसार शास्ती आरोपित की जावेगी ।

या

2–आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 45 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अंतर्गत खननपटटे की प्रतिभूति राशि का हरण करते हुवे खनन पटटे को खण्डित करने की कार्यवाही की जावेगी।

सो सूचित रहे।

01/06/2022
(सोहनलाल गुर्रू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

3/6/22

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

ML-71/1983

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

173

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra,
Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

कमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–71/1983/57 दिनांक :– 01-06-2022

श्री मंगतूराम पुत्र श्री भीखाराम डूडी जाति जाट
निवासी कस्बा छापर
तहसील सुजानगढ़, जिला– चूरू ।

विषयः– खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के संबंध मे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में स्वीकृत खननपट्टा क्षैत्र का दिनांक 27.05.2022 को कार्यालय फिल्ड स्टाफ द्वारा निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण आपके खननपट्टा पर निम्नानुसरा कमियॉ पाई गयीः–

1. आपके खननपट्टे पर खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनिकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य नही किया जाना पाया गया।
2. आपके खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नही किया जाना पाया गया।

अतः आपको इस चेतना पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप का निवारण इस चेतना पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि मे कर सूचित करे। उपरोक्त पालना नही किये जाने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अवहेलना मानी जांकर आपके खननपट्टे विरूद्व निम्नलिखित कार्यवाही की जावेगी :–

1– आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अनुसार शास्ती आरोपित की जावेगी ।

या

2–आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 45 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अंतर्गत खननपटटे की प्रतिभूति राशि का हरण करते हुवे खनन पटटे को खण्डित करने की कार्यवाही की जावेगी।

सो सूचित रहे।

01/06/2022
(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

3/6/22

राजस्थान सरकार

ML-71/1983

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सी–64, सादुलगंज, बीकानेर वृत्त बीकानेर।

174

क्रमांकःअखअ/बीका/अप्र/चुरू/एम.एल. 71/1983/ दिनांकः .2022

कार्यालय आदेश

श्री जोराराम पुत्र श्री अमरा राम रैगर, निवासी–बीदासर, जिला–चूरू के पक्ष में एक खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट, निकट ग्राम रणधीसर पहाड़ी, तहसील सुजानगढ़ क्षेत्रफल 2616.90वर्गमीटर हेतु खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर के आदेश क्रमांक खअ/बीका/एम.एम.एल./82/76/2008 दिनांक 19.11.1976 द्वारा संविदा पंजीयन तिथि से 5 वर्ष के लिए स्वीकृत किया गया। संविदा का पंजीयन दिनांक 02.01.1979 को हुआ । इस प्रकार खननपट्टा अवधि दिनांक 02.01.1979 से 01.01.1984 के लिए प्रभाव मे आया। खननपट्टे का प्रथम नवीनीकरण एम.एल. 71/1983 कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक खअ/बीका/नवीनी/एमएमएल/71/83/1645 दिनांक 06.02.1991 अवधि 02.01.1984 से 01.01.1994 तक के लिये स्वीकृत किया गया। पट्टाधारी द्वारा खननपट्टे का द्वितीय नवीनीकरण एम.एल. 44/1993 दिनांक 21.05.1993 को अवधि दिनांक 02.01.1994 से 01.01.2004 हेतु आवेदित किया गया। पट्टाधारी द्वारा खननपट्टे का तृतीय नवीनीकरण एम.एल. 24/2003 दिनांक 14.07.2003 को अवधि दिनांक 02.01.2004 से 01.01.2024 हेतु आवेदित किया गया। उक्त खननपट्टा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 के नियम 17(2) के तहत प्रभावशील रहा है। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 9(2) के तहत खननपट्टे की अवधि 01.01.2029 तक स्वतः ही बढी हुई मानी गयी। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 59,104/– है। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक अखअ/बीका/अप्र/एम.एल./71/83/2261 दिनांक 20.07.2017 द्वारा खननपट्टा का हस्तान्तरण श्री मॅगतूराम पुत्र श्री भीखाराम डूडी, निवासी–छापर, तहसील– सुजानगढ़, जिला–चूरू (राजस्थान) के पक्ष मे स्वीकृत किया गया।

सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने निम्न दोषो के निवारण हेतु पटटाधारी को चेतना पत्र संख्या 57 दिनांक 01.06.2022 जारी किया गया। जो कि पटटेधारी को नियमानुसार तामिल हुआ।

1– खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनीकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिती में खननकार्य किया जाना नहीं पाया गया।

2– खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नहीं किया जाना पाया गया।

पटटाधारी द्वारा चेतना पत्र का प्रस्तुत जबाव दिनांक 16.06.2022 अनुसार चेतना पत्र की पूर्ण पालना नही हुई। चेतना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात भी पूर्ण पालना नहीं होने से सहायक खनि अभियन्ता, चूरू द्वारा खननपट्टे का क्षैत्रफल बहुत कम 2616.90वर्गमीटर होने व अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार बैंच बनाकर सुरक्षित तरीके से खननकार्य किया जाना संभव नहीं होने का उल्लेख करते हुए उक्त खनन पटटे को खण्डित करने के अनुमोदन का प्रस्ताव निदेशालय, उदयपुर को प्रेषित करते हुए प्रति इस कार्यालय को पृष्ठाकिंत की गयी। तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1687 दिनांक 07.09.2022 द्वारा निदेशालय को अनुशंषा की गयी। जिस पर निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर ने अपने पत्र क्रमांकः 825 दिनांक 08.09.2022 के द्वारा उक्त खनन पटटा खण्डित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चूरू के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमो में प्रदत शक्तियो का उपयोग करते हुए उक्त खनन पटटा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरन्त प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

–sd–
(भीमसिंह)
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

क्रमांक/सम/ 1988 दिनांकः 9.9.2022

प्रतिलिपीः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान निदेशक, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को उनके पत्र क्रमांकः निदे/प.2(एच–1)चूरू/2022/825 दिनांक 08.09.2022 के संदर्भ में।
2. श्रीमान जिला कलक्टर , चुरू।
3. उप्र वन संरक्षक, चूरू ।
4. सहायक खनि अभियन्ता, चुरू को उनके पत्र क्रमांक 450 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में।
5. श्री मॅगतूराम पुत्र श्री भीखाराम डूडी, निवासी–छापर, तहसील– सुजानगढ़, जिला–चूरू (राजस्थान)
6. रक्षित पत्रावली

cc–I
09/09/2022

अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

सेवा में,

सहायक खनिज अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
चूरू (राज0)।

विषयः— खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट एम.एल. 54/1990, निकट ग्राम–रणधीसर, तहसील–सुजानगढ़, जिला–चूरू(राजस्थान) का नामान्तरण करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे पिताजी श्री किशन सिंह गहलोत पुत्र श्री धुड़ाराम गहलोत के पक्ष में निकट ग्राम–रणधीसर, तहसील–सुजानगढ़, जिला–चूरू(राजस्थान) में खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट एम.एल. 54/1990 स्वीकृत है। इस संबंध में निवेदन है कि मेरे पिताजी श्री किशन सिंह गहलोत का स्वर्गवास दिनांक 05.09.2015 को हो चुका है। यह कि श्री किशन सिंह गहलोत के उनके वारिशों में मेरे अलावा मेरी माताजी श्रीमति पुष्पादेवी, एक भाई श्री महेन्द्र सिंह व दो बहन मीना गहलोत, नीतू तंवर है। उक्त सभी वारिशों द्वारा उक्त खननपट्टा मेरे नाम से नामान्तरण करने हेतु सहमति व्यक्त की है। अतः नामान्तरण शुल्क राशि 2,000/– जरिये चालान नं जी.आर.एन. 0063478308 दिनांक 15.06.2022 की प्रति प्रस्तुत कर रहा हूँ। मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति भी संलग्न है। सभी वारिशों से सहमति शपथ पत्र श्रीमान को शीघ्र प्रस्तुत कर दूँगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि नामान्तरण प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करे।

दिनांक
15.06.2022

CC-I

15/6/2022

प्रार्थी

(सुरेन्द्र सिंह गहलोत पुत्र श्री
किशन सिंह गहलोत)

राजस्थान सरकार

ML-54/1990

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

176

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एल./54/1990/1380 दिनांक :–26.08.2022

श्री सुरेन्द्र सिंह गहलोत पुत्र श्री किशन सिंह गहलोत,
निवासी–रानीसर बास, बीकानेर,
तहसील व जिला– बीकानेर।

विषय :– श्री किशन सिंह गहलोत पुत्र श्री धुड़ाराम गहलोत, निवासी–रानीसर बास, बीकानेर जिला–बीकानेर के पक्ष स्वीकृत खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर, तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू(राजस्थान) का नामान्तरण श्री सुरेन्द्र सिंह गहलोत पुत्र श्री किशन सिंह गहलोत, निवासी–रानीसर बास, बीकानेर जिला–बीकानेर के पक्ष में करने के संबंध में।

प्रसंगः– आपका आवेदन पत्र दिनांक 01.09.2016 व दिनांक 15.06.2022 के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्री किशन सिंह गहलोत पुत्र श्री धुड़ाराम गहलोत, निवासी–रानीसर बास, बीकानेर जिला–बीकानेर के पक्ष मं एक खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर, तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में क्षैत्र 5578.45वर्गमीटर वार्षिक स्थिर भाटक 7215/– प्रति वर्ष की दर से कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, जोधपुर वृत, जोधपुर के आदेश क्रमांक अखअ/जोध/सीसी/एफ(198)80–81/366 दिनांक 07.03.1981 द्वारा खननपट्टे का प्रथम नवीनीकरण अवधि दिनांक 05.12.1980 से 04.12.1990 तक के लिए स्वीकृत किया गया। दिनांक 04.12.1990 से आगे की अवधि के लिए खननपट्टा का नवीनीकरण आवेदन पत्र ततसमय वन डायवतर्जन नही होने व उसके बाद अवैध खनन की राशि बकाया होने के कारण स्वीकृत नही किये जा सके। खननपट्टा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 74 के तहत कियाशील रहा है।

श्री किशन सिंह गहलोत पुत्र श्री धुड़ाराम गहलोत, निवासी–रानीसर बास, बीकानेर जिला–बीकानेर की मृत्यु दिनांक 05.09.2015 को हो जाने पर उनके पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह गहलोत पुत्र श्री किशन सिंह गहलोत, निवासी–रानीसर बास, बीकानेर जिला–बीकानेर द्वारा खननपट्टा नामान्तरण आवेदन इस कार्यालय में दिनांक 01.09.2016 को प्रस्तुत किया गया। इस कार्यालय द्वारा कमीपूर्ति नोटिस 1366 दिनांक 08.09.2016 जारी किया गया। आवेदनकर्ता द्वारा दिनांक 15.06.2022 को प्रार्थना–पत्र के साथ नामांतरण शुल्क राशि 2,000/– जी.आर.एन. नं. 0063478308 दिनांक 15.06.2022 का जमा शुदा चालान की प्रति प्रस्तुत कर खननपट्टा स्वयं के नाम नामान्तरण करने हेतु निवेदन किया गया।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 दिनांक 01.03.2017 से प्रभाव में आने के कारण नियम 76(2) के तहत खननपट्टा नामांतरण आवेदन पत्र मय शुल्क खानधारी की मृत्यु तिथी से तीन माह की समयावधि में प्रस्तुत करना आवश्यक है। चूंकि प्रकरण में नामांतरण शुल्क 3 माह की समयावधि के पश्चात् प्रस्तुत किये जाने से राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 76(2) के तहत उक्त खननपट्टे का नामांतरण आवेदन पत्र स्वतः ही अस्वीकृत की श्रेणी में आता है।

अतः राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नामांतरण आवेदन पत्र को अस्वीकृत किया जाकर खननपट्टा खण्डित किया जाता है।

26/08/2022
(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

क्रमांक/सम/1381 दिनांकः– 26.08.2022

प्रतिलिपि

1. श्री अर्जुनराम खनि कार्यदेशक को देकर लेख है कि खननपट्टा क्षैत्र का कब्जा राज्य सरकार के पक्ष में लिया जाकर कब्जा रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

26/08/2022
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

निरिक्षण रिपोर्ट

ML-49/1983

177

आज दिनांक 28/05/2022 को अधोहस्ताक्षरकर्ती द्वारा खनन पट्टा संख्या- 49/1983 पहाड़ापानी मै. रामवतार खरीक क्षेत्रफल 0.2000 है. वाले स्थित ग्राम बेलाहर निकट ग्राम रणजीत पहाड़ी तह. सुजानगढ़ जिला चुरू का मौका निरिक्षण करने हेतु मौके पर पंहुचा गया। खनन पट्टे का मौका निरिक्षण निम्नवार निम्न प्रकार है:

(i) वक्त निरिक्षण खनन पट्टे से संबंधित सीमा स्तम्भ लगे हुये पाये गये।

(ii) वक्त निरिक्षण खनन पट्टे से संबंधित सूचना बोर्ड लगा हुआ पाया गया।

(iii) वक्त निरिक्षण खनन पट्टे के आस-पास आंशिक पौधारोपण / वृक्षारोपण किया हुआ पाया गया।

(iv) खनन पट्टे के बाहरी सीमा पर सुरक्षा टैंच तारबंदी की हुई पायी गई।

(v) वक्त निरिक्षण खनन पट्टे में खनन कार्य चालू पाया गया किन्तु खनन मजदूरों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नहीं किया जाता पाया।

(vi) खनन पट्टे में खनन कार्य ~~खान~~ निदेशालय खान सुरक्षा द्वारा नियुक्त तकनिकी कर्मचारी / खान प्रबंधन की अनुमति में नहीं किया जाता पाया गया।

cc-1 Issue Notice to lessee 30/05/2022

(vii) खनन पट्टे में खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना (माइनिंग प्लान) के अनुसार नहीं किया जाता पाया गया।

मौके पर निरिक्षण रिपोर्ट तैयार कर हस्ताक्षर किये गये।

28/5/22 Tosy Mehta MFH

28/05/2022 AME Churu Camp Ramdhiwar

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

ML-49/1983

178

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–49/1983/69 दिनांक :– 01-06-2022

श्री रामअवतार खटीक पुत्र श्री सत्यनारायण खटीक,
निवासी–रणधीसर,
तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू।

विषयः– खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के संबंध मे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में स्वीकृत खननपट्टा क्षैत्र का दिनांक 28.05.2022 को कार्यालय फिल्ड स्टाफ द्वारा निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण आपके खननपट्टा पर निम्नानुसरा कमियॉ पाई गयीः–

1. खननकार्य के दौरान खनन मजदूरों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नही किया जाना पाया गया।
2. आपके खननपट्टे पर खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनिकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य नही किया जाना पाया गया।
3. आपके खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसर खननकार्य नही किया जाना पाया गया।

अतः आपको इस चेतना पत्र द्धारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप का निवारण इस चेतना पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि मे कर सूचित करे। उपरोक्त पालना नही किये जाने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अवहेलना मानी जांकर आपके खननपट्टे विरूद्व निम्नलिखित कार्यवाही की जावेगी :–

1– आप द्धारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अनुसार शास्ती आरोपित की जावेगी ।

या

2–आप द्धारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 45 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अंतर्गत खननपटटे की प्रतिभूति राशि का हरण करते हुवे खनन पटटे को खण्डित करने की कार्यवाही की जावेगी।

सो सूचित रहे।

01/06/2022
(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

ML-49/1983

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

179

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)
Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–49/1983/69 दिनांक :– 01-06-2022

श्री रामअवतार खटीक पुत्र श्री सत्यनारायण खटीक,
निवासी–रणधीसर,
तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू।

विषयः– खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के संबंध मे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में स्वीकृत खननपट्टा क्षैत्र का दिनांक 28.05.2022 को कार्यालय फिल्ड स्टाफ द्वारा निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण आपके खननपट्टा पर निम्नानुसरा कमियॉ पाई गयीः–

1. खननकार्य के दौरान खनन मजदूरों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नही किया जाना पाया गया।
2. आपके खननपट्टे पर खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनिकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य नही किया जाना पाया गया।
3. आपके खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसर खननकार्य नही किया जाना पाया गया।

अतः आपको इस चेतना पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप का निवारण इस चेतना पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि मे कर सूचित करे। उपरोक्त पालना नही किये जाने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अवहेलना मानी जांकर आपके खननपट्टे विरूद्व निम्नलिखित कार्यवाही की जावेगी :–

1– आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अनुसार शास्ती आरोपित की जावेगी ।

या

2–आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 45 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अंतर्गत खननपटटे की प्रतिभूति राशि का हरण करते हुवे खनन पटटे को खण्डित करने की कार्यवाही की जावेगी।

सो सूचित रहे।

(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

धर्मेन्द्र कुमार

राजस्थान सरकार ML-49/1983

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सी–64, सादुलगंज, बीकानेर वृत्त बीकानेर।

180

क्रमांकःअखअ/बीका/अप्र/चुरू/एम.एल. 49/1983/ दिनांकः .2022

कार्यालय आदेश

सर्वश्री जय बालाजी ईण्डस्ट्रीज, प्रो0 श्री सुशील कुमार सुरेखा, रणधीसर के पक्ष में खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट, निकट ग्राम रणधीसर पहाड़ी, तहसील सुजानगढ़ क्षेत्रफल 2000वर्गमीटर का प्रथम नवीनीकरण सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक सखअ/श्रीगंगा/एम.एम.एल./24/78/ 1592 दिनांक 31.07.1978 द्वारा अवधि दिनांक 26.11.1978 से 25.11.1983 हेतु स्वीकृत किया गया। खननपट्टे का द्वितीय नवीनीकरण एम.एल. 49/1983 कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक अखअ/बीका/एमएमएल/49/83/1074 दिनांक 02.11.1991 द्वारा अवधि 26.11.1983 से 25.11.1993 तक के लिये स्वीकृत किया गया। कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक खअ/बीका/एम.एल./49/83/996 दिनांक 22.03.1993 द्वारा खननपट्टा का हस्तान्तरण सर्वश्री अम्बिका स्टोन क्रेसिंग ईण्डस्ट्रीज, प्रो0 श्रीमति सरोज सहगल पत्नि श्री विनोद कुमार सहगल, निवासी–श्रीगंगानगर के पक्ष मे स्वीकृत किया गया। पट्टाधारी द्वारा खननपट्टे का तृतीय नवीनीकरण एम.एल. 51/1993 दिनांक 17.06.1993 को अवधि दिनांक 26.11.1993 से 25.11.2003 हेतु आवेदित किया गया। पट्टाधारी द्वारा खननपट्टे का चतुर्थ नवीनीकरण एम.एल. 23/2003 दिनांक 02.07.2003 को अवधि दिनांक 26.11.2003 से 25.11.2023 हेतु आवेदित किया गया। उक्त खननपट्टा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 के नियम 17(2) के तहत प्रभावशील रहा है। कार्यालय अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर जोन, जोधपुर के आदेश क्रमांक अनिखा/जोध/अप्र/एम.एल./49/83/986 दिनाक 28.02.2018 द्वारा खननपट्टा का नामान्तरण श्री रजनीश सहगल पुत्र श्री विनोद कुमार सहगल, निवासी–फिरोजपुर सिटी(पंजाब) के पक्ष मे स्वीकृत हुआ। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 9(3) के तहत खननपट्टे की अवधि 31.03.2025 तक स्वतः ही बढी हुई मानी गयी। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 64,910/– है। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक अखअ/बीका/अप्र/एम.एल./49 /83/960 दिनांक 26.03.2018 द्वारा खननपट्टा का हस्तान्तरण श्री रामअवतार पुत्र श्री सत्यनारायण खटीक, निवासी रणधीसर, तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू (राजस्थान) के पक्ष मे स्वीकृत किया गया।

सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने निम्न दोषो के निवारण हेतु पटटाधारी को चेतना पत्र संख्या 69 दिनांक 01.06.2022 जारी किया गया। जो कि पटटेधारी को नियमानुसार तामिल हुआ।

1–खनन कार्य के दौरान खनन मजदूरों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नही किया जाना पाया गया।

2– खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनीकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिती में खननकार्य किया जाना नहीं पाया गया।

3– खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नहीं किया जाना पाया गया।

पटटाधारी द्वारा चेतना पत्र का प्रस्तुत जबाव दिनांक 14.06.2022 अनुसार चेतना पत्र की पूर्ण पालना नही हुई। चेतना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात भी पूर्ण पालना नहीं होने से सहायक खनि अभियन्ता, चूरू द्वारा खननपट्टे का क्षैत्रफल बहुत कम 2000वर्गमीटर होने व अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार बैंच बनाकर सुरक्षित तरीके से खननकार्य किया जाना संभव नहीं होने का उल्लेख करते हुए उक्त खनन पटटे को खण्डित करने के अनुमोदन का प्रस्ताव निदेशालय, उदयपुर को प्रेषित करते हुए प्रति इस कार्यालय को पृष्ठाकिंत की गयी। तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1687 दिनांक 07.09.2022 द्वारा निदेशालय को अनुशंषा की गयी। जिस पर निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर ने अपने पत्र क्रमांकः 825 दिनांक 08.09.2022 के द्वारा उक्त खनन पटटा खण्डित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चूरू के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमो में प्रदत शक्तियो का उपयोग करते हुए उक्त खनन पटटा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरन्त प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

-sd-
भीमसिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

क्रमांक/सम/ 1973 दिनांकः 9.9.2022

प्रतिलिपीः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान निदेशक, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को उनके पत्र क्रमांकः निदे/प.2(एच–1)चूरू/2022/825 दिनांक 08.09.2022 के संदर्भ में।
2. श्रीमान जिला कलक्टर , चुरू।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरू को उनके पत्र क्रमांक 462 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में।
4. उप वन संरक्षक, चूरू।
5. श्री रामअवतार पुत्र श्री सत्यनारायण खटीक, निवासी रणधीसर, तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू (राजस्थान) द्वारा सहायक खनि अभियन्ता, चुरू।
6. रक्षित पत्रावली

cc-I
09/09/2022

भीमसिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

राजस्थान - सरकार

- मौका निरीक्षण रिपोर्ट :-

आज दिनांक 16-07-2022 को अधोहस्ताक्षर कर्ता के द्वारा श्री वीरबलराम पुत्र श्री गणेशराम बावरी निवासी रणधीसर नयाबास, तहसील - सुजानगढ़, जिला - चुरू के पक्ष में स्वीकृत सप्रधान खनन पट्टा ML NO. 40/1985 स्वीकृत क्षेत्र 1400 वर्गमीटर वास्ते खनिज स्थेन बैलास्ट निकट ग्राम - रणधीसर, तहसील - सुजानगढ़, जिला - चुरू का मौका निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण करने पर पाया कि उक्त खननपट्टा का नवीनीकरण आवेदन पत्र इस कार्यालय में लम्बित होने से नवीनीकरण के मामलों में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 31-12-2013 तक नवीनीकरण स्वीकृत नहीं होने की दशा में दिनांक 31-12-2013 के पश्चात दिनांक 01-01-2014 से उक्त खननपट्टा क्षेत्र में खननकार्य पूर्णतया बन्द करवाया गया है जो आज दिनांक तक बन्द पड़ा है। मौके पर कोई भी व्यक्ति, मजदूर इत्यादि नहीं मिला। स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के निर्धारित साईज के पक्के पिलर्स बने हुए नहीं पाये गये तथा स्वीकृत खान के चारों तरफ सुरक्षा के लिए दीवार/ तारबन्दी नहीं की हुई पाई गई। स्वीकृत खान का क्षेत्र बहुत ही कम 1400 वर्ग मीटर है तथा इसकी साईज भी लम्बाई 50 से 58.50 मीटर तथा चौड़ाई 13 mtr. से 43 मीटर ही है। इतनी छोटी साईज व कम क्षेत्र 1400 वर्गमीटर में पहाड़ी की तलहटी में 100 से 150 फिट की गहराई में नियमानुसार विधिवत बैंच पद्धति से सुरक्षित खनन कार्य किया जाना सम्भव नहीं है। स्वीकृत खनन पट्टे का क्षेत्र बहुत ही कम होने के कारण ही विभाग द्वारा पूर्व में वर्ष 2000 एवं 2012 में निरीक्षण के दौरान स्वीकृत लीज क्षेत्र के बाहर अवैध खनन कार्य किया जाना पाया गया जिसका नियमानुसार मौका पेचनामा बनाकर अवैध खनन की कुल शास्ती राशी रु. 60,61,564/- आरोपित की गई जिसे पट्टेधारी द्वारा दिनांक 12-08-2022 को राजकोष में जमा करवाये है। चूंकि स्वीकृत खनन पट्टे की साईज एवं क्षेत्र 1400 वर्ग मीटर बहुत ही कम होने से विधिवत बैंच पद्धति से सुरक्षित खनन कार्य नहीं होने के कारण उक्त खनन पट्टा खण्डित किये जाने के योग्य है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर सादर प्रस्तुत है।

सोहन
16/07/2022
AME Churu
Camp - Rundhisar.

CC - I

सोहन
18/07/2022

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- amechuru@dmg-raj.org

कमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–40/1985/99 दिनांक :– 26/07/2022

श्री बीरबलराम पुत्र श्री गणेशाराम बाबरी,
निवासी रणधीसर पहाड़ी,
तहसील–सुजानगढ़, जिला– चूरू।

विषय :– खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू क्षैत्र 1400वर्गमीटर के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पटटा स्थल का अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 16.07.2022 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के अनुसार निम्नलिखित कमियां पाई गई:–

1. खननपट्टा स्थल के सीमा स्तम्भ निर्धारित आकार के नहीं मिले, अतः निर्धारित आकार के सीमा स्तम्भ स्थापित कर फोटो सहित कार्यालय में प्रस्तुत करें।
2. खननपट्टा स्थल पर वृक्षारोपण संबंधी कोई उपाय नहीं किया जाना पाया गया, अतः वृक्षारोपण की सूचना फोटो सहित कार्यालय में प्रस्तुत करें।
3. खननपट्टा स्थल की सुरक्षा संबंधी कोई चारदीवारी या तारबंदी/फेंसिंग की हुई नहीं मिली, अतः नियमानुसार कमी पूर्ती कर कार्यालय को फोटो सहित अवगत करवाये।
4. खननपट्टा 1400 वर्गमीटर क्षैत्रफल में स्वीकृत है, जिसकी गहराई 100 से 150 फीट हो गयी है। खननपट्टा में माईनिंग प्लान(खनन योजना) अनुसार विधिवत बैंच पद्धति अनुसार खननकार्य नहीं किया गया है।

अतः आपको इस चेतना पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि आपरोक्त आरोप का निवारण इस चेतना पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में कर सूचित करें। उपरोक्त पालना नहीं किये जाने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अवहेलना मानी जांकर आपके विरूद निम्नलिखित कार्यवाही की जावेगी :–

1– आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तों राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1) (viii), 30(1,2) के अनुसार शास्ती आरोपित की जावेगी ।

या

2–आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 45 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1) (viii), 30(1,2) के अंतर्गत खननपट्टे की प्रतिभूति राशि का हरण करते हुवे खनन पटटे को खण्डित करने की कार्यवाही की जावेगी,

सौ सूचित रहे।

प्राप्त किया
बीरबलराम

(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

CC–I
29/07/2022

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN
कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर(राजस्थान)
Office of the Supdt. Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, C-64, Sadulganj, Bikaner (Rajasthan)
Tel. no 0151-2226611
E-mail- sme.bikaner@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– अखअ/बीका/अप्र/चुरू/एम.एल.–40/1985/ दिनांक :– .09.2022

कार्यालय आदेश

श्री गणेशाराम पुत्र श्री जेठाराम बावरी के पक्ष में खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट, क्षैत्रफल 1400 वर्गमीटर, एम.एल.–67/1979 कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक–1924 दिनांक 29.04.1979 द्वारा संविदा पंजीयन तिथि से 5 वर्ष के लिए स्वीकृत किया गया। संविदा का पंजीयन दिनांक 25.02.1980 को हुआ। इस प्रकार खननपट्टा अवधि दिनांक 25.02.1980 से 24.02.1985 तक के लिए प्रभावी हुआ। पट्टाधारी का स्वर्गवास दिनांक 27.09.1984 को होने के कारण खननपट्टे का नामान्तरण पट्टाधारी के पुत्र श्री बीरबलराम के पक्ष में कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर के आदेश क्रमांक खअ/बीका/एम.एल.–40/85/452 दिनांक 29.06.1985 के द्वारा स्वीकृत किया गया। खननपट्टे का प्रथम नवीनीकरण एम.एल. 40/85 अवधि दिनांक 01.03.1990 से 29.02.2000 तक के लिए कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर के आदेश क्रमांक खअ/बीका/एम.एल.–40/85/2207 दिनांक 15.11.1991 व संशोधित आदेश क्रमांक खअ/बीका/एम.एल.–40/85/684 दिनांक 29.02.1992 से स्वीकृत किया गया। खननपट्टे का द्वितीय नवीनीकरण आवेदन पत्र एम.एल. 4/2000 अवधि दिनांक 28.02.2000 से 28.02.2020 तक के लिए दिनांक 07.02.2000 को प्रस्तुत किया। उक्त खननपट्टा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 के नियम 17(2) के तहत प्रभावशील रहा है।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 9(2) के तहत खननपट्टे की अवधि 24.02.2030 तक स्वतः ही बढी हुई मानी गयी। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 68,600/– है।

स.ख.अ. चुरू द्वारा उक्त खनन पट्टे का दिनांक 16.07.2022 को मौका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार खनन पट्टे में पाई गयी निम्न कमियों के संबंध में पट्टाधारी को सहायक खनि अभियन्ता, चुरू द्वारा 30/45 दिवसीय नोटिस क्रमांक 99 दिनांक 26.07.2022 जारी किया गया, जो कि पट्टाधारी स्वयं को दिनांक 29.07.2022 को तामील हुआ।

1–खननपट्टा स्थल के सीमा स्तम्भ निर्धारित आकार के नहीं मिले।
2–खननपट्टा स्थल पर वृक्षारोपण संबंधी कोई उपाय नहीं किया जाना पाया गया।
3–खननपट्टा स्थल की सुरक्षा संबंधी कोई चारदीवारी या तारबंदी/फेंसिंग की हुई नहीं मिली।
4–खननपट्टा 1400 वर्गमीटर क्षैत्रफल में स्वीकृत है, जिसकी गहराई 100 से 150 फीट हो गयी है। खनन पट्टा में माइनिंग प्लान (खनन योजना) अनुसार विधिवत बैंच पद्धति अनुसार खनन कार्य नहीं किया गया है।

पटटाधारी द्वारा उक्त चेतना पत्र की पालना निर्धारित समयावधि पश्चात भी नही करने के कारण एवं उक्त खननपट्टे का क्षैत्रफल बहुत कम 1400 वर्गमीटर ही है तथा सहायक खनि अभियन्ता, चुरू की रिपोर्ट दिनांक 16.07.2022 अनुसार उक्त खननपट्टा में अनुमोदित खनन योजना (माईनिंग प्लान) के अनुसार बैंच बनाकर सुरक्षित तरीके से खननकार्य किया जाना संभव नहीं होने का उल्लेख करते हुए उक्त खनन पटटे को खण्डित करने के अनुमोदन का प्रस्ताव निदेशालय, उदयपुर को प्रेषित करते हुए प्रति इस कार्यालय को पृष्ठांकित की गयी। तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 2070 दिनांक 15.09.2022 द्वारा निदेशालय को अनुशंषा की गयी। जिस पर निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर ने अपने पत्र क्रमांक 847 दिनांक 19.09.2022 के द्वारा उक्त खनन पटटा खण्डित करने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चुरू के प्रस्ताव नुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमो में प्रदत शक्तियो का उपयोग करते हुए उक्त खनन पटटा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरंत प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

भीम सिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

कमांकसम/ 2082 दिनांक: 19.9.2022

प्रतिलिपीः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेशित हैः–

1. श्रीमान निदेशक, खान एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर को उनके पत्र क्रमांक 847 दिनांक 19.09.2022 के संदर्भ में।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चुरू।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरू को उनके पत्र क्रमांक 556 दिनांक 12.09.2022 के संदर्भ में।
4. उपवन संरक्षक, चुरू।
5. श्री बीरबल राम पुत्र श्री गणेशा राम बावरी, निवासी–रणधीसर नया बास, तहसील–सुजानगढ़ जिला–चूरू द्वारा सहायक खनि अभियन्ता, चुरू।

अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

cc-f
20/09/2022

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता
प्राप्ति क्रमांक 560
दिनांक 22-11-2022
खान एवं भू-विज्ञान विभाग, चूरू

निरीक्षण रिपोर्ट

ML-53/1978

आज दिनांक 28/05/2022 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा खनन पट्टा संख्या 53/48 पट्टाधारी श्री विनोद कुमार खांगड़ का क्षेत्रफल 0.25 है. निकट ग्राम रणधीसर पलाड़ी तह. सुजानगढ़ जिला चुरू का मौका निरीक्षण करने हेतु मौके पर पहुंचा गया। व मौका निरीक्षण निम्नवार निम्न प्रकार है:

(i) वर्तमान खनन पट्टा की संबंधित खनन सीमा स्तम्भ लगे हुये पाये गये।

(ii) खनन पट्टा से संबंधित सूचना बोर्ड लगा हुआ पाया गया।

(iii) खनन पट्टा के आस-पास आंशिक पौधारोपण किया हुआ पाया गया।

(iv) खनन पट्टे की बाहरी सीमा पर तारबंदी की हुई नहीं पायी गई।

(v) खनन पट्टे में खनन कार्य चालू पाया गया परन्तु सुरक्षा खनन मजदूरों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नहीं किया जाना पाया गया।

(vi) खनन पट्टे में खनन कार्य खान सुरक्षा निदेशालय द्वारा नियुक्त तकनीकी कर्मचारी/खान प्रबंधक की उपस्थिति में नहीं होता हुआ पाया गया।

(vii) खनन पट्टे में खनन कार्य अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार होता हुआ नहीं पाया गया।

मौके पर निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर हस्ताक्षर किये गये।

CC-I
issue Notice to lessee
30/05/2022

28/5/22
MF A

Tony
Mines
MEII

28/05/2022
AME Churu
Camp - Randhisar

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

ML-53/1978

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान) 186

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra,
Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–53/1978/73 दिनांक :– 01-06-2022

विनोद कुमार बांगड़वा पुत्र श्री मूल चन्द,
सी.–22, ब्लॉक–4, सैनिक बस्ती, चूरू।

विषयः– खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के संबंध मे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में स्वीकृत खननपट्टा क्षैत्र का दिनांक 28.05.2022 को कार्यालय फिल्ड स्टाफ द्वारा निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण आपके खननपट्टा पर निम्नानुसरा कमियॉ पाई गयीः–

1. खननकार्य के दौरान खनन मजदूरों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नही किया जाना पाया गया।
2. आपके खननपट्टे पर खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनिकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य नही किया जाना पाया गया।
3. आपके खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसर खननकार्य नही किया जाना पाया गया।
4. खननपट्टे की बाहरी तारबन्दी नही किया जाना पाया गया।

अतः आपको इस चेतना पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप का निवारण इस चेतना पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि मे कर सूचित करे। उपरोक्त पालना नही किये जाने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अवहेलना मानी जांकर आपके खननपट्टे विरूद्व निम्नलिखित कार्यवाही की जावेगी :–

1– आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अनुसार शास्ती आरोपित की जावेगी ।

या

2–आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 45 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अंतर्गत खननपटटे की प्रतिभूति राशि का हरण करते हुवे खनन पटटे को खण्डित करने की कार्यवाही की जावेगी।

सो सूचित रहे।

01/06/2022
(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

ML-53/1978

187

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–53/1978/73 दिनांक :– 01-06-2022

विनोद कुमार बांगड़वा पुत्र श्री मूल चन्द,
सी.–22, ब्लॉक–4, सैनिक बस्ती, चूरू।

विषयः– खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के संबंध मे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में स्वीकृत खननपट्टा क्षैत्र का दिनांक 28.05.2022 को कार्यालय फिल्ड स्टाफ द्वारा निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण आपके खननपट्टा पर निम्नानुसरा कमियॉ पाई गयीः–

1. खननकार्य के दौरान खनन मजदूरों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नही किया जाना पाया गया।
2. आपके खननपट्टे पर खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनिकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य नही किया जाना पाया गया।
3. आपके खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसर खननकार्य नही किया जाना पाया गया।
4. खननपट्टे की बाहरी तारबन्दी नही किया जाना पाया गया।

अतः आपको इस चेतना पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप का निवारण इस चेतना पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि मे कर सूचित करे। उपरोक्त पालना नही किये जाने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अवहेलना मानी जांकर आपके खननपट्टे विरूद्व निम्नलिखित कार्यवाही की जावेगी :–

1– आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अनुसार शास्ती आरोपित की जावेगी ।

या

2–आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 45 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अंतर्गत खननपटटे की प्रतिभूति राशि का हरण करते हुवे खनन पटटे को खण्डित करने की कार्यवाही की जावेगी।

सो सूचित रहे।

(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

राजस्थान सरकार

ML-53/1978

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सी–64, सादुलगंज, बीकानेर वृत्त बीकानेर।

188

कमांकःअखअ/बीका/अप्र/चुरू/एम.एल. 53/1978/ दिनांकः .2022

कार्यालय आदेश

श्री पी.राम सोमानी के पक्ष मे खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम– रणधीसर, तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू क्षैत्रफल 2550 वर्गमीटर का प्रथम नवीनीकरण अवधि दिनांक 16.02.1979 से 15.02.1989 हेतु कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, श्रीगंगानगर के आदेश कमांक सखअ/श्रीगंगा/एम.एम.एल./53/1978/3065 दिनांकः 21.12.1978 द्वारा स्वीकृत किया गया। पट्टाधारी द्वारा खननपट्टे का द्वितीय नवीनीकरण एम.एल. 38/1988 दिनांक 07.11.1988 को अवधि दिनांक 16.02.1989 से 15.02.1999 के लिए आवेदित किया गया। पट्टाधारी द्वारा खननपट्टे का तृतीय नवीनीकरण एम.एल. 06/1999 हेतु दिनांक 12.03.1999 को अवधि दिनांक 16.02.1999 से 15.02.2019 के लिए आवेदित किया गया। उक्त खननपट्टा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 के नियम 17(2) के तहत प्रभावशील रहा है। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 9(3) के तहत खननपट्टे की अवधि 31.03.2025 तक स्वतः ही बढी हुई मानी गयी। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 49,000/– है। इस कार्यालय के आदेश कमांक अखअ/बीका/अप्र/एमएल./53/1978/3663 दिनांक 13.10.2017 द्वारा खननपट्टा का हस्तान्तरण श्री विनोद कुमार पुत्र श्री मूलचन्द जाति जाट(बागंडवा) निवासी–सैनिक बस्ती, चूरू तहसील व जिला– चूरू(राजस्थान) के पक्ष मे स्वीकृत किया गया।

सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने निम्न दोषो के निवारण हेतु पटटाधारी को चेतना पत्र संख्या 73 दिनांक 01.06.2022 जारी किया गया। जो कि पटटेधारी को नियमानुसार तामिल हुआ।

1– खननकार्य के दौरान खनन मजदूरों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपकरणों का उपयोग नही किया जाना पाया गया।

2– खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनीकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य किया जाना नहीं पाया गया।

3– खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नहीं किया जाना पाया गया।

4– खननपट्टे की बाहरी तारबन्दी नही किया जाना पाया गया।

पटटाधारी द्वारा चेतना पत्र का प्रस्तुत जबाव दिनांक 18.07.2022 अनुसार चेतना पत्र की पूर्ण पालना नही हुई। चेतना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात भी पूर्ण पालना नहीं होने से सहायक खनि अभियन्ता, चूरू द्वारा खननपट्टे का क्षैत्रफल बहुत कम 2550वर्गमीटर होने व अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार बैंच बनाकर सुरक्षित तरीके से खननकार्य किया जाना संभव नहीं होने का उल्लेख करते हुए उक्त खनन पटटे को खण्डित करने के अनुमोदन का प्रस्ताव निदेशालय, उदयपुर को प्रेषित करते हुए प्रति इस कार्यालय को पृष्ठाकिंत की गयी। तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1687 दिनांक 07.09.2022 द्वारा निदेशालय को अनुशंषा की गयी। जिस पर निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर ने अपने पत्र कमांकः 825 दिनांक 08.09.2022 के द्वारा उक्त खनन पटटा खण्डित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चूरू के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमो में प्रदत शक्तियो का उपयोग करते हुए उक्त खनन पटटा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरन्त प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

-sd-
भीमसिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

कमांक/सम/ 1925 दिनांकः 9.9.2022

प्रतिलिपीः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान निदेशक, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को उनके पत्र कमांकः निदे/प.2(एच–1)चूरू/2022/825 दिनांक 08.09.2022 के संदर्भ में।
2. श्रीमान जिला कलक्टर , चुरू।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरू को उनके पत्र कमांक 470 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में।
4. उप वन संरक्षक, चूरू।
5. श्री विनोद कुमार पुत्र श्री मूलचन्द जाति जाट(बागंडवा) निवासी–सैनिक बस्ती, चूरू तहसील व जिला– चूरू(राजस्थान) द्वारा सहायक खनि अभियन्ता, चुरू।
6. रक्षित पत्रावली

CC-I
09/09/2022

भीमसिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

ML-101/1977

निरीक्षण रिपोर्ट

189

आज दिनांक - 27/5/2022 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा खनन क्षेत्र - रणधीसर पहाड़ी तहसील - सुजानगढ़ जिला - चूरू ~~का मौका~~ में धृत खनन पट्टा लंबा - 101/77 पट्टाधारी श्रीमति - ममता देवी के पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र - 0.3600 हैक्टर वास्ते खनिज - स्टोन बैलास्ट (चेजापत्थर) का मौका निरीक्षण किया गया, जिसका विवरण इस प्रकार है -

1. वक्त निरीक्षण खनन पट्टा क्षेत्र पर खनन पट्टा से संबंधित सूचना का बोर्ड स्थापित पाया गया।
2. वक्त निरीक्षण खनन पट्टा के सीमा स्तम्भ लगे हुए पाए गये।
3. मौके पर खनन पट्टा में खनन कार्य चालू पाया गया।
4. वक्त निरीक्षण पट्टेधारी द्वारा वृक्षारोपण किया जाना नहीं पाया गया।
5. वक्त निरीक्षण खनन पट्टा की बाहरी सीमा पर रास्ते की तरफ पक्की सुरक्षा दीवार बनाई हुई पाई गई।
6. वक्त निरीक्षण खनन पट्टा में खनन कार्य खान प्रबंधक/तकनीकी कर्मचारी की उपस्थिति में किया जाना नहीं पाया गया।
7. वक्त निरीक्षण खनन पट्टा में खनन कार्य अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार किया जाना नहीं पाया गया।

मौके पर निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर हस्ताक्षर किये गये।

CC-I
issue Notice to Lessee
30/05/2022

Tony
MCII

27/5/22
MF-II

27/05/2022
AME Churu
Camp-Randhisar

ML-101/1977

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

190

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–101/1977/64 दिनांक :– 01-06-2022

श्रीमति ममता देवी पत्नि श्री नेरन्द्र कुमार जाति जाट,
निवासी–3 एच.डी.पी.(हरदयालपुरा),
तहसील –पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

विषयः– खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के संबंध मे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में स्वीकृत खननपट्टा क्षैत्र का दिनांक 27.05.2022 को कार्यालय फिल्ड स्टाफ द्वारा निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण आपके खननपट्टा पर निम्नानुसरा कमियॉ पाई गयीः–

1. आपके खननपट्टे पर खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनिकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य नही किया जाना पाया गया।
2. आपके खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसर खननकार्य नही किया जाना पाया गया।

अतः आपको इस चेतना पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप का निवारण इस चेतना पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि मे कर सूचित करे। उपरोक्त पालना नही किये जाने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अवहेलना मानी जांकर आपके खननपट्टे विरूद्व निम्नलिखित कार्यवाही की जावेगी :–

1– आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अनुसार शास्ती आरोपित की जावेगी ।

या

2–आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 45 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अंतर्गत खननपटटे की प्रतिभूति राशि का हरण करते हुवे खनन पटटे को खण्डित करने की कार्यवाही की जावेगी।

सो सूचित रहे।

01/06/2022
(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

ML-101/1977

191

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

कमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–101/1977/64 दिनांक :– 01-06-2022

श्रीमति ममता देवी पत्नि श्री नेरन्द्र कुमार जाति जाट,
निवासी–3 एच.डी.पी.(हरदयालपुरा),
तहसील –पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

विषयः– खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के संबंध मे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में स्वीकृत खननपट्टा क्षैत्र का दिनांक 27.05.2022 को कार्यालय फिल्ड स्टाफ द्वारा निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण आपके खननपट्टा पर निम्नानुसरा कमियॉ पाई गयीः–

1. आपके खननपट्टे पर खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनिकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य नही किया जाना पाया गया।
2. आपके खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसर खननकार्य नही किया जाना पाया गया।

अतः आपको इस चेतना पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप का निवारण इस चेतना पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि मे कर सूचित करे। उपरोक्त पालना नही किये जाने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अवहेलना मानी जांकर आपके खननपट्टे विरूद्व निम्नलिखित कार्यवाही की जावेगी :–

1– आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अनुसार शास्ती आरोपित की जावेगी ।

या

2–आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 45 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अंतर्गत खननपटटे की प्रतिभूति राशि का हरण करते हुवे खनन पटटे को खण्डित करने की कार्यवाही की जावेगी।

सो सूचित रहे।

(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

ML-101/1977

192

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सी–64, सादुलगंज, बीकानेर वृत्त बीकानेर।

क्रमांकःअखअ/बीका/अप्र/चुरू/एम.एल. 101/1977/ दिनांकः .2022

कार्यालय आदेश

श्री पन्ना लाल भाम्भी पुत्र श्री बालूराम भाम्भी, निवासी जायल, तहसील–जायल, जिला नागौर के पक्ष में एक खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम–रणधीसर, तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू क्षैत्रफल 3600वर्गमीटर स्थिर भाटक 630/– संविदा निष्पादन से 10 वर्ष के लिये कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक खअ/बीके/एम.एल./101/1977/01–06 दिनांकः 02.01.1978 द्वारा स्वीकृत किया गया। संविदा का पंजीयन 07.01.1978 को हुआ । इस प्रकार खननपट्टा अवधि दिनांक 07.01.1978 से 06.01.1988 तक प्रभाव में आया। खननपट्टे का प्रथम नवीनीकरण एम.एल. 56/1987 दिनांक 08.10.1987 को अवधि दिनांक 07.01.1988 से 06.01.1998 तक के लिये आवेदित किया गया। खननपट्टे का द्वितीय नवीनीकरण हेतु दिनांक 21.08.1998 को अवधि दिनांक 07.01.1998 से 06.01.2018 तक के लिये आवेदित किया गया। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 9(2) के तहत खननपट्टे की अवधि 06.01.2028 तक स्वतः ही बढी हुई मानी गयी। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 31,213/– है। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक अखअ/बीका/अप्र/ चूरू/एम.एल./101/77/3279 दिनांक 08.09.2017 द्वारा खननपट्टा का हस्तांतरण श्रीमति ममता देवी पत्नि श्री नरेन्द्र कुमार जाति जाट, निवासी–3 एच.डी.पी. (हरदयालपुरा), तहसील– पीलीबंगा, जिला–हनुमानगढ़ (राजस्थान) के पक्ष में स्वीकृत किया गया।

सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने निम्न दोषो के निवारण हेतु पटटाधारी को चेतना पत्र संख्या 64 दिनांक 01.06.2022 जारी किया गया। जो कि पटटेधारी को नियमानुसार तामिल हुआ।

1–खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनीकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिती में खननकार्य किया जाना नहीं पाया गया।

2– खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नहीं किया जाना पाया गया।

[redacted] पटटाधारी द्वारा चेतना पत्र का प्रस्तुत जबाव दिनांक 29.06.2022 अनुसार चेतना पत्र की पूर्ण पालना नही हुई। चेतना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात भी पूर्ण पालना नहीं होने से सहायक खनि अभियन्ता, चूरू द्वारा खननपट्टे का क्षैत्रफल बहुत कम 3600वर्गमीटर होने व अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार बैंच बनाकर सुरक्षित तरीके से खननकार्य किया जाना संभव नहीं होने का उल्लेख करते हुए उक्त खनन पटटे को खण्डित करने के अनुमोदन का प्रस्ताव निदेशालय, उदयपुर को प्रेषित करते हुए प्रति इस कार्यालय को पृष्ठाकिंत की गयी। तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1687 दिनांक 07.09.2022 द्वारा निदेशालय को अनुशंषा की गयी। जिस पर निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर ने अपने पत्र क्रमांकः 825 दिनांक 08.09.2022 के द्वारा उक्त खनन पटटा खण्डित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चूरू के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमो में प्रदत शक्तियो का उपयोग करते हुए उक्त खनन पटटा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरन्त प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

-sd-
भीमसिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

[redacted] क्रमांक/सम/ 1932 दिनांकः 9.9.2022

प्रतिलिपीः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान निदेशक, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को उनके पत्र क्रमांकः निदे/प.2(एच–1)चूरू/2022/825 दिनांक 08.09.2022 के संदर्भ में।
2. श्रीमान जिला कलक्टर , चुरू।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरू को उनके पत्र क्रमांक 426 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में।
4. उप वन संरक्षक, चूरू।
5. श्रीमति ममता देवी पत्नि श्री नरेन्द्र कुमार जाति जाट, निवासी–3 एच.डी.पी.(हरदयालपुरा), तहसील–पीलीबंगा, जिला–हनुमानगढ़ (राजस्थान) द्वारा सहायक खनि अभियन्ता, चुरू।
6. रक्षित पत्रावली

CC-I
09/09/2022

भीमसिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

ML-75/1983

188 193

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, चूरू

पंचनामा कमांक 188

दिनांक 24/12/2021

मौका पंचनामा (अनाधिकृत खनन)

1- पंचनामा बनाने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पदनाम:- तौसिफ अहमद MFII अर्जुनराम MFII

2- पंचनामा बनाने की तिथी : 24/12/2021

3- पंचनामा बनाने का समय:

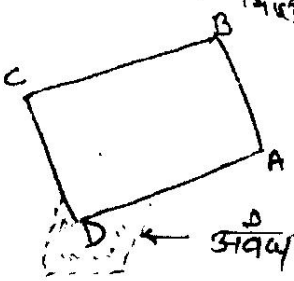
4- पंचनामा बनाये जाने वाले स्थान का पूर्ण विवरण(मय मौका नक्शा) खनन पट्टा संख्या 75/83 के पीजम व अन्य निम्न ग्राम रणधीसर पहाड़ी तह. सुजानगढ़ जिला चुरू राजस्थान

5- खनिज जिसका अवैध खनन पाया गया : मेहनरी स्टोन

6- नियम जिसके अंतर्गत पंचनामा बनाया गया : RMMCR-2017 के नियम 54 के अधीन

7- अनाधिकृत खनन के लिए खोदे गये पिटों का विवरण:-

पिट क्र	लम्बाई (m)	चौडाई (m)	गहराई (m)	अक्षांश / देशान्तर	खनिज का आयतन	भारीयक घनत्व	रिकवरी %	अवैध खनन की मात्रा
1	15	8	5		600 m3	2.6 (माइनिंग प्लान के अनुसार)	90%	1404 MT



नजरी नक्शा - Not to Scale

- पिट के फोटोग्राफ संलग्न करे एवं ऑनलाइन अपलोड करे।

8- अनाधिकृत खनन कर कुल निकाले गये खनिज की मात्रा:- 1404 MT

9- मौके पर जब्त किये गये खनिज की मात्रा:- —

10- अनाधिकृत खनन कार्य करने वाले व्यक्तियों के नाम व पते

क्र.स.	नाम अनाधिकृत खननकर्ता	पूर्ण पता
1.	हरी प्रसाद S/o मदनलाल जाट कि. अज्ञात	
2.		
3.	सुजानगढ़ चुरू	

11- अनाधिकृत खनन की कार्यावधि

(खननकर्ताओं व उपस्थिति मोतबीरान के बतलाये अनुसार)

12- अवैध खनन को निर्गमित किये जाने वाले व्यक्तियों / इकाईयों का विवरण: —

अना. शाखा
03/01/2022

13- अनाधिकृत खनन कार्य में उपयोग में लिये गये औजार,मशीनरी आदि का विवरण

क्र.सं.	नाम औजार/मशीनरी	संख्या
1.	मौके पर वक्त मिरिसा कोई मशीनरी/औजार आदि	
2.		
3.	मौके पर नहीं मिली।	
4.		
5.		

14- मौके पर जब्त किये गये खनिज/औजारों की सुपुर्दगी में लेने वाले व्यक्ति का विवरण नाम, पता व हस्ताक्षर

1- Nil

2- Nil

15- अन्य विवरण मौके पर वक्त मिरिसा उक्त खनन पट्टे के खनन पट्टा धारी/प्रतिनिधि हरिप्रसाद कालिका द्वारा खनन कार्य करने की जानकारी मिली।

16- अनाधिकृत खननकर्ताओं के हस्ताक्षर

क्र.सं.	नाम अनाधिकृत खननकर्ता	हस्ताक्षर	विवरण
1.	हरिप्रसाद S/o भवरलाल		
2.	जाट कि. आबसर		
3.	सुजानगढ़		
4.			

17- उपस्थित मोतबीरान के हस्ताक्षर

क्र.सं.	नाम मोतबीरान	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	हरिप्रसाद S/o भवरलाल		
2.	जाट कि. आबसर		
3.	सुजानगढ़		

पंचनामा बनाने वाले अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर

खनि-अभियन्ता को प्रस्तुत करने की दिनांक :-

ML-75/1983

195

राजस्थान–सरकार
GOVT OF RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एंव भू–विज्ञान विभाग, चूरू (राज.)।

E-mail-ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः–सखअ/चूरू/अवैध/2022–23/100 दिनांकः–01/06/2022

प्रेषितिः–

श्रीमती राजूदेवी पत्नी श्री नोपाराम मण्डा,
निवासी जोगलिया वाया राजलदेसर,
तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू।

विषयः–खनन पट्टा एम.एल. 75/1983 नि.ग्रा. रणधीसर में स्वीकृत खनन क्षेत्र के बाहर अवैध खनन की शास्ती राशि जमा कराकर अवैध खनन प्रकरण कम्पाउण्ड कराने बाबत्।

प्रंसगः– इस कार्यालय का जारी नोटिस स.ख.अ/चूरू/अवैध/2021–22/159 दिनांक 10.01.2022 के क्रम में।

[redacted] महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय द्वारा बनाये गये मौका पंचनामा दिनांक 24.12.2021 के अनुसार आप द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र एम.एल. 75/1983 नि.ग्रा. रणधीसर के बाहर 1404 टन खनिज मेसनरीस्टोन का अवैध खनन किया जाना पाया गया। जिसके संबंध में आपको प्रासंगिक पत्र से कारण बताओ नोटिस जारी कर आपका जवाब चाहा गया था, जो कि आज दिनांक तक प्राप्त नही हुआ है।

अतः आप द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर किये गये अवैध खनन की वर्तमान प्रचलित रॉयल्टी की दर रूपये 35/– प्रति टन की 10 गुणा राशि रू. 4,91,400/– की मांग कायम की जाकर आपको निर्देश दिये जाते है कि उपरोक्त वर्णित शास्ती राशि रूपये 4,91,400/– कार्यालय में उपस्थित होकर/ऑनलाईन माध्यम से 7 दिवस में राजकोष में जमा करवाकर अवैध खनन प्रकरण कम्पाउण्ड करावें, अन्यथा आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टे को खण्ड़ित करने की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। सो सूचित रहें।

सोहन
01/06/2022
(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता
खान एंव भू विज्ञान विभाग
चूरू (राज.)।

[redacted]

9c

क्रमांकः–सखअ/चूरू/अवैध/2022–23/101–103 दिनांकः–01/06/2022

प्रतिलिपि–

1. मांग शाखा कार्यालय हाजा को दी जाकर लेख है कि उपरोक्तानुसार मांग राशि को मांग संधारण रजिस्टर में दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही करें।
2. अधिशुल्क निर्धारण लिपिक कार्यालय हाजा को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. हल्का खनि कार्यदेशक को भेजकर लेख है कि पट्टाधारी द्वारा जब तक अवैध खनन की मांग राशि जमा नही हो जाती है, तब तक खनन पट्टे में खनन गतिविधियां स्थिगत रखने की कार्यवाही कर रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता को पेश करें।

सोहन
01/06/2022
सहायक खनि अभियन्ता
खान एंव भू विज्ञान विभाग
चूरू (राज.)।

9c

01/06/22

ML-75/1983

1496

राजस्थान–सरकार
GOVT OF RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एंव भू–विज्ञान विभाग, चूरू (राज.)।

E-mail-ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः–सखअ/चूरू/अवैध/2022–23/100 दिनांकः–01/06/2022

प्रेषितिः–

श्रीमती राजूदेवी पत्नी श्री नोपाराम मण्डा,
निवासी जोगलिया वाया राजलदेसर,
तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू।

विषयः–खनन पट्टा एम.एल. 75/1983 नि.ग्रा. रणधीसर में स्वीकृत खनन क्षेत्र के बाहर अवैध खनन की शास्ती राशि जमा कराकर अवैध खनन प्रकरण कम्पाउण्ड कराने बाबत्।

प्रंसगः– इस कार्यालय का जारी नोटिस स.ख.अ/चूरू/अवैध/2021–22/159 दिनांक 10.01.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय द्वारा बनाये गये मौका पंचनामा दिनांक 24.12.2021 के अनुसार आप द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र एम.एल. 75/1983 नि.ग्रा. रणधीसर के बाहर 1404 टन खनिज मेसनरीस्टोन का अवैध खनन किया जाना पाया गया। जिसके संबंध में आपको प्रासंगिक पत्र से कारण बताओ नोटिस जारी कर आपका जवाब चाहा गया था, जो कि आज दिनांक तक प्राप्त नही हुआ है।

अतः आप द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर किये गये अवैध खनन की वर्तमान प्रचलित रॉयल्टी की दर रूपये 35/– प्रति टन की 10 गुणा राशि रू. 4,91,400/– की मांग कायम की जाकर आपको निर्देश दिये जाते है कि उपरोक्त वर्णित शास्ती राशि रूपये 4,91,400/– कार्यालय में उपस्थित होकर/ऑनलाईन माध्यम से 7 दिवस में राजकोष में जमा करवाकर अवैध खनन प्रकरण कम्पाउण्ड करावें, अन्यथा आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टे को खण्ड़ित करने की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। सो सूचित रहें।

सोहन
01/06/2022
(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता
खान एंव भू विज्ञान विभाग
चूरू (राज.)।

9c

क्रमांकः–सखअ/चूरू/अवैध/2022–23/101–103 दिनांकः–01/06/2022

प्रतिलिपि–

1. मांग शाखा कार्यालय हाजा को दी जाकर लेख है कि उपरोक्तानुसार मांग राशि को मांग संधारण रजिस्टर में दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही करें।
2. अधिशुल्क निर्धारण लिपिक कार्यालय हाजा को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. हल्का खनि कार्यदेशक को भेजकर लेख है कि पट्टाधारी द्वारा जब तक अवैध खनन की मांग राशि जमा नही हो जाती है, तब तक खनन पट्टे में खनन गतिविधियां स्थिगत रखने की कार्यवाही कर रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता को पेश करें।

2-6-2022

सोहन
01/06/2022
सहायक खनि अभियन्ता
खान एंव भू विज्ञान विभाग
चूरू (राज.)।

9c

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN
कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर(राजस्थान)
Office of the Supdt. Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, C-64, Sadulganj, Bikaner (Rajasthan)
Tel. no 0151-2226611
E-mail- sme.bikaner@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– अखअ/बीका/अप्र/चुरू/एम.एम.एल.–75/1983/ दिनांक :–

कार्यालय आदेश

श्री बुधाराम पुत्र श्री भैराराम मेघवाल, निवासी रणधीसर, तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के पक्ष में सहायक खनि अभियन्ता, श्रीगंगानगर कार्यालय के आदेश क्रमांक सखअ/श्रीगंगा/एम. एम.एल.–35/78/1776 दिनांक 31.08.1978 द्वारा एक खनन पट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट क्षैत्रफल 1500वर्गमीटर निकटग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में वार्षिक स्थिरभाटक रूपये 437.50/– पर संविदा पंजीयन की तिथी से 5 वर्ष के लिये स्वीकृत हुआ। संविदा का पंजीयन दिनांक 15.01.1979 को हुआ । अतः खनन पट्टा अवधि 15.01.1979 से 14.01.1984 तक के लिए प्रभाव मे आया । खननपट्टा का प्रथम नवीनीकरण एम.एल. 75/1983 अवधि दिनांक 15.01.1984 से 14.01.1994 तक के लिये कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर कार्यालय के आदेश क्रमांक खअ/बीका/नवीनी/एम.एम.एल.–75/83/319 दिनांक 01.05.1991 द्वारा स्वीकृत किया गया। कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक खअ/बीका/एम.एम. एल.–75/83/1654 दिनांक 21.05.1993 द्वारा खननपट्टा श्री हुक्माराम पुत्र श्री तन्नाराम मेघवाल, निवासी जोगलिया, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू के नाम स्वीकृत किया गया। पट्टाधारी ने खननपट्टा का द्वितीय नवीनीकरण एम.एल. 56/1993 अवधि दिनांक 15.01.1994 से 14.01.2004 हेतु दिनांक 26.07.1993 को कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर में प्रस्तुत किया गया।

पट्टाधारी ने खननपट्टा का तृतीय नवीनीकरण एम.एल. 18/2003 अवधि दिनांक 15.01. 2004 से 14.01.2024 हेतु दिनांक 21.12.2003 को कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर में प्रस्तुत किया गया। उक्त खननपट्टा ततसमय राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियम 17(2) के अन्तर्गत बढ़ी हुई अवधि में प्रभावशील रहा। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 9(2) के तहत खननपट्टे की अवधि दिनांक 14.01.2029 तक स्वतः ही बढ़ गई है। कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर वृत, बीकानेर के आदेश क्रमांक अखअ /बीका/अप्र/एमएल–75/83/3751 दिनांक 17.10.2017 द्वारा खननपट्टा का हस्तान्तरण श्रीमति राजूदेवी पत्नि श्री नोपाराम मण्डा, निवासी–सुजानगढ़, जिला–चूरू(राजस्थान) के पक्ष में स्वीकृत किया गया। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 49,000/– है।

सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने निम्न दोषो के निवारण हेतु 30/45 दिवसीय चेतना पत्र क्रमांक 100 दिनांक 01.06.2022 जारी किया। जिसकी पालना में पटटाधारणी द्वारा राशि रूपये 1,00,000/– दिनांक 09.06.2022 को राजकोष में जमा करवाये गये परन्तु पटटाधारणी द्वारा चेतना पत्र की पूर्ण पालना नही की गई।

1. **आपके के पक्ष में स्वीकृत खनन पटटे का मौका पंचनामा दिनांक 24.12.2021 के अनुसार आप द्वारा खनन पटटा क्षैत्र के बाहर 1404 टन खनिज मैसेनरी स्टोन का अवैध खनन किया जाना पाया गया। जिसकी मॉग नियमानुसार रू. 4,91,400/– कायम की गई।**

पटटाधारणी द्वारा उक्त चेतना पत्र की पूर्ण पालना निर्धारित समयावधि पश्चात भी नही करने के कारण एवं शेष राशि रूपये 3,91,400/–बकाया होने से सहायक खनि अभियन्ता, चुरू

ने उक्त खनन पटटा खण्डित करने के प्रस्ताव इस कार्यालय को पठाये है। श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर ने उक्त खनन पटटा खण्डित करने का अनुमोदन अपने पत्र कमांक 2467 दिनांक 09.09.2022 से प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चुरू के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमो में प्रदत शक्तियो का उपयोग करते हुए उक्त खनन पटटा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरंत प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

-sd-
भीम सिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

कमांकसम/ 1819 दिनांकः 9.9.2022

प्रतिलिपीः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर को उनके पत्र कमांक 2467 दिनांक 09.09.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चुरू।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरू को उनके पत्र कमांक 481 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में
4. उप वन संरक्षक, चुरू।
5. श्रीमति राजूदेवी पत्नि श्री नोपाराम मण्डा, निवासी सुजानगढ जिला चुरू द्वारा स.ख.अ. चुरू।

भीम सिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

CC-I

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

कमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल–75/1983/ 567 दिनांक :–12.09.2022

1. मांग शाखा 2. अवैध खनन शाखा 3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा
4. संगणक 5. मानचित्र शाखा

विषयः– खननपट्टा एम.एल. 75/1983 निकट ग्राम रणधीसर, तहसील–सुजानगढ जिला–चूरू के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश कमांक 1819 दिनांक 09.09.2022 से उक्त खननपट्टा खण्डित किया जाकर खननपट्टा का कब्जा दिनांक 10.09.2022 को राज्य सरकार के पक्ष में लिया गया है।

12/09/2022
(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

Pandhiyan kabia report

निरीक्षण रिपोर्ट

ML-162/1990

199

आज दिनांक - 27/05/2022 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा खनन क्षेत्र रणधीखर पहाड़ी तहसील - सुजानगढ़ जिला - चूरू में खनन पट्टा संख्या - 162/90 पट्टाधारी - श्री राजेन्द्र पंवार के पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र - 0.4800 Hect. वाले खनिज - चेजा पत्थर (लेटेराइट) का मौका निरीक्षण किया गया, जिसका विवरण इस प्रकार है -

1. वक्त निरीक्षण खनन पट्टा क्षेत्र पर खनन पट्टा से संबंधित सूचना का बोर्ड लगाया हुआ पाया गया।
2. मौके पर खनन पट्टा के सीमा स्तम्भ स्थापित मिले।
3. मौके पर खनन पट्टा में खनन कार्य चालू पाया गया।
4. वक्त निरीक्षण पट्टेधारी द्वारा खनन पट्टा के पास आंशिक वृक्षारोपण किया जाना पाया गया।
5. वक्त निरीक्षण खनन पट्टा की बाहरी सीमा पर सुरक्षा हेतु तारबंदी की हुई पायी गई।
6. वक्त निरीक्षण खनन पट्टा में खनन कार्य खान सुरक्षा निदेशालय से नियुक्त तकनीकी कर्मचारी / खान प्रबंधक की उपस्थिति में किया जाना नहीं पाया गया।
7. मौके पर खनन पट्टा में खनन कार्य अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार किया जाना नहीं पाया गया

निरीक्षण रिपोर्ट मौके पर तैयार कर हस्ताक्षर किये गये।

CC-I
Issue Notice to Lessee
30/5/2022

27/5/22
AMG II

27/05/22
AMG Churu
Camp-Randhisar

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

ML-162/1990

200

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra,
Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–162/1990/ 56 दिनांक :– 01-06-2022

श्री राजेन्द्र पंवार पुत्र श्री आईदान धोबी,
निवासी -- हनुमान धोरा, वार्ड नं. 15, सुजानगढ़,
तहसील–सुजानगढ़, जिला– चूरू ।

विषयः– खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के संबंध मे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में स्वीकृत खननपट्टा क्षैत्र का दिनांक 27.05.2022 को कार्यालय फिल्ड स्टाफ द्वारा निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण आपके खननपट्टा पर निम्नानुसरा कमियॉ पाई गयीः–

1. आपके खननपट्टे पर खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनिकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य नही किया जाना पाया गया।
2. आपके खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नही किया जाना पाया गया।

अतः आपको इस चेतना पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप का निवारण इस चेतना पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि मे कर सूचित करे। उपरोक्त पालना नही किये जाने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अवहेलना मानी जांकर आपके खननपट्टे विरूद्व निम्नलिखित कार्यवाही की जावेगी :–

1– आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अनुसार शास्ती आरोपित की जावेगी ।

या

2–आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 45 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अंतर्गत खननपटटे की प्रतिभूति राशि का हरण करते हुवे खनन पटटे को खण्डित करने की कार्यवाही की जावेगी।

सो सूचित रहे।

01/06/2022
(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

ML-162/1990

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

201

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–162/1990/56 दिनांक :– 01-06-2022

श्री राजेन्द्र पंवार पुत्र श्री आईदान धोबी,
निवासी – हनुमान धोरा, वार्ड नं. 15, सुजानगढ़,
तहसील–सुजानगढ़, जिला– चूरू ।

विषयः– खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के संबंध मे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में स्वीकृत खननपट्टा क्षैत्र का दिनांक 27.05.2022 को कार्यालय फिल्ड स्टाफ द्वारा निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण आपके खननपट्टा पर निम्नानुसरा कमियॉ पाई गयीः–

1. आपके खननपट्टे पर खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनिकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य नही किया जाना पाया गया।
2. आपके खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नही किया जाना पाया गया।

अतः आपको इस चेतना पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप का निवारण इस चेतना पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि मे कर सूचित करे। उपरोक्त पालना नही किये जाने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अवहेलना मानी जांकर आपके खननपट्टे विरूद्व निम्नलिखित कार्यवाही की जावेगी :–

1– आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अनुसार शास्ती आरोपित की जावेगी ।

या

2–आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 45 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अंतर्गत खननपटटे की प्रतिभूति राशि का हरण करते हुवे खनन पटटे को खण्डित करने की कार्यवाही की जावेगी।

सो सूचित रहे।

(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

राजेन्द्र पंवार

राजस्थान सरकार ML-162/1990

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सी–64, सादुलगंज, बीकानेर वृत्त बीकानेर।

क्रमांकःअखअ/बीका/अप्र/चुरू/एम.एल. 162/1990/ दिनांकः .2022

202

कार्यालय आदेश

श्री आईदान धोबी पुत्र श्री मालचन्द धोबी के पक्ष में खनि अभियन्ता, बीकानेर कार्यालय के आदेश क्रमांक खअ/बीका/एम.एम.एल.–18/80/868 दिनांक 27.05.1981 द्वारा एक खनन पट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट क्षैत्रफल 4800वर्गमीटर निकट ग्राम–रणधीसर, तहसील–सुजानगढ़, जिला चूरू में वार्षिक स्थिरभाटक रूपये 840/– पर संविदा पंजीयन की तिथी से 10 वर्ष के लिये अवधि दिनांक 27.06.1981 से 26.06.1991 तक के लिए प्रभाव में आया। खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक खअ/बीका/एम.एम.एल.–162/90/565 दिनांक 05.07.1991 से प्रथम नवीनीकरण अवधि दिनांक 27.06.1991 से 26.06.2001 के लिये स्वीकृत किया गया। पट्टाधारी द्वारा द्वितीय नवीनीकरण एम.एम.एल. 35/2000 दिनांक 02.08.2000 को अवधि दिनांक 27.06.2001 से 26.06.2021 तक के लिए आवेदित किया गया। उक्त खननपट्टा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 के नियम 17(2) के तहत प्रभावशील रहा है। कार्यालय अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर जोन, जोधपुर के आदेश क्रमांक अनिखा/जोध/सीसी/अप्र/चूरू/एम. एल./162/90/1638 दिनांक 20.06.2017 द्वारा खननपट्टा का नामांतरण श्री राजेन्द्र पंवार पुत्र स्व. आईदान धोबी, निवासी– हनुमान धोरा, पानी की टंकी के पास, वार्ड नं. 14, सुजानगढ, तहसील– सुजानगढ, जिला–चूरू (राजस्थान) के पक्ष में स्वीकृत किया गया। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 9(2) के तहत खननपट्टे की अवधि 26.06.2031 तक स्वतः ही बढी हुई मानी गयी। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 68,600/– है। सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने निम्न दोषो के निवारण हेतु पटटाधारी को चेतना पत्र संख्या 56 दिनांक 01.06.2022 जारी किया गया। जो कि पटटेधारी को नियमानुसार तामिल हुआ।

1–खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनीकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिती में खननकार्य किया जाना नहीं पाया गया।

2– खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नहीं किया जाना पाया गया।

पटटाधारी द्वारा चेतना पत्र का प्रस्तुत जबाव दिनांक 28.06.2022 अनुसार चेतना पत्र की पूर्ण पालना नही हुई। चेतना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात भी पूर्ण पालना नहीं होने से सहायक खनि अभियन्ता, चूरू द्वारा खननपट्टे का क्षैत्रफल बहुत कम 4800वर्गमीटर होने व अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार बैंच बनाकर सुरक्षित तरीके से खननकार्य किया जाना संभव नहीं होने का उल्लेख करते हुए उक्त खनन पटटे को खण्डित करने के अनुमोदन का प्रस्ताव निदेशालय, उदयपुर को प्रेषित करते हुए प्रति इस कार्यालय को पृष्ठाकिंत की गयी। तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1687 दिनांक 07.09.2022 द्वारा निदेशालय को अनुशंषा की गयी। जिस पर निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर ने अपने पत्र क्रमांकः 825 दिनांक 08.09.2022 के द्वारा उक्त खनन पटटा खण्डित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चूरू के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमो में प्रदत शक्तियो का उपयोग करते हुए उक्त खनन पटटा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरन्त प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

-sd-
भीमसिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

क्रमांकसम/ 1876 दिनांकः 9.9.2022

प्रतिलिपीः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान निदेशक, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को उनके पत्र क्रमांकः निदे/प.2(एच–1)चूरू/2022/825 दिनांक 08.09.2022 के संदर्भ में।
2. श्रीमान जिला कलक्टर , चुरू।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरू को उनके पत्र क्रमांक 422 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में।
4. उप वन संरक्षक, चूरू।
5. श्री राजेन्द्र पंवार पुत्र स्व. आईदान धोबी, निवासी– हनुमान धोरा, पानी की टंकी के पास, वार्ड नं. 14, सुजानगढ, तहसील– सुजानगढ, जिला–चूरू (राजस्थान) द्वारा सहायक खनि अभियन्ता, चुरू।
6. रक्षित पत्रावली

CC-I
09/09/2022

भीमसिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

निरीक्षण रिपोर्ट

ML-74/1978

203

आज दिनांक- 10/06/2022 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा श्रीमान सहायक खनि अभियंता महोदय के निर्देशानुसार खनन क्षेत्र-रणचीखर पहाड़ी तहसील-पुजारागढ़ जिला चुरू में मैसर्स पूनिया बैलास्ट सप्लायर्स के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा संख्या-74/78 वाले खनिज- स्टोन बैलास्ट (चेजारा पत्थर) का मौका निरीक्षण किया गया, जिसका विवरण इस प्रकार है—

1. वक्त निरीक्षण खनन पट्टा में खनन कार्य चालू पाया गया।
2. वक्त निरीक्षण खनन पट्टा क्षेत्र पर खनन पट्टा से संबंधित सूचना का बोर्ड लगाया हुआ पाया गया
3. वक्त निरीक्षण खनन पट्टा के खंभी सीमा स्तम्भ बनाए हुए पाए गये।
4. वक्त निरीक्षण पट्टाधारी द्वारा खनन पट्टा के आस-पास आंशिक वृक्षारोपण किया हुआ पाया गया
5. मौके पर खनन पट्टा की जांच करने पर स्वीकृत क्षेत्र से बाहर किये गये पुराने अवैध खनन पिट में अवैध खनन के ताजा निशानात पाए गये, जिसका मौका पंचनामा अलग से बनाया गया। पुराने किये गये अवैध खनन का प्रकरण विभाग द्वारा पूर्व में दो बार बनाया जाकर जुर्माना राशी विभाग द्वारा वसूली की जा ~~चुकी है~~ कार्यवाही जारी होना बताया गया। मौके पर उपस्थित पट्टाधारी के प्रतिनिधि को पाबंद

cc ✓ 10/06/2022

P.T.O.

किया गया कि खनन पट्टा के सीमा चिन्ह व सूचना का बोर्ड हमेशा स्थापित रखे, खनन कार्य स्वीकृत क्षेत्र के अंदर ही किया जावे, खनन कार्य वैज्ञानिक विधि व सुरक्षित ढंग से तकनीकी कर्मचारी / खान प्रबंधक की उपस्थिति / देख-रेख मे अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार ही किया जावे तथा आगामी वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण किया जावे अन्यथा विभाग द्वारा कठोर कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जो सूचित रहे।

निरीक्षण रिपोर्ट मौके पर तैयार कर हस्ताक्षर किये गये।

पवन पूनिया 10/6/22
(ह. प्रतिनिधि)

पवनकुमार S/o श्री सत्यनारायण
पूनिया जि. पाड़िहारा
तह. रतनगढ़ जिला - चूरू

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

ML-74/1978

205

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra,
Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

कमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–74/1978/59 दिनांक :– 01-06-2022

सर्वश्री पूनिया बैलास्ट सप्लायर्स,
प्रो0 श्री भंवरलाल पुत्र श्री सुगनाराम,
निवासी– रणधीसर पहाड़ी,
तहसील–सुजानगढ़, जिला– चूरू ।

विषयः– खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के संबंध मे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में स्वीकृत खननपट्टा क्षैत्र का दिनांक 28.05.2022 को कार्यालय फिल्ड स्टाफ द्वारा निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण आपके खननपट्टा पर निम्नानुसरा कमियॉ पाई गयीः–

1. खननकार्य के दौरान खनन मजदूरों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नही किया जाना पाया गया।
2. आपके खननपट्टे पर खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनिकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य नही किया जाना पाया गया।
3. आपके खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसर खननकार्य नही किया जाना पाया गया।
4. खननपट्टे से संबंधित वृक्षारोपण किया जाना नही पाया गया।

अतः आपको इस चेतना पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप का निवारण इस चेतना पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि मे कर सूचित करे। उपरोक्त पालना नही किये जाने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अवहेलना मानी जांकर आपके खननपट्टे विरूद्व निम्नलिखित कार्यवाही की जावेगी :–

1– आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अनुसार शास्ती आरोपित की जावेगी ।

या

2–आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 45 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अंतर्गत खननपटटे की प्रतिभूति राशि का हरण करते हुवे खनन पटटे को खण्डित करने की कार्यवाही की जावेगी।

सो सूचित रहे।

(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

ML-74/1978

206

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–74/1978/51 दिनांक :– 01-06-2022

सर्वश्री पूनिया बैलास्ट सप्लायर्स,
प्रो0 श्री भंवरलाल पुत्र श्री सुगनाराम,
निवासी– रणधीसर पहाड़ी,
तहसील–सुजानगढ़, जिला– चूरू ।

विषयः– खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के संबंध मे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में स्वीकृत खननपट्टा क्षैत्र का दिनांक 28.05.2022 को कार्यालय फिल्ड स्टाफ द्वारा निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण आपके खननपट्टा पर निम्नानुसरा कमियॉ पाई गयीः–

1. खननकार्य के दौरान खनन मजदूरों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नही किया जाना पाया गया।
2. आपके खननपट्टे पर खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनिकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य नही किया जाना पाया गया।
3. आपके खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसर खननकार्य नही किया जाना पाया गया।
4. खननपट्टे से संबंधित वृक्षारोपण किया जाना नही पाया गया।

अतः आपको इस चेतना पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप का निवारण इस चेतना पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि मे कर सूचित करे। उपरोक्त पालना नही किये जाने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अवहेलना मानी जांकर आपके खननपट्टे विरूद्व निम्नलिखित कार्यवाही की जावेगी :–

1– आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अनुसार शास्ती आरोपित की जावेगी ।

या

2–आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 45 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अंतर्गत खननपटटे की प्रतिभूति राशि का हरण करते हुवे खनन पटटे को खण्डित करने की कार्यवाही की जावेगी।

सो सूचित रहे।

(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सी–64, सादुलगंज, बीकानेर वृत्त बीकानेर।

207

क्रमांकःअखअ/बीका/अप्र/चुरू/एम.एल. 74/1978/ दिनांकः .2022

कार्यालय आदेश

श्री सुरजाराम पुत्र श्री पूरणराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी देगां पोस्ट रूपलीसर, तहसील– सरदारशहर जिला चूरू के पक्ष में सहायक खनि अभियन्ता, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक खअ/श्रीगंगा/एम.एम.एल./74/78/695 दिनांक 26.02.1979, क्षैत्रफल 4916वर्गमीटर का खननपट्टा एम.एल. 74/78 वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील–सुजानगढ़, जिला–चूरू में रू. 860.30 वार्षिक स्थिर भाटक पर संविदा पंजीयन से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया। संविदा का पंजीयन दिनांक 31.07.1979 को हुआ। इस प्रकार उक्त खननपट्टा दिनांक 31.07.1979 से 30.07.1989 के लिए प्रभाव में आया।

कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 1267 दिनांक 19.09.1981 द्वारा उक्त खननपट्टा का हस्तांतरण मैसर्स पूनियॉ बैलास्ट सप्लायर्स प्रो. श्री भंवरलाल पूनिया पुत्र श्री सुगनाराम पूनिया, निवासी– रणधीसर पहाड़ी, तहसील– सुजानगढ़, जिला–चूरू के पक्ष में स्वीकृत किया गया। खननपट्टा का प्रथम नवीनीकरण आवेदन पत्र एम.एल. 8/1989 अवधि दिनांक 31.07.1989 से 30.07.1999 तक के लिए दिनांक 20.01.1989 को कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर में प्रस्तुत किया गया। खननपट्टा का द्वितीय नवीनीकरण आवेदन पत्र एम.एल. 4/1999 अवधि दिनांक 31.07.1999 से 30.07.2019 तक के लिए दिनांक 10.03.1999 को कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर में प्रस्तुत किया गया। उक्त खननपट्टा ततसमय राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियम 17(2) के अन्तर्गत बढ़ी हुई अवधि में प्रभावशील रहा। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 9(2) के तहत खननपट्टे की अवधि दिनांक 30.07.2029 तक स्वतः ही बढ़ गई है। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 1,05,000/– है।

सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने निम्न दोषो के निवारण हेतु पटटाधारी को चेतना पत्र संख्या 59 दिनांक 01.06.2022 जारी किया गया। जो कि पटटेधारी को नियमानुसार तामिल हुआ।

1– खननकार्य के दौरान खनन मजदूरों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपकरणों का उपयोग नही किया जाना पाया गया।

2– खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनीकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य किया जाना नहीं पाया गया।

3– खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नहीं किया जाना पाया गया।

पटटाधारी द्वारा चेतना पत्र का प्रस्तुत जबाव दिनांक 18.07.2022 अनुसार चेतना पत्र की पूर्ण पालना नही हुई। चेतना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात भी पूर्ण पालना नहीं होने से सहायक खनि अभियन्ता, चूरू द्वारा खननपट्टे का क्षैत्रफल बहुत कम 4916वर्गमीटर होने व अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार बैंच बनाकर सुरक्षित तरीके से खननकार्य किया जाना संभव नहीं होने का उल्लेख करते हुए उक्त खनन पटटे को खण्डित करने के अनुमोदन का प्रस्ताव निदेशालय, उदयपुर को प्रेषित करते हुए प्रति इस कार्यालय को पृष्ठाकिंत की गयी। तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1687 दिनांक 07.09.2022 द्वारा निदेशालय को अनुशंषा की गयी। जिस पर निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर ने अपने पत्र क्रमांकः 825 दिनांक 08.09.2022 के द्वारा उक्त खनन पटटा खण्डित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चूरू के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमो में प्रदत शक्तियो का उपयोग करते हुए उक्त खनन पटटा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरन्त प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

–sd–
भीमसिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

क्रमांक/सम/ 1890 दिनांकः 9.9.2022

प्रतिलिपीः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान निदेशक, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को उनके पत्र क्रमांकः निदे/प.2(एच–1)चूरू/2022/825 दिनांक 08.09.2022 के संदर्भ में।
2. श्रीमान जिला कलक्टर , चुरू।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरू को उनके पत्र क्रमांक 490 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में।
4. उप वन संरक्षक, चूरू।
5. मैसर्स पूनियॉ बैलास्ट सप्लायर्स प्रो. श्री भंवरलाल पूनिया पुत्र श्री सुगनाराम पूनिया, निवासी– रणधीसर पहाड़ी, तहसील– सुजानगढ़, जिला–चूरू(राजस्थान) द्वारा सहायक खनि अभियन्ता, चुरू।
6. रक्षित पत्रावली

CC–I

09/09/2022

भीमसिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

ML-44/1978 Regd A/D 208

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांक:-- सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.-44/78/ 89 दिनांक :- 03-06-2022

श्री ईन्द्रचन्द्र गोल्यान-प्रथम पुत्र श्री लीलाधर गोल्यान,
निवासी-- 107, पैराडाईज अपार्टमेन्ट,
डी--148, दुर्गामार्ग बनीपार्क,
जयपुर(राजस्थान) ।

विषय :- खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू क्षैत्र 5000वर्गमीटर के संबंध में ।

प्रसंग :- इस कार्यालय का पत्र दिनांक 06.08.2013, 11.11.2013, पत्रांक 3360 दिनांक 15.03.2017 व पत्रांक 3779 दिनांक 08.12.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि आपके पक्ष मे स्वीकृत खनन पटटे के संबंध मे निम्नलिखित संविदा की शर्तो का उल्लंधन एवं अन्य अनियमितताओ पायी गयी है :-

1--यह कि देय राशि रूपये 1,90,38,393/- आपके विरूद बकाया है और निश्चित तिथि पर भुगतान करने मे आप असफल रहे है । यह संविदा की धारा 4(3) (4) एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(2)(ii) का उल्लघंन है।

दिनांक 01.04.2020 से 30.06.2022 तक का स्थिर भाटक	राशि	2,36,250/-
अवैध खनन पंचनामा निरीक्षण अवधि दिनांक 03.07.2000 से 07.07.2000	राशि	33,60,000/-
अवैध खनन पंचनामा अवधि दिनांक 03.11.2012	राशि	1,54,42,143/-
	योग	1,90,38,393/-

आपको प्रासंगिक पत्रो से बकाया राशि जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया था । जो आज दिनांक तक जमा नही हुई है। अतः इस पत्र के जरिये आपका अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है कि अब भी उपरोक्त राशि 7 दिवस मे जमा करवा दे। अन्यथा आपके खननपट्टे विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी। जिसमें आपका खननपट्टा खण्डित भी किया जा सकता है। सो सूचित रहे।

03/06/2022
(सोहन लाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

Sign In Register

ML-44/1978

209

हिन्दी

You are here Home>> **Track Consignment**

Track Consignment

Quick help

* Indicates a required field.

* Consignment Number

RR859116650IN

Booked At	Booked On	Destination Pincode	Tariff	Article Type	Delivery Location	Delivery Confirmed On
[redacted]City S.O	10/06/2022 13:46:36	302016	22.00	Registered Letter	Shastri Nagar H.O	13/06/2022 17:04:53

Event Details For : RR859116650IN

Current Status : Item Delivery Confirmed

Date	Time	Office	Event
13/06/2022	17:04:53	Shastri Nagar H.O	Item Delivery Confirmed
13/06/2022	11:20:51	Shastri Nagar H.O	Out for Delivery
13/06/2022	08:40:55	Shastri Nagar H.O	Item Received
13/06/2022	04:25:43	Jaipur Ma RMS TMO	Item Dispatched
13/06/2022	03:57:13	Jaipur Ma RMS TMO	Item Received
13/06/2022	02:37:48	Jaipur CRC L1R	Item Dispatched
12/06/2022	20:59:21	Jaipur CRC L1R	Item Bagged
[redacted]/2022	17:08:18	Jaipur CRC L1R	Item Received
10/06/2022	21:21:15	Churu RMS L2U	Item Dispatched
10/06/2022	20:56:11	Churu RMS L2R	Item Dispatched
10/06/2022	20:29:42	Churu RMS L2R	Item Bagged
10/06/2022	18:46:56	Churu RMS L2R	Item Received
10/06/2022	17:01:29	Churu Collectorate S.O	Item Dispatched
10/06/2022	16:28:59	Churu City S.O	Item Dispatched
10/06/2022	16:27:23	Churu City S.O	Item Bagged
10/06/2022	13:46:36	Churu City S.O	Item Booked

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

ML-44/1978

210

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर(राजस्थान)

Office of the Supdt. Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, C-64, Sadulganj, Bikaner (Rajasthan) Tel. no 0151-2226611
E-mail- sme.bikaner@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– अखअ/बीका/अप्र/चुरू/एम.एम.एल.–44/1978/ दिनांक :–

कार्यालय आदेश

श्री इन्द्रचन्द गौल्यान पुत्र श्री लीलाधर गौल्यान निवासी– 7 सी, ब्लॉक, श्रीगंगानगर के पक्ष में एक खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम–रणधीसर, तहसील–सुजानगढ, जिला–चूरू में क्षेत्रफल 5000वर्गमीटर वार्षिक स्थिर भाटक 1620/– पर संविदा पंजीयन की तिथि से 05 वर्ष के लिए कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता खान एवं भू–विज्ञान विभाग श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक सखअ/श्रीगंगा/एम.एम.एल./44/1978/2452 दिनांक 28.10.1978 द्वारा अवधि दिनांक 27.01.1979 से 10 वर्ष के लिए प्रथम नवीनीकरण स्वीकृत किया गया।

पट्टाधारी द्वारा द्वितीय नवीनीकरण आवेदन पत्र एम.एल. 34/1988 दिनांक 26.09.1988 को कार्यालय खनि अभियन्ता बीकानेर में आवेदित किया गया। पट्टाधारी द्वारा तृतीय नवीनीकरण आवेदन पत्र एम.एल. 03/1998 दिनांक 21.01.1998 को कार्यालय खनि अभियन्ता बीकानेर में आवेदित किया गया। उक्त खननपट्टा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 के नियम 17(2) के तहत प्रभावशील रहा है। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 9(3) के तहत खननपट्टे की अवधि दिनांक 31.03.2025 तक स्वतः ही बढ़ गई है। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 1,05,000/– है। सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने निम्न दोषो के निवारण हेतु 30/45 दिवसीय चेतना पत्र क्रमांक 89 दिनांक 03.06.2022 जारी किया। जो कि पटटाधारी को डाक विभाग की वेवसाईट अनुसार दिनांक 13.06.2022 को तामिल हुई।

2. **यह कि देय राशि रूपये 1,90,38,393/– आपके विरूद्व बकाया है और निश्चित तिथी पर भुगतान करने में आप असफल रहे है। यह संविदा की धारा की धारा 4(3) (4) एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(2)(II) का उल्लघंन है।**

पटटाधारी द्वारा उक्त चेतना पत्र की पालना निर्धारित समयावधि पश्चात भी नही करने के कारण एवं वर्तमान में पटटेधारी के विरूद्व राशि मय ब्याज रूपये 1,90,64,643/–बकाया होने से सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने उक्त खनन पटटा खण्डित करने के प्रस्ताव इस कार्यालय को पठाये है। श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर ने उक्त खनन पटटा खण्डित करने का अनुमोदन अपने पत्र क्रमांक 2483 दिनांक 09.09.2022 से प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चुरू के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमो में प्रदत शक्तियो का उपयोग करते हुए उक्त खनन पटटा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरंत प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

–sd–
भीम सिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

क्रमांकसम/1789 दिनांकः 9.9.2022

प्रतिलिपीः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर को उनके पत्र क्रमांक 2483 दिनांक 09.09.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चुरू।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरू को उनके पत्र क्रमांक 433 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में
4. उप वन संरक्षक, चुरू।
5. इन्द्रचन्द गोल्यान पुत्र श्री लीलाधर गोल्यान, निवासः– 107, पैराडाईज अपार्टमेंट, डी–148, दुर्गा मार्ग, बनीपार्क, जयपुर, जिला–जयपुर द्वारा सहायक खनि अभियन्ता, चुरू

CC-I
09/09/2022

भीम सिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

निरिक्षण रिपोर्ट

ML-76/1983

211

आज दिनांक 28/05/2022 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा खनन पट्टा संख्या 76/83 पहाड़ी तारा चन्द क्षेत्रफल 0.4500 है. निकट ग्राम रणवीर पहाड़ी तह. खुमानगढ़ जिला चूरू का मौका निरिक्षण करने हेतु मौके पर पहुंचा गया। उक्त खनन पट्टे का मौका निरिक्षण बिन्दु वार निम्न प्रकार है:

(i) वक्त निरिक्षण उक्त खनन पट्टे से संबधित सीमा स्तम्भ लगे हुये पाये गये।

(ii) वक्त निरिक्षण खनन पट्टे से संबंधित सूचना बोर्ड लगा हुआ पाया गया।

(iii) खनन पट्टे के रास्ते पर बाहरी सीमा पर सुरक्षा हेतु तारबंदी की हुई पायी गई।

(iv) खनन ~~क्षेत्र~~ पट्टे में खनन कार्य चालू पाया गया किन्तु खनन मजदूरों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नहीं किया जाना पाया गया।

(v) खनन पट्टे में खनन कार्य निदेशालय खान सुरक्षा द्वारा नियुक्त तकनिकी कर्मचारि। खान प्रबंधक की उपस्थिति में नहीं किया जाना पाया गया।

(vi) खनन पट्टे के आस-पास आंशिक पौधारोपण। वृक्षारोपण किया हुआ पाया गया।

(vii) खननपट्टे में खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना (माइनिंग प्लान) के अनुसार नहीं किया जाना पाया गया।

मौके पर निरिक्षण रिपोर्ट तैयार कर हस्ताक्षर किये गये।

28/5/22 Tejaw Ahmed MRT

सोहन 28/05/2022 AME Churu Camp-Rondhisar

cc-I issue Notice to Lessee 30/05/22

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

ML-76/1983

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

212

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra,
Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–76/1983/ 70 दिनांक :– 01-06-2022

श्री ताराचन्द पुत्र श्री आशाराम जाट,
निवासी–छापर, तहसील–बीदासर, चूरू।

विषयः– खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के संबंध मे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में स्वीकृत खननपट्टा क्षैत्र का दिनांक 28.05.2022 को कार्यालय फिल्ड स्टाफ द्वारा निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण आपके खननपट्टा पर निम्नानुसरा कमियॉ पाई गयीः–

1. खननकार्य के दौरान खनन मजदूरों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नही किया जाना पाया गया।
2. आपके खननपट्टे पर खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनिकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य नही किया जाना पाया गया।
3. आपके खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसर खननकार्य नही किया जाना पाया गया।

अतः आपको इस चेतना पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप का निवारण इस चेतना पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि मे कर सूचित करे। उपरोक्त पालना नही किये जाने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अवहेलना मानी जांकर आपके खननपट्टे विरूद्व निम्नलिखित कार्यवाही की जावेगी :–

1– आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अनुसार शास्ती आरोपित की जावेगी ।

या

2–आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 45 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अंतर्गत खननपटटे की प्रतिभूति राशि का हरण करते हुवे खनन पटटे को खण्डित करने की कार्यवाही की जावेगी।

सो सूचित रहे।

01/06/2022
(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

3/6/22

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

ML-76/1983

213

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

कमांकः— सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.—76/1983/ 70 दिनांक :— 01-06-2022

श्री ताराचन्द पुत्र श्री आशाराम जाट,
निवासी—छापर, तहसील—बीदासर, चूरू।

विषयः— खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के संबंध मे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में स्वीकृत खननपट्टा क्षैत्र का दिनांक 28.05.2022 को कार्यालय फिल्ड स्टाफ द्वारा निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण आपके खननपट्टा पर निम्नानुसरा कमियॉ पाई गयीः—

1. खननकार्य के दौरान खनन मजदूरों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नही किया जाना पाया गया।
2. आपके खननपट्टे पर खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनिकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य नही किया जाना पाया गया।
3. आपके खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसर खननकार्य नही किया जाना पाया गया।

अतः आपको इस चेतना पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप का निवारण इस चेतना पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि मे कर सूचित करे। उपरोक्त पालना नही किये जाने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अवहेलना मानी जांकर आपके खननपट्टे विरूद्व निम्नलिखित कार्यवाही की जावेगी :—

1— आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अनुसार शास्ती आरोपित की जावेगी ।

या

2—आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 45 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अंतर्गत खननपटटे की प्रतिभूति राशि का हरण करते हुवे खनन पटटे को खण्डित करने की कार्यवाही की जावेगी।

सो सूचित रहे।

01/06/2022
(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

3/6/22

राजस्थान सरकार ML-76/1983

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सी–64, सादुलगंज, बीकानेर वृत्त बीकानेर।

214

क्रमांकःअखअ/बीका/अप्र/चुरू/एम.एल. 76/1983/ दिनांकः .2022

कार्यालय आदेश

सर्वश्री भंवरलाल भीखमचन्द प्रो0 श्री भंवरलाल, सुजानगढ़ के पक्ष में एक खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम– रणधीसर, तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू क्षैत्रफल 4500.00वर्गमीटर स्थिर भाटक 940.00 पर कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक सखअ/श्रीगंगा/एम.एल./87/1978/276 दिनांकः 30.01.1979 द्वारा अवधि दिनांक 28.01.1979 से 5 वर्ष के लिए प्रथम नवीनीकरण स्वीकृत किया गया। कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, श्रींगगानगर के आदेश क्रमांक सखअ/श्रीगंगा/एम.एम.एल.–13/1974/381 दिनांक 08.02.1979 द्वारा उक्त खननपट्टा श्री मोहन लाल शर्मा पुत्र श्री रमण लाल शर्मा, निवासी–दड़ीबा बीदासर, तहसील–बीदासर, जिला–चूरू के पक्ष में हस्तान्तरण किया गया। कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक/खअ/बीका/एम.एम.एल./76/ 1983/913 दिनांक 06.11.1990 द्वारा खननपट्टे का द्वितीय नवीनीकरण अवधि दिनांक 28.01.1984 से 27.01.1994 तक के लिए स्वीकृत किया गया। पट्टाधारी द्वारा खननपट्टे का तृतीय नवीनीकरण एम.एल. 53/1993 दिनांक 12.07.1993 को अवधि दिनांक 28.01.1994 से 27.01.2004 तक के लिए आवेदित किया गया तथा खननपट्टे का चतुर्थ नवीनीकरण एम.एल. 17/2003 दिनांक 10.02.2003 को अवधि दिनांक 28.01.2004 से 27.01.2024 तक के लिए आवेदित किया गया। उक्त खननपट्टा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 के नियम 17(2) के तहत प्रभावशील रहा है। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 9(3) के तहत खननपट्टे की अवधि 31.03.2025 तक स्वतः ही बढी हुई मानी गयी। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 1,05,000/– है। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक अखअ/ बीका/अप्र/एम.एल./76/83/446 दिनांक 22.05.2018 द्वारा खननपट्टा का हस्तान्तरण श्री ताराचन्द पुत्र श्री आशाराम जाति जाट निवासी कस्बा छापर, तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू (राजस्थान) के पक्ष में स्वीकृत किया गया।

सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने निम्न दोषो के निवारण हेतु पटटाधारी को चेतना पत्र संख्या 70 दिनांक 01.06.2022 जारी किया गया। जो कि पटटेधारी को नियमानुसार तामिल हुआ।

1–खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनीकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिती में खननकार्य किया जाना नहीं पाया गया।

2– खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नहीं किया जाना पाया गया।

पटटाधारी द्वारा चेतना पत्र का प्रस्तुत जबाव दिनांक 16.06.2022 अनुसार चेतना पत्र की पूर्ण पालना नही हुई। चेतना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात भी पूर्ण पालना नहीं होने से सहायक खनि अभियन्ता, चूरू द्वारा खननपट्टे का क्षैत्रफल बहुत कम 4500वर्गमीटर होने व अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार बैंच बनाकर सुरक्षित तरीके से खननकार्य किया जाना संभव नहीं होने का उल्लेख करते हुए उक्त खनन पटटे को खण्डित करने के अनुमोदन का प्रस्ताव निदेशालय, उदयपुर को प्रेषित करते हुए प्रति इस कार्यालय को पृष्ठाकिंत की गयी। तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1687 दिनांक 07.09.2022 द्वारा निदेशालय को अनुशंषा की गयी। जिस पर निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर ने अपने पत्र क्रमांकः 825 दिनांक 08.09.2022 के द्वारा उक्त खनन पटटा खण्डित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चूरू के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमो में प्रदत शक्तियो का उपयोग करते हुए उक्त खनन पटटा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरन्त प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

–Sd/–
भीमसिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

क्रमांकसम/ 1870 दिनांकः 9.9.2022

प्रतिलिपीः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान निदेशक, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को उनके पत्र क्रमांकः निदे/प.2(एच–1)चूरू/2022/825 दिनांक 08.09.2022 के संदर्भ में।
2. श्रीमान जिला कलक्टर , चुरू।
3. उप वन संरक्षक, चूरू ।
4. सहायक खनि अभियन्ता, चुरू को उनके पत्र क्रमांक 456 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में।
5. श्री ताराचन्द पुत्र श्री आशाराम जाति जाट निवासी कस्बा छापर, तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू (राजस्थान)।
6. रक्षित पत्रावली

CC-I
09/09/2022

भीमसिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

निरीक्षण रिपोर्ट

ML-15/1980

215

आज दिनांक - 27/5/2022 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा खनन क्षेत्र रणधीसर पहाड़ी के तहसील - सुजान गढ़ डिला - चूरू में घृत खनन पट्टा नंबर - 15/80 पट्टाधारी जय मां स्टोन के पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र - 0.5000 हैक्टर वाले खनिज - चेजा पत्थर (स्टोन बैलास्ट) का मौका निरीक्षण किया गया, जिसका विवरण इस प्रकार है -

1. वक्त निरीक्षण खनन पट्टा क्षेत्र पर खनन पट्टा से संबंधित सूचना का बोर्ड स्थापित मिला।
2. वक्त निरीक्षण खनन पट्टा के सीमा स्तम्भ लगे मिले।
3. खनन पट्टा में खनन कार्य चालू पाया गया।
4. वक्त निरीक्षण पट्टेधारी द्वारा आंशिक वृक्षारोपण किया जाना पाया गया।
5. वक्त निरीक्षण खनन पट्टा की एक सीमा पर तारबंदी किया जाना पाया गया।
6. मौके पर खनन पट्टा में खनन कार्य खान प्रबंधक/तकनीकी कर्मचारी की उपस्थिति में किया जाना नहीं पाया गया।
7. वक्त निरीक्षण खनन पट्टा में खनन कार्य अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार किया जाना नहीं पाया गया

निरीक्षण रिपोर्ट मौके पर तैयार कर हस्ताक्षर किये गये।

cc I
issue Notice to Lessee
सोम
30/05/2022

अर्जुन
27/5/22
MF II

Tosif Khan
MFI

सोहल
27/05/2022
AMG Churu
Camp-Ramdhisar

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

ML-15/1980

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

216

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–15/1980/ 513 दिनांक :– 01-06-22

सर्वश्री जय मॉ स्टोन,
रणधीसर, तहसील–सुजानगढ़,
जिला–चूरू(राजस्थान)।

विषयः– खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के संबंध मे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में स्वीकृत खननपट्टा क्षैत्र का दिनांक 27.05.2022 को कार्यालय फिल्ड स्टाफ द्वारा निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण आपके खननपट्टा पर निम्नानुसरा कमियॉ पाई गयीः–

1. आपके खननपट्टे पर खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनिकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य नही किया जाना पाया गया।
2. आपके खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नही किया जाना पाया गया।

अतः आपको इस चेतना पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप का निवारण इस चेतना पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि मे कर सूचित करे। उपरोक्त पालना नही किये जाने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अवहेलना मानी जांकर आपके खननपट्टे विरूद्व निम्नलिखित कार्यवाही की जावेगी :–

1– आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अनुसार शास्ती आरोपित की जावेगी ।

या

2–आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 45 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अंतर्गत खननपटटे की प्रतिभूति राशि का हरण करते हुवे खनन पटटे को खण्डित करने की कार्यवाही की जावेगी।

सो सूचित रहे।

01/06/2022
(सोहनलाल गुर्ल)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

ML-15/1980

217

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–15/1980/513 दिनांक :– 01-06-22

सर्वश्री जय मॉ स्टोन,
रणधीसर, तहसील–सुजानगढ़,
जिला–चूरू(राजस्थान)।

विषयः– खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के संबंध मे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में स्वीकृत खननपट्टा क्षैत्र का दिनांक 27.05.2022 को कार्यालय फिल्ड स्टाफ द्वारा निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण आपके खननपट्टा पर निम्नानुसरा कमियॉ पाई गयीः–

1. आपके खननपट्टे पर खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनिकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य नही किया जाना पाया गया।
2. आपके खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नही किया जाना पाया गया।

अतः आपको इस चेतना पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप का निवारण इस चेतना पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि मे कर सूचित करे। उपरोक्त पालना नही किये जाने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अवहेलना मानी जांकर आपके खननपट्टे विरूद्व निम्नलिखित कार्यवाही की जावेगी :–

1– आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अनुसार शास्ती आरोपित की जावेगी ।

या

2–आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 45 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अंतर्गत खननपटटे की प्रतिभूति राशि का हरण करते हुवे खनन पटटे को खण्डित करने की कार्यवाही की जावेगी।

सो सूचित रहे।

(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

राजस्थान सरकार ML-15/1980

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सी–64, सादुलगंज, बीकानेर वृत्त बीकानेर।

क्रमांकःअखअ/बीका/अप्र/चुरू/एम.एल. 15/1980/ दिनांकः .2022

218

कार्यालय आदेश

श्री मुन्शीराम पुत्र श्री निकूराम चमार निवासी–वार्ड नं. 7, भादरा, तहसील–भादरा, जिला–हनुमानगढ़ (राजस्थान) के पक्ष मे एक खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर, तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में क्षैत्र 5000वर्गमीटर वार्षिक स्थिर भाटक 875/– प्रति वर्ष की दर से 10 वर्ष के लिए कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर के आदेश क्रमांक खअ/बीके/एम.एम.एल./15/80/820–24 दिनांक 11.05.1980 द्वारा संविदा पंजीयन तिथि से 10 वर्ष के लिए स्वीकृत किया गया। संविदा की पंजीयन दिनांक 04.11.1981 को हुआ। इस प्रकार खननपट्टा अवधि दिनांक 04.11.1981 से 03.11.1991 के लिए प्रभाव मे आया। खननपट्टे का प्रथम नवीनीकरण एम.एल. 138/1991 अवधि दिनांक 04.11.1991 से 03.11.2001 तक के लिए दिनांक 03.06.1991 को खनि अभियन्ता, बीकानेर कार्यालय में आवेदित किया गया। खननपट्टे का द्वितीय नवीनीकरण एम.एल. 49/2001 अवधि दिनांक 04.11.2001 से 03.11.2021 तक के लिए दिनांक 15.10.2001 को खनि अभियन्ता, बीकानेर कार्यालय में आवेदित किया गया। उक्त खननपट्टा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 के नियम 17(2) के तहत प्रभावशील रहा है। खननपट्टे का नामान्तरण श्री रामेश्वर लाल पुत्र श्री मुशीराम चमार, निवासी– धोलपालिया, तहसील–भादरा, जिला–हनुमानगढ़(राजस्थान) के पक्ष में कार्यालय अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर जोन, जोधपुर के आदेश क्रमांक अनिखा/जोध/अप्र/नामा/चूरू/एमएल/15/1980/ 380 दिनांक 03.06.2021 द्वारा स्वीकृत किया गया। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 9(2) के तहत खननपट्टे की अवधि 03.11.2031 तक स्वतः ही बढी हुई मानी गयी। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 68,600/– है। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक अखअ/बीका/अप्र/एमएल./15/1980/1009 दिनांक 03.08.2021 द्वारा खननपट्टा का हस्तान्तरण सर्वश्री जय मॉ स्टोन, रणधीसर, तहसील–सुजानगढ़, जिला–चूरू (राजस्थान) के पक्ष मे स्वीकृत किया गया ।

सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने निम्न दोषो के निवारण हेतु पटटाधारी को चेतना पत्र संख्या 53 दिनांक 01.06.2022 जारी किया गया। जो कि पटटेधारी को नियमानुसार तामिल हुआ।

1– खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनीकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य किया जाना नहीं पाया गया।

2– खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नहीं किया जाना पाया गया।

पटटाधारी द्वारा चेतना पत्र का प्रस्तुत जबाव दिनांक 29.06.2022 अनुसार चेतना पत्र की पूर्ण पालना नही हुई। चेतना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात भी पूर्ण पालना नहीं होने से सहायक खनि अभियन्ता, चूरू द्वारा खननपट्टे का क्षैत्रफल बहुत कम 5000वर्गमीटर होने व अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार बैंच बनाकर सुरक्षित तरीके से खननकार्य किया जाना संभव नहीं होने का उल्लेख करते हुए उक्त खनन पटटे को खण्डित करने के अनुमोदन का प्रस्ताव निदेशालय, उदयपुर को प्रेषित करते हुए प्रति इस कार्यालय को पृष्ठाकिंत की गयी। तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1687 दिनांक 07.09.2022 द्वारा निदेशालय को अनुशंषा की गयी। जिस पर निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर ने अपने पत्र क्रमांकः 825 दिनांक 08.09.2022 के द्वारा उक्त खनन पटटा खण्डित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चूरू के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमो में प्रदत शक्तियो का उपयोग करते हुए उक्त खनन पटटा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरन्त प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

-sd-
भीमसिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

क्रमांक/सम/ 1918 दिनांकः 9.9.2022

प्रतिलिपीः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान निदेशक, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को उनके पत्र क्रमांकः निदे/प.2(एच–1)चूरू/2022/825 दिनांक 08.09.2022 के संदर्भ में।
2. श्रीमान जिला कलक्टर , चुरू।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरू को उनके पत्र क्रमांक 472 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में।
4. उप वन संरक्षक, चूरू।
5. सर्वश्री जय मॉ स्टोन, रणधीसर, तहसील–सुजानगढ़, जिला–चूरू(राजस्थान) द्वारा सहायक खनि अभियन्ता, चुरू।
6. रक्षित पत्रावली

CC-I
09/09/2022

भीमसिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनांक - 27/5/2022 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा खनन क्षेत्र रणधीसर पहाड़ी तहसील- धुजानगढ जिला -चूरू में खनन पट्टा संख्या - 36/86 पट्टाधारी - मैसर्स अंबिका स्टोन क्रशिंग कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र - 0.5523 हैक्टर वाले खनिज -- चेजा पत्थर (स्टोन बैलास्ट) का मौका निरीक्षण किया गया, जिसका विवरण इस प्रकार है -

1. वक्त निरीक्षण खनन पट्टा क्षेत्र पर खनन पट्टा से संबंधित सूचना का बोर्ड स्थापित मिला।
2. खनन पट्टा के सीमा स्तम्भ लगे हुए पाए गये।
3. मौके पर खनन पट्टा में खनन कार्य-चालू पाया गया
4. वक्त निरीक्षण पट्टेदारी द्वारा आंशिक वृक्षारोपण किया जाना पाया गया।
5. वक्त निरीक्षण खनन पट्टा की बाहरी सीमा पर पट्टेदारी द्वारा सुरक्षा हेतु तारबंदी किया जाना पाया गया
6. वक्त निरीक्षण खनन पट्टा में खनन कार्य खान प्रबंधक या तकनीकी कर्मचारी की उपस्थिति में किया जाना नहीं पाया गया।
7. वक्त निरीक्षण खनन कार्य अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार किया जाना नहीं पाया गया।

निरीक्षण रिपोर्ट मौके पर तैयार कर हस्ताक्षर किये गये।

सोहन
27/05/2022
AME Churu
Camp-Rawatsar

cc-I
Issue Notice to Lessee
सोहन
30/5/2022

27/5/22
MF-II

MFII

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN ML-36/1986

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान) **220**

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

कमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–36/1986/55 दिनांक :–01–06–2022

सर्वश्री अम्बिका स्टोन बैलास्ट सप्लायर्स,
रणधीसर,
तहसील–सुजानगढ़, जिला– चूरू ।

विषयः– खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के संबंध मे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में स्वीकृत खननपट्टा क्षैत्र का दिनांक 27.05.2022 को कार्यालय फिल्ड स्टाफ द्वारा निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण आपके खननपट्टा पर निम्नानुसरा कमियॉ पाई गयीः–

1. आपके खननपट्टे पर खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनिकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य नही किया जाना पाया गया।
2. आपके खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नही किया जाना पाया गया।

अतः आपको इस चेतना पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप का निवारण इस चेतना पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि मे कर सूचित करे। उपरोक्त पालना नही किये जाने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अवहेलना मानी जांकर आपके खननपट्टे विरूद्व निम्नलिखित कार्यवाही की जावेगी :–

1– आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अनुसार शास्ती आरोपित की जावेगी ।

या

2–आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 45 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अंतर्गत खननपटटे की प्रतिभूति राशि का हरण करते हुवे खनन पटटे को खण्डित करने की कार्यवाही की जावेगी।

सो सूचित रहे।

01/06/2022
(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

ML-36/1986

221

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra,
Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

कमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–36/1986/55 दिनांक :– 01-06-2022

सर्वश्री अम्बिका स्टोन बैलास्ट सप्लायर्स,
रणधीसर,
तहसील–सुजानगढ़, जिला– चूरू ।

विषयः– खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के संबंध मे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में स्वीकृत खननपट्टा क्षैत्र का दिनांक 27.05.2022 को कार्यालय फिल्ड स्टाफ द्वारा निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण आपके खननपट्टा पर निम्नानुसरा कमियॉ पाई गयीः–

1. आपके खननपट्टे पर खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनिकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य नही किया जाना पाया गया।
2. आपके खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नही किया जाना पाया गया।

अतः आपको इस चेतना पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप का निवारण इस चेतना पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि मे कर सूचित करे। उपरोक्त पालना नही किये जाने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अवहेलना मानी जांकर आपके खननपट्टे विरूद्व निम्नलिखित कार्यवाही की जावेगी :–

1– आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अनुसार शास्ती आरोपित की जावेगी ।

या

2–आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 45 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अंतर्गत खननपटटे की प्रतिभूति राशि का हरण करते हुवे खनन पटटे को खण्डित करने की कार्यवाही की जावेगी।

सो सूचित रहे।

(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

त्रिचडा पत्रा

राजस्थान सरकार ML-36/1986

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सी–64, सादुलगंज, बीकानेर वृत्त बीकानेर।

क्रमांकःअखअ/बीका/अप्र/चुरू/एम.एल. 36/1986/ दिनांकः .2022

222

कार्यालय आदेश

श्री चम्पालाल पुत्र श्री जेठमल प्रजापत, निवासी पड़िहारा के पक्ष में खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट, क्षैत्रफल 5523 वर्गमीटर निकट ग्राम रणधीसर पहाड़ी, तहसील सुजानगढ़ में खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर के आदेश क्रमांक खअ/बीका/एम.एम.एल./48/80/442–487 दिनांक 17.02.1981 से स्वीकृत किया गया। खननपट्टे का पंजीयन दिनांक 18.09.1981 को हुआ। इस प्रकार इस खनन पट्टे की अवधि दिनांक 18.09.1981 से 17.09.1986 तक थी। खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक खअ/बीका/एम.एम.एल.–36/86/1706 दिनांक 10.09.1991 से प्रथम नवीनीकरण अवधि दिनांक 18.09.1986 से 17.09.1996 के लिये स्वीकृत किया गया। खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक/खअ/बीका/नवीनी /एम.एम.एल.–36/86/1344 दिनांक 02.07.94 से खननपट्टा का हस्तान्तरण मैसर्स पूजा स्टोन बैलास्ट, रणधीसर, तहसील–सुजानगढ, जिला–चूरू के पक्ष में स्वीकृत किया गया। पट्टाधारी द्वारा द्वितीय नवीनीकरण एम.एम.एल. 65/1995 दिनांक 18.09.1995 को अवधि दिनांक 18.09.1996 से 17.09.2016 तक के लिए आवेदित किया गया। पट्टाधारी द्वारा तृतीय नवीनीकरण एम.एम.एल. 04/2016 दिनांक 20.10.2016 को अवधि दिनांक 18.09.2016 से 17.09.2036 तक के लिए आवेदित किया गया। उक्त खननपट्टा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 के नियम 17(2) के तहत प्रभावशील रहा है। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 9(2) के तहत खननपट्टे की अवधि 17.09.2031 तक स्वतः ही बढी हुई मानी गयी। उक्त खननपट्टे का हस्तान्तरण इस कार्यालय के आदेश कम्रांक अखअ/बीका/अप्र/एम.एल./36/86/3564 दिनांक 05.10.2017 द्वारा सर्वश्री अंबिका स्टोन बैलास्ट सप्लायर्स, रणधीसर, तहसील– सुजानगढ, जिला–चूरू (राजस्थान) के पक्ष में स्वीकृत किया गया। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 37,827/– है।

सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने निम्न दोषो के निवारण हेतु पटटाधारी को चेतना पत्र संख्या 55 दिनांक 01.06.2022 जारी किया गया। जो कि पटटेधारी को नियमानुसार तामिल हुआ।

1–खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनीकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिती में खननकार्य किया जाना नहीं पाया गया।

2– खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नहीं किया जाना पाया गया।

पटटाधारी द्वारा चेतना पत्र का प्रस्तुत जबाव दिनांक 28.7.2022 अनुसार चेतना पत्र की पूर्ण पालना नही हुई। चेतना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात भी पूर्ण पालना नहीं होने से सहायक खनि अभियन्ता, चूरू द्वारा खननपट्टे का क्षैत्रफल बहुत कम 5523वर्गमीटर होने व अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार बैंच बनाकर सुरक्षित तरीके से खननकार्य किया जाना संभव नहीं होने का उल्लेख करते हुए उक्त खनन पटटे को खण्डित करने के अनुमोदन का प्रस्ताव निदेशालय, उदयपुर को प्रेषित करते हुए प्रति इस कार्यालय को पृष्ठाकिंत की गयी। तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1687 दिनांक 07.09.2022 द्वारा निदेशालय को अनुशंषा की गयी। जिस पर निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर ने अपने पत्र क्रमांकः 825 दिनांक 08.09.2022 के द्वारा उक्त खनन पटटा खण्डित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चूरू के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमो में प्रदत शक्तियो का उपयोग करते हुए उक्त खनन पटटा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरन्त प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

भीमसिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

क्रमांक/सम/ 1940 दिनांकः 9.9.2022

प्रतिलिपीः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान निदेशक, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को उनके पत्र क्रमांकः निदे/प.2(एच–1)चूरू/2022/825 दिनांक 08.09.2022 के संदर्भ में।
2. श्रीमान जिला कलक्टर , चुरू।
3. उप वन संरक्षक, चूरू ।
4. सहायक खनि अभियन्ता, चुरू को उनके पत्र क्रमांक 428 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में।
5. सर्वश्री अंबिका स्टोन बैलास्ट सप्लायर्स, रणधीसर, तहसील– सुजानगढ, जिला–चूरू (राजस्थान)।
6. रक्षित पत्रावली

CC-I
09/09/2022

भीमसिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

ML-52/1990

223

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–52/1990/ 82 दिनांक :– 03-06-2022

श्री योगेश कुमार शर्मा पुत्र श्री निरंजन शर्मा,
निवासी झंवर रोड़, नया बास, सुजानगढ़,
तहसील–सुजानगढ़, जिला– चूरू।

विषय :– खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू क्षैत्र 5461वर्गमीटर के संबंध में ।

प्रसंग :– इस कार्यालय का पत्र दिनांक 06.08.2013, 11.11.2013, पत्रांक 3385 दिनांक 15.03.2017 व पत्रांक 3776 दिनांक 08.12.2017 ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि आपके पक्ष मे स्वीकृत खनन पटटे के संबंध मे निम्नलिखित संविदा की शर्तो का उल्लंधन एवं अन्य अनियमितताओ पायी गयी है :–

1–यह कि देय राशि रूपये 73,47,426/– आपके विरूद बकाया है और निश्चित तिथि पर भुगतान करने मे आप असफल रहे है । यह संविदा की धारा 4(3) (4) एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(2)(ii) का उल्लघंन है।

अवैध खनन पंचनामा निरीक्षण अवधि दिनांक 03.07.2000 से 07.07.2000	राशि	7,87,500/–
अवैध खनन पंचनामा अवधि दिनांक 01.11.2012	राशि	64,91,326/–
स्थिर भाटक अवधि दिनांक 01.07.2021 से 30.06.2022	राशि	68600/–
	योग	73,47,426/–

आपको प्रासंगिक पत्र से बकाया राशि जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया था । जो आज दिनांक तक जमा नही हुई है। अतः इस पत्र के जरिये आपका अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है कि अब भी उपरोक्त राशि 7 दिवस मे जमा करवा दे। अन्यथा आपके खननपट्टे विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी। जिसमें आपका खननपट्टा खण्डित भी किया जा सकता है। सो सूचित रहे।

03/06/2022

(सोहन लाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

o/c

ML-52/1990

224

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–52/1990/82 दिनांक :– 03-06-2022

श्री योगेश कुमार शर्मा पुत्र श्री निरंजन शर्मा,
निवासी झंवर रोड़, नया बास, सुजानगढ़,
तहसील–सुजानगढ़, जिला– चूरू।

विषय :– खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू क्षैत्र 5461वर्गमीटर के संबंध में ।

प्रसंग :– इस कार्यालय का पत्र दिनांक 06.08.2013, 11.11.2013, पत्रांक 3385 दिनांक 15.03.2017 व पत्रांक 3776 दिनांक 08.12.2017 ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि आपके पक्ष मे स्वीकृत खनन पटटे के संबंध मे निम्नलिखित संविदा की शर्तो का उल्लंधन एवं अन्य अनियमितताओ पायी गयी है :–

1–यह कि देय राशि रूपये 73,47,426/– आपके विरूद बकाया है और निश्चित तिथि पर भुगतान करने मे आप असफल रहे है । यह संविदा की धारा 4(3) (4) एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(2)(ii) का उल्लघंन है।

अवैध खनन पंचनामा निरीक्षण अवधि दिनांक 03.07.2000 से 07.07.2000	राशि	7,87,500/–
अवैध खनन पंचनामा अवधि दिनांक 01.11.2012	राशि	64,91,326/–
स्थिर भाटक अवधि दिनांक 01.07.2021 से 30.06.2022	राशि	68600/–
	योग	73,47,426/–

आपको प्रासंगिक पत्र से बकाया राशि जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया था । जो आज दिनांक तक जमा नही हुई है। अतः इस पत्र के जरिये आपका अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है कि अब भी उपरोक्त राशि 7 दिवस मे जमा करवा दे। अन्यथा आपके खननपट्टे विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी। जिसमें आपका खननपट्टा खण्डित भी किया जा सकता है। सो सूचित रहे।

(सोहन लाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

Yogesh
12-6-22

ML-52/1990

225

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर(राजस्थान)

Office of the Supdt. Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, C-64, Sadulganj, Bikaner (Rajasthan) Tel. no 0151-2226611
E-mail- sme.bikaner@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– अखअ/बीका/अप्र/चुरू/एम.एम.एल.–52/1990/ दिनांक :–

कार्यालय आदेश

सर्वश्री श्याम ग्रीट उत्पादक कम्पनी, सुजानगढ के पक्ष में एक खननपट्टा खनिज स्टोन बैलांस्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू क्षैत्रफल 5461.60वर्गमीटर वार्षिक स्थिर भाटक 956/– पर कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 906 दिनांक 24.09.1980 द्वारा संविदा पंजीयन से 10 वर्ष के लिए स्वीकृत हुआ। संविदा का पंजीयन दिनांक 31.12.1980 को हुआ। खननपट्टे की प्रथम नवीनीकरण एम.एल. 52/90 अवधि दिनांक 31.12.1990 से 30.12.2000 तक के लिए दिनांक 27.06.1990 को आवेदित किया गया। कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 295 दिनांक 01.05.1991 द्वारा खननपट्टे का प्रथम नवीनीकरण स्वीकृत किया गया।कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक 4224 दिनांक 16.11.1992 द्वारा खननपट्टा का हस्तांतरण श्री योगेश कुमार शर्मा पुत्र श्री निरंजन शर्मा, निवासी– झंवर रोड़, नया बास, सुजानगढ, तहसील–सुजानगढ, जिला–चूरू के पक्ष में स्वीकृत किया गया। खननपटटे का द्वितीय नवीनीकरण एम. एल. 63/99 अवधि दिनांक 31.12.2000 से 30.12.2020 तक के लिए दिनांक 30.12.1999 को आवेदित किया गया। उक्त खननपट्टा ततसमय राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियम 17(2) के अन्तर्गत बढ़ी हुई अवधि में प्रभावशील रहा।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 9(2) के तहत खननपट्टे की अवधि दिनांक 30.12.2030 तक स्वतः ही बढ़ गई है। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 68,600/– है। सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने निम्न दोषो के निवारण हेतु 30/45 दिवसीय चेतना पत्र क्रमांक 82 दिनांक 03.06.2022 जारी किया। जो कि पटटाधारी को दिनांक 12.06.2022 को तामिल हुआ।

1. **यह कि देय राशि रूपये 73,47,426/–आपके विरूद्व बकाया है और निश्चित तिथी पर भुगतान करने में आप असफल रहे हैं। यह संविदा की धारा की धारा 4(3)(4) एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(2)(II) का उल्लघंन है।**

पटटाधारी द्वारा उक्त चेतना पत्र की पालना निर्धारित समयावधि पश्चात भी नही करने के कारण एवं वर्तमान में पटटेधारी के विरूद्व राशि मय ब्याज रूपये 73,64,576/–बकाया होने से सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने उक्त खनन पटटा खण्डित करने के प्रस्ताव इस कार्यालय को पठाये। श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर ने उक्त खनन पटटा खण्डित करने का अनुमोदन अपने पत्र क्रमांक 2477 दिनांक 09.09.2022 से प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चुरू के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमो में प्रदत शक्तियो का उपयोग करते हुए उक्त खनन पटटा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरंत प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

sd
भीम सिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

क्रमांकसम/ 1837 दिनांकः 09.9.2022

प्रतिलिपीः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर को उनके पत्र क्रमांक 2477 दिनांक 09.09.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चुरू।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरू को उनके पत्र क्रमांक 447 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में ।
4. उप वन संरक्षक, चुरू।
5. श्री योगेश कुमार शर्मा पुत्र श्री निरंजन शर्मा, निवासी झंवर रोड, नया बास सुजानगढ , तहसील सुजानगढ जिला चुरू द्वारा स.ख.अ. चुरू।

cc-I
09/09/2022

भीम सिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

ML-95/1978

226

cc (71)

AMG 05/02/19

श्रीमान सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
चूरू (राजस्थान)।

विषय :– एम.एल. 95/1978 नामान्तरण करने के सन्दर्भ में प्रार्थना पत्र ।
सन्दर्भ :– आपका पत्र कमांक 118 दिनांक 19.05.2015 की पालना में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सादर निवेदन है कि एम.एल. 95/1978 खननपट्टा खनिज [illegible] निकट ग्राम रणधीसर पहाड़ी तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू श्री भागीरथ अग्रवाल पुत्र श्री लालाराम अग्रवाल के नाम से आपके कार्यालय के क्षेत्राधिकार में स्वीकृत है।

यह कि मेरे पिताजी श्री भागीरथमल अग्रवाल का स्वर्गवास दिनांक 18.02.2000 को हो गया है व मेरी माताजी श्यामा देवी का स्वर्गवास दिनांक 03.12.2009 को हो चुका है। जिसकी प्रति संलग्न कर प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह कि मेरे पिताजी के वारिशों में उनके पाँच पुत्र व दो पुत्रियां [illegible] तीनों भाई व एक मृतक भाई के वारिश व दोनों बहने उक्त खननपट्टा मेरे नाम से नामान्तरण करवाना चाहते है; इस हेतु मेरे तीनों भाई व एक मृतक भाई के वारिश व दोनों बहनों के द्वारा दिये गये शपथ पत्र व मेरा स्वयं का शपथ पत्र श्रीमान को प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त खननपट्टा मेरे नाम से नामान्तरण करने की कृपा करें। इस हेतु नगर पालिका, छापर द्वारा जारी कुर्सीनामा व मृतक भाई स्व0 पवन कुमार अग्रवाल के कुर्सीनामा [illegible] मृत्यु की प्रति प्रस्तुत कर रहा है। उक्त खननपट्टे के विरूद्ध अवैध खनन की बकाया राशि 42,00,000/– है। जिसमें से उक्त खननपट्टा मेरे नाम से होते ही जमा करा दूंगा। भविष्य में उक्त खननपट्टे में कोई राशि बकाया निकलती है तो भी मैं जमा करवाने को तत्पर रहूँगा।

संलग्न :– पिताजी व माताजी, मृतक भाई का मृत्यु प्रमाण, मेरा व तीनों भाई व मृतक भाई के वारिश तथा दोनों बहन का शपथ पत्र, नगरपालिका, छापर द्वारा जारी कुर्सीनामा, सभी वारिशों के [illegible] कार्ड/वोटर आई.डी., नामान्तरण शुल्क 2,000/– GRN No. 0028000730 दिनांक 05/02/2019

दिनांक :– 05.02.2019

प्रार्थी

(श्री मनोज कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 भागीरथमल अग्रवाल)
एम.एल. 95/1978, निकट ग्राम रणधीसर पहाड़ी,
तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू

ML-95/1978

227

राजस्थान – सरकार

कार्यालय अतिरिक्त निदेशक (खान), खान एवं भू–विज्ञान विभाग, जोधपुर जोन, जोधपुर

क्रमांकः अनिखा/जोध/सीसी–II/चुरू/नामा./एमएल/95/1978/ 211 दिनांकः 13/05/2021

प्रेषिति –

सहायक खनि अभियंता
खान एवं भू–विज्ञान विभाग,
राजस्थान – चुरू

विषय– श्री भागीरथमल अग्रवाल पुत्र श्री तोताराम अग्रवाल निवासी–रणधीसर, तहसील–सुजानगढ जिला चूरू के पक्ष स्वीकृत खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर, तहसील–सुजानगढ जिला चूरू(राजस्थान) का नामान्तरण श्री मनोज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री भागीरथ अग्रवाल, निवासी–छापर, तहसील–सुजानगढ, जिला–चूरू के पक्ष मे करने के संबंध में।

प्रसंग– आपका पत्र क्रमांक 3769 दिनांक 08–02–2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संबंध में लेख है कि उक्त नामान्तरण प्रकरण में आप द्वारा प्रेषित कमीपूर्ति बाबत् बिन्दुवार प्रतिउत्तर व दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि पट्टाधारी की मृत्यु 18–02–2000 को हो जाने पर पट्टाधारी की पत्नि श्रीमति ज्यानी देवी द्वारा खननपट्टा का नामान्तरण करने के संबंध में आवेदन पत्र दिनांक शून्य प्रस्तुत किया गया। जिसके संदर्भ मे तत्कालीन खनि अभियन्ता, बीकानेर कार्यालय द्वारा आवेदिका को पत्रांक 974 दिनांक 14–05–2009 से कमीपूर्ति नोटिस जारी किया गया, जिसकी पालना तत्समय नहीं की गई। तत्पश्चात् पट्टाधारी के पुत्र श्री मनोज कुमार अग्रवाल द्वारा दिनांक 16–04–2015 को आपके कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उनकी माताजी श्रीमति ज्यानी देवी का स्वर्गवास दिनांक 07–12–2009 होने व उक्त खननपट्टा स्वयं के नाम से नामान्तरण करने हेतु निवेदन करना बताया गया। जिस पर आपके कार्यालय द्वारा आवेदक को कमीपूर्ति नोटिस क्रमांक 116 दिनांक 19–05–2015 जारी किया गया। जिसकी पालना भी समय पर नहीं की गई।

चूंकि दिनाक 01–03–2017 से नवीन राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 प्रभाव मे आने से प्रार्थी को नामान्तरण बाबत् नए नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रभावी तिथि के तीन माह की समयावधि में नामान्तरण शुल्क मय आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक था, किन्तु प्रार्थी द्वारा नामान्तरण बाबत् औपचारिकताओं व कमीयों की पूर्ति समयावधि में नहीं की गई। प्रार्थी द्वारा दिनांक 05–02–2019 को उक्त खनन पट्टा के नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र मय नामान्तरण शुल्क रू 2000/– मय दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, जो कि निर्धारित समयावधि पश्चात् प्रस्तुत किये जाने से, उक्त खननपट्टा का नामान्तरण आवेदन पत्र राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियामावली 2017 के नियाम 76(6) के तहत स्वतः ही अस्वीकृत की श्रेणी मे आता है। अतः उक्त प्रकरण में नियम 76(6) के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर इस कार्यालय को अवगत करावें।

(एम. एल. भाटी)
अतिरिक्त निदेशक (खान)
जोधपुर जोन, जोधपुर

cc Randhir
20.05.21

ML-95/1978

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

228

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एल./95/1978/ 566 दिनांक :– 28-07-2021

श्री मनोज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री भागीरथमल अग्रवाल,
निवासी–छापर,
तहसील –सुजानगढ़, जिला– चूरू।

विषय :– श्री भागीरथमल अग्रवाल पुत्र श्री तोताराम अग्रवाल निवासी–रणधीसर, तहसील–सुजानगढ़ जिला चूरू के पक्ष स्वीकृत खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर, तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू(राजस्थान) का नामान्तरण श्री मनोज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री भागीरथमल अग्रवाल, निवासी–छापर, तहसील –सुजानगढ़, जिला– चूरू के पक्ष मे करने के संबंध मे।

प्रसंगः– श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर का पत्रांक 211 दिनांक 13.05.2021 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्री भागीरथमल अग्रवाल पुत्र श्री तोताराम अग्रवाल निवासी–रणधीसर, तहसील–सुजानगढ़ जिला चूरू के पक्ष मे एक खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर, तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में क्षैत्र 1500वर्गमीटर वार्षिक स्थिर भाटक 9,335/– प्रति वर्ष की दर से 10 वर्ष के लिए कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, जोधपुर वृत, जोधपुर के आदेश क्रमांक अखअ/जोध/सीसी/एफ(198) 79–80/614 दिनांक 15.07.1980 द्वारा खननपट्टे का प्रथम नवीनीकरण अवधि दिनांक 21.02.1979 से 20.02.1989 तक के लिए स्वीकृत किया गया। दिनांक 21.02.1989 से आगे की अवधि के लिए खननपट्टा का नवीनीकरण आवेदन पत्र ततसमय वन डायवतर्जन नही होने व उसके बाद अवैध खनन की राशि बकाया होने के कारण स्वीकृत नही किये जा सके। खननपट्टा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 74 के तहत क्रियाशील रहा है।

श्री भागीरथमल अग्रवाल पुत्र श्री तोताराम अग्रवाल की मृत्यु दिनांक 18.02.2000 को हो जाने पर उनकी पत्नि श्रीमति ज्यानी देवी द्वारा खननपट्टा नामान्तरण आवेदन करने पर खनि अभियन्ता, बीकानेर कार्यालय द्वारा कमीपूर्ति नोटिस 974 दिनांक 14.05.2009 जारी किया गया। पुनः नोटिस दिनांक 116 दिनांक 19.05.2015 जारी किया गया। जिसकी पालना भी समय पर नही की गयी।

आपकी माताजी का स्वर्गवास दिनांक 07.12.2009 को हो जाने पर आप द्वारा दिनांक 05.02.2019 को प्रार्थना पत्र मय नामान्तरण शुल्क 2,000/– जी.आर.एन. नं. 0028008730 दिनांक 05.02.2019 प्रस्तुत कर खननपट्टा स्वयं के नाम नामान्तरण करने हेतु निवेदन किया गया।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 76(2) के तहत नामांतरण आवेदन पत्र मय शुल्क खानधारी की मृत्यु तिथी से तीन माह की समयावधि में प्रस्तुत करना आवश्यक है। चूंकि प्रकरण में नामांतरण शुल्क 3 माह की समयावधि के पश्चात् प्रस्तुत किये जाने से राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 76(2) के तहत उक्त खननपट्टे का नामांतरण आवेदन पत्र स्वतः ही अस्वीकृत की श्रेणी में आता है।"

अतः राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नामांतरण आवेदन पत्र को निरस्त किया जाता है।

(सहदेव सारण)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
चूरू(राजस्थान)

निरीक्षण रिपोर्ट

ML-13/1978

229

आज दिनांक- 27/5/2022 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा खनन क्षेत्र रणचीतर पहाड़ी तहसील-सुजानगढ़ जिला-चूरू में घृत खनन पट्टा क्रमांक- 13/78 पट्टाधारी- श्री अश्वनीकुमार के पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र -0.3500 हैक्टर वाले खनिज- स्टोन बैलास्ट (-चेजा पत्थर) का मौका निरीक्षण किया गया, जिसका विवरण इस प्रकार है-

1. वक्त निरीक्षण खनन पट्टा क्षेत्र पर खनन पट्टा से संबंधित सूचना का बोर्ड स्थापित मिला।
2. वक्त निरीक्षण खनन पट्टा के सीमा स्तम्भ लगे हुए पाए गये।
3. वक्त निरीक्षण खनन पट्टा में खनन कार्य चालू मिला।
4. वक्त निरीक्षण पट्टेधारी द्वारा वृक्षारोपण किया जाना नहीं पाया गया।
5. मौके पर खनन पट्टा में खनन कार्य खान प्रबंधक/तकनीकी कर्मचारी की उपस्थिति में किया जाना नहीं पाया गया।
6. वक्त निरीक्षण खनन पट्टा पर सुरक्षा दीवार/तारबंदी आदि किया जाना नहीं पाया गया।
7. वक्त निरीक्षण खनन पट्टा में खनन कार्य अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार किया जाना नहीं पाया गया।

मौके पर निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर हस्ताक्षर किये गये।

cc-I
Issue Notice to Lessee
सोहन
30/05/2022

Tony Antonio
MFII

27/5/22
MF II

सोहन
27/05/2022
AME Churu
Camp-Rondhisar

ML-13/1978

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान) 230

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–13/1978/ 63 दिनांक :– 01-06-2022

श्री अश्वनी कुमार साई पुत्र श्री विजय कुमार साई,
निवासी– 1–बी–2,
जवाहर नगर, श्रीगंगानगर ।

विषयः– खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के संबंध मे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में स्वीकृत खननपट्टा क्षैत्र का दिनांक 27.05.2022 को कार्यालय फिल्ड स्टाफ द्वारा निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण आपके खननपट्टा पर निम्नानुसरा कमियॉ पाई गयीः–

1. आपके खननपट्टे पर खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनिकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य नही किया जाना पाया गया।
2. खननपट्टा की सुरक्षा दीवार/तारबन्दी किया जाना नही पाया गया।
3. आपके खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसर खननकार्य नही किया जाना पाया गया।

अतः आपको इस चेतना पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप का निवारण इस चेतना पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि मे कर सूचित करे। उपरोक्त पालना नही किये जाने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अवहेलना मानी जांकर आपके खननपट्टे विरूद्व निम्नलिखित कार्यवाही की जावेगी :–

1– आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अनुसार शास्ती आरोपित की जावेगी ।

या

2–आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 45 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अंतर्गत खननपटटे की प्रतिभूति राशि का हरण करते हुवे खनन पटटे को खण्डित करने की कार्यवाही की जावेगी।

सो सूचित रहे।

01/06/2022
(सोहनलाल मुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

ML-13/1978

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

231

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः— सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.—13/1978/ 63 दिनांक :— 01-06-2022

श्री अश्वनी कुमार साई पुत्र श्री विजय कुमार साई,
निवासी— 1—बी—2,
जवाहर नगर, श्रीगंगानगर ।

विषयः— खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के संबंध मे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में स्वीकृत खननपट्टा क्षैत्र का दिनांक 27.05.2022 को कार्यालय फिल्ड स्टाफ द्वारा निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण आपके खननपट्टा पर निम्नानुसरा कमियॉ पाई गयीः—

1. आपके खननपट्टे पर खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनिकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य नही किया जाना पाया गया।
2. खननपट्टा की सुरक्षा दीवार/तारबन्दी किया जाना नही पाया गया।
3. आपके खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसर खननकार्य नही किया जाना पाया गया।

अतः आपको इस चेतना पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप का निवारण इस चेतना पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि मे कर सूचित करे। उपरोक्त पालना नही किये जाने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अवहेलना मानी जांकर आपके खननपट्टे विरूद्व निम्नलिखित कार्यवाही की जावेगी :—

1— आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अनुसार शास्ती आरोपित की जावेगी ।

या

2—आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 45 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया मया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अंतर्गत खननपटटे की प्रतिभूति राशि का हरण करते हुवे खनन पटटे को खण्डित करने की कार्यवाही की जावेगी।

सो सूचित रहे।

(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

ML-13/1978

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सी–64, सादुलगंज, बीकानेर वृत्त बीकानेर।

क्रमांकःअखअ/बीका/अप्र/चुरू/एम.एल. 13/1978/ दिनांकः .2022

232

कार्यालय आदेश

श्री सुरजाराम पुत्र श्री चूनाराम मेघवाल के पक्ष में एक खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम– रणधीसर, तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू क्षैत्रफल 3500 वर्गमीटर कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक सखअ/श्रीगंगा/एम.एल./13/78/1220 दिनांक 22.06.1978 द्वारा संविदा पंजीयन की तिथि से 10 वर्ष के लिए स्वीकृत हुआ। संविदा का पंजीयन दिनांक 27.01.1979 को हुआ। इस प्रकार खननपट्टा अवधि दिनांक 27.01.1979 से 26.01.1989 तक के लिए प्रभाव में आया। उक्त खननपट्टे का हस्तान्तरण श्री लोकबन्धु सोमानी पुत्र श्री रामचन्द्र सोमानी, निवासी–जसवन्तगढ, तहसील–लाडनू, जिला–नागौर के पक्ष में खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक खअ/बीके/एम.एम.एल./13/78/36 दिनांक 06.01.1982 द्वारा स्वीकृत किया गया। खननपट्टा का प्रथम नवीनीकरण एम.एल. 39/1988 अवधि दिनांक 27.01.1989 से 26.01.1999 तक के लिए कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर में दिनांक 07.11.1988 को आवेदित किया गया। खननपट्टा का द्वितीय नवीनीकरण एम.एल. 60/1998 कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर में दिनांक 31.08.1998 को आवेदित किया गया। उक्त खननपट्टा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 के नियम 17(2) के तहत प्रभावशील रहा है। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 9(2) के तहत खननपट्टे की अवधि 14.01.2029 तक स्वतः ही बढी हुई मानी गयी। उक्त खननपट्टे का हस्तान्तरण श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर जोन, जोधपुर के आदेश कम्रांक अनिखा/जोध/सीसी/अप्र/चूरू/एम.एल./13/78/2136 दिनांक 06.07.2018 द्वारा श्री अश्वनी कुमार साईं पुत्र श्री विजय कुमार साईं, निवासी–1–बी–2, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर(राजस्थान) के पक्ष में स्वीकृत किया गया। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 30,048/– है।

सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने निम्न दोषो के निवारण हेतु पटटाधारी को चेतना पत्र संख्या 63 दिनांक 01.06.2022 जारी किया गया। जो कि पटटेधारी को नियमानुसार तामिल हुआ।

1–खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनीकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिती में खननकार्य किया जाना नहीं पाया गया।

2– खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नहीं किया जाना पाया गया।

पटटाधारी द्वारा चेतना पत्र की पालना नही की गई। चेतना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात भी पालना नहीं होने से सहायक खनि अभियन्ता, चूरू द्वारा खननपट्टे का क्षैत्रफल बहुत कम 3500वर्गमीटर होने व अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार बैंच बनाकर सुरक्षित तरीके से खननकार्य किया जाना संभव नहीं होने का उल्लेख करते हुए उक्त खनन पटटे को खण्डित करने के अनुमोदन का प्रस्ताव निदेशालय, उदयपुर को प्रेषित करते हुए प्रति इस कार्यालय को पृष्ठाकिंत की गयी। तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1687 दिनांक 07.09.2022 द्वारा निदेशालय को अनुशंषा की गयी। जिस पर निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर ने अपने पत्र क्रमांकः 825 दिनांक 08.09.2022 के द्वारा उक्त खनन पटटा खण्डित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चूरू के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमो में प्रदत शक्तियो का उपयोग करते हुए उक्त खनन पटटा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरन्त प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

-sd-
भीमसिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

[redacted]ांकसम/ 1862 दिनांकः 9.9.2022

प्रतिलिपीः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान निदेशक, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को उनके पत्र क्रमांकः निदे/प.2(एच–1)चूरू/2022/825 दिनांक 08.09.2022 के संदर्भ में।
2. श्रीमान जिला कलक्टर , चुरू।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरू को उनके पत्र क्रमांक 430 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में।
4. उप वन संरक्षक, चूरू।
5. श्री अश्वनी कुमार साईं पुत्र श्री विजय कुमार साईं, निवासी–1–बी–2, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर(राजस्थान) द्वारा सहायक खनि अभियन्ता, चुरू।
6. रक्षित पत्रावली

CC-I
09/09/2022

भीमसिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वत्त बीकानेर।

ML-42/1978 online 7.3.2022

198

233

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग , चूरू

पंचनामा कमांक: 198

दिनांक 05/03/2022

मौका पंचनामा (अनाधिकृत खनन)

1- पंचनामा बनाने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पदनाम:- तौसिफ अलम MFII, अर्जुनराम MFII

2- पंचनामा बनाने की तिथी : 05/03/2022

3- पंचनामा बनाने का समय:

4- पंचनामा बनाये जाने वाले स्थान का पूर्ण विवरण(मय मौका नक्शा) खनन पट्टा लेख्या 42/78 विरुद्ध ग्राम रणधीसर तह. रतनगढ जिला चुरू पटवारी मोरूसिंह B. चालू खनन पट्टा लेख्या 42/78 से R-D लाईन 3 मीटर

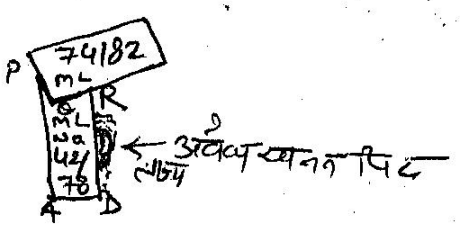
5- खनिज जिसका अवैध खनन पाया गया : मेग्नेशी स्टोन

6- नियम जिसके अंर्तगत पंचनामा बनाया गया : RMMCR-2017 के नियम 54 (2) अनुसार

7- अनाधिकृत खनन के लिए खोदे गये पिटो का विवरण:-

पिट क्र	लम्बाई (m)	चौडाई (m)	गहराई (m)	अक्षांश/देशान्तर	खनिज का आयतन	आपेक्षिक घनत्व	रिकवरी %	अवैध खनन की मात्रा
(1)	36	6	7		1512 m3	2.6	100%	3931.2 MT To say 3932

नमूना नक्शा
Not to scale



- पिट के फोटोग्राफ संलग्न करे एवं ऑनलाइन अपलोड करे।

8- अनाधिकृत खनन कर कुल निकाले गये खनिज की मात्रा:- 3932 MT

9- मौके पर जब्त किये गये खनिज की मात्रा:- NIL

10- अनाधिकृत खनन कार्य करने वाले व्यक्तियों के नाम व पतें

क्र.सं.	नाम अनाधिकृत खननकर्ता	पूर्ण पता
1	हरी प्रसाद मेलगा	S/o श्री भंवरलाल मेलगा
2	वि: आबपर	तह: रतनगढ जिला चुरू
3		

अना० शाखा

शोध 07/03/2022

11- अनाधिकृत खनन की कार्यावधि

(खननकर्ताओं व उपस्थिति मोतबीरान के बतलाये अनुसार)

12- अवैध खनन को निर्गमित किये जाने वाले व्यक्तियों / इकाईयों का विवरण:-

ML-42/1978 online 7.3.2022

198

234

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, चूरू

पंचनामा कमांक: 198

दिनांक 05/03/2022

मौका पंचनामा (अनाधिकृत खनन)

1- पंचनामा बनाने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पदनाम:- तौसिफ अलम MFA, अर्जुनराम MFA

2- पंचनामा बनाने की तिथी : 05/03/2022

3- पंचनामा बनाने का समय:

4- पंचनामा बनाये जाने वाले स्थान का पूर्ण विवरण(मय मौका नक्शा) खनन पट्टा संख्या 42/78 स्थित ग्रा. रतनपुर तह. खुजानगढ़ जिला चुरू पटवारी मोरसिंह वि. खाते- खनन पट्टा संख्या 42/78 से R-D लाइन के मध्य

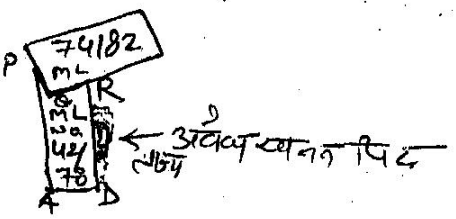
5- खनिज जिसका अवैध खनन पाया गया : मेटल स्टोन

6- नियम जिसके अंर्तगत पंचनामा बनाया गया : RMMCR-2017 के नियम 54 के अनुसार

7- अनाधिकृत खनन के लिए खोदे गये पिटों का विवरण:-

पिट क्र	लम्बाई	चौडाई	गहराई	अक्षांश/देशान्तर	खनिज का आयतन	आपेक्षिक घनत्व	रिकवरी %	अवैध खनन की मात्रा
(1)	36 (m) (औसत)	6 (m) औसत	7 (m) औसत		1512 m³	2.6	100%	3931.2 MT To say 3932

नमरी नक्शा
Not to scale



- पिट के फोटोग्राफ संलग्न करे एवं ऑनलाइन अपलोड करे।

8- अनाधिकृत खनन कर कुल निकाले गये खनिज की मात्रा:- 3932 MT

9- मौके पर जब्त किये गये खनिज की मात्रा:- NIL

10- अनाधिकृत खनन कार्य करने वाले व्यक्तियों के नाम व पते

क्र.स.	नाम अनाधिकृत खननकर्ता	पूर्ण पता
1	हरि प्रसाद मेलगा	S/O श्री भंवरलाल मेलगा,
2	वि. आबलर	तह. खुजानगढ़ जिला चुरू
3		

अना० शाखा
सोहन
07/03/2022

11- अनाधिकृत खनन की कार्यविधि
(खननकर्ताओं व उपस्थिति मोतबीरान के बतलाये अनुसार)

12- अवैध खनन को निर्गमित किये जाने वाले व्यक्तियों / इकाईयों का विवरण:-

235

13- अनाधिकृत खनन कार्य में उपयोग में लिये गये औजार,मशीनरी आदि का विवरण

क्र.सं.	नाम औजार/मशीनरी	संख्या
1.	मौके पर कोई मशीन/औजार उपलब्ध नहीं मिले	
2.		
3.		
4.		
5.		

14- मौके पर जब्त किये गये खनिज/औजारों की सुपुर्दगी में लेने वाले व्यक्ति का विवरण नाम, पता व हस्ताक्षर

1- —

2- —

15- अन्य विवरण मौके पर खनन पट्टाधारी/प्रतिनिधि से उक्त अवैध खनन कार्य को रुकवाया जाना सुनिश्चित किया। उक्त खनन पिट की जानकारी Stopping and inspection Note की हार्ड कापी संलग्न की जा रही है।

16- अनाधिकृत खननकर्ताओं के हस्ताक्षर

क्र.सं.	नाम अनाधिकृत खननकर्ता	हस्ताक्षर	विवरण
1.	हरीप्रसाद मिलवा		
2.	नि. आकवर तह. कुम्भलगढ़		
3.			
4.	फिल्म चुक		

17- उपस्थित मोतबीरान के हस्ताक्षर

क्र.सं.	नाम मोतबीरान	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	हरीप्रसाद मिलवा S/O मदनलाल		
2.	मिलवा नि. आकवर तह. कुम्भलगढ़		
3.	फिल्म चुक		

पंचनामा बनाने वाले
अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर

खनि अभियन्ता को प्रस्तुत करने की दिनांक ....

05/3/22
MF-4

ML-42/1978

236

राजस्थान–सरकार
GOVT OF RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एंव भू–विज्ञान विभाग, चूरू (राज.)।

E-mail-ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः–सखअ/चूरू/अवैध/2022–23/136 दिनांकः– 01/06/2022

प्रेषितिः–

श्री मांगीलाल पुत्र श्री घीसाराम जाट,
निवासी छापर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू।
पिन 331502।

विषयः–खनन पट्टा एम.एल. 42/1978 नि.ग्रा. रणधीसर में स्वीकृत खनन क्षैत्र से बाहर अवैध खनन की शास्ती राशि जमा कराकर अवैध खनन प्रकरण कम्पाउण्ड कराने बाबत्।

प्रंसगः– इस कार्यालय का जारी नोटिस स.ख.अ/चूरू/अवैध/2021–22/229 दिनांक 15.03.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय द्वारा बनाये गये मौका पंचनामा दिनांक 05.03.2022 के अनुसार आप द्वारा अपने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र एम.एल. 42/1978 नि.ग्रा. रणधीसर के बाहर 3932 टन खनिज मेसनरीस्टोन का अवैध खनन किया जाना पाया गया। जिसके संबंध में आपको प्रासंगिक पत्र से कारण बताओ नोटिस जारी कर आपका जवाब चाहा गया था, जो कि आज दिनांक तक प्राप्त नही हुआ है।

अतः आप द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर किये गये अवैध खनन की वर्तमान प्रचलित रॉयल्टी की दर रूपये 35/– प्रति टन से 10 गुणा राशि रू. 13,76,200/– की मांग कायम की जाकर निर्देश दिये जाते है कि उपरोक्त वर्णित शास्ती राशि रूपये 13,76,200/– कार्यालय में उपस्थित होकर/ऑनलाईन माध्यम से 7 दिवस में राजकोष में जमा करवाकर अवैध खनन प्रकरण कम्पाउण्ड करावें, अन्यथा आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टे को नियमानुसार खण्ड़ित करने की कार्यवाही की जावेगी। सो सूचित रहें।

01/06/2022

(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता
खान एंव भू विज्ञान विभाग
चूरू (राज.)।

क्रमांकः–सखअ/चूरू/अवैध/2022–23/137–139 दिनांकः– 01/06/2022

प्रतिलिपि–

1. मांग शाखा कार्यालय हाजा को दी जाकर लेख है कि उपरोक्तानुसार मांग राशि को मांग संधारण रजिस्टर में दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही करें।
2. अधिशुल्क निर्धारण लिपिक कार्यालय हाजा को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. हल्का खनि कार्यदेशक को भेजकर लेख है कि पट्टाधारी द्वारा जब तक अवैध खनन की मांग राशि जमा नही हो जाती है, तब तक खनन पट्टे में खनन गतिविधियां बन्द रखने की कार्यवाही कर रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता को पेश करें।

01/06/2022

सहायक खनि अभियन्ता
खान एंव भू विज्ञान विभाग
चूरू (राज.)।

01/06/22

ML-42/1978

237

GSTIN: 08EFUPM1186J1ZP

MOB.9001159988

में.माँगीलाल

रणधीसर पहाड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू (राजस्थान) 331505

क्रम संख्या

दिनाक :- 14/06/2022

सेवा में,

श्रीमान् सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भूविज्ञान विभाग,
चूरू (राज.)।

विषयः—खननपट्टा एम.एल. नं. 42/1978 नि.ग्रा. रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में खनन कार्य चालू करवाने बाबत्।

प्रंसंगः—आपके पत्रांक सखअ/चूरू/अवैध/2022—23/136 दिनांक 01.06.2022 के क्रम में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि खनन पट्टा एम.एल. नं. 75/1983 में आपके कार्यालय के तकनीकी कर्मचारियों के द्वारा बनाया गया पंचनामा दिनांक 05.03.2022 के अनुसार खनिज मेसेनरीस्टोन का 3932 टन अवैध खनन बताया गया था, जिसमें शास्ती राशि रूपयें 13,76,200/— आरोपित की गई है। जिसके क्रम में निवेदन है कि मैंने शास्ती राशि रूपयें 1,00,000/— जरिये जी.आर.एन. 63226247 दिनांक 09.06.2022 को जमा करा दी है। तथा मेरी आर्थिक स्थिति सही नही होने के कारण मैं एक साथ पूरी राशि जमा कराने में असमर्थ हूं। तथा मैं आरोपित शास्ती राशि को किस्तों में जमा कराने के लिये पाबंद रहूंगा। अतः आप मुझे खनन पट्टे में खनन कार्य चालू करने की कृपा करावें, जिससें मैं बकाया राशि जमा कराने का समर्थ प्राप्त कर सकूं।

संलग्नः—चालान की प्रति।

आ.अ. 21/06/CC-I
14/06/2022

मां गी लाल

भवदीय

मांगीलाल पुत्र घिसा राम

रणधीसर तहसील सुजानगढ़

जिला चुरू (राजस्थान) 331505

ML-42/1978

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर(राजस्थान)

Office of the Supdt. Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, C-64, Sadulganj, Bikaner (Rajasthan)
Tel. no 0151-2226611
E-mail- sme.bikaner@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– अखअ/बीका/अप्र/चुरू/एम.एम.एल.–42/1978/ दिनांक :–

कार्यालय आदेश

श्री गोपीराम पुत्र श्री महादेव प्रसाद अग्रवाल, रानी बाजार, बीकानेर के पक्ष में एक खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम–रणधीसर, तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू क्षैत्रफल 4582 वर्गमीटर वार्षिक स्थिर भाटक 1484.60 पर खननपट्टे का प्रथम नवीनीकरण अवधि दिनांक 27.01.1979 से 26.01.1989 तक के लिये कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक सखअ/श्रींगगा/एम.एल./42/1978/2446 दिनांकः 28.10.1978 द्वारा स्वीकृत किया गया। पट्टाधारी द्वारा खननपट्टे का द्वितीय नवीनीकरण एम.एल. 27/1988 अवधि दिनांक 27.01.1989 से 26.01.1999 तक के लिए दिनांक 02.08.1988 को आवेदित किया गया। पट्टाधारी द्वारा खननपट्टे का तृतीय नवीनीकरण एम.एल. 15/1999 अवधि दिनांक 27.01.1999 से 26.01.2019 तक के लिए दिनांक 10.05.1999 को आवेदित किया गया। उक्त खननपट्टा ततसमय राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियम 17(2) के अन्तर्गत बढ़ी हुई अवधि में प्रभावशील रहा।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 9(3) के तहत खननपट्टे की अवधि दिनांक 31.03.2025 तक स्वतः ही बढ़ गई है। कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर वृत, बीकानेर के आदेश क्रमांक अखअ /बीका /अप्र / एमएल–42/78/410 दिनांक 31.01.2018 द्वारा खननपट्टा का हस्तान्तरण श्री मॉगीलाल पुत्र श्री घीसाराम जाति जाट, निवासी छापर, तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू(राजस्थान) के पक्ष में स्वीकृत किया गया। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 49,000/– है। सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने निम्न दोषो के निवारण हेतु 30/45 दिवसीय चेतना पत्र क्रमांक 136 दिनांक 01.06.2022 जारी किया।

1. **आपके के पक्ष में स्वीकृत खनन पटटे का मौका पंचनामा दिनांक 05.03.2022 के अनुसार आप द्वारा खनन पटटा क्षैत्र के बाहर 3932 टन खनिज मैसेनरी स्टोन का अवैध खनन किया जाना पाया गया। जिसकी मॉग नियमानुसार रू. 13,76,200/– कायम की गई।**

जिसकी पालना में खनन पटटाधारी द्वारा दिनांक 09.06.2022 को राशि रू. 1,00,000/–जमा करवाई गई परन्तु नोटिस दिनांक 01.06.2022 पूर्ण पालना नही कि गई है। पटटाधारी द्वारा उक्त चेतना पत्र की पूर्ण पालना निर्धारित समयावधि पश्चात भी नही करने के कारण एवं वर्तमान में पटटेधारी के विरूद्व राशि मय ब्याज रूपये 12,76,200/–बकाया होने से सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने उक्त खनन पटटा खण्डित करने के प्रस्ताव इस कार्यालय को पठाये। श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर ने उक्त खनन पटटा खण्डित करने कां अनुमोदन अपने पत्र क्रमांक 2491 दिनांक 09.09.2022 से प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चुरू के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमो में प्रदत शक्तियो का उपयोग करते हुए उक्त खनन पटटा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरंत प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

भीम सिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

कमांकसम/ 1849 दिनांकः 9.9.2022

प्रतिलिपीः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर को उनके पत्र कमांक 2491 दिनांक 09.09.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चुरू।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरू को उनके पत्र कमांक 479 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में
4. उप वन संरक्षक, चुरू।
5. श्री मॉगी लाल पुत्र श्री घीसाराम जाती जाट निवासी छापर तहसील सुजानगढ जिला चुरू द्वारा स.ख.अ. चुरू।

CC-I
09/09/2022

भीम सिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

कमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल–42/1978/ 569 दिनांक :–12.09.2022

1. मांग शाखा 2. अवैध खनन शाखा 3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा
4. संगणक 5. मानचित्र शाखा

विषयः– खननपट्टा एम.एल. 42/1978 निकट ग्राम रणधीसर, तहसील–सुजानगढ, जिला–चूरू के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश कमांक 1849 दिनांक 09.09.2022 से उक्त खननपट्टा खण्डित किया जाकर खननपट्टा का कब्जा दिनांक 10.09.2022 को राज्य सरकार के पक्ष में लिया गया है।

12/09/2022
(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

Pandhiranakhia report

निरीक्षण रिपोर्ट

ML-74/1982

240

आज दिनांक 28/05/2022 को अधोहस्ताक्षरी कर्ता द्वारा खनन पट्टा संख्या 74/82 क्षेत्रफल 0.5 हे. पहाड़ी रामेश्वरधाम निकट ग्राम रणवासर पहाड़ी तह. कुंजावाड़ जिला चुरू मौके पर निरीक्षण करने हेतु पहुंचा गया। मौका निरीक्षण बिन्दु वार निम्नानुसार है।

(i) खनन पट्टे के संबंधित खोदाई किये हुये पाये गये।

(ii) खनन पट्टा के संबंधित सूचना बोर्ड लगा हुआ पाया गया।

(iii) खनन पट्टे के आस-पास आंशिक वृक्षारोपण किया हुआ पाया गया।

(iv) खनन पट्टे में सुरक्षा हेतु तारबंदी की गई हुई पायी गई।

(v) खनन पट्टे में खनन कार्य चालू पाया गया किन्तु खनन मजदूरों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नहीं किया जाना पाया गया।

(vi) खनन पट्टे में खनन कार्य खान सुरक्षा निदेशालय के अधिकारी/ खान पुलिस द्वारा नियुक्त तकनिकी कर्मचारी/ खान प्रबंधक की उपस्थिति में ही होता हुआ पाया गया।

cc-I issue Notice to lessee
30/5/2022

(vii) खनन पट्टे में खनन कार्य अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार होता हुआ नहीं पाया गया।

~~मौके पर निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर हस्ताक्षर किये गये।~~

सोलंकी
28/05/2022
AME Churu Camp-Randhisar

Tony Antony
MFI

MFI

ML-74/1982

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान) 241

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra,
Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः— सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.—74/1982/71 दिनांक :— 01-06-2022

श्री राधेश्याम पुत्र श्री नत्थूराम जाट,
निवासी— भंवर सिंह की कोठरी, बोथियावास,
पडिहारा, तहसील—रतनगढ़, जिला —चूरू।

विषयः— खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के संबंध मे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में स्वीकृत खननपट्टा क्षैत्र का दिनांक 28.05.2022 को कार्यालय फिल्ड स्टाफ द्वारा निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण आपके खननपट्टा पर निम्नानुसरा कमियॉ पाई गयीः—

1. खननकार्य के दौरान खनन मजदूरों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नही किया जाना पाया गया।
2. आपके खननपट्टे पर खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनिकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य नही किया जाना पाया गया।
3. आपके खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसर खननकार्य नही किया जाना पाया गया।

अतः आपको इस चेतना पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप का निवारण इस चेतना पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि मे कर सूचित करे। उपरोक्त पालना नही किये जाने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अवहेलना मानी जांकर आपके खननपट्टे विरूद्व निम्नलिखित कार्यवाही की जावेगी :—

1— आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अनुसार शास्ती आरोपित की जावेगी ।

या

2—आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 45 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा **28(1)(viii),** 30(1, 2) के अंतर्गत खननपटटे की प्रतिभूति राशि का हरण करते हुवे खनन पटटे को खण्डित करने की कार्यवाही की जावेगी।

सो सूचित रहे।

01/06/2022
(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

ML-74/1982

242

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–74/1982/ 71 दिनांक :– 01-06-2022

श्री राधेश्याम पुत्र श्री नत्थूराम जाट,
निवासी– भंवर सिंह की कोठरी, बोथियावास,
पडिहारा, तहसील–रतनगढ़, जिला –चूरू।

विषयः– खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के संबंध मे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में स्वीकृत खननपट्टा क्षैत्र का दिनांक 28.05.2022 को कार्यालय फ़िल्ड स्टाफ द्वारा निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण आपके खननपट्टा पर निम्नानुसरा कमियॉ पाई गयीः–

1. खननकार्य के दौरान खनन मजदूरों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नही किया जाना पाया गया।
2. आपके खननपट्टे पर खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनिकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य नही किया जाना पाया गया।
3. आपके खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसर खननकार्य नही किया जाना पाया गया।

अतः आपको इस चेतना पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप का निवारण इस चेतना पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि मे कर सूचित करे। उपरोक्त पालना नही किये जाने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अवहेलना मानी जांकर आपके खननपट्टे विरूद्व निम्नलिखित कार्यवाही की जावेगी :–

1– आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अनुसार शास्ती आरोपित की जावेगी ।

या

2–आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 45 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अंतर्गत खननपटटे की प्रतिभूति राशि का हरण करते हुये खनन पटटे को खण्डित करने की कार्यवाही की जावेगी।

सो सूचित रहे।

(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

ML-74/1982

243

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सी–64, सादुलगंज, बीकानेर वृत्त बीकानेर।

क्रमांकःअखअ/बीका/अप्र/चुरू/एम.एल. 74/1982/ दिनांकः .2022

कार्यालय आदेश

सर्वश्री जैन स्टोन केसिंग वर्क्स–I, प्रो0 श्री चैनरूप पाटनी निवासी–सुजानगढ़, जिला–चूरू के पक्ष में एक खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम– रणधीसर, तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू क्षैत्रफल 5000 वर्गमीटर वार्षिक स्थिर भाटक 1620/– पर संविदा निष्पादन से 05 वर्ष के लिये कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, श्रींगगानगर के आदेश क्रमांक सखअ/श्रींगगा/एम.एल./15/1978/1598 दिनांकः 31.07.1978 द्वारा प्रथम नवीनीकरण अवधि दिनांक 01.07.1978 से 30.06.1983 हेतु स्वीकृत किया गया। खननपट्टा का द्वितीय नवीनीकरण एम.एल. 74/1982 अवधि दिनांक 01.07.1983 से 30.06.1993 तक के लिये कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक खअ/बीका/एमएमएल/74/82/1762 दिनांक 08.02.1991 द्वारा स्वीकृत किया गया। पट्टाधारी द्वारा खननपट्टे का तृतीय नवीनीकरण एम.एल. 29/1993 दिनांक 24.02.1993 को अवधि दिनांक 01.07.1993 से 30.06.2003 तक के लिए आवेदित किया गया। पट्टाधारी द्वारा खननपट्टे का चतुर्थ नवीनीकरण एम.एल. 21/2003 दिनांक 26.05.2003 को अवधि दिनांक 01.07.2003 से 30.06.2023 तक के लिए आवेदित किया गया। उक्त खननपट्टा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 के नियम 17(2) के तहत प्रभावशील रहा है। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 9(3) के तहत खननपट्टे की अवधि 31.03.2025 तक स्वतः ही बढी हुई मानी गयी। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक अखअ/बीका/चूरू/एम.एल./74/82/403 दिनांक 31.01.2018 द्वारा खननपट्टा श्रीमति फूली पत्नि स्व0 श्री पूराराम जाति जाट, निवासी–बाधसरा पूर्वी, तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू के पक्ष में हस्तान्तरण स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात इस कार्यालय के आदेश क्रमांक अखअ/बीका/चूरू/एम.एल./74/82/ 2973 दिनांक 12.06.2019 द्वारा खननपट्टा श्री राधेश्याम पुत्र श्री नत्थूराम जाट, निवासी–96, भंवर सिंह की कोठारी, बोथियावास, पड़िहारा, तहसील–रतनगढ़, जिला चुरू(राजस्थान) के पक्ष में हस्तान्तरण स्वीकृत किया गया। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 58,990/– है।

सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने निम्न दोषो के निवारण हेतु पटटाधारी को चेतना पत्र संख्या 71 दिनांक 01.06.2022 जारी किया गया। जो कि पटटेधारी को नियमानुसार तामिल हुआ।

1– खननकार्य के दौरान खनन मजदूरों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपकरणों का उपयोग नही किया जाना पाया गया।

2– खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनीकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य किया जाना नहीं पाया गया।

3– खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नहीं किया जाना पाया गया।

पटटाधारी द्वारा चेतना पत्र का प्रस्तुत जबाव दिनांक 14.06.2022 अनुसार चेतना पत्र की पूर्ण पालना नही हुई। चेतना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात भी पूर्ण पालना नहीं होने से सहायक खनि अभियन्ता, चूरू द्वारा खननपट्टे का क्षैत्रफल बहुत कम 5000वर्गमीटर होने व अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार बैंच बनाकर सुरक्षित तरीके से खननकार्य किया जाना संभव नहीं होने का उल्लेख करते हुए उक्त खनन पटटे को खण्डित करने के अनुमोदन का प्रस्ताव निदेशालय, उदयपुर को प्रेषित करते हुए प्रति इस कार्यालय को पृष्ठाकिंत की गयी। तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1687 दिनांक 07.09.2022 द्वारा निदेशालय को अनुशंषा की गयी। जिस पर निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर ने अपने पत्र क्रमांकः 825 दिनांक 08.09.2022 के द्वारा उक्त खनन पटटा खण्डित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चूरू के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमो में प्रदत शक्तियो का उपयोग करते हुए उक्त खनन पटटा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरन्त प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

–sd–
भीमसिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

क्रमांक/सम/ 1959 दिनांकः 9.9.2022

प्रतिलिपीः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान निदेशक, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को उनके पत्र क्रमांकः निदे/प. 2(एच–1)चूरू/2022/825 दिनांक 08.09.2022 के संदर्भ में।
2. श्रीमान जिला कलक्टर , चुरू।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरू को उनके पत्र क्रमांक 458 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में।
4. उप वन संरक्षक, चूरू।
5. श्री राधेश्याम पुत्र श्री नत्थूराम जाट, निवासी–96, भंवर सिंह की कोठारी, बोथियावास, पड़िहारा, तहसील–रतनगढ़, जिला चुरू(राजस्थान) द्वारा सहायक खनि अभियन्ता, चुरू।
6. रक्षित पत्रावली

cc–I
09/09/2022

भीमसिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

ML-60/1983 रजि ऐ.डी. 244

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–60/1983/77 दिनांक :– 03-06-2022

श्री ललित कुमार वर्मा पुत्र श्री हनुमानमल वर्मा,
निवासी हनुमान कॉलोनी, पोस्ट लाडनू,
तहसील–लाडनू, जिला– नागौर ।

विषय :– खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू क्षेत्र 3000वर्गमीटर के संबंध में ।

प्रसंग :– इस कार्यालय का पत्र दिनांक 06.08.2013, 11.11.2013, पत्रांक 3361 दिनांक 15.03.2017 व पत्रांक 3765 दिनांक 08.12.2017 ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि आपके पक्ष मे स्वीकृत खनन पटटे के संबंध मे निम्नलिखित संविदा की शर्तो का उल्लंधन एवं अन्य अनियमितताओ पायी गयी है :–

1–यह कि देय राशि रूपये 2,08,57,640/– आपके विरूद बकाया है और निश्चित तिथि पर भुगतान करने मे आप असफल रहे है । यह संविदा की धारा 4(3) (4) एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(2)(ii) का उल्लघंन है।

स्थिर भाटक अवधि दिनांक 01.04.2014 से 30.06.2022	राशि	8,56,461/–
अवैध खनन पंचनामा निरीक्षण अवधि दिनांक 03.07.2000 से 07.07.2000	राशि	23,10,000/–
अवैध खनन पंचनामा अवधि दिनांक 03.11.2012	राशि	1,76,91,179/–
	योग	2,08,57,640/–

आपको प्रासंगिक पत्र से बकाया राशि जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया था । जो आज दिनांक तक जमा नही हुई है। अतः इस पत्र के जरिये आपका अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है कि अब भी उपरोक्त राशि 7 दिवस मे जमा करवा दे। अन्यथा आपके खननपट्टे विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी। जिसमें आपका खननपट्टा खण्डित भी किया जा सकता है। सो सूचित रहे।

सोहन 03/06/2022
(सोहन लाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

ML-60/1983 रजि ऐ.डी. 245

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–60/1983/ 77 दिनांक :– 03-06-2022

श्री ललित कुमार वर्मा पुत्र श्री हनुमानमल वर्मा,
निवासी हनुमान कॉलोनी, पोस्ट लाडनू,
तहसील–लाडनू, जिला– नागौर ।

विषय :– खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू क्षैत्र 3000वर्गमीटर के संबंध में ।

प्रसंग :– इस कार्यालय का पत्र दिनांक 06.08.2013, 11.11.2013, पत्रांक 3361 दिनांक 15.03.2017 व पत्रांक 3765 दिनांक 08.12.2017 ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि आपके पक्ष मे स्वीकृत खनन पटटे के संबंध मे निम्नलिखित संविदा की शर्तो का उल्लंधन एवं अन्य अनियमितताओ पायी गयी है :–

1–यह कि देय राशि रूपये 2,08,57,640/– आपके विरूद बकाया है और निश्चित तिथि पर भुगतान करने मे आप असफल रहे है । यह संविदा की धारा 4(3) (4) एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(2)(ii) का उल्लघंन है।

स्थिर भाटक अवधि दिनांक 01.04.2014 से 30.06.2022	राशि	8,56,461/–
अवैध खनन पंचनामा निरीक्षण अवधि दिनांक 03.07.2000 से 07.07.2000	राशि	23,10,000/–
अवैध खनन पंचनामा अवधि दिनांक 03.11.2012	राशि	1,76,91,179/–
	योग	2,08,57,640/–

आपको प्रासंगिक पत्र से बकाया राशि जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया था । जो आज दिनांक तक जमा नही हुई है। अतः इस पत्र के जरिये आपका अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है कि अब भी उपरोक्त राशि 7 दिवस मे जमा करवा दे। अन्यथा आपके खननपट्टे विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी। जिसमें आपका खननपट्टा खण्डित भी किया जा सकता है। सो सूचित रहे।

(सोहन लाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

देखुरा5

ML-60/1983

246

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर(राजस्थान)

Office of the Supdt. Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, C-64, Sadulganj, Bikaner (Rajasthan)
Tel. no 0151-2226611
E-mail- sme.bikaner@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– अखअ/बीका/अप्र/चुरू/एम.एम.एल.–60/1983/ दिनांक :–

कार्यालय आदेश

श्री सेडूराम पुत्र श्री ओमप्रकाश, प्रो. श्री सेडूराम, रणधीसर के पक्ष में खननपट्टा का प्रथम नवीनीकरण एम.एल. 20/1978, खनिज–स्टोन बैलास्ट, क्षैत्रफल 3000वर्गमीटर, निकट ग्राम–रणधीसर, तहसील–सुजानगढ, जिला–चूरू के पक्ष में कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक सखअ/श्रीगंगा/एम.एम.एल./20/1978/1610 दिनांक 31.07.1978 द्वारा अवधि दिनांक 31.10.1978 से 30.10.1983 तक के लिए स्वीकृत हुआ। कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक खअ/बीके/एम.एम.एल. 20/1978/1801 दिनांक 18.12.1981 द्वारा खननपट्टे का हस्तांतरण श्री ललित कुमार वर्मा पुत्र श्री हनुमानमल वर्मा, निवासी– लाडनूं जिला–नागौर के पक्ष में स्वीकृत हुआ। कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक खअ/बीके/एम.एम.एल. 60/1983/908 दिनांक 06.11.1990 द्वारा खननपट्टे का खननपट्टा का द्वितीय नवीनीकरण अवधि दिनांक 31.10.1983 से 30.10.1993 तक के लिए स्वीकृत किया गया। खननपट्टा का तृतीय नवीनीकरण एम.एल. 37/1993 दिनांक 15.04.1995 को अवधि दिनांक 31.10.1993 से 30.10.2003 व चतुर्थ नवीनीकरण एम.एल. 02/2002 दिनांक 05.04.2002 को अवधि दिनांक 31.10.2003 से 30.10.2023 तक के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त खननपट्टा ततसमय राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियम 17(2) के अन्तर्गत बढ़ी हुई अवधि में प्रभावशील रहा। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 9(3) के तहत खननपट्टे की अवधि दिनांक 31.03.2025 तक स्वतः ही बढ़ गई है। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 1,05,000/– है।

पट्टाधारी को उनके पते पर दिनांक 30.09.2019 तक की बकाया राशि रूपये 2,05,68,890/– जमा कराने हेतु चेतना पत्र 1795 दिनांक 04.09.2019 जारी किया गया। उक्त बकाया राशि के संबंध में बकायादार द्वारा एस.बी.सी.डब्ल्यू. 16668/2019 माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर की गयी। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा चेतना पत्र दिनांक 04.09.2019 पर "Meanwhile, No coervice measures shall be take by the respondents in pursuance of the notice of demand dated 04.09.2019" जारी किया गया।

सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने निम्न दोषो के निवारण हेतु 30/45 दिवसीय चेतना पत्र क्रमांक 77 दिनांक 03.06.2022 जारी किया। जो कि पटटाधारी को दिनांक 12.06.2022 को तामिल हुआ।

1. **यह कि देय राशि रूपये 2,08,57,640/–आपके विरूद्व बकाया है और निश्चित तिथी पर भुगतान करने में आप असफल रहे हैं। यह संविदा की धारा की धारा 4(3)(4) एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(2)(II) का उल्लघंन है।**

इस सबंध में सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने यह उल्लेख किया है कि पटटाधारी को जारी चेतना पत्र दिनांक 03.06.2022 की कुल राशि रूपये 2,08,57,640 /– में से राशि रूपये 2,05,68,890/– पर माननीय न्यायालय का स्थगन प्राप्त है। शेष स्थिर भाटक अवधि दिनांक 01.10.2019 से 30.06.2022 तक की राशि रूपये 2,88,750/– पर माननीय न्यायालय का कोई स्थगन नही है। अतः उक्त राशि रूपये 2,88,750/– पट्टाधारी से विभाग द्वारा वसूलनीय है। जिसे पटटाधारी द्वारा अभी तक जमा नही करवाया गया है साथ ही दिनांक 01.07.2022 से 30.09.2022 तक का स्थिर भाटक राशि रूपये 26250/–और बकाया हो जाने से सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने अपने पत्रांक 491 दिनांक 07.09.2022 से उक्त खनन पटटे को खण्डित करने के प्रस्ताव पठाये है। श्रीमान अतिरिक्त

निदेशक(खान), जोधपुर ने उक्त खनन पटटा खण्डित करने का अनुमोदन अपने पत्र कमांक 2493 दिनांक 09.09.2022 से प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चुरू के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमो में प्रदत शक्तियो का उपयोग करते हुए उक्त खनन पटटा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरंत प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

-Sd-
भीम सिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।
दिनांक: 9.9.2022

कमांकसम/ 1953

प्रतिलिपीः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर को उनके पत्र कमांक 2493 दिनांक 09.09.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चुरू।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरू को उनके पत्र कमांक 491 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में
4. उप वन संरक्षक, चुरू।
5. श्री ललित कुमार वर्मा पुत्र श्री हनुमानमल वर्मा, निवासी हनुमान कॉलोनी, पोस्ट लाडनू तहसील लाडनू जिला नागौर द्वारा सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ।

cc-I

भीम सिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू (राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235

E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

कमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल–60/1983/ 571 दिनांक :–12.09.2022

1. मांग शाखा 2. अवैध खनन शाखा 3. अधिशुल्क निर्धारण शाखा
4. संगणक 5. मानचित्र शाखा

विषयः– खननपट्टा एम.एल. 60/1983 निकट ग्राम रणधीसर, तहसील–सुजानगढ, जिला–चूरू के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश कमांक 1953 दिनांक 09.09.2022 से उक्त खननपट्टा खण्डित किया जाकर खननपट्टा का कब्जा दिनांक 10.09.2022 को राज्य सरकार के पक्ष में लिया गया है।

12/09/2022
(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

Bandhisanklabia report

निरीक्षण रिपोर्ट

ML-92/1978

248

आज दिनांक 28/05/2022 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा खनन पट्टा संख्या 92/78 पहाड़ी श्री बाबूलाल पुत्रियाँ क्षेत्रफल 4.000 है. वास्ते खनिज एवेन्टेन बेलजर का निरीक्षण रणधीपुर पहाड़ी तह. सुजानगढ़ जिला चुरू का मौका निरीक्षण करने हेतु मौके पर पहुंचा गया। मौका निरीक्षण बिन्दु वार निम्नानुसार है:

(i) उक्त निरीक्षण खनन पट्टे से संबंधित सीमा स्तम्भ लगे हुये पाये गये।

(ii) उक्त निरीक्षण भू खनन पट्टे से संबंधित सूचना बोर्ड लगा हुआ पाया गया।

(iii) खनन पट्टे के आस-पास अंकित पैमाइश किया हुआ पाया गया

(iv) खनन पट्टे के बाहरी सीमा पर सुरक्षा हेतु तारबंदी आदि नहीं की हुई पायी गई।

(v) खनन पट्टे में खनन कार्य चालू पाया गया परन्तु सुरक्षा हेतु खनन मजदूरो द्वारा सुरक्षा उपकरणो का उपयोग नहीं किया जाना पाया।

(vi) खनन पट्टे मे खनन कार्य खान सुरक्षा निदेशालय द्वारा नियुक्त तकनिकी कर्मचारी/खान प्रबंधन की उपस्थिती में नहीं किया जाना पाया गया।

cc-I
issue Notice to lessee
30/5/2022

(vii) खनन पट्टे में खनन कार्य अनुमोदित मशीनरी/प्लान के अनुसार हटे हुआ नहीं पाया गया।

मौके पर निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर हस्ताक्षर किये गये

28/5/22
MF II

MFH

28/05/2022
AME Churu
Ranthisar

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

ML-92/1978

249

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–92/1978/72 दिनांक :–01-06-2022

श्री बाबूलाल पूनियॉ पुत्र श्री सुगनाराम पूनियॉ,
निवासी– सागर रोड़,
जाट छात्रावास के सामने, तिलक नगर, बीकानेर।

विषयः– खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के संबंध मे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में स्वीकृत खननपट्टा क्षैत्र का दिनांक 28.05.2022 को कार्यालय फिल्ड स्टाफ द्वारा निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण आपके खननपट्टा पर निम्नानुसरा कमियॉ पाई गयीः–

1. खननकार्य के दौरान खनन मजदूरों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नही किया जाना पाया गया।
2. आपके खननपट्टे पर खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनिकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य नही किया जाना पाया गया।
3. आपके खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसर खननकार्य नही किया जाना पाया गया।
4. खननपट्टे की बाहरी तारबन्दी नही किया जाना पाया गया।

अतः आपको इस चेतना पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप का निवारण इस चेतना पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि मे कर सूचित करे। उपरोक्त पालना नही किये जाने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अवहेलना मानी जांकर आपके खननपट्टे विरूद्व निम्नलिखित कार्यवाही की जावेगी :–

1– आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अनुसार शास्ती आरोपित की जावेगी ।

या

2–आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 45 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अंतर्गत खननपटटे की प्रतिभूति राशि का हरण करते हुवे खनन पटटे को खण्डित करने की कार्यवाही की जावेगी।

सो सूचित रहे।

01/06/2022
(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

o/c

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

ML-92/1978

250

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

कमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–92/1978/72 दिनांक :–01-06-2022

श्री बाबूलाल पूनियॉ पुत्र श्री सुगनाराम पूनियॉ,
निवासी– सागर रोड़,
जाट छात्रावास के सामने, तिलक नगर, बीकानेर।

विषयः– खननपट्टा वास्ते खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के संबंध मे ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पक्ष में स्वीकृत खननपट्टा क्षैत्र का दिनांक 28.05.2022 को कार्यालय फिल्ड स्टाफ द्वारा निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण आपके खननपट्टा पर निम्नानुसरा कमियॉ पाई गयीः–

1. खननकार्य के दौरान खनन मजदूरों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नही किया जाना पाया गया।
2. आपके खननपट्टे पर खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनिकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिति में खननकार्य नही किया जाना पाया गया।
3. आपके खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसर खननकार्य नही किया जाना पाया गया।
4. खननपट्टे की बाहरी तारबन्दी नही किया जाना पाया गया।

अतः आपको इस चेतना पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप का निवारण इस चेतना पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि मे कर सूचित करे। उपरोक्त पालना नही किये जाने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की अवहेलना मानी जांकर आपके खननपट्टे विरूद्व निम्नलिखित कार्यवाही की जावेगी :–

1– आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अनुसार शास्ती आरोपित की जावेगी ।

या

2–आप द्वारा चेतना पत्र प्राप्त होने के 45 दिवस की अवधि मे भी यदि उसका निवारण नही किया गया तो राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(1)(viii), 30(1, 2) के अंतर्गत खननपटटे की प्रतिभूति राशि का हरण करते हुवे खनन पटटे को खण्डित करने की कार्यवाही की जावेगी।

सो सूचित रहे।

(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सी–64, सादुलगंज, बीकानेर वृत्त बीकानेर। 251

क्रमांक:अखअ/बीका/अप्र/चुरू/एम.एल. 92/1978/ दिनांक 2022

कार्यालय आदेश

श्री कुम्भाराम पुत्र देवाराम जाट, निवासी–खारिया छोटा, पोस्ट–सालासार, तहसील सुजानगढ जिला– चूरू के पक्ष खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट, निकट ग्राम–रणधीसर, तहसील–सुजानगढ, जिला–चूरू (राजस्थान) क्षेत्रफल 4,000वर्गमीटर वार्षिक स्थिर भाटक 875/– की दर पर संविदा पंजीयन की तिथि से 10 वर्ष के लिए कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक सखअ/श्रीगंगा/एम.एल./92/1978/307 दिनांक 31.01.1979 द्वारा स्वीकृत किया गया। संविदा पंजीयन दिनांक 30.03.1979 को हुआ । इस प्रकार खननपट्टा अवधि दिनांक 30.03.1979 से 29.03.1989 तक के लिए प्रभाव मे आया। पट्टाधारी द्वारा खननपट्टे का प्रथम नवीनीकरण एम.एल. 36/1988 दिनांक 01.10.1988 को अवधि दिनांक 30.03.1989 से 29.03.1999 हेतु आवेदित किया गया। पट्टाधारी द्वारा खननपट्टे का द्वितीय नवीनीकरण एम.एल. 5/1999 दिनांक 10.03.1999 को अवधि दिनांक 31.03.1999 से 30.03.2017 हेतु आवेदित किया गया। उक्त खननपट्टा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 के नियम 17(2) के तहत प्रभावशील रहा है। पट्टाधारी का स्वर्गवास 29.05.2007 को होने पर कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक खअ/बीका/अप्र/1308 दिनांक 12.09.2008 द्वारा उक्त खननपट्टा सत्यनारायण पूनियाँ पुत्र श्री सुगनाराम पूनियाँ निवासी–पडिहारा, तहसील–सुजानगढ, जिला–चूरू(राजस्थान) के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत किया गया। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 9(2) के तहत खननपट्टे की अवधि 29.03.2029 तक स्वतः ही बढी हुई मानी गयी। वर्तमान मे खननपट्टे का स्थिर भाटक 1,05,000/– है। कार्यालय अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर जोन जोधपुर के आदेश क्रमांक अनिखास/जोध/चूरू/एम.एल./92/ 1978/2498 दिनांक 07.11.2019 द्वारा खननपट्टा का हस्तांतरण श्री बाबूलाल पूनियाँ पुत्र श्री सुगनाराम पूनियाँ, निवासी–सागर रोड, जाट छात्रावास के सामने, तिलक नगर, बीकानेर(राजस्थान) के पक्ष में स्वीकृत किया गया।

सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने निम्न दोषो के निवारण हेतु पटटाधारी को चेतना पत्र संख्या 72 दिनाक 01.06.2022 जारी किया गया। जो कि पटटेधारी को नियमानुसार तामिल हुआ।

1–खनन कार्य के दौरान खनन मजदूरों द्वारा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नही किया जाना पाया गया।

2– खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा नियुक्त तकनीकी कार्मिक/खान प्रबन्धक की उपस्थिती में खननकार्य किया जाना नही पाया गया।

3– खननपट्टे के संबंध में अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार खननकार्य नहीं किया जाना पाया गया।

4–खननपट्टा की बाहरी तारबंदी किया जाना नहीं पाया गया।

पटटाधारी द्वारा चेतना पत्र का प्रस्तुत जबाव दिनांक 18.07.2022 अनुसार चेतना पत्र की पूर्ण पालना नही हुई। चेतना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात भी पूर्ण पालना नहीं होने से सहायक खनि अभियन्ता, चूरू द्वारा खननपट्टे का क्षेत्रफल बहुत कम 4000वर्गमीटर होने व अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार बैंच बनाकर सुरक्षित तरीके से खननकार्य किया जाना संभव नहीं होने का उल्लेख करते हुए उक्त खनन पटटे को खण्डित करने के अनुमोदन का प्रस्ताव निदेशालय, उदयपुर को प्रेषित करते हुए प्रति इस कार्यालय को पृष्ठांकित की गयी। तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1667 दिनांक 07.09.2022 द्वारा निदेशालय को अनुशंषा की गयी। जिस पर निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर ने अपने पत्र क्रमांक: 825 दिनांक 08.09.2022 के द्वारा उक्त खनन पटटा खण्डित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चूरू के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमो में प्रदत शक्तियो का उपयोग करते हुए उक्त खनन पटटा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरन्त प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

-Sd-
भीमसिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

क्रमांक/सम/ 1995 दिनांक: 9.9.2022

प्रतिलिपी–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान निदेशक, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को उनके पत्र क्रमांक: निदे/ प. 2(एच–1)चूरू/2022/825 दिनांक 08.09.2022 के संदर्भ में।
2. श्रीमान जिला कलक्टर , चुरू।
3. उप वन संरक्षक, चूरू ।
4. सहायक खनि अभियन्ता, चुरू को उनके पत्र क्रमांक 452 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में।
5. श्री बाबूलाल पूनियाँ पुत्र श्री सुगनाराम पूनियाँ, निवासी–सागर रोड, जाट छात्रावास के सामने, तिलक नगर, बीकानेर(राजस्थान) ।
6. रक्षित पत्रावली

अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

CC-5
09/09/2022

ML-74/1983 **252**

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक खनि अभियंता-चुरू
निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनांक-21/12/2021 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा कार्यालय उप वन संरक्षक-चुरू के आदेश क्रमांक-एफ()इवस, 2021/8661-69 दिनांक-17/11/2021 द्वारा गठित टीम व श्रीमान सहायक खनि अभियंता-चुरू के निर्देशानुसार खनन क्षेत्र रणधीसर पहाड़ी तहसील-सुजानगढ़ जिला-चुरू में श्रीमति पारकी देवी के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्रमा-74/1983 वाले खनिज-स्टोन बैलास्ट (चेजा पत्थर) का मौका निरीक्षण किया गया, जिसका विवरण इस प्रकार है-

① वक्त निरीक्षण खनन पट्टा ~~क्र~~ में खनन कार्य पूर्णतया बंद मिला तथा आस-पास पूछ-ताछ करने पर खनन पट्टा के खनन कार्य ~~पूर्णरूप~~ वर्ष-2012 में अवैध खनन का प्रकरण बनने के बाद से ही बंद होने की जानकारी मिली।

② वक्त निरीक्षण खनन पट्टा के सीमा स्तम्भ लगे हुए नहीं पाए गये।

③ वक्त निरीक्षण खनन पट्टा से संबंधित सूचना का बोर्ड स्थापित नहीं पाया गया।

④ वक्त निरीक्षण खनन पट्टा की जांच करने पर स्वीकृत क्षेत्र से बाहर पुराना खनन कार्य किया जाना पाया गया जहां खनन के ताजा निशानात नहीं पाए गये। पूर्व में किए गये अवैध खनन का पूर्व में विभाग द्वारा वर्ष-2012 में प्रकरण बनाया जा चुका है।

⑤ खनन पट्टा में खनन कार्य काफी समय से बंद होने से पर्यावरण सुरक्षा व खान सुरक्षा के किसी प्रकार के उपाय किया जाना नहीं पाया गया। रिपोर्ट वाले आगे कार्यवाही श्रीमान की देवा में प्रेषित है।

cc-सचेतक

सोद 27/12/2021

373 दिनांक 28-12-2021

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–74/1983/84 दिनांक :– 22-12-2021

श्रीमति पारकी देवी पत्नि श्री नोपाराम मेघवाल,
द्वारा श्री सुन्दरलाल अग्रवाल
सेठिया भवन, पड़िहारा,
तहसील–सुजानगढ़, जिला– चूरू।

विषय :– खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू क्षैत्र 900वर्गमीटर के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पटटा स्थल का कार्यालय खनिकार्यदेशक द्वारा दिनांक 21.12.2021 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के अनुसार निम्नलिखित कमियां पाई गईः–

1. खननपट्टा स्थल के सीमा स्तम्भ निर्धारित आकार के नहीं मिले, अतः निर्धारित आकार के सीमा स्तम्भ स्थापित कर फोटो सहित कार्यालय में प्रस्तुत करें।
2. खननपट्टा स्थल पर वृक्षारोपण संबंधी कोई उपाय नहीं किया जाना पाया गया, अतः वृक्षारोपाण की सूचना फोटो सहित कार्यालय में प्रस्तुत करें।
3. खननपट्टा स्थल की सुरक्षा संबंधी कोई चारदीवारी या तारबंदी/फेंसिंग की हुई नहीं मिली, अतः नियमानुसार कमी पूर्ती कर कार्यालय को फोटो सहित अवगत करवाये।
4. खननपट्टा स्थल पर सूचना पट्ट नहीं लगा हुआ पाया गया, अतः सूचना पट्ट लगाकर फोटो सहित कार्यालय में प्रस्तुत करें।

उक्त कमियों की पालना 15 दिवस में किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 अनुसार खननपट्टा विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

सो सूचित रहे।

(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- ame.churu@rajasthan.gov.in

कमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–74/1983/84 दिनांक :– 22-12-2021

श्रीमति पारकी देवी पत्नि श्री नोपाराम मेघवाल,
द्वारा श्री सुन्दरलाल अग्रवाल
सेठिया भवन, पड़िहारा,
तहसील–सुजानगढ़, जिला– चूरू।

विषय :– खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू क्षैत्र 900वर्गमीटर के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि आपके पक्ष में स्वीकृत खनन पटटा स्थल का कार्यालय खनिकार्यदेशक द्वारा दिनांक 21.12.2021 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के अनुसार निम्नलिखित कमियां पाई गईः–

1. खननपट्टा स्थल के सीमा स्तम्भ निर्धारित आकार के नहीं मिले, अतः निर्धारित आकार के सीमा स्तम्भ स्थापित कर फोटो सहित कार्यालय में प्रस्तुत करें।
2. खननपट्टा स्थल पर वृक्षारोपण संबंधी कोई उपाय नहीं किया जाना पाया गया, अतः वृक्षारोपाण की सूचना फोटो सहित कार्यालय में प्रस्तुत करें।
3. खननपट्टा स्थल की सुरक्षा संबंधी कोई चारदीवारी या तारबंदी/फेंसिंग की हुई नहीं मिली, अतः नियमानुसार कमी पूर्ती कर कार्यालय को फोटो सहित अवगत करवाये।
4. खननपट्टा स्थल पर सूचना पट्ट नहीं लगा हुआ पाया गया, अतः सूचना पट्ट लगाकर फोटो सहित कार्यालय में प्रस्तुत करें।

उक्त कमियों की पालना 15 दिवस में किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 अनुसार खननपट्टा विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

सो सूचित रहे।

(सोहनलाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

प्राप्त किया
03.01.2022

राजस्थान सरकार ML-74/1983

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सी–64, सादुलगंज, बीकानेर वृत्त बीकानेर

255

क्रमांकःअखअ/बीका/अप्र/चुरू/एम.एल. 74/1983/ दिनांकः .2022

कार्यालय आदेश

श्री नोपाराम पुत्र श्री देवाराम मेघवाल, निवासी–रणधीसर पहाड़ी, तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के पक्ष में एम.एल. 57/1978 खनिज–स्टोन बैलास्ट, क्षैत्रफल 900 वर्गमीटर, निकट ग्राम–रणधीसर पहाड़ी, तहसील–सुजानगढ़, जिला चूरू में संविदा पंजीयन तिथि से 5 वर्ष के लिए सहायक खनि अभियन्ता, श्री गंगानगर के आदेश क्रमांक 3051 दिनांक 22.12.1978 द्वारा स्वीकृत किया गया। संविदा का पंजीयन दिनांक 15.01.1979 को हुआ। इस प्रकार खननपट्टा अवधि दिनांक 15.01.1979 से 14.01.1984 तक के लिए प्रभावी रहा। खननपट्टा का प्रथम नवीनीकरण खनि अभियन्ता, बीकानेर कार्यालय के आदेश क्रमांक खअ/बीका/एम.एम.एल.–74/83/800–804 दिनांक 04.06.1991 अवधि दिनांक 15.01.1984 से 14.01.1994 तक के लिए स्वीकृत किया गया। खनि अभियन्ता, बीकानेर कार्यालय के आदेश क्रमांक खअ/बीका/एम.एम.एल.–74/83/2796 दिनांक 07.10.1993 द्वारा उक्त खननपट्टा का नामांतरण श्रीमति पारकी देवी पत्नि स्व0 नोपाराम मेघवाल, निवासी–रणधीसर, तहसील–सुजानगढ, जिला–चूरू के पक्ष में स्वीकृत किया गया। खननपट्टा का द्वितीय नवीनीकरण आवेदन एम.एल. 63/1993 अवधि दिनांक 15.01.1994 से 14.01.2004 तक के लिए दिनांक 01.10.1993 को प्रस्तुत किया गया। खननपट्टा का तृतीय नवीनीकरण आवेदन एम.एल. 36/2003 अवधि दिनांक 15.01.2004 से 14.01.2024 तक के लिए दिनांक 12.12.2003 को प्रस्तुत किया गया। उक्त खननपट्टा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 के नियम 17(2) के तहत प्रभावशील रहा है। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 9(2) के तहत खननपट्टे की अवधि 14.01.2029 तक स्वतः ही बढी हुई मानी गयी। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 49,000/– है। पट्टाधारी को खननपट्टे के संबंध में एनवायरमेंट क्लीयरेन्स प्राप्त करने हेतु नोटिस क्रमांक सखअ/चूरू/एम.एम.एल.–36/2003/दिनांक 833 दिनांक 30.07.2015 जारी किया गया, जो पट्टाधारी प्रतिनिधि को दिनांक 10.08.2015 को तामिल कराया गया, जिसकी पालना अभी तक नही हुई है।

निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 22.12.2021 अनुसार खननपट्टा स्थल के सीमा स्तम्भ, वृक्षारोपण, सुरक्षा संबंधी [redacted]रदिवारी या तारबन्दी/फेंसिग, सूचना पट्ट लगाने की पालना करने हेतु नोटिस दिनांक 22.12.2021 जारी किया गया। जो पट्टाधारी प्रतिनिधि को दिनांक 03.01.2022 को तामिल कराया गया। उक्त नोटिस की पालना अभी तक नही हुई है।

चेतना पत्र दिनांक 30.07.2015 व 21.12.2021 की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात भी पूर्ण पालना नहीं होने से सहायक खनि अभियन्ता, चूरू द्वारा खननपट्टे का क्षैत्रफल बहुत कम 900वर्गमीटर होने व अनुमोदित खनन योजना(माईनिंग प्लान) के अनुसार बैंच बनाकर सुरक्षित तरीके से खननकार्य किया जाना संभव नहीं होने का उल्लेख करते हुए उक्त खनन पटटे को खण्डित करने के अनुमोदन का प्रस्ताव निदेशालय, उदयपुर को प्रेषित करते हुए प्रति इस कार्यालय को पृष्ठाकिंत की गयी। तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक 1687 दिनांक 07.09.2022 द्वारा निदेशालय को अनुशंषा की गयी। जिस पर निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर ने अपने पत्र क्रमांकः 825 दिनांक 08.09.2022 के द्वारा उक्त खनन पटटा खण्डित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चूरू के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमो में प्रदत शक्तियो का उपयोग करते हुए उक्त खनन पटटा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरन्त प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

–sd–
(भीमसिंह)
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

क्रमांकसम/ 1980 दिनांकः 9.9.2022

प्रतिलिपीः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान निदेशक, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर को उनके पत्र क्रमांकः निदे/प.2(एच–1)चूरू/2022/825 दिनांक 08.09.2022 के संदर्भ में।
2. श्रीमान जिला कलक्टर , चुरू।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरू को उनके पत्र क्रमांक 486 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में।
4. उप वन संरक्षक, चूरू।
5. श्रीमति पारकी देवी पत्नि स्व0 नोपाराम मेघवाल, निवासी–रणधीसर, तहसील–सुजानगढ, जिला–चूरू (राजस्थान) द्वारा सहायक खनि अभियन्ता, चुरू।
6. रक्षित पत्रावली

अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

cc I
09/09/2022

ML-11/1978 **256**

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- amechuru@dmg-raj.org

क्रमांक:– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–11/1978/88 दिनांक :– 03-06-2022

सर्वश्री पी.जी. स्टोन केसिग इण्डस्ट्रीज,
निवासी–पार्वती सदन, गजनेर रोड़, बीकानेर,
तहसील व जिला– बीकानेर ।

विषय :– खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू क्षैत्र 3052वर्गमीटर के संबंध में ।
प्रसंग :– इस कार्यालय का पत्र दिनांक 06.08.2013, 11.11.2013 ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि आपके पक्ष मे स्वीकृत खनन पटटे के संबंध मे निम्नलिखित संविदा की शर्तो का उल्लंधन एवं अन्य अनियमितताओ पायी गयी है :–

1–यह कि देय राशि रूपये 59,82,809/– आपके विरूद बकाया है और निश्चित तिथि पर भुगतान करने मे आप असफल रहे है । यह संविदा की धारा 4(3) (4) एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(2)(ii) का उल्लघंन है।

दिनांक 01.04.2021 से 30.06.2022 तक का स्थिर भाटक	राशि	61,250/–
अवैध खनन पंचनामा अवधि दिनांक 31.10.2012	राशि	59,21,559/–
	योग	59,82,809/–

आपको प्रासंगिक पत्र से बकाया राशि जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया था । जो आज दिनांक तक जमा नही हुई है। अतः इस पत्र के जरिये आपका अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है कि अब भी उपरोक्त राशि 7 दिवस मे जमा करवा दे। अन्यथा आपके खननपट्टे विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी। जिसमें आपका खननपट्टा खण्डित भी किया जा सकता है। सो सूचित रहे।

03/06/2022
(सोहन लाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

c/c

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, चूरू(राजस्थान)

Office of the Assistant Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, Near malji ka kamra, Old Sale tax office building, kothariya ka mohalla, Churu(Rajasthan) Tel. no 01562-250235
E-mail- amechuru@dmg-raj.org

क्रमांकः– सखअ/चूरू/अप्र/एम.एम.एल.–11/1978/ 88 दिनांक :– 03-06-2022

सर्वश्री पी.जी. स्टोन केसिग इण्डस्ट्रीज,
निवासी–पार्वती सदन, गजनेर रोड़, बीकानेर,
तहसील व जिला– बीकानेर ।

विषय :– खननपट्टा खनिज स्टोन बैलास्ट निकट ग्राम रणधीसर, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू क्षैत्र 3052वर्गमीटर के संबंध में ।
प्रसंग :– इस कार्यालय का पत्र दिनांक 06.08.2013, 11.11.2013 ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि आपके पक्ष मे स्वीकृत खनन पटटे के संबंध मे निम्नलिखित संविदा की शर्तो का उल्लंधन एवं अन्य अनियमितताओ पायी गयी है :–

1–यह कि देय राशि रूपये 59,82,809/– आपके विरूद बकाया है और निश्चित तिथि पर भुगतान करने मे आप असफल रहे है । यह संविदा की धारा 4(3) (4) एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(2)(ii) का उल्लघंन है।

दिनांक 01.04.2021 से 30.06.2022 तक का स्थिर भाटक	राशि	61,250/–
अवैध खनन पंचनामा अवधि दिनांक 31.10.2012	राशि	59,21,559/–
	योग	59,82,809/–

आपको प्रासंगिक पत्र से बकाया राशि जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया था । जो आज दिनांक तक जमा नही हुई है। अतः इस पत्र के जरिये आपका अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है कि अब भी उपरोक्त राशि 7 दिवस मे जमा करवा दे। अन्यथा आपके खननपट्टे विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी। जिसमें आपका खननपट्टा खण्डित भी किया जा सकता है। सो सूचित रहे।

(सोहन लाल गुरू)
सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू(राजस्थान)

राजेन्द्र खनी

ML-11/1978

राजस्थान सरकार
GOVT.OF.RAJASTHAN

258

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर(राजस्थान)

Office of the Supdt. Mining Enginer, Deptt. Of Mines and Geology, C-64, Sadulganj, Bikaner (Rajasthan)
Tel. no 0151-2226611
E-mail- sme.bikaner@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– अखअ/बीका/अप्र/चुरू/एम.एम.एल.–11/1978/ दिनांक :–

कार्यालय आदेश

श्री पूराराम पुत्र श्री धन्नाराम हरिजन, निवासी– नापासर, जिला–बीकानेर के पक्ष में खननपट्टा एम. एल. 11/1978, खनिज–स्टोन बैलास्ट, क्षैत्रफल 3052वर्गमीटर, निकट ग्राम–रणधीसर, तहसील–सुजानगढ, जिला–चूरू के पक्ष में कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक सखअ/श्रीगंगा/एम.एम.एल./11/1978/378 दिनांक 09.03.1978 द्वारा संविदा पंजीयन की तिथी से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया। संविदा का पंजीयन दिनांक 26.04.1978 को हुआ। इस प्रकार खननपट्टा की अवधि दिनांक 26.04.1978 से 25.04.1988 तक के लिए स्वीकृत हुआ। कार्यालय खनि अभियन्ता, बीकानेर के आदेश क्रमांक खअ/बीके/एम.एम.एल. 11/1978/779 दिनांक 04.05.1981 द्वारा खननपट्टे का हस्तांतरण सर्वश्री पी.जी. स्टोन क्रेशिंग इण्डस्ट्रीज, गजनेर रोड़, बीकानेर के पक्ष में स्वीकृत हुआ। खननपट्टा का प्रथम नवीनीकरण एम.एल. 58/1987 दिनांक 31.10.1987 को अवधि दिनांक 27.04.1988 से 26.04.1998 व द्वितीय नवीनीकरण एम.एल. 17/1998 दिनांक 23.04.1998 को अवधि दिनांक 27.04.1998 से 26.04.2018 तक के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया।

उक्त खननपट्टा ततसमय राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियम 17(2) के अन्तर्गत बढ़ी हुई अवधि में प्रभावशील रहा। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 9(2) के तहत खननपट्टे की अवधि दिनांक 26.04.2028 तक स्वतः ही बढ़ गई है। वर्तमान में खननपट्टे का स्थिर भाटक 49,000/– है। सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने निम्न दोषो के निवारण हेतु 30/45 दिवसीय चेतना पत्र क्रमांक 88 दिनांक 03.06.2022 जारी किया। जो कि पटटाधारी को दिनांक 12.06.2022 को तामिल हुआ।

1. **यह कि देय राशि रूपये 59,82,809/–आपके विरूद्व बकाया है और निश्चित तिथी पर भुगतान करने में आप असफल रहे हैं। यह संविदा की धारा की धारा 4(3)(4) एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 की धारा 28(2)(II) का उल्लघंन है।**

पटटाधारी द्वारा उक्त चेतना पत्र की पालना निर्धारित समयावधि पश्चात भी नही करने के कारण एवं वर्तमान में पटटेधारी के विरूद्व राशि मय ब्याज रूपये 59,95,059 /–बकाया होने से सहायक खनि अभियन्ता, चुरू ने उक्त खनन पटटा खण्डित करने के प्रस्ताव इस कार्यालय को पठाये है। श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर ने उक्त खनन पटटा खण्डित करने का अनुमोदन अपने पत्र क्रमांक 2479 दिनांक 09.09.2022 से प्रदान किया।

अतः सहायक खनि अभियन्ता, चुरू के प्रस्तावानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियमो में प्रदत शक्तियो का उपयोग करते हुए उक्त खनन पटटा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए तुरंत प्रभाव से खण्डित किया जाता है।

–sd–
भीम सिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

क्रमांकसम/ 1783 दिनांकः 9.9.2022

प्रतिलिपीः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर को उनके पत्र क्रमांक 2479 दिनांक 09.09.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. श्रीमान जिला कलक्टर, चुरू।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चुरू को उनके पत्र क्रमांक 441 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में
4. उप वन संरक्षक, चुरू।
5. सर्वश्री पी.जी. स्टोन क्रेशिंग इण्डस्ट्रीज, निवासः– पार्वती सदन, गजनेर रोड़, बीकानेर, जिला–बीकानेर द्वारा सहायक खनि अभियन्ता, चुरू

CC I
09/09/2022

भीम सिंह
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
बीकानेर वृत्त बीकानेर।

ML-21/1988

259

राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प.20(159)खान/ग्रुप–2/07 जयपुर, दिनांक : 24 JUN 2009

निदेशक,
खान एवं भू–विज्ञान विभाग,
उदयपुर ।

विषयः खनन पट्टा 54/73 बीकानेर कार्यालय में स्वीकृत चेजा पत्थर निकट ग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ ।
संदर्भः निदे/प.2(एच.1)बीका/07/298 दिनांक 23.05.2008

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि श्री बी.एम. बोहरा, अधिवक्ता, जोधपुर के नोटिस एवं आप द्वारा प्रेषित टिप्पणी का शासन स्तर पर परीक्षण कराया गया, जो कि निम्न प्रकार हैं :–

This is a case regarding the area of a mining lease which was changed at the time of first renewal. The second renewal was also granted for this enanged area and now at the time of III renewal it is being demanded to shift the lease area to original position.

At the time of submission of renewal application in Form No. 1B of MMCR, 1986. The details of lease held area is required to be enclosed. If any change area is enclosed that can not be considered for renewal. Here in case of first and second renewal the area is changed and renewals are granted. Such grants are not legally correct and are to be treated as null & void. The Officer concern is also defaulter in granting first and second renewal for changed area.

Since the lessee is not in a possession of original area. Then original area can not be renewed and granted at the time of III renewal moreover the part of original area is granted to somebody else also. So the application on III renewal may be rejected.

उक्त प्रकरण में जिन अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरती गई है, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करने का श्रम करें । निर्देशानुसार उपरोक्तानुसार प्रकरण में कार्यवाही कर इस विभाग को सूचित करें ।

भवदीय,
उप शासन सचिव

ML-21/1988

260

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, बीकानेर

क्रमांकःखअ/बीका/एमएमएल/6/98/1622 दिनांकः 12-8-10

284

कार्यालय आदेश

सर्वश्री श्याम ग्रिट उत्पादक कम्पनी सुजानगढ़ जिला चुरू ने एक आवेदन पत्र दिनांकः 11.2.1998 को खननपट्टा नवीनीकरण खनिज स्टोन बैलास्ट निकटग्राम रणधीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू में क्षैत्र 6000 वर्गमीटर का अनुदान हेतु पेश किया । राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुवे उक्त आवेदनपत्र को निम्न कारण से अस्वीकृत किया जाता है ।

1. निदेशालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग उदयपुर के पत्रांकः 631 दिनांकः 27.7.2010 में सलंग्न शासन सचिव खान ग्रुप–2 विभाग जयपुर के पत्रांक प.20(159) खान/ ग्रुप–2/ 07 दिनांकः24.6.2009 के द्वारा आवेदनपत्र अस्वीकृत करने के निर्देश देने के कारण ।

खनि अभियन्ता,
खान एवं भू–विज्ञान विभाग,
बीकानेर

क्रमांकः सम/1623-1625 दिनांकः 12-8-10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–:

1. सर्वश्री श्याम ग्रिट उत्पादक कम्पनी, प्रो0 श्री निरंजन शर्मा पुत्र श्री भंवरलाल शर्मा, नया बास, तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू ।
2. खनि कार्यदेशक चुरू को भेजकर लेख है कि वे तुरन्त मौके पर पहुंचकर क्षैत्र का विस्तृत निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करे और देखे कि क्षैत्र में कोई अनाधिकृत खननकार्य तो नहीं किया जा रहा है और यदि कोई अनाधिकृत खननकार्य किया जाता हो तो नियमानुसार पंचनाम बनाकर कार्यवाही करे ।
3. मानचित्रकार कार्यालय हाजा ।

खनि अभियन्ता,
खान एवं भू–विज्ञान विभाग,
बीकानेर ।

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 15016/2022

Megharam S/o Ruparam, Aged About 48 Years, R/o Ward No. 10, Jato Mouhalla, Dharti, Churu, Rajasthan 331505.

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Its Secretary, Department Of Mines And Geology, Jaipur.
2. The Superintendent, Mining Officer, Department Of Mines And Geology, Sadulganj, Bikaner.
3. Assistant Mining Officer, Department Of Mines And Geology, Churu, Rajasthan.

----Respondents

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

Connected With

S.B. Civil Writ Petition No. 14732/2022

M/s Ambay Mines And Minerals, Through Its Partner Jhumar Mal Khileri Son Amra Ram Khileri, Aged About 60 Years, Resident Of Ward No. 8, Dugaras Aguna, Churu, Rajasthan - 331505 (Through Its PoA Holder Bhinwa Ram Khilery).

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Its Secretary, Department Of Mines And Geology.
2. The Superintendent, Mining Officer, Department Of Mines And Geology Sadulganj, Bikaner.
3. Assistant Mining Officer, Department Of Mines And Geology, Churu Rajasthan.

----Respondents

S.B. Civil Writ Petition No. 14801/2022

Mangi Lal S/o Shri Ghisa Ram Jat, Aged About 67 Years, R/o. Ward No. 2, Beer Chhapar, Churu, Rajasthan 331502

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Its Secretary, Department Of Mines And Geology.
2. The Superintendent, Mining Officer, Department Of Mines

(Downloaded on 03/02/2023 at 05:58:41 PM)

And Geology, Sadulganj, Bikaner.

3. Assistant Mining Officer, Department Of Mines And Geology, Churu, Rajasthan.

----Respondents

S.B. Civil Writ Petition No. 14806/2022

Rajendra Panwar S/o Aidan Panwar, Aged About 44 Years, R/o Ward No. 14, Hanuman Dhora, Near Water Tank, Sujangarh, Distt Churu, Rajasthan 331507

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Its Secretary, Department Of Mines And Geology.
2. The Superintendent, Mining Officer, Department Of Mines And Geology, Sadulganj, Bikaner.
3. Assistant Mining Officer, Department Of Mines And Geology, Churu, Rajasthan.

----Respondents

S.B. Civil Writ Petition No. 14898/2022

Raju Devi W/o Shri Nopa Ram, Aged About 38 Years, Resident Of Balera, Churu, Rajasthan 331503.

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Its Secretary, Department Of Mines And Geology.
2. The Superintendent, Mining Officer, Department Of Mines And Geology, Sadulganj, Bikaner.
3. Assistant Mining Officer, Department Of Mines And Geology, Churu, Rajasthan.

----Respondents

S.B. Civil Writ Petition No. 14956/2022

Arjun Ram S/o Shri Mohan Ram Ji, Aged About 40 Years, By Caste Jat, Resident Of Ward No. 7, Dhani Ramdevra, Kaiero Ki Dhani, Bidasar, Tehsil Sujangarh, Churu.

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Its Secretary, Department Of

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
(Downloaded on 03/02/2023 at 05:58:41 PM)

Mines And Geology.

2. The Superintendent, Mining Officer, Department Of Mines And Geology, Sadulganj, Bikaner.

3. Assistant Mining Officer, Department Of Mines And Geology, Churu Rajasthan.

----Respondents

S.B. Civil Writ Petition No. 14973/2022

Radhey Shtyam S/o Sh. Nathuram Jaat, Aged About 42 Years, R/o Bhanwar Singh Ki Khotri, Bhootiyawaas, Pahari, Tehsil Sujangarh, District Churu, Rajasthan.

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Its Secretary, Department Of Mines And Geology.

2. The Superintendent, Mining Officer, Department Of Mines And Geology, Sadulganj, Bikaner.

3. Assistant Mining Officer, Department Of Mines And Geology, Churu Rajasthan.

----Respondents

S.B. Civil Writ Petition No. 14975/2022

Ashwani Kumar Saien S/o Vijay Kumar Saien, Aged About 28 Years, Resident Of H. No. 1-B-2, Jawaharnagar, Ganganagar, Sriganganagar, Rajasthan 3350015 Through Power Of Attorney Holder Shri Indu Sen Sahu S/o Shri Amilal Sahu, Aged 42 Years.

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Its Secretary, Department Of Mines And Geology.

2. The Superintendent, Mining Officer, Department Of Mines And Geology, Sadulganj, Bikaner.

3. Assistant Mining Officer, Department Of Mines And Geology, Churu Rajasthan.

----Respondents

S.B. Civil Writ Petition No. 14993/2022

Maa Bhawani, Through Its Partner Girdhari S/o Mohan Ram, Aged About 30 Years, R/o Ward No. 03, Godwalo Ki Dhani, Bidas, Churu, Rajasthan 331501

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

(Downloaded on 03/02/2023 at 05:58:41 PM)

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Its Secretary, Department Of Mines And Geology, Jaipur.
2. The Superintendent, Mining Officer, Department Of Mines And Geology, Sadulganj, Bikaner.
3. Assistant Mining Officer, Department Of Mines And Geology, Churu, Rajasthan.

----Respondents

S.B. Civil Writ Petition No. 14996/2022

Ramavtar Khatik S/o Satyanarayan Khatik, Aged About 44 Years, R/o. Randhisar, Churu, Rajasthan 331505

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Its Secretary, Department Of Mines And Geology, Jaipur.
2. The Superintendent, Mining Officer, Department Of Mines And Geology, Sadulganj, Bikaner.
3. Assistant Mining Officer, Department Of Mines And Geology, Churu, Rajasthan.

----Respondents

S.B. Civil Writ Petition No. 15006/2022

Khiya Ram S/o Surja, Aged About 67 Years, Resident Of Ward No. 07, Dhani Potaliyan, Kalero Ki Dhani, Bidasar, Churu, Sujangarh, Rajasthan 331501

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Its Secretary, Department Of Mines And Geology, Jaipur.
2. The Superintendent, Mining Officer, Department Of Mines And Geology, Sadulganj, Bikaner.
3. Assistant Mining Officer, Department Of Mines And Geology, Churu, Rajasthan.

----Respondents

S.B. Civil Writ Petition No. 15015/2022

Mamta Devi W/o Narender Kumar, Aged About 34 Years,

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

(Downloaded on 03/02/2023 at 05:58:41 PM)

Resident Of Ward No. 10, 3 H D P, 4 Hardayalpura, Hanumangarh, Rajasthan - 335802 Through Her Power Of Attorney Holder Narendra Kumar.

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Its Secretary, Department Of Mines And Geology, Jaipur.
2. The Superintendent, Mining Officer, Department Of Mines And Geology, Sadulganj, Bikaner.
3. Assistant Mining Officer, Department Of Mines And Geology, Churu, Rajasthan.

----Respondents

S.B. Civil Writ Petition No. 15019/2022

Shanti Devi Khatik W/o Dolaram Khatik, Aged About 77 Years, R/o Ward No. 11, Randhisar Phadi, Parihara, Churu, Rajasthan - 331505.

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Its Secretary, Department Of Mines And Geology, Jaipur.
2. The Superintendent, Mining Officer, Department Of Mines And Geology, Sadulganj, Bikaner.
3. Assistant Mining Officer, Department Of Mines And Geology, Churu, Rajasthan.

----Respondents

S.B. Civil Writ Petition No. 15023/2022

M/s Ambika Stone Ballast, Through Its Proprietor Vikash Panwar Son Of Daulat Ram Panwar, Aged About 34 Years, Resident Of Ward No. 14, Hanuman Dhora, Sujangarh, Churu, Rajasthan, 331507.

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Its Secretary, Department Of Mines And Geology, Jaipur.
2. The Superintendent, Mining Officer, Department Of Mines And Geology, Sadulganj, Bikaner.
3. Assistant Mining Officer, Department Of Mines And

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

(Downloaded on 03/02/2023 at 05:58:41 PM)

Geology, Churu, Rajasthan.

----Respondents

S.B. Civil Writ Petition No. 15040/2022

M/s Jai Maa Stone, Through Its Partner Nitin Kumar S/o Narotam Kumar, Aged About 40 Years R/o 179, Green Park, Near Rangoli Marriage Palace, Fatehabad, Haryana 125050.

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Its Secretary, Department Of Mines And Geology.
2. The Superintendent, Mining Officer, Department Of Mines And Geology, Sadulganj, Bikaner.
3. Assistant Mining Officer, Department Of Mines And Geology, Churu, Rajasthan.

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

----Respondents

S.B. Civil Writ Petition No. 15993/2022

Pratap Singh S/o Shankar Singh, Aged About 76 Years, R/o Rand Hisar, Churu, Parihara, Rajasthan 331505.

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Its Secretary, Department Of Mines And Geology.
2. The Superintendent, Mining Officer, Department Of Mines And Geology, Sadulganj, Bikaner.
3. Assistant Mining Officer, Department Of Mines And Geology, Churu Rajasthan.

----Respondents

S.B. Civil Writ Petition No. 16226/2022

Ram Niwas Jat S/o Ganpat Ram Jaat, Aged About 52 Years, R/o Gopalpura, Tehsil Sujangarh, Dist. Churu Rajasthan 331505

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Its Secretary, Department Of Mines And Geology, Jaipur.
2. The Superintendent, Mining Officer, Department Of Mines And Geology, Sadulganj, Bikaner .

(Downloaded on 03/02/2023 at 05:58:41 PM)

3. Assistant Mining Officer, Department Of Mines And Geology, Churu Rajasthan.

----Respondents

S.B. Civil Writ Petition No. 16727/2022

Parki Devi W/o Nooparam Meghwal, Aged About 42 Years, R/o Sh. Sundarlal Agrawal Sethiya Bhawan, Pahariya, Tehsil Sujangarh, Dist. Churu, Rajasthan 331505 Through Its PoA Holder Sh. Suresh Kumar Meghwal

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Its Secretary, Department Of Mines And Geology, Jaipur.
2. The Superintendent, Mining Officer, Department Of Mines And Geology, Sadulganj, Bikaner.
3. Assistant Mining Officer, Department Of Mines And Geology, Churu Rajasthan.

----Respondents

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

For Petitioner(s) : Mr. C. S. Kotwani
Mr. Sheetal Kumbhat
Mr. Ankit Shah
Mr. Saurabh Rajpal

For Respondent(s) : Mr. Digvijay Singh Jasol, Dy.GC

HON'BLE MR. JUSTICE VINIT KUMAR MATHUR

Order

03/02/2023

Heard learned counsel for the parties.

Learned counsel for the petitioners, after having attempted to argue the matters for quite some time, do not wish to press these writ petitions and seek permission to withdraw these writ petitions with liberty to file appeals before the Appellate Authority along with an application for condonation of delay and an application for getting the area inspected afresh.

(Downloaded on 03/02/2023 at 05:58:41 PM)

The submission of learned counsel for the petitioners so far as filing of the appeals and the applications for condonation of delay is concerned, is not objected by learned counsel appearing for the State. However, he submits that no observation or direction should be passed by this Court on the applications to be preferred by the petitioners for inspecting the area afresh.

I have considered the submissions made at the bar.

The present writ petitions are disposed of with liberty to the petitioners to file appeals against the order passed by the Superintendent, Mining Engineer before the Appellate Authority in accordance with the Rules along with the applications for condonation of delay and the applications for getting the area inspected afresh, if the same are permissible under the law.

It is made clear that the permission granted for filing such applications before the Appellate Authority will be adjudicated by him strictly in accordance with law and the permission granted by this Court shall not be deemed to be any observation or any direction to the Appellate Authority for passing any order on the same.

It is expected from the Appellate Authority that on filing these appeals, the appropriate orders will be passed at the earliest preferably within a period of one month from the date of the filing of the appeals.

(VINIT KUMAR MATHUR),J

31 to 46, 48 & 50-SunilS/-

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

(Downloaded on 03/02/2023 at 05:58:41 PM)

ANNEXURE - 5

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN

AT JODHPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 14941/2022

M/s PG Stone Crushing Industries, Randhisar Hill, District Churu, through its Partners

1. Shri Rajendra Khatri S/o Late Shri Jethmal Khatri, aged about 47 Years, R/o Parvati Sadan, Old Gajner Road, Bikaner (Raj.)
2. Shri Saurabh Khatri S/o Late Shri Jethmal Khatri, aged about 45 Years, R/o Parvati Sadan, Old Gajner Road, Bikaner (Raj.)

----Petitioner

Versus

1. State of Rajasthan through Principal Secretary, Department of Mines and Geology, Government of Rajasthan, Secretariat, Jaipur, (Raj.).
2. The Director, Mines and Geology Directorate, Khanij Bhawan, Udaipur (Raj.).
3. Superintendent Mining Engineer, Mines and Geology Department, Rajasthan, Bikaner Circle, Bikaner (Raj.).
4. Assistant Mining Engineer (Recovery), Mines and Geology Department, Rajasthan, Bikaner (Raj.).
5. Assistant Mining Engineer, Mines and Geology Department, Rajasthan, Churu (Raj.).

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Anirudh Purohit.

HON'BLE MR. JUSTICE ARUN BHANSALI

Order

13/12/2022

Heard.

It is submitted by the counsel for the petitioner that the petitioner was issued a show cause notice demanding a sum of

(Downloaded on 14/03/2023 at 08:49:34 PM)

Rs.59,82,809/- dated 03.06.2022 (Annex.14), to which the petitioner responded on 21.06.2022 denying the fact of alleged illegal mining. It is submitted that without determination of the plea raised by the petitioner, the Superintendent Mining Engineer has vide its order dated 09.09.2022 (Annex.16), based on the fact that notice was issued to the petitioner, without even referring to the response given by the petitioner and holding that the amount of Rs.59,95,059/- has not been paid, has cancelled the mining lease of the petitioner and the action has been initiated for recovery against the petitioner, which is not justified.

In view of submissions made, issue notice. Issue notice of stay petition as well. Notices are made returnable within four weeks.

In the meanwhile and till further orders, effect and operation of the order dated 09.09.2022 (Annex.16) and recovery pursuant to notice dated 12.09.2022 (Annex.17) from the petitioner shall remain stayed.

(ARUN BHANSALI),J

84-DJ/-

(Downloaded on 14/03/2023 at 08:49:34 PM)

ANNEXURE - 6

Annexure-6

Office of the Assistant Mining Engineer, Department of Mines & Geology, Churu (Rajasthan)					
Details of Defaulters at Randhisar Pahadi, Tehsil- Sujangarh, Distt. Churu (Rajasthan)					
S.No.	Name of Defaulter	ML . NO.	Total Illegal mining penalty amount (in Rs.)	Recovered/ disposed amount (in Rs.)	Remarks
1	M/S Churu Laber Conctor Co.Operative Society	65/1983	12887986	0	Recovery process under LR act
2	Surjaram Khatik S/O Hanumanaram	48/1978	12813790	12813790	Penalty Amount Recovered under Amnest scheme
3	Bijju Devi W/o Shrawan	36/1980	4421278	4421278	Penalty Amount Recovered
4	Mainadevi W/O Girdharilal Meghwal	54/1978	7739380	0	Recovery process under LR act
5	Niranjan Sharma	32/1988	15257537	0	Hon'ble High Court Jodhpur granted Stay order on recovery
6	M/S Jagdamba Stone Crushing Industries,	86/1983	21119259	0	Recovery process under LR act
7	M/S Ambey Mines and minerals,	161/1990	9427796	9427796	Penalty Amount Recovered
8	Arjuna ram	59/1981	9634232	9634232	Penalty Amount Recovered
9	Sh. Megha ram	41/1978	3150000	3150000	Penalty Amount Recovered
10	Pratap Singh Rajpurohit	22/2003	6828756	6828756	Penalty Amount Recovered
11	Inderchand Golian-II	45/1978	8007169	0	Recovery process under LR act
12	M/S Khatu Shayam Greet Udyog	25/1979	8440767	8440767	Penalty Amount Recovered under Amnest scheme
13	M/s Ma Bhawani Stone	40/1987	17090814	17090814	Penalty Amount Recovered
14	M/S Randhisar Stone Crushing	62/1983	17541195	0	Recovery process under LR act
15	Smt. Shanti Devi	68/1978	6650049	6650049	Penalty Amount Recovered
16	Shankar lal S/o Ganesh Ram	73/1977	7984419	516250	Hon'ble High Court Jodhpur granted Stay order on recovery
17	M/S Jain Stone Crushing-II	50/1979	2910250	2910250	Penalty Amount Recovered
18	Mangtu Ram	71/1983	3675000	3675000	Penalty Amount Recovered

सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
चूरू

19	Kishan Singh Gehlot S/o Dhudaram	54/1990	14274674	0	Recovery process under LR act
20	Ramvatar khatik	49/1983	3415837	3415837	Penalty Amount Recovered
21	Birbal Ram Bawri S/O Ganesha Ram	40/1985	6061564	6061564	Penalty Amount Recovered
22	Vinod Kumar Bangarwa	53/1978	2438655	2438655	Penalty Amount Recovered
23	Mamta Devi s/o Narendra kumar	101/1977	3828686	3828686	Penalty Amount Recovered
24	Raju Devi	75/1983	3116400	3116400	Penalty Amount Recovered
25	Rajendra Panwar	162/1990	1960000	1960000	Penalty Amount Recovered
26	M/S Puniya Blast Supplier	74/1978	11551241	11551241	Penalty Amount Recovered
27	Inderchand Golian-I	44/1978	18802143	0	Recovery process under LR act
28	Tarachand	76/1983	10942755	10942755	Penalty Amount Recovered
29	M/S Jai Ma Stone	15/1980	12145002	12145002	Penalty Amount Recovered
30	M/S Ambika Stone Balast Suppliers	36/1986	7396262	7396262	Penalty Amount Recovered
31	Yogesh Kumar Sharma S/O Niranjan	52/1990	7278826	0	Recovery process under LR act
32	Bhagirath Mal Agarwal S/O Tota Ram	95/1978	4200000	4200000	Penalty Amount Recovered under Amnest scheme
33	Ashwini kumar sain	13/1978	12764386	12764386	Penalty Amount Recovered
34	Mangilal	42/1978	11088460	11088460	Penalty Amount Recovered
35	Radheshyam	74/1982	5510554	5510554	Penalty Amount Recovered
36	Lalit Kumar Verma S/O Hanuman Mal	60/1983	20001179	0	Hon'ble High Court Jodhpur granted Stay order on recovery
37	Babulal pooniya	92/1978	8700724	8700724	Penalty Amount Recovered
38	Parki Devi W/O Nupa Ram	74/1983	2626416	2626416	Penalty Amount Recovered
39	M/S Pg Stone Crusing Ind.	11/1978	5921559	0	Hon'ble High Court Jodhpur granted Stay order on recovery
40	M/S Shyam Greet Utpadak Company	21/1988	630000	630000	Penalty Amount Recovered under Amnest scheme
TOTAL			350235000	193935924	

सहायक खनि अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग

ANNEXURE - 7 (Colly)

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 16877/2022

Niranjan Sharma S/o Late Shri Bhanwar Lal Sharma, Aged About 75 Years, R/o Naya Bas, Sujangarh, Tehsil Sujangarh, District Churu, Rajasthan.

----Petitioner

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Its Secretary, Mines Department, Government Of Rajasthan, Secretariat, Jaipur.
2. The Director, Mines And Geology Department, Khanij Bhawan, Udaipur.
3. The Superintending Mining Engineer, Mines And Geology Department, Bikaner (Raj.).
4. The Collector, Churu
5. The Assistant Mining Engineer (Recovery), Mines And Geology Department, Churu (Raj.)

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. DLR Vyas
Mr. Abhishek Bora

HON'BLE MR. JUSTICE VINIT KUMAR MATHUR

Order

10/11/2022

Heard learned counsel for the petitioner.

Learned counsel for the petitioner undertakes that if the amount is determined by the respondent authorities under the Amnesty Scheme, he is agreeable to deposit the same.

Matter requires consideration.

Issue notice, returnable on 29.11.2022. Issue notice of stay application also.

(Downloaded on 14/03/2023 at 09:58:25 PM)

Meanwhile and till the next date of hearing, the auction proceedings in pursuance of the Notification dated 21.10.2022 shall remain stayed.

(VINIT KUMAR MATHUR),J

473-praveen/-

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official
RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

(Downloaded on 14/03/2023 at 09:58:25 PM)

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 9470 / 2016

Shankar Lal S/o Late Shri Ganesha Ram, aged about 35 years, resident of Badi Jasolai, Bikaner through its Power of Attorney Holder Shri Gopal Ji Modi S/o Ram Chandra Ji Modi, aged about 47 years, Parvati Sadan, Near Arvind Pathology Lab, Old Gajmer Road, Bikaner.

----Petitioner

Versus

1. The State of Rajasthan through the Secretary, Department of Mines, Government of Rajasthan, Jaipur.
2. The Director, Department of Mines and Geology, Udaipur.
3. The Mining Engineer, Bikaner.
4. The Assistant Mining Engineer, Churu.

----Respondent

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

For Petitioner(s) : Mr. Sushil Solanki

For Respondent(s) : Ms. Suman Porwal

HON'BLE MS. JUSTICE NIRMALJIT KAUR

Order

14/12/2017

No reply has been filed till date. However, learned counsel for the respondent prays for time to file the reply.

Reply be filed within three weeks.

List on 22/01/2018, as prayed. Till then, no coercive steps be initiated against the petitioner till the next date of hearing only.

(NIRMALJIT KAUR), J.

sanjaysolanki,pa

(Downloaded on 19/09/2022 at 06:04:19 PM)

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 16668/2019

Lalit Kumar Verma S/o Shri Hanuman Mal Verma, Aged About 65 Years, R/o Hanuman Colony, Post Ladnu, District Nagaur, Through His Power Of Attorney Holder Hari Prasad Harshwal S/o Shri Sultan Mal Age 65 Years R/o Parinara, Churu.

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Principal Secretary To Government, Mines Department, The Government Of Rajasthan, Secretariat, Jaipur.
2. The Joint Secretary, Govt. Of Rajasthan, Secretariat, Jaipur.
3. The Director, Mines And Geology Department, Khanij Bhawan, Udaipur.
4. The Mining Engineer, Mines And Geology Department, Bikaner.
5. The Assistant Mining Engineer, Mines And Geology Department, Churu.

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Muktesh Maheshwari

JUSTICE DINESH MEHTA

Order

13/11/2019

Inviting Court's attention towards the report given by a Sub-Committee constituted, learned counsel submits that it was clearly reported that the impugned recovery was illegal, yet for about 12 years, the respondents did not take any recovery proceedings, giving an impression that recovery against the petitioner has been dropped.

(Downloaded on 05/09/2022 at 02:04:18 AM)

The respondents have sprung into action and have not only sought to recover the basic demand, which was initially raised in 2003, but have also sought to recovery penalty.

Mr. Maheshwari's basic contention has been that the respondents have calculated the amount purpotedly payable by the petitioner simply on the basis of conjectures and surmises, without giving any detail about the quantity of mineral excavated by the petitioner, beyond his mining rights.

The matter requires consideration.

Issue notice. Issue notice of the stay application also.

Meanwhile, no coercive measures shall be taken by the respondents in pursuance of the notice of demand dated 04.09.2019 (Annex.10).

(DINESH MEHTA),J

143-skm/-

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते
(Downloaded on 05/09/2022 at 02:04:18 AM)

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN

AT JODHPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 14941/2022

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

M/s PG Stone Crushing Industries, Randhisar Hill, District Churu, through its Partners

1. Shri Rajendra Khatri S/o Late Shri Jethmal Khatri, aged about 47 Years, R/o Parvati Sadan, Old Gajner Road, Bikaner (Raj.)
2. Shri Saurabh Khatri S/o Late Shri Jethmal Khatri, aged about 45 Years, R/o Parvati Sadan, Old Gajner Road, Bikaner (Raj.)

----Petitioner

Versus

1. State of Rajasthan through Principal Secretary, Department of Mines and Geology, Government of Rajasthan, Secretariat, Jaipur, (Raj.).
2. The Director, Mines and Geology Directorate, Khanij Bhawan, Udaipur (Raj.).
3. Superintendent Mining Engineer, Mines and Geology Department, Rajasthan, Bikaner Circle, Bikaner (Raj.).
4. Assistant Mining Engineer (Recovery), Mines and Geology Department, Rajasthan, Bikaner (Raj.).
5. Assistant Mining Engineer, Mines and Geology Department, Rajasthan, Churu (Raj.).

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Anirudh Purohit.

HON'BLE MR. JUSTICE ARUN BHANSALI

Order

13/12/2022

Heard.

It is submitted by the counsel for the petitioner that the petitioner was issued a show cause notice demanding a sum of

(Downloaded on 14/03/2023 at 08:49:34 PM)

Rs.59,82,809/- dated 03.06.2022 (Annex.14), to which the petitioner responded on 21.06.2022 denying the fact of alleged illegal mining. It is submitted that without determination of the plea raised by the petitioner, the Superintendent Mining Engineer has vide its order dated 09.09.2022 (Annex.16), based on the fact that notice was issued to the petitioner, without even referring to the response given by the petitioner and holding that the amount of Rs.59,95,059/- has not been paid, has cancelled the mining lease of the petitioner and the action has been initiated for recovery against the petitioner, which is not justified.

In view of submissions made, issue notice. Issue notice of stay petition as well. Notices are made returnable within four weeks.

In the meanwhile and till further orders, effect and operation of the order dated 09.09.2022 (Annex.16) and recovery pursuant to notice dated 12.09.2022 (Annex.17) from the petitioner shall remain stayed.

(ARUN BHANSALI),J

84-DJ/-

(Downloaded on 14/03/2023 at 08:49:34 PM)